

हिन्दी उपन्यास साहित्य में हरिजनों का चित्रण

(१६०० - १६७४ ई०)

[इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फ़िल्० उपाधि के लिए प्रस्तुत]

शोध-प्रबन्ध-सार

शोध-कर्ता

वृजमोहन श्रीवास्तव
एम० ए०

निर्देशक

डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णोय
एम० ए०, डी० फ़िल्०, डी० लिट्०
डीन, कला संकाय

और

सीनियर प्रोफ़ेसर तथा अध्यक्ष

हिन्दी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

अगस्त १९७६ ई०

हिन्दी उपन्यास साहित्य में हरिजनों का चित्रण

(१९०० - १९७४ ई०)

[इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फ़िल्० उपाधि के लिए प्रस्तुत]

शोध-प्रबन्ध-सार

●

शोध-कर्ता

बृजमोहन श्रीवास्तव
एम० ए०

●

निर्देशक

डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्पेय
एम० ए०, डी० फ़िल्०, डी० लिट्०
डीन, कला संकाय

और

सीनियर प्रोफेसर तथा अध्यक्ष

हिन्दी विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

●

अगस्त १९७६ ई०

शोध-प्रबन्ध-सार
संस्कृत-प्रबन्ध-सार

शोध-प्रबन्ध-सार

प्रस्तुत प्रबन्ध में हिन्दो उपन्यास-साहित्य में हरिजनों का चित्रण १९००-१९७४ ई० तक किया गया है। हरिजनों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों को बाली-सनात्मक रूप से चिन्ता का गर्भ है। शोध-प्रबन्ध आठ अध्यायों में विभक्त है :--

आमुख

- प्रथम अध्याय : हिन्दु समाज और वर्ण-व्यवस्था ।
द्वितीय अध्याय : हिन्दु समाज और हरिजन ।
तृतीय अध्याय : समाज सुधारवादी आन्दोलन और हिन्दो उपन्यास ।
चतुर्थ अध्याय : सामाजिक स्थिति और हरिजन ।
पंचम अध्याय : राजनीतिक स्थिति और हरिजन ।
षष्ठ अध्याय : आर्थिक स्थिति और हरिजन ।
सप्तम अध्याय : धार्मिक स्थिति और हरिजन ।
अष्टम अध्याय : उपसंहार ।

आमुख

आमुख में समाज के हरिजनों की स्थितियों का वर्णन किया गया है। यह बात ध्रुव सत्य है कि जब तक भारत में हरिजन विषय में अज्ञानता नहीं बन सकेगी, समाज में भी यही दशा रही।

जब तक वहाँ समाज के एक टुकड़े को निम्न प कहकर दुत्कारा गया, तब तक उस देश का अत्यन्त दयनीय दशा रहा तथा जब मे उस राजासी प्रवृत्ति का अन्त कर दिया गया और उस देश के निवासियों ने निम्न कहे जाने वाले लोगों को गले लगाया, तब से विश्व में जापान बमका।

कुछ लोग वर्णाश्रम व्यवस्था को कुजाकृत की व्यवस्था के लिए दोषी ठहराते हैं। पर यह मत नितान्त असंगत है। महात्मा गांधी का विचार था कि वर्णाश्रम धर्म की कल्पना किसी संकुचित भावना से नहीं की गई।

साहित्य का अध्ययन उन्मैक प्रकार से किया जा सकता है, परन्तु वही अध्ययन वैज्ञानिक कहा जायेगा, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का विवर्ण किया गया है।

उन्नीसवां शताब्दी के समाजसुधारवादी आन्दोलनों का भी वर्णन किया गया है। इन आन्दोलनों का प्रभाव बासवां शताब्दी के उपन्यासकारों पर पड़ा है।

१६३२० गांधी जी के अनशन के बाद उपन्यासों के क्षेत्र में क्रांति हुई। कुजाकृत की भावना को समूल नष्ट करने के लिए प्रयत्न किया गया। यदि हम बीसवीं शताब्दी के सम्पूर्ण उपन्यासकारों को देखें तो दो धाराएँ दिखाई पड़ती हैं-- सुधारवादी तथा परम्परावादी।

हिन्दी उपन्यास-साहित्य में हरिजनों के विवर्ण का सीधा अर्थ यह है कि कोई उपन्यासकार समाज की ही परिधि में ही हरिजन और उसकी विभिन्न समस्याओं का कहां तक विवर्ण कर पाता है।

प्रथम अध्याय : हिन्दू समाज और वर्ण-व्यवस्था

वर्णव्यवस्था प्राचीनकाल से ही हिन्दू समाज की विशेषता और आधार रहा है। इस व्यवस्था के अनुसार समाज को चार वर्णों-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है। वर्ण-व्यवस्था इतनी प्राचीन है जितना कि ऋग्वेद। वर्ण-व्यवस्था का उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीनतम व्याख्या ऋग्वेद के दशम मण्डल के पुरुष सूक्त में मिलता है। जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट्-पुरुष के मुख से क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। यह व्याख्या स्पष्टतः शाब्दिक न होकर आलंकारिक है। इसमें समाज को विराट्-पुरुष के शरीर में कल्पना की गई है, जिसके चारों वर्ण अंग हैं। इस व्याख्या से एक ओर तो चारों वर्णों का स्थिति का पता चलता है तो दूसरी ओर प्रत्येक वर्ण के कर्तव्यों के विषय में भी संकेत मिलता है।

समाज का यह मस्तिष्क ब्राह्मण वर्ण का ही होता है। समाज इन्हीं के द्वारा सौकता है, इन्हीं के द्वारा बोलता है और इन्हीं के नेतृत्व में गन्तार्थ पर चलता है। क्षत्रिय समाज पुरुष का भुजायें था। जिस प्रकार भुजायें शरीर की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार उनका कर्तव्य बाह्य तथा आन्तरिक शत्रुओं से समाज की रक्षा करना था। जिस प्रकार शरीर की मार जंघारं बहन करती हैं, उसी प्रकार समाज पुरुष का मार, सामरा वर्ण वैश्य धारण करता था। समाज की वार्षिक व्यवस्था और व्यवस्था का दायित्व इसी वर्ण पर था। वैश्य का कर्तव्य था कि वह कृषि, मनु-पालन और व्यापार की ओर ध्यान दें और शूद्र पर न। ये तीनों वर्ण दिव्य कहे जाते थे।

उनको उपनयन कराकर वेद आदि के अध्ययन तथा यज्ञों के करने का अधिकार था। इस प्रकार ये तानों वर्ण कार्य संस्कृति के प्रहरी थे। उनके विपरीत चौथा वर्ण शूद्र, उन तानों वर्णों को सेवा करने के लिए था। उनको समाज पुरुषों के पैरों से उत्पत्ति की कल्पना की गई। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार शरीर में पैर है, उसी प्रकार समाज में शूद्र है। हिन्दुओं के चार वर्णों में विभाजित करके वेग परिस्थितियां उत्पन्न करने का धेष्टा की गई, जिसको सहायता से प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का पालन करते हुए चरम लक्ष्य का जोर बढ़ाये।

वर्तमान समय में समूचे देश में सहस्रों जातियां और उपजातियां मिलती हैं, जिनका गणना हरिजन वर्ग के अन्तर्गत की जाती है। हरिजन वर्ग की कुछ जातियों के नाम को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि कई जातियों ने एक ही वर्ग से निकल कर स्वयं-स्वयं नाम धारण कर लिए तथा उस नाम से एक जाति की स्थापना हुई। हम कह सकते हैं कि जटिया, जाटव, जहरवार, जैसवार, कुदाठ, रैदास, रविदास आदि नाम बमार वर्ग के नाम से बच्चे के लिए हो गये हैं। किस आधार पर कौन सी जाति हरिजन मानी जाये? इसके लिए एक कसौटी तैयार की गई तथा यह तय किया गया कि किस वर्ग का रक्षा मिलती-जुलती हो उन्हें परिगणित जाति माना जाये। निम्नलिखित प्रश्नों के रूप में कसौटी तैयार की गई --

- (१) क्या यह वर्ग ब्राह्मणों के द्वारा शुद्ध माना जाता है ?
- (२) क्या नाई, बर्जी, सक्के, बाबर्जी, कहार आदि उस वर्ग के लोगों की सेवा कर देते हैं ?
- (३) क्या निम्न कहे जाने वाले लोग उच्च कहे जाने वाले लोगों से मिलवाते हैं ?

- (५) क्या उस वर्ग के लोग सार्वजनिक स्थानों, कुओं, सड़कों, किश्तियों तथा स्कूलों में जा पाते हैं ?
- (६) क्या उस वर्ग के लोग मंदिर तथा पूजाघरों में जा सकते हैं ?
- (७) क्या एक ही योग्यता का व्यक्ति एक ही सम्मान पाता है ?
- (८) क्या निम्न कहा जाने वाला वर्ग स्वयं निम्न बन गया है या बनाया गया है ?
- (९) क्या उनका पेशा घृणित है या समाज के द्वारा घृणित बना दिया गया है ?

इस झगड़ते के अनुसार जातियों को जो सुना लेयात का गई तथा उन्हें हा निम्न, अक्षुत, अन्त्यज, पतित, दलित, परित्याजित और हरिजन जाति आदि नामों से पुकारा गया ।

महात्मा गांधी ने अन्त्यजों के कहने पर अक्षुतों को 'हरिजन' नाम दिया । 'हरिजन' शब्द का प्रयोग उन्होंने ६-८-१९३१ ई० को 'नवजावन' (साप्ताहिक पत्रिका) में किया है । गांधी जी के अनुसार 'हरिजन' शब्द का अर्थ 'हरिजन' अर्थात् जो 'हरि का भक्त हो' है । गांधी जी ने कहा जिस प्रकार कालोपरज शब्द मिटकर राना परज हो गया, उसी प्रकार हरिजन भी नाम व गुण से हरिजन बने ।

संस्कृत साहित्य में 'हरिजन' शब्द तो नहीं मिलता, पर ब्रुह्म शब्द मिलता है । यजुर्वेद, गीता, नृसिंह पुराण मत्स्यपुराण आदि में ब्रुह्म शब्द का उल्लेख मिलता है । स्मृतियों में भी जैसे याज्ञवल्क्य, सत्यर्त (विद) व्यास, आपस्तम्ब स्मृति आदि में,

'हरि' शब्द प्रयोग हुआ है। नरसिंह पुराण में हमें 'हरिजन' शब्द का प्रयोग मिलता है। अन्य किसी पुराण में 'हरिजन' शब्द नहीं प्राप्त होता। 'हिन्दा साहित्य के इतिहास' में हमें एक लम्बी धारा देखने को मिलता है। आदिकाल में हमें 'हरिजन' शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। 'हरिजन' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मध्यकाल के भक्ति-काल के निर्गुणशास्त्र के संत मत के प्रवर्तक कबीर (१३६६-१५२८ई०) का रचनाओं में मिलता है। अन्य सन्त कवियों में रूदास (१५ वां शता के अंत से १६ वां शता के मध्य तक) तथा गुरु नानक (१४६६-१५३६ई०) में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है।

रामकाव्य-परम्परा में तो तुलसीदास (१५३२-१६२३ई०) तथा केशवदास (१५५५-१६१७ई०) के अतिरिक्त अन्य कवि हुए जैसे कृष्णदास, पथहारा, अग्रदान, प्राणचन्द्र, (रामायण महानाटक १५१०ई०), हृदयराम। भाषा-हनुमन्नाटक, १६२३ई०) आदि पर तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकाण्ड में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है। रामकाव्य-परम्परा में ही कब नामादास (१६००ई० के लगभग) ने भक्तमाल (१५८५ई०) में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है।

कृष्ण-काव्य-परम्परा में भी अनेक कवि हुए जैसे—सूरदास (१४७८-१५८०ई०), नन्ददास (१५३३-१५८६ई०) सेनापति (१५८२ई०), द्विज हरिवंश, रसतान (१५१८-१६१८ई०), नरोत्तमदास (१५४५ई०) मीरा (१५०३-१५४६ई०) आदि, पर मीरा तथा सेनापति ने ही 'हरिजन' शब्द का उल्लेख किया है।

आधुनिककाल मुसलमान कवियों की काव्य-साधना को देखकर मारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८६०-१८८५ई०) ने कहा --
'इन मुसलमान 'हरिकर्त्र' के कोटिक हिन्दु वारिए ।'

महात्मा गांधी के अनुसार हिन्दुस्तान के चार करोड़ हरिजनों के सम्मान असाध्य कौन है? यदि किसी को भावान कोय मन्तान कहा जा सकता है तो वह केवल हरिजन को ही । डा० राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार 'हरिजन' मनुष्य मात्र है या कोई नहीं । उनके अनुसार 'हरिजन' शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं पादूम होता । मुल्कराज जानन्द के अनुसार 'हरिजन' परमात्मा का स्थान है, किन्तु समाज उनको उचित स्थान नहीं देता । डा० रामकृष्णल सहायक के अनुसार 'हरिजन' हरि का भक्त है । वे 'हरिजन' शब्द का अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, जेबा कि गांधी जी ने प्रयोग किया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीनतम रूप में 'हरिजन' शब्द का जो अर्थ था, वर्तमान युग में उसका अर्थ बदल गया है । अब 'हरिजन' शब्द का प्रयोग सभी अनुसूचित जातियों के लिए हो जाता है ।

द्वितीय अध्याय : हिन्दु समाज और हरिजन

हमारे समाज को चार वर्णों में बांटा गया और उसमें वृद्धों का कर्तव्य अन्य तीन द्विज वर्णों की सेवा करना है । हरिजनों की स्थिति प्रारम्भ से ही दयनीय रही है । युद्ध की परिष्क स्थितियों के कारण वार्य जाति के क्रम-विभाजन को प्रोत्साहित किया तथा कर्म के अनुसार चार वर्णों की व्यवस्था की । वर्ण तथा जाति व्यवस्था युद्ध स्वल्प महाभारत काल तक चला । युद्ध के समय गरीब लोगों को दास युद्ध, अनार्य जातिनाम दिया गया । अशोक के समय जाति-पाति का सुफाम बढ़ा हुआ । मुस्लिम युद्ध के समय हरिजनों को बंधुश्रम, बंधुत तथा नीच नाम दिया गया । जाने इनको बहुत कष्टकर पुकारा जाने लगा । मध्यकाल में ज्योतिरीश्वर कविलेखराचार्य ने हरिजनों की गणना 'कन्द जाति' के अन्तर्गत किया है । मुगल साम्राज्य के पतन के बाद प्रान्त, पुर्ननाथ और कोच बांटे जाये । कोचों ने बाठाकी के लिये वेद पर बरका किया । कन्दे का नाम, कन्डा सिक्काना, ल

जोतना, घास कालना आदि कार्यों को नीच कार्य कहा गया तथा उनके करने वाले को हरिजन समझकर उनके साथ कुत-कृत का बर्ताव किया गया। इस प्रकार अंग्रेज सत्तनत में हरिजनों की दशा निम्न हो था। उनके सभी अधिकार बिने हुए थे। उन्हें मंदिरों पर जाने नहीं दिया जाता था। जमोंदारों के यहां बेगार करनी पड़ती थी। हरिजनों की दशा भारत के स्वतंत्र होने के बाद सुदृढ़ होती गई। कांग्रेस सरकार के द्वारा इनका दशा सुधारी गई। आज भी कांग्रेस सरकार इनको दशा सुधारने के लिए प्रयत्नशील है। नवयुग हरिजनों के लिए बरदान बन गया है। अब वे सब के समान राजनीति में भाग ले सकते हैं। आन्मान में भी अब कोई कुत-कृत का बर्ताव नहीं होता। उन्हें अब दूसरों के यहां बेगार भी नहीं करनी पड़ती। वे मंदिरों में भी बेरोकटोक जा सकते हैं। वर्तमान युग हरिजनों के लिए बहुमती उन्नति का युग है।

तृतीय अध्याय : समाज सुधारवादी आन्दोलन और हिन्दो उफन्ध्यास

अनेक समाजसुधारवादी आन्दोलन भी हुए हैं, जैसे-- ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज आदि। इन सब के द्वारा भी हरिजनों को स्थिति सुधारने की चेष्टा की गई। हरिजनों को सबसे अधिक आर्य समाज ने प्रभावित किया। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द को सबसे बड़ा कष्ट इस बात का था कि मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु है। मनुष्यों में परस्पर दोषवृत्ति है। ऊच-नीच की भावना है। हरिजनों तथा सबर्णों के बीच भेद-भाव की साईं है। दयानन्द ने इस दुर्भावना पर कुठाराघात किया। दयानन्द तथा

आर्यसमाज ने हरिजनों की उन्नति के लिए महान प्रयत्न किए । अन्धविश्वास, ऊँच-नीच एवं अत्याचार के विरुद्ध अनेक आन्दोलन बला । आज भी आर्य समाज अत्याचार के विरुद्ध जागृक है । वैसे ब्रह्म समाज ने भी हरिजनों के उत्थान में योग दिया । इसके अतिरिक्त प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन और विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस ने भी हरिजनों के उत्थान में बहुत योगदान किया ।

उनसवीं शताब्दी के धार्मिक समाज-सुधारवादी आन्दोलन के कारण भारत के हरिजनों में नवचेतना का संवार हुआ । इसका प्रभाव यह हुआ कि हरिजनों की उदासीनता का अन्त हो गया, उनमें पुनः आत्मगौरव का संवार हुआ । इस आन्दोलनों ने हरिजनों में सामाजिक चेतना का विकास हुआ । सामाजिक क्षेत्र में इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप हरिजन वर्ग को अनेक कुरातियां दूर हो गईं । जहूतोदार जैसे स्वस्थ आन्दोलनों को बल मिला । इन सभी परिस्थितियों का हिन्दो उपन्यास में चित्रण मिलता है । प्रायः सभी उपन्यासकारों पर इन समाज सुधारवादी आन्दोलनों का प्रभाव स्पष्टतः देखने को मिलता है । बीसवीं शती के प्रारम्भिक उपन्यासकारों के सामाजिक दृष्टिकोण एवं तत्कालीन सामाजिक चेतना में व्यापक अंतर दिखाई देता है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक उपन्यासकार कदम पीछे हैं । बीसवीं शती के प्रारम्भिक उपन्यासकारों के बाद की स्थिति में परिवर्तन हुआ है । उन्होंने हरिजनों के सुधार पर ही अधिक बल दिया है ।

ज्यादातर उपन्यासकारों ने हरिजनों के उत्थान को ही चित्रित किया है। कुछ उपन्यासकार ऐसे हैं, जो संकोणवादी हैं। वे पुरातन परम्परा को ही महत्व देते हैं। सुधारवादी उपन्यासकारों में प्रेमचन्द, वात्स-यायन, वृन्दावनलाल वर्मा, भावता-वरण वर्मा, मन्मथनाथ गुप्त, रामचन्द्र तिवारा और बैजनाथ गुप्त आदि प्रमुख हैं। संकोणवादी उपन्यासकारों में लज्जाराम शर्मा, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, रामगोविन्द मिश्र, शिवपूजनसहाय, कमल शुक्ल, रामप्रसादमिश्र और डा० सुरेश मिनहा आदि प्रमुख हैं।

चतुर्थ अध्याय : सामाजिक स्थिति और हरिजन

हिन्दी उपन्यासों में हरिजनों की सामाजिक स्थिति पर जब विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि बीसवीं शती के प्रारम्भिक उपन्यासकारों ने हरिजनों के प्रति कट्टर मान्यताओं का लपटन किया है, लेकिन बाद के उपन्यासकारों ने कट्टर मान्यताओं का मोह छोड़ दिया है। हरिजनों की समस्या प्राचीनकाल से चली जा रही है। १९१७ में पहली बार कांग्रेस (कलकत्ता अधिवेशन) ने प्रस्ताव पास किया कि यह कांग्रेस भारतवासियों से जाग्रह करती है कि दलित जातियों पर जो लजाबर्तें चली जा रही हैं, वे बहुत दुःसहायक हैं। उनको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों की स्थिति में वैधानिक तथा वैमनस्य उत्पन्न करने की थी। उन्होंने हरिजन समस्या को राजनीतिक रूप दे दिया। परिणामस्वरूप हरिजनों ने पूण्ड्र निर्वाचन की मांग रखी। अन्त में अक्टूबर १९३२ में 'पूना-पैक्ट' सम्झौता हुआ। इस सम्झौते के द्वारा हरिजनों ने पूण्ड्र निर्वाचन की मांग को स्थान दिया। स्वतन्त्रता के बाद नौकरियों में उनके अलग स्थान निर्धारित

किए गए हैं ।

समाजशास्त्रियों के अनुसार ज्ञान-पान संबंधी नियम विवादास्पद मान्यताओं में प्रमुख स्थान रखता है । उपन्यासकारों ने इस अवस्था का चित्रण किया है । सभी उपन्यासकारों ने ज्ञान-पान संबंधी मान्यताओं के पर प्रहार किया है । ऐसे उपन्यासकारों में प्रेमचन्द 'गुप्त' (१९३०), 'कर्मभूमि' (१९३०), पाण्डेय बेकन शर्मा 'उग्र' के 'मनुष्यानन्द' (१९३५) आदि हैं । विवाह-सम्बन्ध पर भी विचार किया गया है । वर्णाश्रम धर्म के अनुसार परस्पर विभिन्न वर्णों में जो विवाह-सम्बन्ध होना सामान्य बात नहीं है । लेकिन हरिजनों से विवाह-सम्बन्ध होना बकसब अकृत्यनाय बात है । विभिन्न उपन्यासों में इस बात का चित्रण भिन्नता है ।

जुंकि हरिजनों को लोग निम्न कोटि का समझते हैं, इसलिए उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता है । कहां शासक वर्ग के व्यक्ति तो कहां राजकों के व्यक्ति उनका शोषण करते हैं । हरिजनों का शोषण जमांधार और पुंजीपति वर्ग के द्वारा भी किया गया है ।

१. देखिए -- पाण्डेय बेकन शर्मा 'उग्र', प्रेमचन्द, संतोषनारायण नौटियाल, फणीश्वरनाथ रेणु, और मन्मथनाथ गुप्त के उपन्यास ।

२. देखिए -- (शासक वर्ग) -- लज्जाराम शर्मा, 'मेहता', किशोरीठाण्ड गोस्वामी और मन्मथदिवेदी के उपन्यास ।
(राजकों) पाण्डेय बेकन शर्मा 'उग्र', चतुरसेन शास्त्री और बृन्दाकमलाठ वर्मा के उपन्यास ।

३. देखिए -- (पुंजीपति वर्ग) -- बृन्दाकमलाठ वर्मा के उपन्यास ।
(जमांधार वर्ग) -- विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कोशिक', शिवपुत्र-सहाय, नानाचंदन, वैजनाथ गुप्त और रामचन्द्र तिवारी के उपन्यास ।

कहाँ-कहाँ समाज के द्वारा भी अमानुषिक व्यवहार किया जाता है। हरिजनों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता है, कुत्तों नहीं पहनने दिया जाता है।

सामाजिक कारणों में वैश्या-समस्या प्रमुख है। वैश्यावृत्ति का मुख्य कारण आर्थिक है। यदि हरिजन स्त्रियों में आर्थिक अभाव न हो तो वे वैश्यावृत्ति को और आकृष्ट न होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में हरिजनों के साथ भेदभाव का बर्ताव मिलता है। वास्तवमें हरिजनों के लिए शिक्षा का समस्या प्रमुख रही है। इस बात से हम इन्कार नहीं कर सकते कि शिक्षा क्षेत्र में उनके प्रति उदात्तता का व्यवहार किया गया है।

प्राचीनकाल से ही भारत के इतिहास में हरिजनों के साथ भेदभाव का भावना बला आ रहा है। हरिजन लोग सबर्णों का तरह मनुष्य हैं, फिर भी उनके साथ दूत-हात का व्यवहार हमारे समाज में किया जाता है। हरिजनों की समस्या तो एक मानवीय समस्या है। यहाँ दूतादूत की समस्या उपन्यासों में भी

१. दिल्ली-- (समाज का अमानुषिक व्यवहार)-- प्रेमचन्द, फणीश्वरनाथ रेणु, रामप्रसाद मिश्र, माकली चरण वर्मा, कृष्णचन्दर, रामदरश मिश्र और माकलीप्रसाद वाजपेयी के उपन्यास।
(कुएं से पानी न भरने देना)-- रामदरश मिश्र और राधेन्द्र अवस्थी के उपन्यास।
२. दिल्ली-- शैलेश मटियानी और क्यासंकर मिश्र के उपन्यास।
३. दिल्ली-- प्रेमचन्द, बेजनाथ, अजय, फणीश्वरनाथ रेणु, यशवन्त शर्मा और डा० सुरेश सिन्हा के उपन्यास।

प्रतिबिम्बित हुई है। प्र मनुष्यत्व का भावना को भी स्थान दिया गया है। ग्रेमरन्ड के 'गुवने' (१९३०ई०) उपन्यास में यह भावना देवता को मिलती है कि हरिजन पात्रों में मनुष्यत्व श्रिपा रहता है, जैसे 'गुवने' (१९३०ई०) का देवादान कटिक नामक पात्र।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न उपन्यासकारों के द्वारा विभिन्न सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया गया है। अनेक पुराने मान्यताओं का जहाँ सण्डन मिलता है, वहाँ अनेक नई मान्यताओं की स्थापना भी हुई का गई है। उपन्यासकार लोग हरिजनों का सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्नशोल दिखाई पड़ते हैं।

पंचम अध्याय : राजनातिक स्थिति और हरिजन

राजनातिक गतिविधियों के विकास की अनेक स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। प्रारम्भ में अंग्रेज सरकार ने कूटनीति से कार्य करना चाहा था, परन्तु वह अपने उद्देश्य में सफल न हो पाई और गवर्णों तथा हरिजनों के बीच मतभेद न उत्पन्न हो सका।

प्राचीनकाल से ही शासक वर्ग शोषितों के ऊपर उत्प्याचार करता आया है। ब्रिटिश काल में भी हरिजनों पर अनेक उत्प्याचार किए गए। शासक वर्ग के लोग अपने को उच्च समझकर शोषित लोगों को हीन समझकर, उनके साथ निम्नकोटि का व्यवहार करते हैं। कर्मादार वर्ग अंग्रेजी राज के प्रारम्भिक दिनों की उपज है।

१. देखिए -- डा० सुरेश चिनहा, नोविन्ड बल्लभ पन्त, मावती वरुण कर्मा और चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास।
२. देखिए -- लखाराम कर्मा, चतुरसेन शास्त्री, विश्वम्भरनाथ कर्मा और पुन्दावनठाल कर्मा के उपन्यास।

आपात स्थिति को घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने २० सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को घोषणा की है, जिसमें हरिजनों के उत्थान के लिए मा कार्यक्रम रखा गया । । पुलिस को चाहिए कि वह समाज के दुर्बल लोगों (हरिजनों) को सहायता करे । पुलिस का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि कहां समाज में पुलिस के द्वारा तो हरिजनों का शोषण नहीं किया जा रहा है ।

बौद्धिक और जागरूक उपन्यासकारों ने राष्ट्रीय आन्दोलनों का चित्रण मिला है । पर कोई भी उपन्यासकार राष्ट्रीय आन्दोलन का विशद चित्रण नहीं कर पाया है । आन्दोलनों के उभार को चित्रित किया गया है । कहीं-कहीं राजनीतिक विचारधारा का यदा-कदा विवेकन भा मिलता है । भारतीय स्वायत्तता आन्दोलन के विविध पक्षों का चित्रण उपन्यासकारों ने किया है ।

शासन प्रबन्ध प्रणाली का बोलबाला हमेशा रहा है । लेखक ने शासन सम्बन्धी प्रणाली को चित्रित करने के लिए कहीं प्रत्यक्ष प्रणाली और कहीं अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई है । कैसे ऊंचे वर्ग के व्यक्ति निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं । इसका चित्रण हमें उपन्यासों में प्राप्त होता है ।

भाषा की समस्या भी उठाई गई है । भाषा का प्रश्न राष्ट्रीयता से सम्बन्धित है । अंग्रेजी राज्य के समय तो अंग्रेज, अंग्रेजी भाषा पर इसलिए जोर देते थे कि ताकि सरकारी काम-काज करने के लिए व योग्य कर्क वेदा हों । पर वर्तमान युग में हिन्दी पर

१. देखिए-- प्रेमचन्द, माकलीकरण वर्मा और मन्मथनाथ गुप्त के उपन्यास ।

२. देखिए-- रामप्रकाश कपूर के उपन्यास ।

कल दिया जा रहा है। रामदेव ने भाषा के प्रश्न पर हिन्दो को
महा प्रदान कर राष्ट्रीय परिषद के निर्माण में सहायता दी है।

पूँजीपतियों ने भी हरिजनों का शोषण किया
है। प्रथम विश्वयुद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार ने अपना मूल नीति में
परिवर्तन किया। भारत में भी कारखाने बनने लगे और पूँजीपति वर्ग
का उदय हुआ। जिस प्रकार अंग्रेजों ने जमींदार वर्ग को हरिजनों के
शोषण करने के लिए प्रोत्साहित किया, वैसे ही पूँजीपति वर्ग को भी
अत्याचार करने के लिए अपना समर्थन दिया। उपन्यासकारों ने पूँजीपतियों
के अत्याचारों का भी सुलभ चित्रण किया है।

हिन्दी उपन्यासकारों के क्षेत्र में पुनरुत्थानवादी
दृष्टिकोण का भी परिकल्प मिलता है। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए
हा १८५७ई० की क्रांति हुई, पर वह अफ़ल ही गई। राष्ट्रीय
आन्दोलन के ताड़ होने पर अंग्रेजी सरकार ने राजाओं को अपनी ओर
मिला लिया। नये स्थिति में राजनीतिक क्षेत्र में पुनरुत्थानवादी
दृष्टिकोण का अस्तित्व रहा।

देशी रियासतों की समस्या का भी चित्रण
मिलता है। अंग्रेजी सरकार इनके द्वारा जनता पर अपना आतंक जमाए
रखना चाहती थी। विश्वम्भरनाथ शर्मा के संघर्ष (१९४५ई०) उपन्यास
में देशी रियासतों के अत्याचार पूर्ण रूप का ही चित्रण मिलता है।

१. देखिए -- प्रेमचन्द का उपन्यास।

२. देखिए-- प्रेमचन्द का उपन्यास।

महाजनों का शोषण भी राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पंडित नेहरू ने यहां तक लिखा है कि भारतीय आर्थिक नीति बिल्कुल साहूकारों के हक में रहा है। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यास 'गोदान' (१९३६ ई०) में महाजनों शोषण के दृष्टिकोणों का स्पष्टतः चित्रण किया है। देशभक्ति का भी चित्रण किया गया है। ब्रिटिश सरकारों, न्याय-व्यवस्था और ब्रिटिश शासन-नीति का चित्रण भी मिलता है।

अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न उपन्यासकारों ने विभिन्न राजनीतिक पक्षों का चित्रण करते हुए हरिजनों के ऊपर पड़े उसके प्रभाव का चित्रण किया है। हरिजनों में अन्तर्राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा है। उपन्यासकारों ने हरिजनों के राजनीतिक पक्ष का पूर्ण रूप से समर्थन किया है।

अष्ट अध्याय : आर्थिक स्थिति और हरिजन

हरिजनों के ऊपर शासन द्वारा आर्थिक अत्याचार-
किए जाते हैं। उपन्यासकारों की दृष्टि इस ओर भी गई है। सरकार
का ओर से क्लेक पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं, परन्तु अभी तक अर्थव्यवस्था की
आर्थिक स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सका। तत्कालीन

१. बवाहरठाठ नेहरू : 'मेरी कहानी', पृ० सं० ४२४।

२. देखिए -- प्रेमचन्द के उपन्यास।

३. देखिए -- प्रेमचन्द के उपन्यास।

४. देखिए -- रामप्रकाश कपूर के उपन्यास।

में सरकार हरिजनों का आर्थिक उन्नति के लिए बैंकों से ऋण दे रहा है, जो कि उत्पादक है। समाज के द्वारा मा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। समाज ने अपने शोषण के द्वारा उनका आर्थिक स्थिति को और भी दयनीय बना दिया है। जमादार वर्ग ने मा हरिजनों का आर्थिक शोषण किया है। जमादार वर्ग के समान पूंजापतियों ने मा हरिजनों के ऊपर समाना उत्पादक किया है। यह वर्ग राष्ट्रीय उत्पादक को विनष्ट नहीं करता, बल्कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को विनष्ट करता है। उपन्यासकारों की दृष्टि इस ओर मो गई है। राजर्षि मा उत्पादक करने में पाठे नहीं रहा है। जब ब्रिटिश सरकार इनका शोषण करता था तब ये लोग अपना क्रोध शान्त करने के लिए हरिजनों का शोषण करते थे। इसलिए हरिजनों का समाज में अन्य कार्यों के मुकाबले आर्थिक स्थिति दयनीय बना रहा। आजकल प्रधानमंत्रों के बोस मुद्राय कार्यक्रम के अन्तर्गत उनका आर्थिक अवस्था को उठाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

सप्तम अध्याय : धार्मिक स्थिति और हरिजन

सदियों से हरिजनों के ऊपर धार्मिक उत्पादक किया जाता रहा है। मंदिर-प्रवेष्ट मा इतिहासी मान्यताओं में प्रमुख स्थान रखता है। हरिजनों के धार्मिक अधिकार प्राचीनकाल से ही मान्य

१. वैदिक -- प्रेमचन्द, फणीश्वरनाथ रेणु, रामगोविन्द मिश्र, इन्द्र-विषा वाचस्पति, राधिकारमण प्रसाद सिंह, वैजनाथ गुप्त और यज्ञदत्त शर्मा के उपन्यास।
२. वैदिक -- कृतलाठ नागर और फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास।
३. वैदिक -- प्रेमचन्द और माकतीकरण वर्मा के उपन्यास।
४. वैदिक -- विश्वम्भर नाथ उमाजीशिके और सुरसेन शास्त्री के उपन्यास

रहे। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों में उसका पुष्टि होता है^१। धर्म के नाम पर धार्मिक शोषण को मंजूर किया गया। प्रेमचन्द ने 'गोदान' (१९३६ ई०) उपन्यास में दालादान ब्राह्मण के द्वारा होरी का धर्म के नाम पर धार्मिक शोषण को निरूपित किया है। यद्यपि कानून के द्वारा जम्पूश्यता को उन्मूलित कर दिया है। पर राज भी समाज में जम्पूश्यता का शोनवाला है। राज भी हरिजनों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। यदि वह मन्दिर में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं तो वे पुजारियों के द्वारा पीत के घाट उतार दिये जाते हैं। आवश्यकता है कि समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाये। जिन लोगों को हम हजारों वर्षों से पददलित करते आये हैं, उनके प्रति नवयुवकों में सच्ची समदरती की भावना पैदा करनी होगी। हिन्दा उपन्यासकारों ने इस स्थिति का विशद चित्रण किया है। ब्राह्मण वर्ग के पाठकों के ऊपर प्रेमचन्द ने देवादान शक्ति के माध्यम से तात्का व्यंग्य किया है। मध्यकाल में हरिजन वर्ग के सन्तों ने इसका कड़ा विरोध किया। क्वार ने ब्राह्मणों के पाठण्ड पर स्टू प्रहार किया है। जैसे ब्राह्मणों के पाठण्ड पर तो क्वार के पहले सब सरहपा, शबरपा आदि सिद्ध-योगियों ने भी प्रहार किया था।

इसप्रकार हम देखते हैं कि हरिजनों को धार्मिक स्थिति अब भी निम्न है। जब तक सामाजिक मान्यताएं नहीं बदलेंगी, तब तक हरिजनों को धार्मिक समस्या भी हल नहीं हो सकती है।

१. पैलिह -- वेद, गीता और पारस्कर गृह्य सूत्र टीका आदि।

२. पैलिह -- प्रेमचन्द, पाण्डेय देवन शर्मा 'जु', यज्ञदत्त शर्मा, पन्थनाथ गुप्त और चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास।

अष्टम अध्याय : उपसंहार

उपसंहार के अन्तर्गत विभिन्न अध्यायों में किए गए अध्ययन का सँवलाया किया गया है। इसके साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के संविधान की धारारों का रलेल किया गया है, जिनका हरिजनों के साथ सम्बन्ध है। हमारी वर्तमान सरकार हरिजनों के लिए कौन कौन से का प कर रही है, उनका भी वर्णन किया गया है।

हिन्दी उपन्यास साहित्य में हरिजनों के चित्रण से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि अब सामाजिक मान्यताएं बदल रही हैं, जिनमें हुआहुत की भावना की जोड़ भा ध्यान नहीं है। अब तो यह दिन दूर नहीं है, जब कि कांग्रेस सरकार के अन्तर्गत हरिजन का और संवर्ण वर्ग मिलकर विश्व में देश का नाम रोशन करेंगे।

हिन्दी उपन्यास साहित्य में हरिजनों का चित्रण

(१६०० - १६७४ ई०)

[इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फ़िल्० उपाधि के लिए प्रस्तुत]

शोध-प्रबन्ध

शोध-कर्ता

बृजमोहन श्रीवास्तव
एम० ए०

निर्देशक

डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्पेय
एम० ए०, डी० फ़िल्०, डी० लिट्०
डीन, कला संकाय

और

सीनियर प्रोफ़ेसर तथा अध्यक्ष

हिन्दी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

अगस्त १९७६ ई०

जामुस

(क)

आमुख

यह बात ध्रुव सत्य है कि जब तक किसी देश में कोई मानव वर्ण हरिजन कहकर पददलित किया जाता है, तब तक उस देश को स्वातन्त्र्य-सुख परम दुर्लभ है। जापान का उदाहरण हमारे सामने है। जब तक वहाँ प्रजा वर्ग के एक टुकड़े को निम्न कहकर दुत्कारा और दुर्दुराया जाता रहा, तब तक उस देश को अत्यन्त दयनीय दशा रही और जब से इस राज्ञासी भाव को दूर मगाकर उस देश के निवासियों ने उन पददलित निम्न कहे जाने वाले जनों को गले लगाकर सब तरह से उन्हें साम्य दिया, तभी से जापान दुनिया में चमका। भारत बिल्कुल उस जापान की तरह है, जहाँ किन्हीं मनुष्यों को कुत्ते और बिल्ली से भी बुरा समझा जाता था और उनके साथ कठोरतम व्यवहार किया जाता था। सब बात तो यह है कि हमारा दुर्दैव चर्चित भारत उस समय के जापान से कई गुना अधिक मयावह है, जो हम कुत्ते और बिल्ली से भी बुरा अपमान कर रहे हैं, उसके लिए ईश्वर के पुनीत दरबार से कभी हमें क्षमा नहीं मिल सकती। यह घोरतम पाप है। हमें शीघ्र इससे बचने की चेष्टा करनी चाहिए।

समाज में कुआकृत को भावना का भार लोग वर्ण-व्यवस्था के सिर पर फेंक रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक इस वर्ण-व्यवस्था का विध्वंस न हो जायेगा, तब तक भारत से अकृतपन नहीं मिट सकता, क्योंकि वर्ण-व्यवस्था ने ही इस पाप को फैलाया है। जब तक निदान आदि कारण दूर न किया जाएगा, तब तक रोग दूर नहीं हो सकता, चाहे कितनी ही चिकित्सा क्यों न की जाये। यदि किसी रसायन औषधि के द्वारा रोग कुछ काल के लिए परिमाण में दब भी गया तो फिर भी वह समय पर भयक निकलेगा और फिर इससे ज्यादा क्षति होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि अकृतपन को जननी इस वर्ण-व्यवस्था को पहले नष्ट कर दिया जाए। यही अकृतपन का निदानभूत है।

वर्ण-व्यवस्था से इस पाप का सम्पर्क बतलाना तो सूर्य में अन्धकार बताना है। हमारे देश में अज्ञानता के कारण अकृतपन की भावना की सृष्टि हुई। अगर वर्ण-व्यवस्था ही इस पाप को पैदा करने वाली है तो फिर अपने देश में स्त्रियों की यह हीनतम दशा किसने की? वर्ण-व्यवस्था ने? वर्ण-व्यवस्था के पदापाती मनु जहाँ कहते हैं कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' वहाँ आपके इन घरों में देवियों की क्या दशा हो रही है? आज थोड़े-से घर को छोड़कर हिन्दुस्तान का प्रत्येक घर औरतों के लिए कसाईखाना है। इसमें किसका दोष है? सब ओर से हमारा जो पतन हो रहा है, इन सब का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञानता के कारण ही सराब प्रवृत्तियाँ जन्म धारण करती हैं। अज्ञानता के

(ग)

कारण ही हमारी वर्ण-व्यवस्था में भी धब्बा लग गया है ।

वर्णाश्रम धर्म के सम्बन्ध में महात्मा गांधी जी का विचार था कि वर्णाश्रम धर्म की कल्पना किसी संकुचित भावना से नहीं की गई थी । इसके विपरीत इसमें श्रमिकों को, शूद्रों को भी वही दर्जा दिया गया जो विचारकों का ब्राह्मणों को दिया गया था । यह व्यक्ति के गुणों का निखार और दुर्गुणों के नाश की सुविधा देता था और यह मानवीय वृत्तियों के सामान्य सांसारिक क्षेत्र से मोड़कर जो चीजें स्थायी तथा आध्यात्मिक है, उसकी ओर उन्मुख करता था । ब्राह्मणों और शूद्रों के जीवन का एक ही उद्देश्य था-- अर्थात् मोक्षा न कि यश या धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति । बाद में चलकर वर्णाश्रम धर्म के इस उच्च आदर्श में बुराहियां आ गई ।

साहित्य के सम्बन्ध में साहित्यशास्त्रियों के विभिन्न मत रहे हैं । आधुनिक काल में प्रायः अधिकांश साहित्य-शास्त्रियों का मत यह है कि साहित्य का अध्ययन आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के परिवेश में किया जाना चाहिए । उनका विचार है कि ऐतिहासिक क्रम विकास से ही साहित्य का उपयुक्त अध्ययन हो सकता है । साहित्य पर बाह्य परिस्थितियों का संश्लिष्ट प्रभाव भी पड़ता है । साहित्य भी बाह्य परिस्थितियों के निर्माण में सहयोग देता है, अतः दोनों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । प्रत्येक साहित्य में इस दृष्टि से साहित्य का अनुशीलन करने का आग्रह बढ़ चला है । लेकिन कुछ आलोचक एकांगी दृष्टि से साहित्य की आलोचना करते हैं । हमारा तात्पर्य है कि केवल एक पक्ष को लेकर ही साहित्य की

(घ)

आलोचना होती रही है। साहित्य की चार स्वतन्त्र शक्तियाँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियाँ हैं और सभी पक्षों का साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। वही अध्ययन वैज्ञानिक कहा जाएगा, जिसमें पूर्णता हो और पूर्णता का तात्पर्य ऐसा साहित्य, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का निरूपण किया गया हो। हरिजनों के सम्बन्ध में हिन्दो उपन्यास साहित्य में सर्वांगीण पक्षों को दृष्टि में रखकर अभी तक कोई व्यवस्थित कार्य नहीं हुआ है। इससे विषय की उपयोगिता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। हमारा यह प्रयास विद्वानों के सम्मुख है और महत्ता की दृष्टि से एक विनम्र प्रयास है।

हमने उपर्युक्त दृष्टि से अनुशीलन के लिए उपन्यास साहित्य का चुनाव किया, क्योंकि अन्य साहित्य रूपों को अपेक्षा उपन्यास साहित्य में युग की आत्मसात् करने की अधिक शक्ति है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में १९००-१९७४ई० के उपन्यास साहित्य के माध्यम से हरिजनों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक चेतना के विकास का विश्लेषण किया गया है। उपन्यास साहित्य में हरिजनों का चित्रण करते समय हमने मूल दृष्टि यह रखी कि अधिक से अधिक वैज्ञानिक पद्धति से प्रस्तुत विषय का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सके। इसीलिए हमने विषय-क्रम को वैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत किया है।

उन्नीसवीं शताब्दी के समाज सुधारवादी आंदोलनों का भी वर्णन किया गया है। इन आन्दोलनों का प्रभाव बीसवीं शताब्दी के उपन्यासकारों पर प्रमुख रूप से पड़ा है। उन्नीसवीं शताब्दी के उपन्यास साहित्य के सम्बन्ध में आलोचकों ने इस बात पर ध्यान

नहीं रखा है कि इस युग के उपन्यासकार किस युग का चित्रण अपने उपन्यासों में कर रहे हैं। हमारा मत यह है कि उस युग के उपन्यासकारों की महत्ता इसी बात में है कि उन्होंने अपनी युग-भावना के अनुरूप हरिजनों की स्थिति को चित्रित किया है।

जिस प्रकार स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् हमारे समाज में मूल्यों का संक्रमण अधिक तीव्रता से हुआ है। देश के विभाजन के फलस्वरूप हत्याएं, मार-पीट, बलात्कार, आगजनी और घरों, कस्बों एवं शहरों के उजड़ने के कारण मानव-मूल्यों एवं नैतिक मान्यताओं में इतना गहरा परिवर्तन हुआ कि उसका उपन्यासों पर प्रभाव पड़ना नितान्त स्वाभाविक था, उसी प्रकार हिन्दी उपन्यासों के क्षेत्र में एक नया आयाम १९३२ ई० के लगभग प्रारम्भ हुआ था। यह वह काल था, जब कि महात्मा गांधी जी के सद्प्रयत्नों के कारण भारतीय समाज में पुनर्जागरण हुआ और सवर्णों तथा हरिजनों के बीच अर्थात् दो वर्गों के टकरावों में मनुष्य नष्ट चरण रखने के लिए आकुल था।

यद्यपि १९३२ ई० का गांधी जी का अनशन 'पूना-पैक्ट' समझौते के द्वारा समाप्त हो गया लेकिन हरिजन-समस्या की प्रगतिशीलता की दिशा में महत्वपूर्ण अवश्य सिद्ध हुआ। लेखकों ने पुरानी परिपाटी को त्यागकर नई आंखों से दुनिया को देखना शुरू किया। बीसवीं शताब्दी के लेखकों ने पुरानी मान्यतार्ये अवश्य रह रही हैं, परन्तु इस दिशा में नये लेखकों के द्वारा सुधार हुआ है। १९३२ ई० के बाद के लेखकों ने अपनी रचनाओं में धर्म और समाज की शोचनीय अवस्था पर चिन्ता प्रकट करने के बाद हरिजनों को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। उनकी सफलता कहां तक मिल सकी है, यह निश्चित पूर्वक नहीं कहा जा सकता।

(व)

यदि सम्पूर्ण बीसवीं शताब्दी के उपन्यासकारों के उपन्यासों का अध्ययन करते हैं तो हमें स्पष्टतः दो धारायें दिखाई पड़ती हैं। यदि प्रेमचन्द, पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', बैजनाथ केडिया, अज्ञेय वृन्दाबनलाल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणू, रागेय राघव और यशदत्त शर्मा आदि ने सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है तो दूसरी ओर लज्जाराम शर्मा, विश्वम्भरनाथ शर्मा, 'कौशिक' शिवपूजनसहाय, रामगोविन्द मिश्र, इन्द्र विद्यावाचस्पति, कमल शुक्ल और डा० सुरेश भिन्हा आदि ने पुरातन परम्परा का समर्थन किया है। इनकी दृष्टि संकीर्णवादी कही जा सकती है।

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने के कुछ वर्षों पहले से भारतीय समाज में हरिजन सम्बन्धी मान्यताएं बदली हैं और सामाजिक रिश्तों और मानव-सम्बन्धों के रूप निरन्तर परिवर्तित हो रहे हैं। हरिजन और सवर्णों का सम्बन्ध उन तीन चार दशकों में पर्याप्त सीमा तक परिवर्तित हुआ है। समय की गति के साथ समाज का समन्वयवादी दृष्टिकोण विकसित हुआ है। सामाजिक बेतना ने हिन्दी उपन्यासों में हरिजन चित्रण के प्रतिमानों को यथेष्ट सीमा तक प्रभावित किया है।

हिन्दी उपन्यास-साहित्य में हरिजनों का चित्रण का सीधा अर्थ यह होता है कि कोई उपन्यासकार समाज की परिधि में ही हरिजन और उसकी विभिन्न समस्याओं का कहां तक चित्रण कर पाता है? संघर्ष, समर्थता, संकल्प एवं आस्था जीवन के महत्वपूर्ण आयाम हैं, जो हमें गतिशील बनाते हैं। उपन्यासकार समाज में व्याप्त हरिजन सम्बन्धी मान्यताओं को उपन्यास के द्वारा सब लोगों के सामने रखता है, इसीलिए उपन्यासकार को द्रष्टा कहा गया है।

(क)

उपन्यासकार की सफलता इसी में है कि वह द्रष्टा तत्त्व को रक्षा करने में कितना सफल रहा है और वह समाज में प्रचलित विभिन्न मत-मतान्तरों, अन्तर्विरोधों को किस सोमा तक चित्रित कर सका है।

हिन्दी उपन्यासों में, जब नए मानव-सम्बन्धों का उदय एवं सामाजिक परिवर्तनशीलता के नए आधारों को पहचानने का प्रयत्न, नवीन भौतिक सत्त्यों के बीच बनती हुई हरिजन चित्रण की नई दिशाएं आदि चित्रित होती हैं, तो वे हरिजन चित्रण के नए प्रतिमान ही स्थापित करती हैं।

उपन्यास वर्तमान समाज - व्यवस्था का एक सांस्कृतिक अंग होता है। वह उस व्यवस्था से प्रभावित और उसे प्रभावित करता है। कुछ लोग हरिजन चित्रण को तथाकथित फैशन-परस्ती के कारण हेय समझते हैं। वे उपरोक्त बात को भूल जाते हैं। हरिजन चित्रण का अर्थ कौई राजनीतिक प्रचार करना नहीं है, जैसा कि अनेक बौद्धिक वर्ग के लोग सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। उपन्यासों में हरिजन चित्रण का होना इसलिए आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है, ताकि उससे पाठकों को हरिजनों की सामाजिक स्थिति के बारे में वास्तविक तथ्य मालूम हो सके और इससे पाठकों में सौन्दर्य-बोध जागृत होता है, साथ ही साथ हरिजनों से संबंधित उनकी मनोधारणा में परिवर्तन भी होता है। इस प्रकार प्रकारान्तर से मानव-मूल्यों की ही प्रतिष्ठा होती है। हरिजन चित्रण के द्वारा ही सब सामाजिक धारणा में परिवर्तन लाया जा सकता है।

प्रथम अध्याय में हिन्दुओं में चार वर्णों को बताकर शुद्रों के अन्तर्गत परिगणित जातियों का विवेचन किया गया है।

इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के द्वारा 'हरिजन' शब्द के प्रयोग में अन्तर स्पष्ट किया गया है।

द्वितीय अध्याय में हिन्दू समाज में प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में, हरिजनों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

तृतीय अध्याय में विभिन्न सुधारवादी आन्दोलनों का वर्णन करते हुए हिन्दी उपन्यासों पर उनके प्रभावों की चर्चा की गई है।

चतुर्थ अध्याय हरिजनों की सामाजिक स्थिति से सम्बद्ध है। समाज में खान-पान और विवाह-सम्बन्ध को लेकर विवेचन किया गया है। समाज का अमानुषिक व्यवहार, वैश्या-समस्या, शिक्का की समस्या, कुआड़त की भावना और मनुष्यत्व की भावना को लेते हुए शासक वर्ग, राज वर्ग, जमींदार वर्ग, पुंजीपति वर्ग और कुएं से पानी न भरने देना आदि के अत्याचारों सहित हरिजनों की निम्न सामाजिक स्थिति का निरूपण मिलता है।

पंचम अध्याय में हरिजनों की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। हरिजनों का शासक वर्ग, जमींदार वर्ग, म्युनिसिपैलिटी वर्ग, पुलिस वर्ग, राष्ट्रीय आन्दोलन, शासन संबंधी भ्रष्टाचार, भाषा की समस्या, पुंजीपति वर्ग का उदय, देशी रियासतें और महाजनी शोषण आदि के द्वारा किस प्रकार शोषण किया जाता है, इसका चित्रण किया गया है। इसके साथ ही साथ पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण का भी वर्णन किया गया है। देश-मक्ति, ब्रिटिश सरकार की न्याय व्यवस्था और ब्रिटिश शासन-नीति पर भी प्रकाश डाला गया है।

(फ)

षष्ठ अध्याय में हरिजनों की आर्थिक स्थिति पर विवेचन किया गया है। शासक वर्ग, समाज वर्ग, जमींदार वर्ग, पूंजापति और राज वर्ग के द्वारा किस प्रकार हरिजनों का शोषण किया जाता है? इसका समग्र चित्रण मिलता है।

सप्तम अध्याय में हरिजनों के धार्मिक अधिकार का व्याख्या के साथ-साथ मंदिर-प्रवेश, धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण और मध्यकाल के निम्न वर्ग द्वारा तथाकथित ब्राह्मण वर्ग की आलोचना का भा व्याख्या को गई है।

अष्टम अध्याय में उपसंहार के अन्तर्गत पिछले अध्यायों में किए गए अध्ययन का निष्कर्ष व्यक्त करते हुए स्वतंत्र भारत के संविधान पर प्रकाश डाला गया है। हमारी वर्तमान सरकार हरिजनों का उन्नति के लिए क्या कर रही है? इसका भी विवरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रबन्ध का विषय अति विस्तृत और विविधतापूर्ण है। राजनीतिक पक्ष पर अनेक पुस्तकें मिलती हैं। साहित्यिक दृष्टि से भी लिखा गई पुस्तकें मिलती हैं, परन्तु हरिजनों का दृष्टि से साहित्य का अनुशीलन करने वाली पुस्तकों का अभाव है। उपन्यास साहित्य सम्बन्धी विविधतापूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकों का सर्वथा अभाव है। अतः इस दशा में हरिजनों से सम्बन्धित पुस्तकों के अभाव में हमें स्वयं अपना मार्ग चिन्तन-मनन से प्रशस्त करना पड़ा है।

यद्यपि प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध मेरी मौलिक रचना है, किन्तु इस मौलिकता को जन्म देने का श्रेय मेरे निर्देशक को ही है, जो उनके समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशन के द्वारा ही सम्भव हो

(ट)

सका है । कार्य की दुरूहता, जटिलता एवं विषय की व्यापकता से मैं इतना अधिक हतोत्साह हो चुका था कि प्रस्तुत कार्य की इतिश्री सम्भवतः इस जीवन में तो कभी न होतो यदि परम श्रेय डा० लक्ष्मीसागर जी वाष्णीय जी की असीम अनुकम्पा, अपार स्नेह, सौम्य स्वभाव, मधुर व्यवहार एवं रामबाण की भांति प्रभावी वचनादेशों का सम्बल न मिला होता । परम श्रेय गुरुवर्य उपन्यास-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ आलोचक की महती प्रेरणा ने नया आत्मविश्वास भर दिया और शोध-कार्य इस ढंग से सम्पन्न हो सका ।

मैं जो कुछ कर सका हूँ, उन्हीं के कृपा-निर्देशन के फलस्वरूप ही सम्भव हुआ है । कार्य की पूर्णता का समस्त श्रेय मेरे पूज्यपाद गुरुवर्य (निर्देशक) को ही है । उनके कृपा-निर्देशन, स्नेह और सहयोग का ऋण-भार मात्र धन्यवाद की औपचारिकता द्वारा चुकाया नहीं जा सकता । भविष्य में उनका निर्देशन यदि मेरे इस औपचारिकता को प्रबल बना सका तो मैं अपने को कृत-कृत्य मानूंगा ।

यह मेरा परम सौभाग्य है कि परम श्रेय डा० लक्ष्मीसागर जी वाष्णीय के सुयोग्य निर्देशन में प्रत्येक शोधार्थी को जो विशेष आत्मबल प्राप्त होता है और जिस प्रकार वे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास अपने छात्रों में करते हैं, इस दृष्टि से मैं सर्वाधिक सौभाग्यशाली रहा हूँ । श्रीमती राज वाष्णीय जी के प्रति भी विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा परम धर्म है, जिन्होंने प्रत्येक प्रकार से हरसम्भव सहयोग देकर इस कार्य को

सम्पन्न कराया । मुझे यहां निःसंकोचपूर्वक व्यक्त करना पड़ रहा है कि उनकी 'मां' जैसी ममता भरे वात्सल्य-स्नेह के अभाव में प्रेषित शोध-कार्य सम्पन्न होना सम्भव नहीं था । साथ ही साथ यहां पर सूर्य के समान प्रखर, बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न, सामयिक साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार और कुशल आलोचक स्वर्गीय डा० सुरेश सिन्हा जो की कवि मेरे मानस-पटल पर अनायास स्वतः ही उभर आते हैं । जिनकी स्मृतियां ही केवल शेष हैं । उनके आदर्श आज भी मुझको कांटों से परिपूर्ण पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ।

निर्देशक और शोध-क्षेत्र के इस अनुष्ठान में अनेक विद्वानों का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सहयोग मिला है । इन महानुभावों में प्रमुखतः डा० सत्यपाल बुध, डा० त्रिभुवन सिंह, श्री रामदीन गुप्त, डा० देवराज उपाध्याय, श्री मंवरलाल मधुप, श्री सुरेशराम मार्ष, श्रीराम भारतीय, श्री नाथ च शर्मा, स्वर्गीय श्री रामनाथ सुमन तथा हिन्दी विभाग के अन्य विद्वान् प्रवक्ताओं के प्रति मैं आपार प्रकट करता हूँ जिनके ग्रन्थों तथा प्रत्यक्ष सम्पर्क से मुझे प्रेरणा तथा निर्देशन मिला है । हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० लक्ष्मीसागर जी वार्ष्णीय ने इस विषय पर कार्य करने की स्वाकृति प्रदान करके मुझे इस कार्य को पूरा करने में जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं आजीवन आभारी हूँगा ।

मैं अजय श्रीवास्तव, भर्मेन्द्र श्रीवास्तव, रीता-श्रीवास्तव, मेडिकल कालेज की छात्रा आशा श्रीवास्तव और विना श्रीवास्तव का भी अत्यन्त आभारी हूँ ।

श्रीमती

मैं शोध-शास्त्रा मंजुला श्रीवास्तव का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने अपनी वास्तविक मैत्री का परिचय देते हुए अपने बहुमूल्य रत्न को प्रदान कर मुझे निराशा के क्षणों में प्रोत्साहित कर शोध कार्य को पूर्ण करने की दिशा में मेरी पूरी सहायता की है। शोधकार्य को सामग्री एकत्रित करने का श्रेय उन्हीं को है। डायरेक्टर साहब श्री डा० एस०के० श्रीवास्तव ने मुझे शोधकार्य के सम्बन्ध में अपने अत्यन्त व्यस्त दिनों में जो क्षण मुझे प्रदान किए हैं, इसके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

शोध-प्रबन्ध को नवीनीकरण करने का श्रेय शोध शास्त्र श्री कृष्णमोहन श्रीवास्तव को है, उनके सहयोग के बिना शोध-प्रबन्ध का नवीनीकरण सम्भव नहीं था।

हस्तलिखित ग्रन्थों को खोज एवं अध्ययन के लिए मुझे जिन-जिन व्यक्तियों और संस्थाओं ने सहायता प्रदान की है, उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। सर्वप्रथम इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रति मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने उपर्युक्त ग्रन्थों को खोज में अनेक बार अपना सहयोग प्रदान किया। साथ ही साथ मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय लोकसेवा आयोग पुस्तकालय, भारतीय भवन पुस्तकालय और सेवा समिति पुस्तकालय से मुझे सहायता प्राप्त हुई, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ।

उपन्यासों से सम्बन्धित शोध-प्रबन्ध का टंकण एक क्लिष्ट कार्य है। इस कार्य को श्री रामहित त्रिपाठी 'विशारद' हिन्दी टंकक ने बड़ी जागरूकता एवं परिश्रम के साथ पूरा करने का प्रयास किया है, उनका मैं बहुत ही आभारी हूँ। टंकण संबंधी मुलों को यथासंभव सुधारने का प्रयत्न मैंने किया है किन्तु कुछ सूक्ष्म त्रुटियाँ

(६)

दृष्टिगत न हो सकने के कारण भी छूट सकते हैं, जिनके लिए मैं
ज्ञाना का आकांक्षी हूँ। हिन्दी टंकण यन्त्र में अनुपलब्ध शब्दों
-- (ज्), (रा), (०) को यथा सम्भव बनाने का
यत्न किया गया है, फिर भी बनाने में कहीं छूट भी सकता है।
मेरा प्रयास यही रहा है कि प्रस्तुत कार्य सभी दृष्टियों से वैज्ञानिक
बन सके।

अन्त में मैं हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्व-
विद्यालय, इलाहाबाद के प्रति विशेष आभारी हूँ, जिनके तत्त्वावधान
में मेरा यह कार्य सम्पन्न हो सका है।

बृज मोहन श्रीवास्तव
(बृजमोहन श्रीवास्तव)

हिन्दी विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद-२

विषयानुक्रम

विषयानुक्रम

प्रथम अध्याय :

हिन्दू समाज और वर्ण व्यवस्था

- (क) हिन्दुओं में चार वर्ण ।
- (ख) 'शुद्र' शब्द के अन्तर्गत परिगणित जातियां ।
- (ग) महात्मा गांधी जी के द्वारा 'हरिजन' शब्द का प्रयोग ।
- (घ) 'हरिजन' शब्द का प्राचीन प्रयोग और गांधी जी के द्वारा 'हरिजन' शब्द के प्रयोग में अन्तर ।

पृष्ठ संख्या १ - २२ ।

द्वितीय अध्याय :

हिन्दू समाज और हरिजन

- (क) हिन्दू समाज में हरिजनों की स्थिति-- प्राचीनकाल में हरिजनों की स्थिति, मध्यकाल में हरिजनों की स्थिति ।
- (ख) अंग्रेजी काल में हरिजनों की स्थिति ।
- (ग) वर्तमान स्थिति ।

पृष्ठ संख्या २३- ३४ ।

तृतीय अध्याय :

समाज सुधारवादी आन्दोलन और हिन्दी उपन्यास

- (क) उन्नीसवीं शती की परिस्थितियां--ब्रह्म समाज, वार्यसमाज, प्रार्थना समाज, धियोसोफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन आदि ।

(ख) सुधार-आन्दोलनों का हिन्दी उपन्यासों पर प्रभाव ।

पृष्ठसंख्या ३५ - ४६ ।

चतुर्थ अध्याय :

सामाजिक स्थिति और हरिजन

(क) खान-पान ।

(ख) विवाह -सम्बन्ध ।

(ग) अमानुषिक व्यवहार--शासक वर्ग, राजर्षि, जमींदार वर्ग, पुंजीपति वर्ग, कुएं से पानी न भर देने देना और समाज का अमानुषिक व्यवहार ।

(घ) वेश्या- समस्या ।

(ङ०) शिक्षा ।

(च) कुआकृत की भावना ।

(छ) मनुष्यत्व की भावना ।

पृष्ठ संख्या ५०- १३६ ।

पंचम अध्याय :

राजनीतिक स्थिति और हरिजन

(क) शासक वर्ग ।

(ख) जमींदार वर्ग ।

(ग) एकमात्र जनतांत्रिक प्रणाली--म्युनिसिपैलिटी ।

(घ) पुलिस का अत्याचार ।

(ङ०) राष्ट्रीय आन्दोलन ।

(च) शासन सम्बन्धी प्रथाचार ।

(छ) भाषा की समस्या ।

- (ज) पूंजीपति वर्ग का उदय ।
 - (फ) पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण ।
 - (ट) देशी रियासतें ।
 - (ठ) महाजनी शोषण ।
 - (ड) देशभक्त वर्ग ।
 - (ढ) ब्रिटिश सरकार की न्याय व्यवस्था ।
 - (ण) ब्रिटिश शासन-नीति ।
- पृष्ठ संख्या १३७- २११ ।

षष्ठ अध्याय :

आर्थिक स्थिति और हरिजन

- (क) शासक वर्ग ।
- (ख) समाज वर्ग ।
- (ग) जमींदार वर्ग ।
- (घ) पूंजीपति वर्ग ।
- (ङ) राजवर्ग ।

पृष्ठ संख्या २१२- २६६ ।

सप्तम अध्याय :

धार्मिक स्थिति और हरिजन

- (क) हरिजनों के धार्मिक अधिकार ।
- (ख) धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण ।
- (ग) मंदिर- प्रवेश ।
- (घ) मध्यकाल के निम्न वर्ग के द्वारा तथाकथित ब्राह्मण वर्ग की आलोचना ।

पृष्ठ संख्या २७०- ३०५ ।

प्रथम अध्याय

-0-

हिन्दू समाज और वर्ण-व्यवस्था

- (क) हिन्दुओं में चार वर्ण ।
- (ख) 'शुद्र' शब्द के अन्तर्गत परिगणित जातियाँ ।
- (ग) महात्मा गांधी जी के द्वारा 'हरिजन' शब्द का प्रयोग ।
- (घ) 'हरिजन' शब्द का प्राचीन प्रयोग और गांधी जी के द्वारा 'हरिजन' शब्द के प्रयोग में अन्तर ।

प्रथम अध्याय

-0-

हिन्दु समाज और वर्ण-व्यवस्था

(क) हिन्दुओं में चार वर्ण

वर्ण-व्यवस्था प्राचीनकाल से ही हिन्दु समाज की विशेषता और आधार रही है। इसके अनुसार समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया है, -- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 'ऋग्वेद' ग्रन्थ के प्राचीनतम अंशों में केवल तीन वर्णों का उल्लेख मिलता है-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य, परन्तु बाद में शूद्रों का भी उल्लेख मिलता है और 'पुरुष सूक्त' में तो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को सिद्धान्त रूप में समझाने का प्रयास किया गया है।

चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया है। इसमें कर्तव्यों और वृत्तियों के विभाजन एवं वितरण के द्वारा एक व्यवस्थित समाज का आदर्श उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद के 'पुरुष सूक्त' में वर्ण-व्यवस्था को समझाने के लिए समाज को 'पुरुष' का रूप दिया गया है, जिसके मुख से ब्राह्मण, पुत्रों से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए :--

यत पुरुषां व्युदधुः कतिधाव्यकल्पयन् ।
 मुखं किमस्य कौ बाहू का उरु पादा उच्यते ॥११॥
 ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः ।
 उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥१२॥

हमारे धर्मशास्त्रों ने कुल चार वर्ण माने हैं और कहा है कि :--

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजायतः ।
 चतुर्थं एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमः ॥^१

अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये द्विज हैं और एक जाति और है, जिसे शूद्र कहा जाता है । इन चार के अतिरिक्त पांचवां कोई वर्ण नहीं है ।

सृष्टि के सभी प्राणियों की एकता और अमेद के ज्ञान में ऊंच-नीच के भाव को कहीं अवकाश नहीं होता है । जोवन तो कर्तव्य है, अधिकारों तथा सुविधाओं का पुंज नहीं । जो धर्म ऊंच-नीच के भेदों की प्रथा पर आधार रखता है, उसका नाश निश्चित है । जिस प्रकार क्षत्रिय वही है जो समाज की रक्षा तथा प्रतिष्ठा के लिए स्वार्पण कर देता है, इसी तरह अस्पृश्य भी समाज के अधिकार प्राप्त सेवक हैं । युद्ध की परिस्थितियों ने आर्यों को श्रम-विभाजन की ओर प्रोत्साहित किया और उन्होंने गुण-कर्म के अनुसार चार वर्णों की व्यवस्था की । पूजा-पाठ, तपस्या, ज्ञान की खोज आदि को करने वाले ब्राह्मण, रण में लड़ने वाले को क्षत्रिय, खेती-बारी करने वाले को वैश्य तथा सेवा कार्य करने वाले को शूद्र कहा गया । यह श्रम-विभाजन तत्कालीन समाज के संगठन तथा उन्नति के हेतु किया गया था । सभी वर्ण आपस में मिल जुल कर कार्य करते थे । वर्णों में किसी भी

१. श्री सम्पूर्णानन्द (संपा०) : 'ऋग्वेदीय पुरुष-सूक्त', शारदा प्रकाशन, बनारस (१९४७), पृ० ८४ ।

२. मनु० अ० १०।४ ।

प्रकार का वैषम्य तथा भेद-भाव नहीं था । सभी वर्णों में परस्पर मिलना-जुलना, खाना-पीना, प्रतिलोम, अनुलोम, अन्तर्वर्णोप विवाह आदि होते थे । एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के कार्य कर सकता था ।

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था को समझाने के लिए समाज को 'पुरुष' का जो रूपक दिया गया है, उस रूपक में ब्राह्मणों की मुख से उत्पत्ति की कल्पना बहुत ही समुचित है । 'मुख' से केवल भोजन करने वाले अंग से ही तात्पर्य नहीं है, इसमें मस्तिष्क का भी समावेश हो जाता है । जिस प्रकार मनुष्य की सब क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क करता है और उसे उदात्त विचार देकर सन्मार्ग पर चलाता है, उसी प्रकार समाज के मस्तिष्क ब्राह्मण होते हैं । समाज इन्हीं के द्वारा सोचता है, इन्हीं के द्वारा बोलता है और इन्हीं के नेतृत्व में सन्मार्ग पर चलता है । ब्राह्मणों का प्रमुख कर्तव्य आर्य संस्कृति को सुरक्षित रखना माना जाता था । इसलिए उनके लिए वेदों का पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना तथा दान लेना-देना आवश्यक समझा जाता था । उनसे आशा की जाती थी कि वह आजीवन ज्ञान के उपार्जन, ज्ञान-वितरण और समाज-सेवा में लगे रहेंगे ।

चूंकि क्षत्रिय की उत्पत्ति 'पुरुष' की मुखा से हुई है, अतः इनका कर्तव्य बाह्य और आन्तरिक शत्रुओं से समाज की रक्षा करना था । इसी वर्ग के सदस्य अधिकांशतः राजा होते थे । उसके अन्य कर्तव्यों में वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना और दान देना था । ये कार्य आर्य संस्कृति को स्था के लिए आवश्यक थे, इसीलिए ब्राह्मणों के साथ-साथ क्षत्रियों को भी इनको सम्पन्न करना होता था ।

जिस प्रकार शरीर का मार जंघा वहन करती है, उसी प्रकार समाज-पुरुष का मार तीसरा वर्ग धारण करता था । समाज की

आर्थिक दशा और व्यवस्था का दायित्व इसी वैश्य वर्ग पर था ।

ये तीनों वर्ण 'द्विज' कहे जाते थे । इनको उपनयन कराकर वेदादि के अध्ययन और यज्ञों के करने का अधिकार था । इस प्रकार ये तीनों वर्ण आर्य संस्कृति के प्रहरी थे । इनके विपरीत चौथा वर्ण शुद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए था । इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार शरीर में पैर है, उसी प्रकार समाज में शुद्र है । 'इन तीन वर्णों की असुयारहित सेवा करना-- यही एक कर्म परमात्मा ने शुद्रों के लिए बनाएं ।' --ऐसा मनु ने लिखा है । इस प्रकार हिन्दुओं को चार वर्णों में बांटा गया । इस वर्ण व्यवस्था के द्वारा समाज के भौतिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्यों में समन्वय स्थापित किया गया । 'हिन्दुओं को चार वर्णों में विभाजित करके ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की चेष्टा की गई, जिनकी सहायता से प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का पालन करते हुए चरम लक्ष्य की ओर बढ़ सके ।'

'शुद्र' शब्द के अन्तर्गत परिगणित जातियां

वर्तमान समय में समूचे देश में सहस्रों जातियां तथा उपजातियां हैं, जिनकी गणना हरिजन वर्ग के अन्तर्गत की जाती है । इस वर्ग की कुछ जातियों के नाम देखने से प्रतीत होता है कि कई जातियों ने एक ही वर्ग से निकल कर अलग-अलग नाम रख लिए तथा उस नाम से एक जाति ही अलग कहलाई । यह कहा जा सकता है कि जटिया, जाटव, अह्लार, जैसवार, कुरील, रैदासी, रविदासी आदि नाम चमार वर्ग के नाम के भाव से बचने के लिए ही रखे गए हैं । किस आधार पर, किन जातियों को परिगणित माना जाए ? १९५१ई० के जनगणना संचालकों के सामने यह एक टेढ़ा प्रश्न था । काफी विचार के बाद एक कसौटी तैयार की गई तथा यह तय किया गया कि उस कसौटी की बातों से जिन वर्गों की दशा मिलती-जुलती हो, उन्हें परिगणित जाति माना जाए ।

१. वात्स्यायन : 'भारतीय संस्कृति' (१९७२ई०), पृ० सं० ४० ।

निम्नलिखित प्रश्नों के रूप में कसौटी तैयार की गई:--

- (१) क्या यह वर्ग ब्राह्मणों के द्वारा शुद्ध माना जाता है ? यदि ब्राह्मण उसे ठीक न समझते हों तो वह वर्ग निम्न है तथा परिगणित जाति कहा जा सकता है ।
- (२) क्या नाई, दर्जी, सक्के, बावर्ची, कहार आदि उस वर्ग के लोगों की सेवा कर देते हैं ? यदि वह उस वर्ग की सेवा करने से इन्कार करे तो वह वर्ग निम्न समझा जाए तथा उसे परिगणित जाति माना जाए ।
- (३) क्या निम्न कहे जाने वाले लोग उच्च कहे जाने वाले लोगों से मिल पाते हैं ? जिन वर्गों के साथ उच्च कहलाने वाले लोग नहीं मिल-जुल सकते, उनके साथ साथ उठ बैठ नहीं सकते, वह वर्ग निम्न है । उसको गणना परिगणित जाति के अन्तर्गत किया जाए ।
- (४) क्या उन वर्गों के हाथ का पानी दूसरे उच्च वर्गों के द्वारा पी लिया जाता है? जिन वर्गों के हाथ का पानी उच्च कहे जाने वाले लोग नहीं पीते । उन वर्गों को निम्न समझा जाए तथा उन्हें परिगणित जाति के अन्तर्गत माना जाए ।
- (५) क्या उस वर्ग के लोग सार्वजनिक स्थानों, कुओं, सड़कों, किश्तियों तथा स्कूलों में जा पाते हैं ? यदि किसी वर्ग के लोगों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों, कुओं, सड़कों पर न चल पाते हो, किश्तियों में न बैठ सकते हो, स्कूलों में न पढ़ सकते हो । वे वर्ग निम्न हैं तथा उन्हें परिगणित जाति के अन्तर्गत माना जा सकता है ।
- (६) क्या इस वर्ग के लोग मंदिरों तथा पूजाघरों में जा पाते हैं ? जिन वर्गों के लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए देव-दर्शनों के लिए न जा सके ? वे अस्पृश्य कहे जाए तथा उन्हें परिगणित जाति माना जाए ।
- (७) क्या एक ही योग्यता का व्यक्ति एक सा सम्मान पाता है ? यदि किसी निम्न वर्ग का व्यक्ति पढ़ा-लिखा तथा योग्य हो, फिर भी वह दूसरे वर्ग के पढ़े-लिखे लोगों के बराबर का सम्मान न प्राप्त करे । उसे निम्न ही समझा जाता है तो ऐसे वर्ग को परिगणित जाति माना जाए ।

- (८) क्या निम्न कहा जाने वाला वर्ग स्वयं निम्न बन गया है या बनाया गया है ? यदि कोई वर्ग अपनी मूल से निम्न बन गया तथा दूसरों ने भी उसे निम्न बनाया तथा वह निम्न कहलाया तो ऐसा वर्गभो परिगणित जाति में माना जाए ।
- (९) क्या उनका पेशा घृणित है या समाज के द्वारा घृणित बना दिया गया है ? बहुत से वर्ग पेशों के कारण ही निम्न कहे जाते हैं, उन पेशों को दूसरे वर्गों के लोग नहीं करते । अतः वे पेशे गन्दे हैं तथा उन्हें करने वाले निम्न हैं तथा उन्हें परिगणित जाति माना जा सकता है ।

इस कसौटी के अनुसार परिगणित जातियों की एक सूची तैयार की गई तथा उसका प्रकाशन किया गया । ऐसी सहस्रों जातियों को निम्न, अकृत, पतित, अन्त्यज, दलित, हरिजन और परिगणित जाति आदि नामों से पुकारा गया ।

सूची को देखने के पता चलता है कि एक-सा पेशा करने वाले लोगों को अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग नामों से पुकारा गया है । कुक नाम सभी प्रदेशों में एक से हैं । बोलचाल के हेर-फेर से फर्क होने से नाम में फर्क पड़ गया है । चमार, जाटिये, डोम, जाटव, रैदासी, रविदासी, रमदासी, घूसिया, मोची, मुची, दुमना, चुहड़ा, मंगी, हेली, हरी आदि नामों से यह बात की पुष्टि हो जाती है कि अलग-अलग प्रदेशों में एक जाति के अलग-अलग नाम पड़ गए तथा इसी कारण जातियों की संख्या भी बढ़कर एक अम्बार हो गई ।

समुचे हरिजन वर्गों की समस्याएँ एक-सी हैं । अन्य वर्गों का हरिजन वर्ग के साथ एक-सा व्यवहार पाया जाता है । सभी हरिजन वर्गों की राजनैतिक अवस्था और सामाजिक अवस्था एक सी ही हैं । सभी हरिजन वर्गों की आर्थिक स्थिति अन्य वर्गों के मुकाबले में कमजोर है ।

11) गांधी जी द्वारा 'हरिजन' शब्द का प्रयोग

महात्मा गांधी ने अन्त्यजों के कहने पर अकूतों को 'हरिजन' नाम का साधारण अर्थ है -- 'हरि + जन' अर्थात् जो हरि का भक्त हो। महात्मा गांधी ने हरिजन को परिभाषा निम्न प्रकार की है-- 'जो दिन-रात कड़ी मेहनत करके अपना जीवन पालता है, दूसरों की सेवा हो में जिसने अपना सब कुछ खो दिया, उसे अस्पृश्य कहना पाप है, वह तो हरि का भक्त है, 'हरिजन' है।'

जगन्नाथ देसाई लिखते हैं -- 'यदि अन्त्यज नाम अप्रिय लगता हो बहुत से गांवों में उसके बजाय एक 'हरिजन' शब्द का भी प्रयोग होता है। क्या यह शब्द उपयुक्त न होगा? यह भक्तिमय भावना का सूचक है, इसलिए अन्त्यज इसे सुशी के साथ स्वीकार करेंगे, अलावा इसके जब ढेड़ों के घर पर भजन करने के लिए नागर जाति ने नरसी मेहता की निन्दा की थी, तब अपने भजन में उन्होंने कहा था --

'हरिजन' थी जे अन्तर गणेश तेना फोगर फेरा डालतारे'

यहां 'हरिजन' अर्थात् भक्त तथा अन्त्यज दोनों हो सकते हैं।

इस प्रकार 'हरिजन' शब्द के पीछे नरसी मेहता के समान अनन्य भक्त की प्रेरणा है और साथ ही यह शब्द उक्त सारे सुन्दर प्रसंग का सूचक भी है। महात्मा गांधी ने 'हिन्दी नवजीवन' के ६-८-१९३१ई० के अंक में लिखा है-- "इस प्रकार यह शब्द नया नहीं है, वरन् गुजरात के आदि कवि द्वारा प्रयुक्त सुन्दर शब्द है और फिर 'हरिजन' शब्द की यह व्याख्या की जा सकती है कि जिन लोगों को समाज ने त्याग दिया है, वे लोग 'हरिजन' हैं और इस शब्द में तीसरा लाभ यह है कि अन्त्यज माई इस नाम को हृदय से ग्रहण करेंगे और उसके अनुरूप गुणों का विकास करेंगे। ऐसी संभावना भी इसमें है। कालीपरज शब्द मिटकर जैसे रानीपरज हो गया, उसी तरह

अन्त्यज भी नाम व गुण से 'हरिजन' बने^१।

'हरिजन' शब्द का प्राचीन प्रयोग और गांधी जी के द्वारा 'हरिजन' शब्द के प्रयोग में अन्तर

हिन्दी साहित्य के इतिहास में हमें प्राचीन हिन्दी कवियों को एक लम्बी परम्परा देखने को मिलती है, अब देखना यह है कि हिन्दी कवियों ने 'हरिजन' शब्द का किस तरह किस अर्थ में प्रयोग किया है ? इसके साथ ही साथ हम महात्मा गांधी के विचारों को भी जानने को कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने समय में प्राचीन हिन्दी कवियों से भिन्न 'हरिजन' शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया ।

हिन्दी साहित्य के पहले संस्कृत साहित्य की भी परम्परा मिलती है । संस्कृत ग्रन्थों में जहां-तहां 'शूद्र' शब्द का प्रयोग मिलता है-- यजुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है--

'अथैमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याम्याꣳ 'शूद्राय' वाय्याय चस्वाय चारणाय । प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमय में कामः समृध्यतामुप मादीनमतु ।' (यजु० २६/२)

अर्थात् हे शिष्यों जिस प्रकार इस वेद वाणी को मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब के लिए कहता हूँ, उसी प्रकार तुम भी इसका सब मनुष्यों में उपदेश दिया करो । जिस प्रकार मैं विद्वानों तथा दक्षिणा के देने वाले धनियों का प्रिय बनूंगा, उसी प्रकार तुम लोग भी पक्षपात रह रहित होकर सर्वप्रिय बनोगे । जिस प्रकार मुझमें अंत विषा के सर्वसुख विद्यमान है, वैसे ही जो कोई विषा का ग्रहण और प्रचार करेगा, उसे भी मौज तथा संसार की समस्त समृद्धियां प्राप्त होंगी ।

१. महात्मा गांधी : 'सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय' (१९७२ई०), पृ० सं० २६६।

२. श्रीराम शर्मा आचार्य (सम्पा०) : 'यजुर्वेद' (१९६०ई०), पृ० सं० ४२८ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद में 'शुद्र' शब्द का उल्लेख आया है, पर भिन्न अर्थ में आया है। वैदिक काल में समाज में शुद्र का निम्न स्थान नहीं था।

गीता में भी हमें 'शुद्र' शब्द मिलता है, पर यहां 'शुद्र' शब्द भक्ति के संदर्भ में प्रयोग हुआ है--

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्ययेऽपि स्युः पापयोनयः ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शुद्रास्तैपि यान्ति परांगतिम् ॥

(गीता अ० ९।३२)

अर्थात्-हे अर्जुन, मेरे ~~एक~~ आश्रित होने वाला कोई पतित हो, स्त्री वैश्य, शुद्र हो, पाप योनि हो, वह उत्तम गति प्राप्त करता है।

नृसिंह पुराण में भी 'शुद्र' शब्द भक्ति के संदर्भ में आया है --

ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः स्त्रियः शुद्रान्त्यजादयः
सम्पूज्य ते सुरश्रेष्ठं नरसिंहवपुर्धरम्
मुच्यन्ते चाशुभमविर्जन्म कोटिसमुद्भवम् ।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शुद्र, अन्त्यज आदि नृसिंह भगवान् की पूजा करके अपने जन्म जन्म के पापों से मुक्त होते हैं।

पुराण साहित्य में मत्स्यपुराण का भी स्थान महत्त्वपूर्ण है। मत्स्यपुराण में जगह-जगह 'शुद्र' शब्द का प्रयोग किया गया है। मत्स्यपुराणकार ने लिखा है --

मार्याविरहितोऽप्येतत् प्रवासस्थोऽपि भक्तिमान् ।
'शुद्रोऽप्यमन्त्रवत्' कुर्यादनेन विधिना बुधः ॥ (१५।५६)

१. 'श्रीमद्भगवद्गीता', इंडियन प्रेस, गोरखपुर (पृ० १६८) ।

२. पं० श्री राम शर्मा आचार्य : 'मत्स्यपुराण' (१९७०ई०), पृ० १११ ।
(सम्पा०)

अर्थात् जो कोई भायाँ से भी विरहित हो तथा प्रवास में स्थिति रखने वाला हो और भक्ति भाव से सम्पन्न शुद्र भी हो, जो मंत्ररहित होता है, उस बुध पुरुष को यह श्राद्ध विधिपूर्वक करना चाहिए ।

आगे स्पष्ट करते हुए मत्स्य पुराणकार ने लिखा है--

एवं 'शुद्रोऽपि' सामान्यवृद्धिश्राद्धेऽपि सदा ।

नामस्कारण मन्त्रेण कुर्यादामान्तः सदा ॥

दान प्रधानः शुद्रः स्यादित्याह भगवान् प्रभु ।

दानेन सर्वकामाप्तिरस्य संजायते यतः ॥ (१५।६५।६६)

इसका आशय सर्वथा स्पष्ट है कि इसी प्रकार से सामान्य वृद्धि श्राद्ध में भी सर्वदा शुद्र को भी नमस्कार मंत्र के द्वारा कच्चे अन्न से ही सदा करना चाहिए । शुद्र का वाले पुरुष को केवल दान से ही समस्त कामनाओं के फलों को प्राप्त हो जाया करती है, इसीलिये शुद्र के लिए दान देने का विशेष महत्व होता है ।

स्मृतियों में भक्ति के प्राधान्य से याज्ञवल्क्य स्मृति का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । इस स्मृति के गृहस्थ धर्म प्रकरण वर्णनम् में कहा गया है--

'शुद्रस्य' द्विजशुश्रूषा तथा जीव् वीणिष्यते

शिल्पैर्वाः विविधैर्जीविद् द्वि जातिरिह माचरन् ।

(याज्ञ.स्मृतिः १।१२०)

अर्थात्- शुद्र के धर्म और वृत्ति के लिए द्विजाति की सेवा करना मुख्य कर्म है, जिसमें ब्राह्मण की शुश्रूषा करना परम धर्म होता है । यदि सेवा वृत्ति से जीवन निर्वाह न हो तो वाणिज्य वृत्ति या अन्य अनेक प्रकार के शिल्प कर्मों को द्विजाति के लिए करते हुए जीवन निर्वाह करे ।

विभिन्न स्मृतियों में सम्बर्त स्मृति का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । सम्बर्त स्मृतिः में जगह-जगह पर 'शुद्र' शब्द मिलता है ।

१. पं० श्रीराम शर्मा आचार्य : 'मत्स्य पुराण' (१९७०ई०), पृ० सं० ११२ ।

२. पं० श्रीराम शर्मा आचार्य (सम्पा०) : 'वीस स्मृतियों' (१९६६ई०), दूसरा भाग पृ० सं० २५ ।

सम्बन्ध स्मृति में लिखा है --

ब्राह्मणी 'शुद्रसम्पर्क' कथांचित् समुपागते १
 कृच्छ्र चान्द्रायणं कुर्यात् पावनं परमं स्मृतम् ।
 (सम्बन्ध स्मृति: १।१६७)

अर्थात्-यदि कोई ब्राह्मणी किसी तरह के सम्पर्क में आ जावे तो कृच्छ्र चान्द्रायण व्रत ही परम पावन करता है ।

(वेद)व्यास स्मृति में भी 'शुद्र' शब्द का प्रयोग हुआ है --

'शुद्रो' दर्पण च्चतुर्थोऽपि वर्णत्वाद्धर्ममहति २
 वेदमन्त्र स्वधाहावणट् कारादिभिर्विना ।
 (व्यास स्मृति: १।६)

इसका आशय तो स्पष्ट है कि चौथा वर्ण शुद्र होता है, वह भी एक वर्ण विशेष होने से धर्म के योग्य होता है, किन्तु इसके धर्म में वेद के मन्त्र, स्वधा, स्वाहा तथा वणट्कारादि वर्जित होते हैं ।
 आपस्तम्ब स्मृति में भी 'शुद्र' शब्द का प्रयोग हुआ है --

आपस्तम्ब स्मृति में भी 'शुद्र' शब्द का प्रयोग हुआ है--

'शुद्रान्न' शुद्रसम्पर्कः शुद्रेणैव सहासनम् ३
 शुद्रात्ज्ञानागमः क्विच्छ्रज्वलन्तमपि पातयेत् ।
 (आपस्तम्ब स्मृति ८।८)

शुद्रान्न, शुद्र के साथ सम्पर्क, शुद्र के साथ ही उठना-बैठना और शुद्र से ही ज्ञान प्राप्त करना, तेजयुक्त ब्राह्मण को भी पतित कर देता है ।

१. पं० श्रीराम शर्मा आचार्य (सम्पा०) : 'बीस स्मृतियाँ', दूसरा भाग, ६६६६६०
 पृ० सं० १७६ ।

२. वही, पृ० सं० २२३ ।

३. वही, पृ० सं० २७५ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद, भागवत, पुराण और स्मृति सभी जगह 'शुद्ध' शब्द का प्रयोग हुआ है, सर्वप्रथम 'हरिजन' शब्द संस्कृत साहित्य के नरसिंह पुराण में प्राप्त होता है। नरसिंह पुराण के शकतीसवे प्रश्न अध्याय में कहा गया है--

कतिसर्ये महं ध्रुव वरित, सुत कह्यो सविधान ।

जासु सुने 'हरिजन' के, होत सकल कल्याण ॥

इसके बाद 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हमें हिन्दी कवियों में देखने को मिलता है ।

यद्यपि हिन्दी के प्राचीनतम कवि अमीर खुसरौ हैं, उनका काल तेरहवां शताब्दी के लगभग अन्त में माना जाता है, पर उनके काव्य में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। 'हरिजन' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हमें संतकाव्य के प्रवर्तक संत कबीर (१३६६ई०-१५१८ई०) की रचनाओं में मिलता है। कबीर के पद तथा शालियों में 'हरिजन' शब्द दूधने से मिल जाते हैं, पर कबीर ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग 'हरि' के भक्त के रूप में किया है--

'हरिजन' हंस दसा लिये डोले । निरमल नाव चवै जस बोले ।

मानसरोवर तट के बासी । रामचरन चित जान उदासी ।
अर्थात् -- हरि के भक्त हंस को दिशा में विचरण करते हैं एवं हंस का-सा आचरण करते हैं। वे प्रभु के निर्मल नाम का उच्चारण करते हैं और उनका यज्ञोपवीत करते हैं। वे मानसरोवर के तट पर निवास करते हैं, उनका चित राम के चरणों में लगा रहता है, अन्य वस्तुओं की ओर से वे उदासीन रहते हैं।

यहां पर हम देखते हैं कि कबीर ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है। आगे के पदों में भी कबीर ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है--

'हैं' हरिजन' सौं जगत करत है । फुनिगा कतहुं नरुड भसत है ।

बचिरज एक देखहु संसारा । सुनहा लेवे कुंजर असवारा ।

१. महेश्वर जी : नरसिंह पुराण भाषा, (३१।१) पृष्ठ ०१२२ ।

२. डा० पारसनाथ तिवारी (सम्पा०) : कबीर वाणी सुधा (१६७ई०) पृ० ३१ ।

ऐसा एक अचभौ देखा । जंबुक करे केहरि सों लेखा ।

कहे कबीर रामभजि भाई । दास अधम गति कबहुं न जाई १ ।।

अर्थात् - हरिजन से जगत् लड़ता है लेकिन भला पतिंगा गरुड़ को खा सकता है। सांसारिक व्यक्ति और हरिमक्त में इतना अन्तर है जितना कि पतिंगे तथा गरुड़ में एवं श्वान और हाथी के सवार में और गीदड़ तथा शेर में होता है।

अतः यहां पर भी हम देखते हैं कि 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है। इसी प्रकार कबीर ने दोहों में भी 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है--

सतगुर सवां नकोई सगा, सोधी सई न जाति ।

हरि जो सवां न कोई हित्तु, 'हरिजन' सई न जाति २ ।

(सतगुर महिमा को अंग) १।२

अर्थात्-सदगुर के समान दूसरा कोई सगा नहीं, ज्ञान अथवा चितबुद्धि के समान दूसरा कोई दान नहीं, प्रभु के समान दूसरी कोई जाति नहीं। यहां पर भी 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरिमक्त के रूप में हुआ है।

इसी प्रकार अपने एक अन्यदोहे में भी 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है --

हैौ बाहन सधन घन, हत्रपती की नारि ।

तासु पटंतर सधक ना तुले, 'हरिजन' की पनिहारि ३ ।

(साध महिमा को अंग ४।१०)

अर्थात्-जिसके यहां अश्वगज के वाहन हो, सधन घनवाय बजते हों और वह हत्रपति की नारी हो तो भी उसकी समता हरिमक्त के पनिहारि से नहीं हो सकती।

१. डा० पारसनाथ तिवारी (सम्पा०) : 'कबीर वाणी सुवा', (१९७३ई०), पृ० १५

२. वही (१९७३ई०), पृ० २२ ।

३. वही, पृ० ३१ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने अपने सम्पूर्ण काव्य में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है ।

अन्य सन्तकवियों में रैदास तथा गुरु नानक (१४६६-१५३६ई०) ने (१५ वीं शती के अन्त से १६ वीं शती के मध्य तक) भी अपने काव्य ग्रन्थों में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है --

आज दिवस लेऊं बलिहारा, मेरे गृह आया राम का प्यारा ।
आंगन बंगला भवन भयो पावन, 'हरिजन' बैठे हरिजस गावन ।
कंस डंडवत चरन पखारं, तन मन धन उन उपरि वारं ।
कथा कहै अरु अर्थ विचारै, आप तरे औरेन को तारै ।
कह रैदास मिलै निजदास, जनम जनम के कार्टे पास ।^१

अर्थात् यहाँ भी 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त(जन) के रूप में हुआ है ।

रामानन्द के बारह शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति के चमार थे । कबीर के समान वे भी काशी के निवासी बताये जाते हैं । इनका अस्तित्व काल पन्द्रहवें शतक के पिछले भाग से सोलहवें शतक के मध्य तक है । वे भी निगुंणी थे तथा वे परब्रह्म के व्यापकत्व में विश्वास करते थे । रैदास जी की केवल स्फुट वाणी मिलती है । उनकी वाणी में सरलता तथा स्पष्टता है । उनका प्रभाव फर्रुखाबाद, मिर्जापुर आदि में अधिक पाया जाता है । रैदास ने भी 'हरिजन' शब्द हरि के भक्त के रूप में कबीर की भाँति किया है । गुरु नानक (१४६६-१५३६ई०) ने भी सन्त काव्य परम्परा में अपने ग्रन्थ में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है --

राम रसाहणि इहु मनुराता । सरन रसाहणु गुरुमुखि जाता ।
भगत हेतु गुर चरन निवासा । नानक 'हरिजन' के दासीनि के दासा ।^२

(६।८)

१. रैदास वाणी ।

२. डा० जयराम मिश्र(सम्पा०) : 'नानक वाणी' (१६६१ई०), पृ० सं० २८८ ।

अर्थात्-रामरसायन का आस्वादन करके यह मन मतवाला हो जाता है । सब के रसायन हरो को गुरु द्वारा समझ लिया जाता है । भक्ति की प्राप्ति के हेतु गुरु के चरणों को अपने मन में स्थान दिया है । नानक कहते हैं कि मैं हरि के दासों का दास हो गया हूँ। (६।८)

अर्थात्-गुरु नानक ने भी 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है ।

गुरु नानक (१४६९-१५३९ई०) सिक्ख संप्रदाय के संस्थापक थे और लाहौर से तीस मील दूर तलवंडी गांव के निवासी थे । वे आत्मज्ञानी थे और कबीर की भांति एक ईश्वर हिन्दू-मुस्लिम-सैक्य के विश्वासी और मूर्तिपूजा तथा कर्मकाण्ड विरोधी थे, किन्तु उनकी वाणी में कबीर का सा तोलापन नहीं है और न उनमें खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति ही पाई जाती है, वैसे भी समाज के उच्चवर्ग से सम्बन्धित होने के कारण उनके और कबीर के दृष्टिकोण में अन्तर होना स्वाभाविक था । उन्होंने त्याग, उदारता, धैर्य, क्षमा आदि मानवी गुणों के लिए प्रेरणा दी । उनके सच्चे उद्गार सिक्ख जाति में आत्म-शक्ति उत्पन्न करते हैं । भाषा भी सरल है । वे निरन्तर भगवान् के ध्यान में मस्त रहते थे । साहित्य तथा साधना के क्षेत्र में गुरु नानक का अपना एक अलग विशिष्ट स्थान है । गुरु नानक ने भी अपने ग्रन्थ में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में कबीर, रैदास आदि कवियों की भांति किया है ।

राम काव्य-परम्परा में वैसे तो तुलसीदास बंधक (१५३२-१६२३ई०) तथा केशवदास (१५५५-१६१७ई०) के अतिरिक्त अनेक अन्य कवि हुए । जैसे कृष्णदास, पथहारी, अग्रदास, प्राणचन्द्र (रामायण महानाटक, १५९०ई०), हृदयराम (भाषा अनुमन्नाटक, १६२३ई०) आदि पर उनमें तुलसीदास का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है । तुलसीदास के 'रामचरितमानस' के बालकांड में हमें 'हरिजन' शब्द का प्रयोग मिल जाता है--

सो सुधारि 'हरिजन' जिमि लेहीं । दलि दुख दोष विमल जसु देहीं ।
खलउ करहिं मल पाइ सुसंगु । मिटइ न मलिन सुमाउं अभंगु ।

(बालकाण्ड २२।२)

अर्थात्-भगवान् के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुःख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी-कभी उच्चम संग पाकर मलाई करते हैं, परन्तु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटेगा ।

इसी प्रकार दूसरी जगह भी 'हरिजन' शब्द का प्रयोग मिलता है --

भृगुसुत समुक्ति जनेउ किलोको । जो कहु कहहु सहऊं रिस रीको ।
सुर महिसुर 'हरिजन' अरु गाई । हमरें कुल इन्ह पर न पुराई ।

(बालकाण्ड ३०५।३)

अर्थात्-भृगुवंशी समझकर तथा यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं, उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ । देवता, ब्राह्मण, भगवान् के भक्त तथा गौ, इनपर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती ।

अतः हम देखते हैं कि तुलसीदास ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग भगवान् के भक्त के रूप में किया है । रामकाव्य-परम्परा में ही नामादास (१६००ई०) ने अपने काव्य-ग्रन्थ में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है । नामादास ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है--

मंगल आदि विचारिरह वस्तुन और अनुप ।

जन को यश गावते 'हरिजन' मंगल रूप ।

(भक्तमाल २१२।२)

१. डा० श्यामसुन्दरदास : 'रामचरित मानस' (१६३०ई०), पृ०सं० ११ ।
(सम्पा०)

२. वही, पृ०सं० २६३ ।

३. श्री सीताराम शरण भावान प्रसाद ब्यकला (सम्पा०) : 'भक्तमाल',
(१६६२ई०), पृ०सं० ४० ।

अर्थात्-मंगलाचरणों तथा मंगल वस्तुओं में विचारों से भगवत्-भक्तों का गुण वर्णन ही अनुप जंक्ता है। इसके से सरीस मंगल मूल और कुछ भी नहीं ठहरता। भगवत् तथा महात्माओं के सुयश को गाते-गाते ही भगवत् के जन मंगलमय हो जाया करते हैं।

नाभादास को यद्यपि ब्रजभाषा में उनकी रामभक्ति संबंधी कवितायें अवश्य प्राप्त है, किन्तु उनका प्रधान ग्रन्थ 'भक्तमाल' (१५८५ई०) है, जिसमें दो सौ भक्तों को भक्त-महिमा मुक्तक बातें ३१६ छप्पयों में दो गई है। नाभादास १६०० ई० के लगभग वर्तमान थे, तथा गोस्वामी तुलसीदास का मृत्यु के पीछे तक वर्तमान रहे। १७०२ई० में प्रियादास ने 'भक्तमाल' पर टीका लिखी, जिसमें भक्तों के अलौकिक कृत्यों और चमत्कारों का ही अधिक उल्लेख है। जिससे नाथ सिद्धों तथा वैष्णवों की विशेषतायें अलग-अलग स्पष्ट हो जाती है। नाभादास ने अपने ग्रन्थ 'भक्तमाल' के मंगलाचरण के दोहे में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग भगवत् के जन के रूप में किया है।

(१२०३-१२४६३०)
कृष्ण काव्य परम्परा में मीरां तथा सेनापति (१५८६ई०) ने अपने काव्य ग्रन्थों में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है--

'आयो सावन भादवारे, बोलण लग मोर ।

मीरां कुं 'हरिजन' मित्यारे, ले गया पवन फकोर ।'

यहां मीरां ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के जन के रूप में किया है।

कृष्ण काव्य-परम्परा में तो अनेक कवि हुए, जैसे सुरदास (१४७८-१५८०ई०), नन्ददास (१५३३-१५८६ई०) ('रास-पंचाध्यायी', 'भंवरगीत'), 'हित हरिवंश' ('हित चौरासी'), रसलान (१५१८-१६१८ई०) ('प्रेम वाटिका', 'सुजान रसलान'), नरोत्तमदास (१५४५ई०), मीरां ('नरसी जी का माहरा', 'गीत गोविन्द की टीका', सेनापति (१५८६), 'राग गोविन्द' और

१. परशुराम चुर्वेदी (सम्पा०) : 'मीराबाई की पदावली' (१६४१ई०), पृ० सं० ११६ ।

राग सौरट^१ आदि, पर उनमें मोरां का एक विशिष्ट स्थान है। सूर ने कृष्ण का वर्णन बाल रूप में किया है, पर मोरां ने तो माधुर्य भाव (दाम्पत्य-भाव) से भक्ति-भावना ग्रहण कर और उनसे विरहिणी बनकर अपने आराध्य देव श्रीकृष्ण से विरह को भिन्ना मांगो। अतः इसी कारण हिन्दी काव्य - कोकिला राजस्थान को मोरां का कृष्ण भक्ति परम्परा में विशेष स्थान है। इनका समय १६ वीं सदी माना जाता है।

सेनापति (१५८६ई०) ने भी अपने ग्रन्थ 'कवित रत्नाकर' में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है --

महा मोह-कंदनि में जात -जकंदनि में,
 दिन दुख-दंदनि में जात है विहाय कै।
 मुख को न लेस है, कलेस सब मांतिन को,
 सेनापति याहि ते कहत अकुलाय कै ॥
 आवै मन ऐसी घरबार परिवार तजौ,
 डारों लोक-लाज के समाज बिसराय कै।
 'हरिजन' पुंजन में, वृन्दावन कुंजनि में,
 रहाँ बैठि कहूं तरवर-तर जाय कै।^१

कृष्ण काव्य-परम्परा में सेनापति का स्थान भी महत्वपूर्ण है। सेनापति अनूप शहर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका जन्म १५८६ई० के लगभग माना जाता है। उनकी विशेष ख्याति ऋतु वर्णन के कारण है। ब्रजभाषी काव्य परम्परा में प्रकृति वर्णन प्रायः उद्दोषन के रूप में ही पाया जाता है, किन्तु सेनापति ने ललित पदविन्यास और अपनी भावुकता का वाच्य ग्रहण कर स्वतंत्र रूप से प्रकृति का वर्णन किया। उन्होंने भी 'हरिजन' शब्द का प्रयोग पिछले कवियों की भांति किया है।

१. पं० उमाशंकर शुक्ल (सम्पा०) : 'कवित रत्नाकर' (परिशिष्ट) (१६३६ई०), पृ० सं०

अनेक मुसलमान कवियों ने हिन्दु में अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे । उनको काव्य-साधना तथा प्रेम भावना को देखकर ही भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५०-१८८५ई०) ने कहा था --

‘इन मुसलमान ‘हरिजनने पे कोटिक हिन्दू वारिस ।’
यहां भी ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया गया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन कवियों से लेकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तक ने ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है ।

महात्मा गांधी के अनुसार, ‘हर धर्म का यहा कहना है कि जिसका कोई भी अभिभावक नहीं होता, उसका अभिभावक भगवान् होता है । इसी प्रकार सब धर्मों का कहना है कि भगवान् दोनों की मदद करता है और दुर्बलों की रक्षा करता है । हिन्दुस्तान के चार करोड़ अदुतों के समान निःसंग, अराहाय एवं दुर्बल और कौन है ? उत्तः यदि किसी को भगवान् की सन्तान कहा जा सकता है तो वह केवल अदुतों को ही और इसी लिए अदुतों के लिए ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग करने का मैंने निश्चय किया है । हिन्दुओं द्वारा अस्मृश्यता को दानवी प्रथा नष्ट होते ही हम सभी को ‘हरिजन’ कहने लगे, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास है कि उस दशा में हिन्दु भी भगवान् की कृपा के पात्र बन जायेंगे ।’

महादेव देसाई की डायरी में लिखा है,--‘मेरे लिए तो इस नाम (‘हरिजन’ शब्द) का अर्थ ‘भगवान् के आदमी’ ही होता है । विष्णु, शिव या ब्रह्मा में मैं कौड़ीभेद नहीं मानता सभी श्रीश्वर के नाम है ।’

डा० राजेन्द्र प्रसाद ने ‘हरिजन’ शब्द के बारे में अपनी आत्मकथा में लिखा है,--‘हरिजन’ शब्द एक ठोंग का घोटक है, यह एक अफीम

१. ना०रा० अभ्यकर(सम्पा०) : ‘राष्ट्रपिता महात्मा गांधी’ (१९६७ई०), पृ०सं०१४३।

२. नरहरि डा० परीस(सम्पा०) : ‘महादेव माजी की डायरी’ (१९५०ई०),

की गोली है, जिससे आप हमें सुला देना चाहते हैं । यदि धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाये तो यह शब्द बहुत ही उलफान भरा है । हम हरिजन हैं, हरि के जन तो आप है क्या है ? क्या खवर्ण हिन्दू शैतान के जन है ? या तो 'हरिजन' मनुष्यमात्र है या कोई नहीं, विशेष रूप से हमें 'हरिजन' का कोई अर्थ नहीं मालूम होता ।

गांधी जी ने एक स्थान पर लिखा है कि 'मैं जाति बहिष्कृत के लिए 'हरिजन' शब्द का इस्तेमाल करता हूँ ।' मुत्कराज आनंद के अनुसार, -- 'हरिजन' का अर्थ तो परमात्मा की संतान होता है । मुझे अफसोस है कि हमारा समाज उन्हें परमात्मा की संतानों का दर्जा नहीं देता ।

डा० रामजीलाल सहायक ने अपनी पुस्तक 'हरिजन वर्ग और उनका उत्थान' में लिखा है-- गांधी जी द्वारा अकूत वर्ग को 'हरिजन' नाम दिया गया । समाज में अकूत को जगह हरिजन शब्द प्रयोग किया जाने लगा ।

वियोगी हरि ने 'अस्पृश्यता' नामक पुस्तक में लिखा है,-- दलित वर्गों का नया नामकरण 'हरिजन' शब्द स्वयं एक दलित भाई के सुझाव से गांधी जी ने किया था, इसलिए कि संसार के सभी धर्मों में ईश्वर को बन्धु विहीनों का बन्धु, निराश्रितों का आश्रय और दुर्बलों का रखवाला कहा गया है। भारत के तथाकथित अकूतों से अधिक बन्धु विहीन, निराश्रित और दुर्बल दूसरे कौन हो सकते हैं ? अतः संघ का तीसरा नाम गांधी जी को अधिक उपयुक्त लगा । शायद राजा जी ने यह आपत्ति की थी कि अस्पृश्यता निवारक ग्राम में अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष करने में जो जोर था वह इस नये नाम में नहीं है ।

१. राजेन्द्र प्रसाद : 'आत्मकथा', पृ० सं० ४३५ ।

२. वियोगी हरि : 'गांधी और उनके सपने', पृ० सं० १७ ।

३. डा० रामजीलाल सहायक : 'हरिजन वर्ग और उनका उत्थान' (१९५५ई०), पृ० सं० ०६२ ।

४. वियोगी हरि : 'अस्पृश्यता' (१९६६ई०), पृ० सं० ०६२ ।

इस प्रकार हमें 'हरिजन' शब्द की एक लम्बी परम्परा देखने को मिलती है। प्रारम्भ में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया गया था पर अङ्गुली के हों सुफाव पर महात्मा गांधी जी ने 'हरिजन' शब्द का इस्तेमाल अङ्गुली के लिए किया। आज भी सरकारों प्रयोगों में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीनतम रूप में 'हरिजन' शब्द का जो अर्थ था, वर्तमान युग में उसका प्राचीनतम अर्थ रह्य ही गया है तथा अब 'हरिजन' शब्द का प्रयोग नयी अनुसूचित जाति के लिए होता है तथा आगे होता रहेगा, ऐसी सम्भावना प्रतीत होती है।

द्वितीय अध्याय

- 0 -

हिन्दू समाज और हरिजन

- (क) हिन्दू समाज में हरिजनों की स्थिति -- प्राचीन काल में
हरिजनों की स्थिति, मध्यकाल में हरिजनों की स्थिति ।
- (ख) अंग्रेजी काल में हरिजनों की स्थिति ।
- (ग) वर्तमान स्थिति ।

द्वितीय अध्याय

-0-

हिन्दू समाज और हरिजन

(क) हिन्दू समाज में हरिजनों की स्थिति

हमारे समाज को चार वर्णों में बांटा गया है। उसमें, चूंकि शूद्रों की उत्पत्ति पैर से मानी गई है, अतः इनका कार्य अन्य तीनों द्विज वर्णों की सेवा करना है। आज के समाज का समूचा वर्ग किसी न किसी नाम से पुकारा जाता रहा है। शूद्र, श्वपाक, म्लेच्छ, पतित, दलित, अछूत, परिगणित, अनुसूचित हरिजन आदि शब्द किसी एक जाति के लिए नहीं, वरन् समूचे हरिजन वर्ग के लिए प्रयोग किये जाते रहे हैं। 'हरिजन' शब्द एक जाति के लिए नहीं है, वरन् उस वर्ग की सभी जातियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। अब प्रश्न उठता है कि हरिजन जातियों की दशा प्राचीन, मध्य और अंग्रेजी काल में कैसी रही ?

प्राचीनकाल में हरिजनों की स्थिति

युद्ध की परिस्थितियों के कारण ही आर्य जाति ने अम-विभाजन को प्रोत्साहित किया था। आर्यों ने गुण तथा कर्म के अनुसार चार वर्णों की व्यवस्था की। पूजा-पाठ, तपस्या, ज्ञान की सौज आदि को करने वाले ब्राह्मण, रण में झुकने वाले को क्षत्रिय, सेती करने वाले को वैश्य तथा सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया।

वर्ण और आश्रम-व्यवस्था का शुद्ध स्वरूप महाभारत काल तक चला। उत्तम सामाजिक संगठन के अनुसार देश ने चलकर महती उन्नति की।

विश्व भर में भारतीय सभ्यता का बोलबाला था । महाभारत में एक स्थान पर लिखा है--“हे युधिष्ठिर! शुद्र यदि शील गुण सम्पन्न हो तो उसे भी गुणवान् ब्राह्मण समझो और यदि क्रियाविहीन ब्राह्मण है तो वह शुद्र नहीं, नीच है ।”^१ इससे स्पष्ट पता चलता है कि समाज में हरिजनों का स्थान निम्न नहीं था । महाभारत के युद्ध से बचे निर्बल लोगों ने अपने को जिन्दा रखने के लिए अनेक काम करना शुरू किया, जिससे वे म्लेच्छ, अनार्य, श्वपाक आदि नामों से पुकारे जाने लगे । बुद्ध के समय गरीब लोगों को दास, शुद्र, अन्त्यज, अनार्य नाम से पुकारा जाता था । यहां तक लिखा गया --“शुद्र दूसरे का सेवक है, जिसका इच्छानुसार वध तथा निष्कासन किया जा सकता है ।” अशोक के समय के बाद जाति-पाति का तूफान खड़ा हो गया । हरिजनों को ऋतुवे समुह में रखा गया और उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाने लगा ।

मध्यकाल में हरिजनों की स्थिति

मध्यकाल में हरिजनों की दशा और गिरने लगी । उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा । मुस्लिम वंश के समय हरिजनों को भी अस्पृश्य, अकूत तथा नीच नाम दिया गया । मुगल काल में भी हरिजनों की यही दशा रही । अतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में शुद्रों का स्थान नीचा नहीं था । परन्तु समय के साथ इनका स्वरूप भी बदलता गया । आगे हरिजनों को अकूत कहकर पुकारा जाने लगा ।

ज्योतिरीश्वर कवि शैलराचार्य के ‘वर्णरत्नाकर’ (१३२५ई०) ग्रन्थ में भी हमें हरिजन जातियों का उल्लेख प्राप्त होता है । ‘तेलि, तिवर, धानुक, चराडार, चमार, ओडे’ आदि ४० हरिजन जातियों की गणना मन्द जातियों में की गई है ।^१ इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चौदहवीं शताब्दी में भी हरिजनों की गणना मन्द जातियों के अन्तर्गत होती थी ।

१. सुनीतिकुमार चटर्जी और बबुवा जी मिश्रा (सम्पा०): ‘वर्णरत्नाकर’

(१६४०ई०), पृ० सं० ०१ ।

२७) अंग्रेजों काल में हरिजनों की स्थिति

मुगल साम्राज्य के पतन के साथ यूरोप वालों के पैर यहां जमने लगे । फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और इंग्लैण्ड आदि सभी यहां अपने ठिकाने बनाकर बैठ गये । अंग्रेजों ने अपना चालाकी और होशियारी से देखते-देखते समूचे देश को गुलामी के पंजों में जकड़ लिया ।

उनकी नीति 'भेद-नीति' ने अपना जौहर दिखाया । हिन्दुस्तानो आपस में लड़ते-फगड़ते, जाति-पांति, छोटे-बड़े के मसलों में उलझे रह गये और अंग्रेज बहादुरों ने अपना काम बना लिया ।

जमींदार, रईस, राजे-महाराजे, सर-उपाधियों आदि का ^{चारि} एक समाज ही अलग बन गया । यह समाज अन्य लोगों को घृणा की दृष्टि से देखता था और अनुचित व्यवहार करता था । किसानों और गरीबों को जमींदारों के अनेक बेगार के कार्य करने पड़ते थे ।

ईसाई प्रचारकों ने धर्म परिवर्तन का कार्य किया । अनेक लोग अपना धर्म परिवर्तन कर बैठे । जाति-पांति का दायरा बढ़ गया । हिन्दू-मुस्लिम दंगों ने भी भयानक असर दिखाया । मशानों के प्रचलन से बेकारी बढ़ी और लोगों ने अपने को जिन्दा रखने के लिए ऐसे कार्य करने शुरू किये, जिनसे जातियां पर जातियां बन गई ।

बहुत से लोग हाथ से काम-काज करना बुरा समझने लगे । हाथ से काम करने वाले लोगों को छोटा समझा जाने लगा । चमड़े का काम, चमड़ा सिफाना, हल जोतना, घास हलाना, मकान बनाना, सफाई का काम सुअर पालना, सूप बनाना, सांप नचाना, जाड़गीरी, चटार्ह बनाना, कपड़ा धोना, मैला उठाना, बाल काटना, श्मशान की रखवाली, बांस से तमाशा दिखाना, पत्तल बनाना आदि धंधों को छोटे काम कहा गया । इन कार्यों को करने वाले नीच समझे जाने लगे और उनसे हूत-हात का क बर्ताव किया जाने लगा ।

इस प्रकार अंग्रेजी सत्तनत में हरिजनों का दशा निम्न ही थी । जातियों का कागजातों में लिखा जाना अनिवार्य हो गया । जाति-उपजाति में परहेज होने लगा ।

कुली प्रथा का प्रचलन हुआ । इससे भी कई छोटी-छोटी जातियों का जन्म हो गया । समाज में हेय समझे जाने वाले लोगों के समूह को अन्त्यज, अद्भुत, पिक्कड़ी, परिगणित, दलित, पतित, नीच, अपराधशील नाम दे दिये गये । हरिजनों का मंदिर में जाना रोक दिया, उन्हें कुएं से जल भरने से भी रोका जाने लगा । दलित कहे जाने वाले लोगों की परदायी तक से परहेज किया जाता था । नाईं इनको हजामत बनाने, कहार पानी ढोने, सक्का पानी भरने क से इन्कार कर देता था । वे कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, चारपाईं पर नहीं बैठ सकते थे । स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ाये नहीं जाते थे । कोई अच्छी आय के पेशे नहीं कर सकते थे । उनके लोगों के मकान छोटे तथा कच्चे होते थे । उन्हें कई प्रकार की भेंट देनी पड़ती थी और बेगार करना पड़ता था ।

कहाँ-कहाँ तो उनकी दशा बड़ी ही खराब थी । उन्हें सड़कों पर नहीं चलने दिया जाता था । वे घुटने से नीचे कपड़ा नहीं पहिन सकते थे । वे जेवर नहीं पहिन सकते थे । धातु के बर्तन नहीं रख सकते थे । विवाह में खुशी नहीं मना सकते थे । उन्हें जमांदारों के खेत पर चार आने की ब मजदूरी पर दिन-रात कार्य करना पड़ता था । वे खेती नहीं कर सकते थे और यदि कर भी लेते तो उनकी खेती उजाड़ दी जाती थी । वे बस्ती में नहीं रह सकते थे । घोड़े की सवारी नहीं कर सकते थे । वे चप्पल नहीं पहिन सकते थे और हाता भी नहीं लगा सकते थे ।

बेगार न करने पर उन्हें मकानों और गांवों से निकाल दिया जाता था । उनको खाने के लिए गन्दा, मोटा और थोड़ा अनाज मिल जाता था । बेचारे पेट मरने के लिए न लाई जाने वाली चीजों को खाने लीं थे । अनेक अत्याचारों ने उन्हें डरपोक बना दिया था । वे कितनी ही बुरी आदतों और छतों में फंस गये

थे । उनकी आकृति विकृत हो गई थी । वे सामाजिक प्राणी थे पर समाज में उनकी स्थिति एक पशु से भी खराब थी ।

उनके अपने मकान भी न थे । उनके पीने के पानी का भी इन्तजाम न था । पीने के पानी के लिए भी वे दूसरों पर मोहताज थे और घृणा को बातेँ सहते थे ।

समाज की इन गरीब लोगों को सताने और इनपर जुल्म करने में अपना गौरव समझते थे । कोई भी इन्हें तंग और परेशान कर सकता था । इन गरीबों को कोई फरियाद सुनने वाला न था ।

कभी-कभी तो दूसरों को सेवा के काम करने के लिए मना करने पर इनकी वस्ती की वस्ती दूसरे कर्मी द्वारा जला डाली जाती थी । मार-वाइ, गाली-गलौज तो इन्हें कोई भी दे सकता था । इनके राजनैतिक, सामाजिक धार्मिक, नैतिक, शिक्षा-सम्बन्धी सभी अधिकार क्लिने हुए थे । ये गुलामों के भी गुलाम थे । उनका जीवन दुःख और आह से भरा था । वे जीवन से निराश थे ।

अतः हम कह सकते हैं कि ब्रिटीश राज के अन्तर्गत हरिजनों की दशा अत्यन्त गिरी हुई थी । उनके सभी अधिकार क्लिने हुए थे । हरिजनों की दशा भारत के स्वतंत्र होने के बाद से संभलने लगी और निरन्तर वे तरक्की करते जा रहे हैं ।

21) वर्तमान स्थिति

विदेशी शोषण तथा अत्याचार के विरोध में प्रतिक्रिया हुई । देश में जनचेतना पैदा हो गई । मौलिक आविष्कारों के फलस्वरूप प्रचार के अनेक साधन उपस्थित हो गये । इस युग में अनेक संस्थाओं ने समाज-सेवा के कार्यों को अपनाया । कितनी ही संस्थाओं ने दलित समाज का मलाई के कार्य भी करने शुरू किये ।

कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए आन्दोलन चला किये । कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रम की ओर ध्यान दिया तथा हरिजन-सेवा के कार्य

को प्रगति दी । कांग्रेस के प्रयास से हरिजन सेवा को अनेक संस्थायें स्थापित हुईं । समाजिक संस्थायें और सरकार सभों के सफल प्रयास से हरिजन समाज को दशा में सुधार होने लगा । देश को स्वतंत्रता मिली तथा प्रजातंत्रात्मक सरकार ने हरिजन समस्या को सुलझाने के लिए विशेष कदम उठाया । नवयुग हरिजनों के लिये वरदान साबित हुआ । इस काल में जाति-पांति के विचार अर्थात् देश में काम करते हैं, फिर भी कुछ प्रतिशत लोग अब इन विचारों को बेकार तथा थोथा समझते हैं । साम्प्रदायिक विचारों को मिटाने को सब ओर से कोशिश की जा रही है । इन सभों वर्गों के लिए अब अकूत या दलित ^{कहना} अच्छा नहीं समझा जाता ! गांधी जी के द्वारा दिया गया 'हरिजन' नाम प्रचलित है तथा प्रायः इस नाम से इस वर्ग के सभों लोगों को पुकारा जाता है ।

कई एक वर्ग के लोग हरिजन वर्ग को छुने लगे हैं । भेदभाव का विचार कम होता जा रहा है । गांव तथा देहात की दशा अभी ठीक नहीं है, वहां अभी भी अकूतपन की भावना काम कर रही है ।

योग्य से योग्य हरिजन के साथ अभी भी कोई अन्य वर्ग का व्यक्ति विवाह व का रिश्ता करने को तयार नहीं होता है । खाने-पीने में भी अभी परहेज किया जाता है ।

आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । अभी तो हरिजन वर्ग के लोग पुराने पेशों को करने में ही उलझे रहते हैं । उन पेशों में उनको आप गुजारे भर की भी नहीं होती । उनके मकानों की हालत बड़ी ही दयनीय है । कच्ची दीवारों के घर तथा फूस के फोपड़ों में ही वे गुजारे करते हैं ।

हरिजन वर्ग के पास जमीन की कमी है । अभी भी मेहनत-मजदुरी और घास छीलने के ऊपर फगड़े होते रहते हैं । वर्ण-विद्वेष के कारण अभी हरिजन समाज को आगे बढ़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अन्य वर्गों के समान वे तरक्की नहीं कर पाते हैं ।

हरिजन वर्ग को राजनैतिक अधिकार प्राप्त है, उन्हें राय देने का अधिकार है। राजनैतिक संस्था में उनके लिए संरक्षण है।

ऊँची शिक्षा पाने में इस वर्ग को आर्थिक स्थिति बाधक हो जाती है। इस वर्ग में स्वयं भी भेदभाव का भावना काम करता है। वे आपस में भी दूत-द्वेष करते हैं।

इस वर्ग का जीवन स्तर बड़ा ही नीचा है। कई वर्ग तो ऐसे पाये जाते हैं, जिनकी आय बहुत ही कम होती है तथा वे प्रायः एक समय भूखे ही रह जाते हैं। वे अच्छे वस्त्र नहीं धारण कर पाते, साफ-सुथरी नहीं रह पाते।

हरिजन समस्या अभी उलफते हुई है। इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना है। हरिजन वर्ग अभी अन्य वर्गों से बहुत पिछड़ा है।

कितने ही मन्दिरों के दरवाजे अभी भी हरिजनों के लिए बन्द पड़े हैं। अभी भी अन्य वर्ग के कुओं में पानी भरना हरिजन के लिए कठिन कार्य है।

बहुत सी संस्थाएँ हरिजन वर्ग की सेवा का कार्य कर रही हैं। इ उन संस्थाओं का कार्य अभी हृदय परिवर्तन की ओर बहुत कम है। ये संस्थायें शिक्षा आदि का कार्य तो करती है, पर उनका भी अच्छे कार्यकर्ता बनाने की ओर बहुत कम ध्यान है। इ संस्थाओंको हरिजन वर्ग का समर्थन भी प्राप्त नहीं है। बहुत से लोग हरिजन वर्ग की थोड़ी मजदूरी देकर काम करने के लिए बाध्य करते हैं।

भारत की (१९६१ ई०) की जनगणना के अनुसार अब यहाँ हिन्दी प्रदेश की अनुसूचित जाति का विवरण प्रस्तुत है:--

उत्तरप्रदेश के हरिजन वर्ग

१- हबुडा, २- जंगरिया, ३- मुईया, ४- मुईयार, ५- घुसिया, ६- सेराहा, ७- सेरवार, ८- पंका, ९- परिहा, १०- पतारी,

११- कोल, १२- कोरवा, १३- बनमानस, १४- धनग, १५- शिल्पकार,

१ सेन्सस ऑफ इंडिया (१९६१) प्रिण्टेड इन इंडिया बाई दि मनेजर, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, पब्लिकेशन, दिल्ली, १९६६ ई०।

१६- बालाहार, १७- बंसफोड, १८- धरकार, १९- धानुक, २०- बसोड, २१- डोम, २२- डोमार, २३- बहेलिया, २४- पासी, २५- दुसाध, २६- बैडियां, २७- गाली, २८- माप्टू, २९- कंजा, ३०- सांसी, ३१- बादो, ३२- बजनिया, ३३- बजगी, ३४- गुवाल, ३५- कलाबाज़, ३६- नट, ३७- बधिक, ३८- वैसवार, ३९- बरवार, ४०- बावेरिया, ४१- सहरिया, ४२- सनौरिया, ४३- मंगी, ४४- बमार, ४५- धरामो, ४६- धोबी, ४७- कौरी, ४८- मोचो, ४९- हरी, ५०- हिला, ५१- जाटव, ५२- कपरिया, ५३- करवाल, ५४- खरोत, ५५- लालबेगी, ५६- मजहर, ५७- रावत, ५८- तुरिहा, ५९- गौंड, ६०- वाल्मीक, ६१- बेलदार, ६२- भोकसा, ६३- बोरियां, ६४- गवाल, ६५- बैगा, ६६- बलार, ६७- चैरो, ६८- डाबगार, ६९- घसिया, ७०- खटिक, ७१- मजहबो, ७२- मुसहर ।

राजस्थान प्रदेश के हरिजन वर्ग

१- आदि-धर्मा, २- ओर, ३- अहेड़ी, ४- वादो, ५- बजगर, ६- बावेरिया, ७- विदारुया, ८- डेढ, ९- मेहतर, १०- अगड़ी, ११- बंसफोड, १२- बंसफोर, १३- बरगा, १४- मंगी, १५- धानुक, १६- कलवेलिया, १७- कंगर, १८- कंगर, १९- कुचबंद, २०- नट, २१- रैगर, २२- रामदासिया, २३- सिंगीवाला, २४- वाल्मीक, २५- नागदो, २६- बैरवा, २७- बैरवा, २८- बकड, २९- बन्ट, ३०- बलाई, ३१- बम्भो, ३२- बनचद, ३३- वारी, ३४- बरहार, ३५- बसोड, ३६- सालग्ना, ३७- लवली, ३८- मलकिया, ३९- हलाहोर, ४०- लालबेगी, ४१- बरगी, ४२- बरगियर, ४३- बरगुंडा, ४४- बैडिया, ४५- बैरिया, ४६- मम्ब, ४७- मंट, ४८- कौरार, ४९- जटमली, ५०- चलावादी, ५१- बमार, ५२- जाटव, ५३- जटिया, ५४- मोचो, ५५- रैदास, ५६- बोरी, ५७- बराहार, ५८- बरगी, ५९- मानुमती, ६०- चंडाल, ६१- चैन्ना, ६२- डसर, ६३- होल्या, ६४- चौदर, ६५- बुरा, ६६- दबहर, ६७- धनकिया, ६८- धानक, ६९- डेंढा, ७०- धोबी, ७१- धोली, ७२- धोर, ७३- कक्कय्य, ७४- कन्कय्य, ७५- डोम, ७६- गमचा, ७७- गडिया, ७८- गरंचा, ७९- गारो, ८०- गरुश, ८१- गुर्दा, ८२- गरोडा, ८३- गावरिया, ८४- होलर, ८५- हत्सर, ८६- जुलास्वार, ८७- होलार, ८८- बालहार, ८९- होल्या, ९०- होलर, ९१- सिंगर, ९२- बरिगुणी, ९३- बंटा, ९४- कापरिया, ९५- पासी, ९६- खटिक

६७- कोली, ६८- कोरी, ६९- कोचबंद, १००- कोरिया, १०१- कोतवाल,
 १०२- लिंगदर, १०३- मदारो, १०४- बाज़ीगर, १०५- महार, १०६- तरल,
 १०७- धेगु, १०८- मेगु, १०९- महवाकंठी, ११०- बांकर, १११- कमारु,
 ११२- धोबी, ११३- मंग, ११४- मंग-गरोडो, ११५- मतंग, ११६- मंग-
 गरुडो, ११७- मेघ या मेघवाल, ११८- मेनघवर, ११९- मुरकरी, १२०- नडिया,
 १२१- हदो, १२२- नट, १२३- सपेरा, १२४- परघो, १२५- पासो, १२६- रावल,
 १२७- राव्वा, १२८- संतिया, १२९- सरमंगो, १३०- थोरो, १३१- नायक,
 १३२- टिरगर, १३३- टिरहांडा, १३४- तूरो, १३५- वाल्मोक, १३६- जमरल ।

मध्यप्रदेश के हरिजन वर्ग

१- अधेलिया, २- वगरो, ३- वगडो, ४- बलाही, ५- बहना,
 -बलाई, ७- थिदार, ८- चितार, ९- दहिल, १०- दहयात, ११- दहत, १२- दवार
 १३- धानुक, १४- धरकार, १५- वाल्मीक, १६- लालबेगा, १७- डेट, १८- धर, १९-
 धोबा, २०- डाहौर, २१- डोम, २२- डोमार, २३- डोरिस, २४- गैडा, २५- गंडी,
 २६- घासी, २७- घलिया, २८- होलिया, २९- कंजर, ३०- कटिया, ३१- पाथरिया,
 ३२- खंगर, ३३- क्लेरा, ३४- मिर्धा, ३५- खटिक, ३६- चिकवा, ३७- चिकवो,
 ३८- कोली या कन, ३९- कोतवाल, ४०- कुचबंद, ४१- कुम्हार, ४२- मदगी,
 ४३- महार, ४४- मेहरा, ४५- मंग, ४६- मंगेरोडो, ४७- मेघवाल, ४८- मेहर,
 ४९- मेहतर, ५०- मंगो, ५१- धानुक, ५२- मोगहिया, ५३- मसलान, ५४- नट,
 ५५- कलबेलिया, ५६- सपेरा, ५७- परघो, ५८- पासो, ५९- रजहार, ६०- सांसी
 ६१- संसिया, ६२- बैडिया, ६३- सिलावट, ६४- जमरल, ६५- मदारो, ६६- गरुडो ।

पंजाब प्रदेश के हरिजन वर्ग

१- जादि-धर्मी, २- वाल्मीकि, ३- बुराया मंगी, ४- बंगाली, ५- बरार, ६- बुरार,
 ७- बैरार, ८- बटवाल, ९- बावरिया, १०- बायरिया, ११- बाजीगर, १२- मंजरा,
 १३- बमार, १४- जटिया, १५- रैगर, १६- रैहार, १७- रामदासी, १८- रविदासी,
 १९- चानल, २०- डागी, २१- डरीन, २२- धायोर, २३- धेया, २४- धानुक,

२५- धौगरी, २६- धनग्रियर, २७- सिग्गो, २८- डुमना, २९- महश्या, ३०-डोम,
 ३१- गगरा, ३२- गंधोला, ३३- गंधोल, ३४- गंगेला, ३५- कबोरपंथो, ३६- कुजुलाहा,
 ३७- खटिक, ३८- कौरो, ३९- कोली, ४०- मरोजा, ४१- मरोचा, ४२- मजहबी,
 ४३- मेघ, ४४- नट, ४५- जोड, ४६- पासी, ४७- पैरना, ४८- फरेरा, ४९- सांसी,
 ५०- सनहाय, ५१- भेदकुत, ५२- मनैश, ५३- सपेला, ५४- सरैरा, ५५- सिंकलीगर,
 ५६- सिरकीबंद ।

दिल्ली प्रदेश के हरिजनवर्ग

१- जादि धर्मा, २- अगारिया, ३- अहेरिया, ४- बलार्ह, ५-
 बंजारा, ६- बावरिया, ७- बाजीगर, ८- भंगा, ९- माल, १०- चमार, ११- चंवार,
 १२- जाटया, १३- जाटव, १४- रविदासी, १५- रायदासी, १६- रेहगर, १७-
 रैगर, १८- बोहरा, १९- ब्रहरा, २०- वाल्मीकि, २१- धानुक, २२- धानक, २३-
 धोबी, २४- डोम, २५- घरामा, २६- जुलाहा, २७- कबोरपंथो, २८- कुचबंध,
 २९- कंजर, ३०- गिराह, ३१- खटिक, ३२- कोली, ३३- लालबेगो, ३४- मदारी,
 ३५- मलाह, ३६- मजहबी, ३७- मेघवाल, ३८- नरोवट, ३९- नट(कना), ४०- पासी,
 ४१- पैरना, ४२- सांसी, ४३- भेदकुट, ४४- सपेरा, ४५- सिंकलीगर, ४६- सिंगरीवाला,
 ४७- कवेलिया, ४८- सिरकीबंद ।

बिहार प्रदेश के हरिजन वर्ग

१- बौरो, २- भोगटा, ३- भुंया, ४- भुमि जी, ५- चमार,
 ६- चौपाल, ७- धोबा, ८- डोम, ९- दुशाध, १०- धागी, ११- हलालखोर,
 १२- कंजर, १३- कुरारियार, १४- लालबेगो, १५- मोचो, १६- मुसहर, १७- नट,
 १८- पन, १९- सांसी, २०- डाबगार, २१- हुरी, २२- वनटार, २३- हरी,
 २४- मेहतर, २५- रजवार ।

हिमालय प्रदेश के हरिजन वर्ग

१- जादि-धर्मा, २- बाधी, ३- नागलू, ४- वाल्मीकि,
 ५- बुरा, ६- भंगी, ७- बंधेला, ८- बंगाली, ९- बंजारा, १०- बंसी, ११- बराद,

१२- बरार, १३- बटवाल, १४- बावरिया, १५- बाज़ोगर, १६- मंजारा, १७-बमार, १८- मोचो, १९- रामदासी, २०- रविदासी, २१- रामदैसिया, २२- चैनाल, २३- घोषो, २४- बूहरा, २५- डागो, २६- डोम, २७- डोमना, २८- डूमना, २९- मंजरी, ३०- होली, ३१- हेसी, ३२- जोगी, ३३- जुलाहा, ३४- कबोरपंथी, ३५- डियोल, ३६- डूमना, ३७- कीर, ३८- फमोह, ३९- डगोलो, ४०- करौयक, ४१- खटिक, ४२- कोला, ४३- लोहार, ४४- मज़हबी, ४५- मेघ, ४६- नट, ४७- पासी, ४८- फरेहा, ४९- रेहर, ५०- रेहरा, ५१- सांसो, ५२- सेपला, ५३- सरारियर, ५४- सिरयार, ५५- सरहदो, ५६- सिकलोगर, ५७- सीपो, ५८- सिरकीबंद, ५९- तेली, ६०- थोथियर, ६१- थथरा, ६२- ओड ।

तृतीय अध्याय

-0-

समाज सुधारवादी आन्दोलन और हिन्दो उपन्यास

- (क) उन्नीसवीं शती की परिस्थितियाँ-- ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन आदि ।
- (ख) सुधार -आन्दोलनों का हिन्दो उपन्यासों पर प्रभाव ।

तृतीय अध्याय

-0-

समाज सुधारवादी आन्दोलन और हिन्दी उपन्यास

1) उन्नीसवीं शताब्दी का परिस्थितियाँ

नवीन शिक्षा तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत में जिस चौखुली जागृति एवं नवीन चेतना का विकास हो रहा था, धार्मिक रूढ़ियों का अतिक्रमण उसमें बाधक बन रहा था। भारत में धर्म और समाज के मध्य वस्तुतः कोई विभाजक-रेखा नहीं खींची जा सकती, यहाँ समाज का आधार धर्म ही है। परम्पराओं में लोगों का इतना मोह था कि धार्मिक आडम्बरों में विश्वास न रखते हुए भी वे उनका पालन करते आ रहे थे। अतः इस कारण इस युग में अनेक सुधारवादी आन्दोलनों का जन्म हुआ और धीरे-धीरे धार्मिक रूढ़ियों में लोगों की आस्था कम होती गई। इसके पीछे कई तत्त्व क्रियाशील थे। पहली थी पश्चिम की वह बुनौती, जो औद्योगिक क्रान्ति की भावना लेकर आई थी। इसमें मौलिकता का अंश ज़्यादा ^{नहीं} था। भारतवासियों का अपना एक जीवन था और मौलिकता के पार्श्व में से वे अपने अन्दर आध्यात्मिकता का जो भाव सन्निहित रखते थे, वह अन्य देशों में न था। अतः पश्चिम की इस बुनौती को स्वीकार कर लेने में उन्हें अपनी आत्मा की हत्या का भव लक्षित हुआ। इससे पश्चिम के प्रति एक जबरदस्त प्रतिक्रिया का भाव उत्पन्न हुआ, जिसे पूर्व और पश्चिम का संघर्ष भी कहा जा सकता है। यह वस्तुतः आध्यात्मिक

१. डा० लक्ष्मीसागर वाष्णाय : 'उन्नीसवीं शताब्दी' (१९६३), इलाहाबाद, पृ० सं० ३२।

२. विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य-- राबर्ट एन० वेला : 'रेलिकन एण्ड प्रोग्रेस व इन माडर्न इण्डिया' (१९६५), न्यूयार्क।

क्षेत्र का संघर्ष था । स्वभावतः प्रश्न उठता है कि भारत की तत्कालीन जोर्णी-शीर्षा सामाजिक अवस्था में आध्यात्मिकता का वह भाव कहां से उत्पन्न हुआ । भारत के शिक्षित वर्ग ने एक ओर तो पश्चिम के बढ़ते हुए प्रभाव को देखा तथा दूसरी ओर अपने देश में सर्वत्र निविड अंधकार को क्लृप्ता व्याप्त देखा । नैराश्य एवं दैन्य की उस विषम परिस्थिति में उन्हें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के लुप्त हो जाने की पूर्ण सम्भावना लक्षित हुई और इसकी कल्पना मात्र से ही वे चिंतित हो उठे । अतः इस अंधकार को मिटाने के लिए उन्होंने एक ऐसे भारतीय शास्त्र का स्वल्प निश्चित किया, जो भारतीय शिक्षित वर्ग की तो मान्य हो ही, पश्चिमी जगत् भी उसको मान्यता प्रदान करे । अर्थात् धर्म का ऐसा रूप प्रतिष्ठित हो, जो ब्रह्म पौराणिकता और आडम्बरविहीन हो । वह धर्म का स्वरूप उपनिषदों के धर्म में खोजा गया, जो आज भी प्रचलित है । यह वही धर्म था, जिसे शंकराचार्य ने बौद्धों को परास्त करने के लिए प्रयोग किया था । अतः उस युग में जो धार्मिक सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हुए, उनका एकमात्र उद्देश्य परम्परागत इदियों को समाप्त कर धर्म का एक ठो सर्वसम्मत स्वरूप उपस्थित करने का था, जो शिक्षित वर्ग के आडम्बरयुक्त परम्परागत एवं अनावश्यक रूप से कठिन होने के आरोपों से मुक्त हो ।

ब्रह्म समाज

उन्नीसवीं शताब्दी का सर्वप्रथम धार्मिक सुधार आन्दोलन ब्रह्मसमाज (१८२५) के नाम से विख्यात है । इसके प्रवर्तक राजाराम मोहनराय (१७४४-१८३३) थे । राजाराम मोहनराय को नवोत्थान का आदि पुरुष भी कहा जाता है ।

१. (अ) ए०बी० शाह तथा सी०आर० एम राव : 'ट्रेडिशन एण्ड मॉर्निटी इन इण्डिया' (१९६५) बम्बई-१ ।
- (ब) एडवर्ड सिल्स : 'दि इण्टेलेक्चुएल विटकिन ट्रेडिशन एण्ड मॉर्निटी' 'द इंडियन सिचुएशन' (१९६५) लन्दन ।
- (स) के०एम०पिनकर : 'हिन्दू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स' (१९५५) बम्बई-१ ।
- (द) राबर्ट, एन०बैल्ला : 'रेलिजन एण्ड प्राग्रेस इन माडर्न एशिया' (१९६५) न्यूयार्क ।

वे साधक की अपेक्षा राजनीति और सामाजिक नेता अधिक थे । इसलिए धर्म के अध्ययन से वह शक्ति निश्चलनी चाहिए, जिसे हिन्दू ईसाई होने से बच सकते थे और वे यूरोप के ज्ञान तथा उसकी वैज्ञानिक अनुसन्धान की प्रवृत्ति तथा पद्धति को अपनाकर अपने खोये हुए अधिकार ह को फिर से प्राप्त कर सकते थे । राजाराम मोहन राय धार्मिक कम सामाजिक सुधारक अधिक थे । उन्होंने जो कुछ किया उसे हम राष्ट्रीय सांस्कृतिकता का कार्य कह सकते हैं । उनके द्वारा स्थापित ब्रह्मसमाज पर हिन्दू धर्म का ईसाई अनुवाद होने का आरोप लगाया जाता है, किंतु/यह आरोप ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मसमाज को ईसाई धर्म की ओर केशव चन्द्र ने तोड़ा। राजाराम मोहन राय तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि भारत के प्राचीनतम सत्यों का यूरोप के नवीन सिद्धांतों के साथ सामंजस्य किये बिना भारत का कल्याण संभव नहीं है। ईसाई धर्म का सामना करने के लिये यह आवश्यक था कि भारत यूरोप की वैज्ञानिकता को ग्रहण करे तथा उस वैज्ञानिकता के साथ अपने धर्म को भी ग्रहण करे। उस धर्म की संसार के सामने रखें। अतएव वैज्ञानिकता का वेदांत से मणिकांचन योग नवोत्थान का प्रधान लक्षण हो गया और राजाराम मोहनराय हिन्दूत्व के उस पक्ष को व्याख्या करने लगे जिसमें इदियां नहीं थी, मूर्ति-पूजा नहीं थी, अवतारवाद नहीं था, मंदिरों-तोर्थों की कोई बात न थी। राजाराम मोहनराय ने बहु-विवाह-कुर्याकृत आदि का प्रबल विरोध किया क्योंकि प्राचीन हिन्दू धर्म तथा उपनिषदादि ग्रंथ इसका अनुमोदन नहीं करते। उन्होंने वैदिक हिन्दू धर्म को सरल, सम्पूर्ण और युक्तिसंगत बताया। उन्होंने सबसे बड़ी अंतिकारी बात^१ विधवा-विवाह पर जोर देकर की। उनका मत है कि हिन्दूत्व का कोई ऐसा रूप नहीं रहना चाहिए जो विज्ञान और बुद्धिवाद की कसांटी पर खरा न उतरता हो। राजाराम मोहनराय उस महान सेतु के समान है जिस पर चढ़कर भारतवर्ष अपने अथाह अतीत

१. सर जान कर्मिंग : (सम्पा० माहेंन इंडिया) 'ए कोबापरेटिव सर्वे', (१९३९),
लन्दन, पृ० सं० १२२ ।

से अज्ञात भविष्य में प्रवेश करता है। हिन्दुओं के बीच नये धर्म के मंतव्यों का प्रचार करने के उद्देश्य से १८१६ ई० में उन्होंने कलकत्ते में वेदान्त कालेज की स्थापना की। एक अन्य समी को स्थापना की जिसमें अंग्रेज बैरिस्टर तथा अरिक्कानाथ टैगार जैसे लोग सदस्य थे। इससे उन्हें संतोष न हुआ। वे उन्होंने एक ऐसी समा की स्थापना करने का विचार किया जो शुद्धतः औपनिषदों सिद्धान्तों (सत्यों) पर आधारित हो। इसलिये १८२८ ई० को उन्होंने ब्रह्मसमाज की स्थापना की जिसका रूप भारतीय था। यह अद्वैतवादी हिन्दुओं की संस्था थी। यूरोप के सम्पर्क से जैसे भारत में नई मानवता जन्म ले रही थी। समाज इस अभिनव हिन्दुत्व का एक रूप था। यह सभी धर्मों के प्रति सहानुभूति शील और उदार था। १९वीं शदी में जो नवोत्थान हुआ उसका आधार धर्म था। राजाराम मोहनराय ने जो विश्व मान्यता की बात कही वह यूरोप में पहले ही उद्भूत हो चुकी थी, किंतु यूरोप की विश्व मानवता संकीर्ण थी। क्योंकि उसमें पूर्वी जगह के लिये स्थान नहीं था। दुर्बल जातियों की गणना नहीं की, किंतु राजाराम मोहनराय का इस मानवता को समस्त भूमंडल को स्वतंत्र, समृद्ध पराधीन, दलित जातियों के लिये एक समान स्थान था। यह आन्दोलन समाज के एक विशेष अल्पसंख्यक शिक्षित समुदाय तक ही सीमित था^१।

उनके बाद इस समाज का बागडोर देवेन्द्रनाथ टैगोर और केशवचन्द्र सेन के हाथों गई और धीरे-धीरे इस समाज के लोग ईसाई मत को ओर चलने लगे। इसका विरोध आर्य षष्ठ समाज ने किया।^२ अपने समाज को विश्वधर्म का व्याख्याता बताने के लिये उन्होंने सभी धर्मों की उपासना आरम्भ कर दी। हिन्दू, बौद्ध, प्रहृदी, ईसाई, मुस्लिम और चीनी सभी धर्मों की प्रार्थनाये उनके प्रार्थना संग्रह में सम्मिलित थी। केशवचन्द्रसेन के वैष्णव कीर्तन भी प्रार्थना में मिला लिये गये। होम, आरती कुह क्रतों के नवीन संस्करण में दो बार बार्ते हिन्दू धर्म

१. डा० लक्ष्मीसागर वाष्णीय : 'आधुनिक हिन्दी साहित्य' (१९४९), पृ० सं० ६१

२. वही, पृ० सं० ६३

की रही। बाकी सारी बातें ईसाई धर्म की आ गईं। ब्रह्मसमाज के जिस रूप का प्रवर्तन केशवचन्द्रसेन ने किया वह ईसाईपन का ही प्रतिरूप था। केवल उसके दृष्टदेव अकेले ईसा मसीह ही नहीं थे। फिर भी ब्रह्म समाज आन्दोलन भारतीय संस्कृति के महान् आन्दोलनों में से एक है। क्योंकि यूरोप से आने वाले अनेक विचारों ने आरम्भ में ब्रह्मसमाज के मोर्चे में ही हिन्दूधर्म में प्रवेश किया। भारतवर्ष यूरोप के साथ अपना समन्वय खोज रहा था। ब्रह्मसमाज यूरोप का भारतीयकरण नहीं बल्कि भारत के ही यूरोपीयकरण का प्रयास था। पर राजाराम मोहनराय का उद्देश्य ठहरे ठहरे उद्देश्य भारत को यूरोप बनाना नहीं था। वे यूरोप के नवोन अनुसंधानों के साथ भारत के प्रचीन सत्यों का समन्वय खोज रहे थे। हिन्दुत्व का जो रूप उन्होंने लिया, वह ईसाईपन और इस्लाम से भिन्न न था। ब्रह्मसमाज ने अक्षुत्पन को और केवल सकेत भर किया।

आर्य समाज

इसी समय एक दूसरे शक्तिशाली आन्दोलन का सुत्रपात १८७५ ई० में स्वामी दयानन्द सरस्वती (१८२८-१८८३) के नेतृत्व में हुआ। यह आन्दोलन आर्य समाज आन्दोलन था, जिसका हिन्दी से घनिष्ठ संबंध था। स्वामी दयानन्द गुजरात के थे। उन्होंने जातिभेद, विधवा-विवाह के प्रचलन और सम्मिलित खान-पान पर बल प्रदान किया। आर्य समाज आन्दोलन आत्मिक शुद्धि पर अधिक बल देता है और लोगों में आत्मशुद्धि, आत्मगौरव, जाति-धर्म-निष्ठा और परम्परागत रुढ़ियों को समाप्त करने की भावना का संचार कर रहा था। आर्यसमाज आन्दोलन आर्यधर्म को ऐसा स्वल्प प्रदान करना चाहता था, जिससे हर दृष्टि से वह प्रगतिशील, सरल और आहम्बरहीन धर्म की नई ढंग से व्याख्या प्रस्तुत की तथा सत्य को ग्रहण कर और असत्य का त्याग करने, अविद्या का नाश तथा विद्या की बुद्धि पर बल दिया।

इ.सर पी०जी० ग्रिफिथ : 'द ब्रिटिश इम्पेक्ट आन इंडिया' (१९५२), लन्दन,
पृ० सं० २५२ - २५३

ईश्वर को सबके कर्म पियारे है । वह नियन्ता जाति-पाति के नाम पर न्याय नहीं करता वरन् कर्म के अनुसार फल देता और न्याय करता है -- ऐसा विश्वास आर्यसमाज के अनुयाइयों का था। आर्य समाज के सभी कर्म प्रवर्तकों ने जाति-पाति के विचारों को तथा अहूतपन के भावों को ओर निन्दा की ।

आर्य समाज ने अनेकों गुरुकुल, विद्यालय, पाठशालाओं की स्थापना की। सभी संस्थाओं में हरिजन वर्ग के भिक्तार्थियों को शिक्षा-दीक्षा का व्यवस्था की। आर्य समाज के प्रयास से अस्पृश्य वर्ग के लोगों में शिक्षा का अच्छा प्रसार हो गया। आधुनिक काल में हरिजनों का उद्धार आर्य समाज संस्था के द्वारा ही हुआ है।

अन्य उच्चवर्ग के लोग उनसे धार्मिक कृत्यों को करने में भी परहेज करते थे। आर्य समाज ने कट्टर पंथियों के मंदिर-प्रवेश को हाथ न लगाया। आर्य समाज ने अपने मन्दिर स्थापित किये और उनमें हरिजन वर्ग के लोगों को प्रविष्ट किया और उन्हें वहाँ धार्मिक शिक्षा दी। सन्ध्या, उपासना, हवनादि की विधियाँ सिखाईं। सहस्रों हरिजनों को जेऊ पहनाये। एक प्रकार से उन्हें वेद का ज्ञान दिया और हर पन्थन को हरिजन वर्ग वेद ज्ञान नहीं पा सकता, तोड़कर फेंक दिया।

आर्य समाज के प्रचारक देश के कोने-कोने में प्रचारार्थ पहुँचे। प्रचारक अपने भजनों-उपदेशों में जाति-उत्थान, समाजोत्थान, देशोद्धार, समाज-संगठन के विचारों को व्यक्त करते, सभी वर्गों में मिल जुलकर रहने की अपील करते।

आर्य समाज ने उन बहिष्कृत और दूसरे धर्म में परिवर्तित लोगों को पुनः शुद्धि द्वारा आर्य धर्म में दोषित किया। लाखों मनुष्य शुद्धि आन्दोलन द्वारा पुनः आर्य धर्म की शरण में आये और उन्होंने जाति तथा समाजोत्थान के कार्य में हाथ बटाया।

दलितोद्धार सभा, पतितोद्धार सभा, शुद्धि सभा तथा मेधोद्धार सभा की स्थापना करके आर्य समाज ने अहूतोद्धार के कार्य को प्रगति दी। इन सभाओं का कार्यक्रम अहूतोद्धार करना ही था। इन सभाओं ने अपने कार्यक्रम को पूर्णतः पुरा

किया।

अन्ध-विश्वास और साम्प्रदायिक भावों से भरे हुये साहित्य को आलोचना की। आर्य समाज ने नये साहित्य की रचना की और उस साहित्य के द्वारा तत्कालीन समाज के उत्थान का काम किया। पाखंडियों द्वारा फैलाये गये छि गन्दे विचारों का विरोध किया। पाखंडियों के अनुसार हरिजन वर्ग निम्न और हरिजन ही बना रहने के लिये पैदा किया गया है, ये ऊपर उठ नहीं सकते, उन्हें पूजापाठ का अधिकार नहीं, वे गरीब ही बने रहेंगे, उनके भाग्य में ही मेसा लिखा गया है, आदि बातें समाज में जड़ जमा चुकी थीं। आर्य समाज ने इस पाखंड का खंडन किया।

ईश्वर ने सब को एक समान पैदा किया है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा, ऊंच-नीच का विचार अमानुषिक है। उसकी ओर ध्यान ही न देना चाहिये, आदि बातों का आर्य समाज ने विचार किया।

आर्य समाज ने हरिजन वर्ग के लोगों को साफ-सुथरा रहने के लिये कार्य किया। साफ-सुथरो जादते पैदा करने, सदाचार द्वारा कार्य करने के लिये प्रचार किया। आर्यसमाजो वर्ग को बस्तिबों में जाने और उनसे सम्पर्क स्थापित करके उनके उत्थान का कार्य करते थे।

हरिजन वर्ग में फैली हुई कुरीतियों यथा अभद्राभद्राण, मदिरा दान, बाल-विवाह आदि को कुड़ाने के लिये अथक परिश्रम किया। आर्य समाज के प्रयास से लाखों हरिजन वर्ग के लोगों ने इन सभी दोषों को छोड़ा।

हरिजन आर्य समाज ने हरिजन वर्ग को प्रोत्साहित किया। हरिजन वर्ग ने अपने स्वयं मन्दिर बनवाकर उसमें पूजा-पाठ करना आरम्भ किया।

आर्य समाज ने हरिजन वर्ग के ऊपर किये जाने वाले अत्याचारों के विरोध में वातावरण पैदा किया और सताये गये लोगों को हर तरह से मदद की।

आर्य समाज ने हरिजन वर्ग की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक तथा व्यावहारिक उन्नति के लिये चेष्टा की। आर्य समाज के सफल प्रयास से हरिजन वर्ग दशा बहुत ही अच्छी हो गई और समाज ने उनके प्रति सद्ब्यवहार करना आरम्भ किया।

प्रार्थना समाज

एक व्यक्ति सम्पन्न गुणों और समर्थवान् व्यक्ति के सत्संग से उसके गुण और चरित्र का प्रभाव उसके सम्पर्क में आये हुए लोगों के ऊपर होता है। भावान् को उपासना का अर्थ ही है उसके सम्पर्क में जाने से उसके गुणों का पाना तथा उसके द्वारा बनाये गये प्राणियों को सेवा करना।

बंगाल प्रान्त में इस संस्था का संगठन किया गया। यद्यपि संस्था का प्रचार भावान् की पूजापाठ का ऐसी-ऐसी विधि के प्रचार से था जो सभी धर्मों को मान्यते पर इस समाज ने समाज के दोन-दुखी लोगों के उत्थान के लिये भी कार्य किया।

जब कभी समाज को जोर से कोई उन्तव या समारोह किया जाता उसमें इस बात पर जोर दिया जाता कि मनुष्य को सभी प्राणियों की, सभी लोगों को चाहे वे जिस वर्ग के हों, जिस वर्ण के हों, चाहे जिस धर्म के मानने वाले हों, समान भाव से सेवा करनी चाहिये। आपस का भेदभाव और तु-तु, मैं-मैं व्यर्थ है।

प्रार्थना समाज के पूजाघरों में सभी वर्ण, सभी वर्ग और धर्म के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते थे।

प्रार्थना समाज के कार्य से अनेकों निम्न कहे जाने वाले लोगों की दशा में सुधार हुआ। इस समाज के अनुयायियों के सम्पर्क से उसका चारित्रिक स्वर ऊंचा हुआ।

थियोसोफ़िकल सोसाइटी

१८७५ में ही अमरीका के न्यूयॉर्क नगर में मैडम ब्लैवेट्सकी और कर्नल अलकोट ने थियोसोफ़िकल सोसाइटी की नींव डाली। १८७६ ई० में वे भारतवर्ष आये और यहीं उसका प्रधान केन्द्र स्थापित किया। उन्होंने अपनी सोसाइटी के द्वारा पाश्चात्य दर्शन की महत्ता प्रकट करने के साथ-साथ भारत की प्राचीन ज्ञान-गरिमा से भी परिचय प्रकट किया। १८६३ ई० में जब श्रीमती स्त्रीविसेंट भारत आई तो इस मत का जोर अधिक प्रचार हुआ। उन्होंने भी देश के प्राचीन गौरव का गुणगान किया।

सरकार के काजाद नियों का भांति बहुत से लोगों के थियोसोफों को शौबदेबाज़ों, मदारों का हेल और गैब का हाल बताने वाला विद्या बनकने और उसका थोड़े से अंग्रेज़ी शिक्षित लोगों में हा प्रचार होने पर भी सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्र में उसका बड़ा प्रभाव पड़ा, यद्यपि हिन्दों साहित्य से उसका कभी सम्बन्ध नहीं रहा । हां इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि सोशायटों ने राष्ट्रियता का पोषण किया । उन्ने नवान शिक्षा को भारत के हितों के विरुद्ध बतुलाया ।

रामकृष्ण मिशन

बंगाल में रामकृष्ण परमहंस (१८२६-१८८६) भी उसा प्रकार के धार्मिक पुनरुत्थान कार्य में संलग्न थे । उन्होने हिन्दू धर्म और दर्शन के विभिन्न धाराओं का समन्वय कर धर्म का वह रूप प्रस्तुत किया, जो सरल और आडम्बर-हीन था । स्वामी रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द (नरेन्द्रनाथ दत्त, १८६२-१९०२) ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और सेवा भाव की वृद्धि में सहायता प्रदान का । उन्होने वेदान्त दर्शन के अद्वैतवाद पर अधिक बल दिया, क्योंकि उनका विचारधारा में प्रगतिशील मानवजाति के लिए आगे चलकर सिर्फ वेदान्त धर्म ही कल्याणकारो हो सकता था ।

और मा अनेक सुधारवादो आन्दोलनों का जन्म हुआ, जिन्होने धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं के उन्मूलन में योग दिया । हिन्दों से सम्बन्धित न होने के कारण उनके उल्लेख को यहां आवश्यकता नहीं है । रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ के विचार भारतीयत्व तथा स्वदेश भक्ति के पोषक तथा भारत के नवसमाज को गतिदायक सिद्ध हुए । आर्य समाज ने ब्रह्म समाज का पार्श्वगत्य प्रभाव रोकने की चेष्टा की । उसने देश का ध्यान वेदों और भारत की प्राचीन सभ्यता की ओर आकृष्ट किया ।

१६।० लक्ष्मीसागर वाष्णीय : 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', नवां सं० (१९६६ई.), पृ०सं० २३० ।

थियोसाफ़ो ने संकीर्णता दूर करने की चेष्टा की। स्वामी विवेकानन्द ने अज्ञान-भय हटाकर शिकागो में भारत की आध्यात्मिकता का प्रचार किया और अपने शक्तिशाली विचारों से भारत में राष्ट्रीय सामाजिक तथा धार्मिक चेतना की स्फूर्ति प्रदान की। 1880-85 के लगभग तक सुधारवादी और राजनीतिक आन्दोलनों में काफ़ो अच्छा सम्बन्ध था। किन्तु उसके बाद ज्यों-ज्यों राजनीति की प्रमुखता होती गई, त्यों-त्यों धार्मिक और सामाजिक विवाद से भारतीय राजनीतिक क्षेत्र को आघात न पहुँचने देने के ध्येय के कारण वे अलग-अलग हो गये और बाद की धार्मिक एवं सामाजिक आन्दोलन बिल्कुल पिड़ड़ गये।

2. सुधार-आन्दोलनों का हिन्दी उपन्यासों पर प्रभाव

इन सामाजिक सुधार आन्दोलनों का हिन्दी उपन्यासों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। प्रत्येक उपन्यासकार पर इन आन्दोलनों का गहरा प्रभाव मिला है। स्वतन्त्रता के बाद धर्म का आधार तो गिर ही गया है। नतीजे के तौर पर घोषणा कि ईश्वर की मृत्यु हो गई है और उसने विश्व के बौद्धिक वर्गों पर अपना अत्यधिक प्रभाव डाला है। स्वयं मानसवाद में एवं सार्त्र के अस्तित्ववाद में धर्म की अन्धे उपेक्षा भावना ने हमारे स्वतंत्रकालीन उपन्यासकारों को अत्यधिक प्रभावित किया है। और अब हमारे जीवन का प्रमुख आधार धर्म नहीं, आधुनिक चेतना है। प्रश्न उठता है कि जैसा स्वातन्त्र्योत्तरकालीन उपन्यासों में दिखाया गया है, क्या उसी के अनुसार वास्तव में धर्म का कोई सामाजिक आधार नहीं है? इसकी गहराई से जांच करें तो उपन्यासों के समाज और वास्तविक समाज में विचित्र अन्तर्विरोध उपस्थित होगा। समाज में आधुनिकता का परिवेश केवल हिंदू ऊपरी सतह तक सीमित है। जरा सा नाखून से सर्रांच कर देखें तो महानगरों में रहने वाले अत्याधुनिक लोग भी कम्बोबेश उसी धार्मिक मोरुत्ता, आडम्बरप्रिय परम्परा एवं रुढ़ियों के शिकार हैं। जिस प्रकार स्वतंत्रतापूर्व के लोग। इन असंगतियों में ही वर्तमान जीवन विकसित हो रहा है।

पश्चिमी सभ्यता के साथ सम्पर्क स्थापित होने से विविध सुधारवादी तथा अन्य आन्दोलनों से तथा नई शक्तियों की वृद्धि से अग्रतपूर्व

आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए, जिनके फलस्वरूप हिन्दी उपन्यास की गतिविधि की परम्परा ढोड़कर नवदिशोन्मुख हुई। स्थूलरूप से समाज तीन भागों में बंटा हुआ है-- (१) उच्च वर्ग, (२) मध्य वर्ग और (३) निम्न वर्ग। नवीन परिवर्तनों से जैसे सभी वर्ग प्रभावित हुए पर दूसरा तथा तीसरा वर्ग निश्चित रूप से प्रभावित हुए। नवजागरण के कारण हरिजनों ने अधिक क्रियाशीलता प्रकट की। पूर्व तथा पश्चिम के सम्पर्क से नवचेतना उत्पन्न हुई, समाज अपनी विहारी शक्ति खटोर कर गतिशील हुआ। नवयुग के जन्म के साथ विचार स्वातन्त्र्य का जन्म हुआ, साहित्य में उपन्यासों की वृद्धि हुई। लेखकों ने अपनी परिपाटी विहित और अदिग्रस्त उपन्यास को ढोड़कर दुनियां नई आंखों से देखनी शुरू की। १९ वां शदी के उपन्यास-लेखकों में सुधार या उपदेश देने की प्रवृत्ति अधिक मिलती है, जब कि इसके विपरीत बीसवीं शदी के उपन्यास साहित्य में लेखक सुधार या उपदेश नहीं देता। यद्यपि हरिजनों को लेकर पुरानों मान्यतायें रखी जाती हैं, फिर भी इस दिशा में नये लेखकों के द्वारा सुधार हुआ है। तत्कालीन उपन्यासकारों पर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आन्दोलनों की गहरी छाप मिलती है। लज्जाराम शर्मा मेहता, किशोरीलाल गोस्वामी, मन्नन द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री, प्रेमचन्द, भगवतोचरण वर्मा और भगवतीप्रसाद वाजपेयी आदि के उपन्यासों पर हमें आर्य समाज आन्दोलन की गहरी छाप मिलती है। प्रेमचन्द के तो सम्पूर्ण उपन्यास पर आर्य समाज आन्दोलन काया है। क्योंकि उनके समय आर्य समाज का अधिक प्रभाव था। बीसवीं शताब्दी के हिन्दी उपन्यास-लेखकों ने अपनी रचनाओं में धर्म और समाज की पतित अवस्था पर चोम प्रकट करते हुए हरिजनों के भविष्य के उन्नत और प्रशस्त जीवन की ओर हंगित किया है। हिन्दी उपन्यास-लेखकों ने हरिजनों के राजनीतिक, सामाजिक, अधिकारों की

१. विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य-- लज्जाराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी और मन्नन द्विवेदी के उपन्यास।

२. विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य-- प्रेमचन्द, चतुरसेन शास्त्री और वैष्णव शर्मा उग्र आदि के उपन्यास।

और अधिक ध्यान दिया है। उन्होंने सामाजिक खान-पान, रहन-सहन, शिक्षा आदि सभी जगहों पर हरिजनों को महत्वपूर्ण स्थान देने की बात कही है। समाज की संकीर्ण मान्यताओं पर कटु व्यंग्य भी किये गये हैं। अधिकतर उपन्यासकारों का हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सुधारवादी है। उनका लक्ष्य हरिजनों को ऊपर उठाना है, लेकिन कुछ उपन्यासकार द्विवादी हैं। जो पुरानी मान्यताओं को ही महत्व देते हैं। इस प्रकार हिन्दी उपन्यास-क्षेत्र में दो वर्ग हो गये हैं-- एक तो हरिजनों के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। इसको हम सुधारवादी वर्ग कह सकते हैं तथा दूसरा जो कि हरिजनों के प्रति दुर्भावना रखता है। इसको हम पुरातनवादी या परम्परावादी वर्ग कह सकते हैं। सुधारवादी लेखकों में निम्न प्रमुख हैं -- प्रेमचन्द, गोविन्दवल्लभ पंत, पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र', केशवधर बैजनाथ केडिया, सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय', वृन्दावनलाल वर्मा, अमृत लाल नागर, संतोष नारायण नौटियाल, फणोश्वरनाथ रेणु, रामदेव, उदयशंकर भट्ट, राधिकारमण प्रसाद सिंह, भासती चरण वर्मा, रागेय राघव, नागार्जुन, चतुरसेन शास्त्री, दयाशंकर मिश्र, यज्ञदत्त शर्मा, रामप्रकाश कपूर, राजेन्द्र अवस्थी, बैजनाथ गुप्त, यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र', रामदरश मिश्र, मन्मथनाथ गुप्त, रामचन्द्र तिवारी, शैलेश मटियानी और भावतो प्रसाद वाजपेयी आदि।

दूसरा वर्ग पुरातनवादी या संकीर्णवादी विचारधारा का समर्थक है। पुरातन परम्परा का पालन करने वाले उपन्यासों में निम्न का नाम प्रमुख है -- लज्जाराम शर्मा, विश्वम्भरनाथ शर्मा, 'कौशिक', शिवपूजनसहाय, रामगोविन्द मिश्र, हन्द्र विद्यावाचस्पति, कमल शुक्ल, रामप्रसाद मिश्र और डा० सुरेश सिनहा आदि।

नवोत्थान काल के प्रथम चरण में जितने भी सार्वजनिक आंदोलनों का उद्गम हुआ, उन सभी ने अन्ततः किसी न किसी प्रकार राष्ट्रीय रूप ग्रहण किया। हिन्दी से सम्बन्ध रखने वाला आर्य समाज आंदोलन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रेमचन्द और आर्य समाजी विचारों में कोई अन्तर नहीं है। वास्तव में हिन्दी नवोत्थान द्विमुखी होकर अवतरित हुआ।

आधुनिककालीन हिन्दी उपन्यास मनोषी एक बिल्कुल ही नया भवन खड़ा करने के स्थान पर उसी प्राचीन ष्ट्र नींव पर नये ज्ञान और अनुभव के प्रकाश में एक ऐसे भव्य प्रासाद का निर्माण करना चाहते हैं, जिसके साये में रहकर अपार भारतीय जनसमूह सुख और शान्तिपूर्वक धर्म, अर्थ, काम और मोक्षा जीवन के ये चारों फल प्राप्त कर सके । वे युगधर्म से पीडित है । उनका वाणी में नवभारत का स्वर प्रतिध्वनित है । वे भारतीय संस्कृति के प्रधान अंग पुनर्जन्म के सिद्धान्त से परिचित हैं । उन्होंने अपने नवीनतम ज्ञान और अनुभव का सम्बल लेकर भारतीय मंगल-क्रान्ति के लिए शंखध्वनि को है ।

धार्मिक शिक्षा के स्थान पर उदारवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रभाव, समाज सुधार-आन्दोलनों द्वारा फैलाई कतना, जाति-व्यवस्था पर सुधारकों का प्रहार, स्वाधानता-आन्दोलन का जनतंत्राय आधार आदि कारणों से हरिजनों के प्रति अत्याचार करने की भावना को ठेस पहुंचा है । लेकिन एक विशेष प्रवृत्ति को सर्वां शदी में रही कि सवर्ण हिन्दू मिलकर हरिजनों के ऊपर अत्याचार करने लगे, जिससे दोनों वर्गों में कटुता बढ़ गई । उपन्यासकारों ने इस बात का उल्लेख किया है । स्वामी दयानन्द सरस्वती और महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था को उपयोगी सामाजिक संगठन अवश्य माना है, लेकिन दोनों सुधारकों ने हरिजनों के ऊपर अत्याचार करने की भावना का विरोध किया है । सुधारवादी समाज-सुधारकों ने हरिजनों की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का कोशिश की है ।

विभिन्न समाज सुधारवादी आन्दोलनों ने उपन्यासों को प्रभावित किया है, जैसा कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं । हिन्दी उपन्यासकारों ने सुधारवादी आन्दोलनों के प्रभाव को ग्रहण किया है, जिसने उपन्यासों को लोकप्रियता का व्यापक आधार प्रदान किया है । इन आन्दोलनों ने उपन्यास लेखकों की रचना-प्रक्रिया पर भी विशेष प्रभाव डाला है और उपन्यासों में

सुधारवादी आन्दोलनों के बहुविध-पक्षों एवं समस्याओं का विशद् चित्रण मिलता है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्रारम्भ से लेकर आज तक हिन्दो-उपन्यासों ने किञ्चित् अपवादों को छोड़कर मुख्यरूप से सुधारवादी आन्दोलनों को ही विशाल चित्रफलक पर विभिन्न औपन्यासिक प्रवृत्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

चतुर्थ अध्याय

-0-

सामाजिक स्थिति और हरिजन

- (क) खान-पान ।
- (ख) विवाह-सम्बन्ध ।
- (ग) अमानुषिक व्यवहार-- शासक वर्ग , राज वर्ग, जमींदार वर्ग,
 पूंजीपति वर्ग, कुएं से पानी न भरने देना,
 समाज का अमानुषिक व्यवहार ।
- (घ) वेश्या-समस्या ।
- (ङ०) शिक्षा ।
- (च) कुशाकृत की भावना ।
- (छ०) मनुष्यत्व की भावना ।

-0-

चतुर्थ अध्याय

-0-

सामाजिक स्थिति और हरिजन

प्राचीन युग से ही भारतीय इतिहास में हरिजनों के साथ भेद-भाव की भावना कली आ रही है। यह एक मानवीय समस्या है। आश्चर्य है कि बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी ने इस ओर ध्यान न दिया। न इस बात का प्रयत्न किया गया कि समाज में हरिजनों को कोई अधिकार दिया जाए। हरिजन भी सवर्ण हिन्दुओं को तरह मनुष्य के पुतले हैं, किन्तु पता नहीं क्यों समाज उनके साथ हुआकूत का व्यवहार करता है। यही हुआकूत की समस्या उपन्यासों में विभिन्न उपन्यासकारों के द्वारा चित्रित की गई है।

वर्णाश्रम धर्म पर आस्था और उसके फलस्वरूप अस्पृश्यता की समस्या दोनों ही इस युग में विविध दौरीय आयामों के साथ प्रकट होती हैं। वर्णाश्रम धर्म पर यह आस्था यदि संकीर्ण भूमिका में प्रस्तुत न की जाती तो कदाचित् उस रूप में अस्पृश्यता की समस्या को अपने साथ न खींच पाती, जिस रूप में उसे रुढ़िवादियों ने प्रस्तुत किया, परन्तु जैसा कि स्पष्ट है कि समय के साथ वर्गों और वर्णों का यह आदि विभाजन अपनी व्यापकता को खोता हुआ एक अत्यधिक संकीर्ण मनोवृत्ति का सूचक बनता गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र-- इन चार वर्णों में प्रथम तीन दिज होने के कारण समाज में अधिकार और प्रतिष्ठा पाते रहे, चौथा अर्थात् शुद्र वर्ण, इन तीनों से विच्छिन्न होता हुआ अन्ततः ऐसी परिस्थिति में पहुँचा कि उसे अस्पृश्य

घोषित कर दिया गया । बहुत हुआ तो उच्च वर्गों की ओर से यदा-कदा उसकी दोन-दशा पर कृत्रिम आंसू बहा दिये गये, उनके उद्धार के लिए कतिपय उपायों का निर्देश करके उन पर कुछ दया प्रदर्शित कर दी गई । लेकिन सामाजिक और व्यावहारिक दृष्टि से किसी ने उनके प्रति न तो वास्तविक सहानुभूति ही प्रदर्शित की और न उन्हें इस योग्य ही समझा । यदि किसी ओर प्रयत्न भी किये गये, तो वर्णों की सामाजिक व्याख्या कर चार वर्णों के समानाधिकार की बात कही गई तो पुरातन वर्ग के द्वारा धर्म, समाज और जातीयता के खतरे की आवाज उठाकर सारे प्रगतिशील प्रयत्नों को दबा दिया गया । इन स्थितियों को हम समाज का अध्ययन करने पर पाते हैं ।

आज समाज-रचना में सर्वर्ण हिन्दुओं को नेतृत्व समाप्त हो रहा है, वरन् हरिजन वर्ग के भी आधुनिक समाज-रचना में यथासंभव योगदान दे रहा है । हरिजन वर्ग अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए अपनी समस्याओं को सुलझा रहा है । यद्यपि हरिजन वर्ग में कुण्ठा और निराशा की भावना व्याप्त है । हरिजनों को विकास का मार्ग नहीं मिल रहा है । जन समाज उसके ऊपर अत्याचार करता है तो वह अपना आक्रोश समाज के ऊपर उतारता है ।

पहले हरिजनों का समाज में सम्मानित स्थान था, शिदा-दीदा की कोई उचित व्यवस्था न थी । लोग उनकी परकाई से भी बचते थे और उनसे घृणा करते थे । पहली बार सन् १९१७ई० में कलकत्ता कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, 'यह कांग्रेस भारतवासियों से आग्रह करती है कि परम्परा से दलित जातियों पर जो रुकावटें चली आ रही हैं, वे बहुत दुरु देने वाली और क्षोभकारक हैं, जिससे दलित जातियों को बहुत कठिनाइयों, असुविधाओं और सख्तियों का सामना करना पड़ता है । इसलिए न्याय और म्लमन्सी का यह तकाजा है कि यह तमाम बन्दिशें उठा ली जायं ।' गांधी जी इस समस्या का समाधान सहयोग और सहभाव

१. डा० पट्टाभि सीतारामेय्या : 'कांग्रेस का इतिहास' (१९३८ई०), पृ० सं० ५६ ।

से करना चाहते थे । उनका विचार था कि हरिजन वर्ण को जाति-व्यवस्था से भिन्न मानकर उसे मिटा दिया जाए और उन्हें हिन्दू सामाजिक-संगठन में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो ।

समाजशास्त्रियों के अनुसार हरिजनों की प्रमुख समस्याएँ सामूहिक खान-पान, विवाह, उच्च-शिक्षा और मन्दिरों में प्रवेश के साथ समाज में प्रतिष्ठा की हैं । अकृत भावना या अस्पृश्यता मुख्यतः इन्हीं तीन रुढ़िवादी मान्यताओं पर आधारित हैं । आरम्भिक उपन्यासों में इस समस्या के चित्रण को ठीके तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इस काल के अधिकांश उपन्यासकार सनातनधर्मों थे और वे परम्पराओं को भले ही वे रूढ़ एवं आढम्बरपूर्ण हों, सुरक्षित रखने के पक्षपाती थे । आगे चलकर परवर्ती उपन्यासकारों ने पूर्ववर्ती मतों का खण्डन किया और इस बात पर बल दिया कि अस्पृश्यता की समस्या कोई समस्या नहीं है ।

(क) खान-पान

समाजशास्त्रियों के अनुसार रुढ़िवादी मान्यताओं में खान-पान सम्बन्धी नियम प्रमुख हैं । हरिजन के साथ बैठकर भोजन करना दुर रहा, उसके होने मात्र से सवर्ण हिन्दू शरीर को अशुद्ध मानते हैं । हिन्दी उपन्यासकारों ने इस रुढ़िवादी मान्यता के प्रति विद्रोह किया है । यह उनके सामाजिक तत्त्वों के विश्लेषण-बुद्धि का संकेत भी देता है ।

'गुब्बने' (१९३०ई०) में देवादीन की पत्नी जग्गो ने रमानाथ (जो कि ब्राह्मण है) की रसोई बनाने के लिए एक ब्राह्मणी की व्यवस्था कर दी है, ' उन वृद्ध आंखों से प्रगाढ़, अखण्ड मातृत्व फलक रहा था, कितना किशुद, कितना पवित्र । ऊंच-नीच और जाति-मर्यादा का विचार आप ही मिट गया । बोला-- जब तुम मेरी माता हो गयी तो फिर काहे का कृत विचार ? मैं तुम्हारे ही हाथ का साऊंगा ।

बुद्धिया ने जीम दांतों से दबाकर कहा-- जरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धरम न लूंगी । कहाँ तुम बराम्हन और कहाँ हम सटिक । ऐसा कहीं

हुआ है ?

‘ मैं तो तुम्हारी रसोई में खाऊंगा । जब मां-बाप खटिक है तो बेटा भी खटिक है । जिसको आत्मा बड़ी हो वही ब्राह्मण है ।’ ऐसा लगता कि खान-पान में स्वयं प्रेमचन्द अपना विचार प्रकट कर रहे हैं ।

प्रेमचन्द के विचार से खाने-पीने से कोई नीच नहीं हो जाता। प्रेम से जो भोजन मिलता है, वह पवित्र होता है । उसे देवता भी खाते हैं । लेखक ने इस उपन्यास में नीच तथा ऊंचे जाति के बीच भेद-भाव को भी दर्शाया है, -- ‘ खटिक कोई नीच जाति नहीं है । हम लोग बराम्हन के हाथ भी नहीं खाते । कहार का पानी तक नहीं पीते । मास-महरी हाथ से नहीं छूते व । कोई कोई सराब पीते है, मुदा ह्विप ह्विपकर । इसने किसी को नहीं छोड़ा बेटा । बड़े बड़े तिलकधारी गहागड पीते हैं ।’ देवीदीन धर्म के ठेकेदारों से, बड़े बड़े सेठों से भी चिद्धता है, क्योंकि ये लोग प्रयाग में गंगा स्नान करके अपने मिल - मजदूरों को हंटारों से पिटवाते हैं, इसीलिए देवीदीन ऐसे ढोंगियों एवं सफेदपोश नेताओं को चुनौती देते हुए कहता है,-- ‘ अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे ? पहले अपना उद्धार कर लो । गरीबों को लुटकर विलायत का घर बनाना तुम्हारा काम है, इसीलिए देश में तुम्हारा जन्म हुआ है ।’ जालपा भी कहती है,-- ‘ मैं उस चमार को उस पण्डित से अच्छा समझूंगी जो हमें दूसरों का धन साया करता है ।’

देवीदीन खटिक के द्वारा समाज के अत्याचारों का लेखक दिग्दर्शन कराता है, साथ ही साथ देवीदीन द्वारा अत्याचार का विरोध करवा कर प्रेमचन्द यह सिद्ध करकेतेहैं कि हरिजनों के अत्याचार के प्रति वे विद्रोह की भावना रखते हैं । वे हरिजनों पर अत्याचार करने देने के पक्ष में नहीं हैं । प्रेमचन्द एक ऐसे

- (1-1-30ई०)
१. प्रेमचन्द : ‘गुबन’, पृ०सं० २७६ ।
 २. वही, पृ०सं० २८०(१६३०ई०) ।
 ३. वही, पृ०सं० ३६७ ।

कलाकार (कथाकार) हैं, जिन्होंने हरिजनों की समस्याओं को का इतना सजीव चित्रण किया है, मानों वे स्वयं हरिजन बनकर उनकी समस्या को से जुझ रहे हों ।

देवीदीन के द्वारा धार्मिक ठेकेदारों की आलोचना करके प्रेमचन्द ने उचित ही किया है । समाज में हरिजनों का शोषण करने वाले ये ही तत्व प्रमुख होते हैं । रमानाथ का देवीदीन खटिक के हाथ से खान-पान व्यवहार रुक करने को चित्रित करके प्रेमचन्द ने हरिजनों के उत्थान को ही चित्रित किया है । प्रेमचन्द जानते थे कि जब तक सबूतों का हरिजनों के साथ खान-पान का व्यवहार न होगा, तब तक हरिजनों की सामाजिक, आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती है तथा यह कार्य सर्वप्रथम प्रेमचन्द द्वारा सम्पन्न किया गया ।

प्रेमचन्द कदाचिद् ऐसे पहले उपन्यासकार हैं, जिन्होंने समस्याओं को और ध्यान दिया और उपन्यासों के माध्यम से उनका यथार्थ चित्रण किया । 'कर्मभूमि' (१९३२ ई०) में अमरकान्त चमारों के एक गांव में आश्रय लेता है और गांव की चमारिन बुढ़िया सलोनो को फोपड़ो में रहने लाता है । उसी गांव में ठाकुर परिवार की मुन्नो रैदासों के चौधरी गूढ़ड़ को बहू बनकर ठाकुरी बनती है । अमरकान्त से जब सलोनो कहती है,-- 'यहां तो सब रैदास रहते हैं भैया ।' अमरकान्त उत्तर देता है,-- 'मैं जाति-पांति नहीं मानता, माता जी, जो सच्चा हो, वह चमार भी हो तो आदर के योग्य है । जो दगाबाज, फूठा, लम्पट हो, वह ब्राह्मण भी हो तो आदर के योग्य नहीं ।' प्रेमचन्द ने इस प्रकार अमरकान्त के माध्यम से इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है । प्रेमचन्द का यह वक्तव्य न केवल खान-पान से सम्बन्धित मान्यता पर प्रहार करता है, वरन् मानव के चरित्र के आधारभूत मानदण्ड भी उपस्थित करता है । इस वाक्य के द्वारा प्रेमचन्द के सामाजिक विचारों पर भी प्रकाश पड़ता है । इसके द्वारा यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचन्द आर्य समाज की मान्यता पर बल देते हैं,

१. प्रेमचन्द : 'कर्मभूमि' (१९३२ ई०), पृ० सं० २१६ ।

२. वही, पृ० सं० २१६ ।

जन्म पर नहीं बल देते हैं। आर्य समाज भी कर्म पर बल देता है, जन्म पर नहीं, इसी बात का प्रभाव प्रेमचन्द पर भी है। प्रेमचन्द के 'कर्मभूमि' ^(१९३३) उपन्यास में हरिजनोत्थान की भावना मिलती है। 'कर्मभूमि' (१९३३) उपन्यास में सर्वण हिन्दू पात्र भी हरिजनों के आन्दोलन में सहायक ही नहीं बनते, बल्कि वे तो नायक बनकर हरिजनों के आन्दोलन का नेतृत्व करते हैं। यह प्रेमचन्द जी का ही साहसभरा दृष्टिकोण है कि उन्होंने सर्वण हिन्दू तथा हरिजनों के बीच सह-संबंध की भावना को चित्रित किया है। डा० सुरेश सिन्हा का मत है-- 'यह उपन्यास राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं पर आधारित है।'

(ख) विवाह-सम्बन्ध

वर्णाश्रम धर्म के अनुसार परस्पर विभिन्न वर्णों में भी विवाह सम्बन्ध होना सामान्य बात नहीं, लेकिन हरिजनों में विवाह-सम्बन्ध का होना अकल्पनीय बात है। विवाह की बात दूर रही, सर्वण हिन्दू के घर में हरिजन को शरण भी नहीं मिलती।

युगों से नीची जाति के समुदाय की सुन्दर महिलाओं को सर्वण अपने विलास का साधन मानते रहे हैं। जागृत हरिजनों का जितना आवेश उनके महिला वर्ग के साथ किए गए इन अपराधों से आता है और उनके मन में सर्वणों के लिए जितनी घृणा इन घटनाओं से पैदा होती है, उतनी किसी और बात से नहीं।

पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' हिन्दी के यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। 'उग्र' ^{जी} के उपन्यास में समाज के घृणित परिवेश का द्वार खुला मिलता है। 'मनुष्यानन्द' ^(१९३३) उपन्यास में हरिजनों की सामाजिक उत्पीड़न का चित्रण मिलता है। 'उग्र' जी ने 'मनुष्यानन्द' ^(१९३३) उपन्यास में अनेक सामाजिक समस्याओं को उभारा है। 'मनुष्यानन्द' (१९३३) उपन्यास में 'उग्र' जी ने हरिजन स्त्री के

१. डा० सुरेश सिन्हा : 'प्रेमचन्द : एक विवेक', पृ० सं० १८६।

ऊपर बलात्कार की समस्या को उभारा है। बुध्वा मी की लड़की रधिया पर सर्पिण हिन्दू पात्र घनश्याम को नजर पड़ जाती है। घनश्याम मध्यवर्ग के काम-लोलुप, स्वार्थी पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। वह रधिया को फुसला कर उसका सतीत्व भंग करता है। हरिजनों की दुर्बलताओं का हमारा समाज गलत फायदा उठाता है, इस बात का संकेत लेखक ने दिया है। उच्च वर्ग के पुरुष लोग हरिजन स्त्री से केवल वासना तृप्ति चाहते हैं, शादी नहीं, जैसा कि घनश्याम राधा से कहता है,-- 'यद्यपि मेरे सामने तुम्हें कोई अकूत को नजर से देखे तो उसकी पुतलियां निकाल लूं, फिर भी इस काशी में प्रकट रूप से वैवाहिक जीवन हम नहीं व्यक्त कर सकते।' हरिजन स्त्रियों को बहला-फुसला कर उनपर किस तरह बलात्कार किया जाता है, इसका नग्न चित्रण 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) में है। 'उग्र' जो लिखते हैं,-- 'और वह राधा ? उस फगलो ने तो उस पर अपना सर्वस्व निष्कावर कर दिया। वह उसके प्रलोभनों में बुरी तरह फंस गयी। सामाजिक या दुनिया के हटंग से विवाह न होने पर भी वह उसकी भाय्या का पार्ट खेलने लगी।' 'उग्र' जो हरिजनों के शोषण के खिलाफ रहे हैं। वह राधा पर बलात्कार का समर्थन नहीं करना चाहते। घनश्याम तो राधा पर बलात्कार करने में सफल इसलिए हो जाता है कि वह उसे बहला फुसला कर अपने वश में कर लेता है। लेकिन सच्चाई का पता लगने पर राधा घनश्याम का विरोध करती है। राधा घनश्याम से कहती है,-- 'दूर रहो।' उसने क्रोध से कहा,-- 'तुम्हारे मुंह से शराब की बू आती है। तुम्हारे बदन से व्यभिचार की बू आती है।' राधा अग्रे कहती है,-- 'ऐसे पापी तुम निकले घनश्याम। ऐसा तुमने मुझे लूटा घनश्याम। ऐसे मतलबी, ऐसे डुराचारी

१. पाठ्य बेचन शर्मा 'उग्र' : 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०), पृ०सं० १६४।

२. वही, पृ०सं० १६५।

३. वही, पृ०सं० १८७।

और ऐसे मोटे आ हो तुम घन-श्याम । तुमने तो मेरी दुनिया ही में आग लगा दी । इससे स्पष्ट हो जाता है कि 'उग्र' जो राधा पर अत्याचार करने के पक्ष में नहीं है ।

राधा का चरित्र एक सच्चरित्र स्त्री की तरह है । हालांकि वह गलतफहमी का शिकार हो जाती है, पर उसको सच्चाई मालूम होती है, तो वह उसका विरोध करती है । राधा पर बलात्कार का जो चित्रण किया गया है, वह ^{गलत} प्रतीत होता है । इससे यही स्पष्ट हो जाता है कि हरिजन स्त्री को स्वर्ण हिन्दू वर्ग अपनी कामवासना को तृप्ति के लिए प्रयोग कर सकता है। भारतीय समाज में यह बिल्कुल उचित नहीं प्रतीत होता । किसी पर बलात्कार करना तो मानवतावादी दृष्टि से भी उचित नहीं प्रतीत होता । घनश्याम का दोस्त गुलाब जब राधा पर बलात्कार करना चाहता है, तो राधा उस अत्याचार का झुलकर विरोध करती है । गुलाब राधा से कहता है,-- 'ताकती क्या हो, मेरा नाम गुलाबचन्द है । मैं वही हूँ, जिसे तुमने उस दिन देखा था, व अपने इसधोखेबाज हकीले के साथ । ओह! तुम तो आज पूरी औरत और मजेदार हो गयी हो । बड़े मजे लिये इस पाजी ने । मुझको ठग लिया । खैर-- तो आज ही सही प्यारी । मेरी जान । मैं भी तुम पर मरना चाहता हूँ ।' गुलाब के न मानने पर राधा उस पर चरण प्रहार करती है,-- 'तुरन्त ही राधा संभली और बड़े जोर से धक्का मार कर उसने बेसुध कामी को पृथ्वी पर गिरा दिया-- हुंकार उठी क्रोध से-- और उस पतित पर लगी लगातार चरण प्रहार करने । यहाँ पर भी 'उग्र' जी ने बलात्कार की समस्या उठाई है । भारतीय समाज में

१. पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' : 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०), पृ०सं० १८८ ।

२. वही, पृ०सं० १७३ ।

३. वही, पृ०सं० १७३ ।

अबला सप्तमा जाता है, इसलिये गुलाब की औरतों को भी राधा पर अत्याचार करते दिखाया गया है। गुलाब के द्वारा राधा पर सामाजिक अत्याचार के समर्थक नहीं हैं, अतः इसीलिये वे गुलाब को राधा के ही द्वारा दण्ड दिलवा देते हैं। गुलाबचन्द का राधा के ऊपर बलात्कार किया जाना भारतीय समाज में उचित नहीं जान पड़ता। यह सामाजिक दृष्टि के अनुकूल भी नहीं है।

विवाह-शादी की बात तो दूर रही, सवर्ण हिन्दू के घर में हरिजन ७ को शरण मिलना भी असम्भव है। 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उपन्यास में हरिजनों के साथ भेदभाव को समस्या की भी उभारा गया है। 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उपन्यास में भी बुधुआ की अनाथ बालिका के पालन-पोषण के लिए कोई हिन्दू तैयार नहीं होता, समाज को इस अमानुषिक तथा हृदिगत संकीर्णता पर 'उग्र' जी कठोर व्यंग्य करते हैं। अघोड़ी, मिस्टर यांग से कहता है-- 'यद्यपि यहां पर ऐसे अनेक हिन्दू हैं, जिनके यहां कुत्ते भी पले हैं-- और एक नहीं अनेक। भींजी, समाज का मैला ही फेंकने के कारण पतित है, और उसी मैले को खाने वाला कुत्ता शुद्ध है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' सिद्धान्त आदि के आविष्कार इन हिन्दुओं का ऐसा पतन हो गया है पादरी साहब।' ऐसा लगता है कि अघोड़ी के रूप में स्वयं 'उग्र' जी ने भारतीय समाज के रीति-रिवाजों का मजाक उड़ाया हो। 'उग्र' जी समाज की इन बुराइयों के प्रति अपना विरोध भी प्रकट करते हैं। अंततः बुधुआ की बेटी का पालन कोई हिन्दू नहीं वरन् ईसाई पादरी करता है। हरिजन लड़की सवर्ण हिन्दुओं की दृष्टि में केवल कामलिप्सा का साधन मात्र हो सकती है। यही तक ही नहीं, हरिजन को तो लोग घोषी के कुत्ते की तरह समझते हैं, आश्रय देने की बात तो दूर ही रहती है, अजी आश्रय देने वालों की कमी नहीं। एक दूसरे महा-हिन्दू ने कहा बशर्ते कि किसी ऊंची जात की संतान हो। मला भींजी की बच्ची को कौन पालेगा? अकूतों की संतान तो ऊंची जात वालों के लिए घोषी के कुत्ते की तरह है-- न घर के और न घाट के।' इससे

१. पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' : 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०), पृ० सं० ६८ ।

२. वही, पृ० सं० ६९ ।

इससे सवणों की मनोवृत्तियों का परिचय मिल जाता है ।

'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में सिलिया चमारिन के साथ ब्राह्मण मातादीन का काम-सम्बन्ध है । 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में सिलिया चमाइन के ऊपर भी सामाजिक अत्याचार को चित्रित किया गया है । सिलिया हरखु चमार की बेटी है । प्रेमचन्द 'गोदान' (१९३६ई०) में सिलिया तथा ब्राह्मण मातादीन का सम्बन्ध दिखाते हैं । अवैध पुत्र और अन्ततः विवाह-सम्बन्ध के द्वारा प्रेमचन्द ने सर्वप्रथम हरिजन से रोजी-रूटी का सम्बन्ध स्थापित किया है । मातादीन का सिलिया के साथ विवाह करना तो दूर रहा, वह उसके हाथ का लुआ पानी भी नहीं पीता । प्रेमचन्द का विद्रोही स्वर सिलिया की मां के शब्दों व्यक्त होता है— 'तुम बड़े नेमी धरतो हो । उसके साथ सोओगे, लेकिन उसके हाथ का पानी न पिओगे । यही जुड़ल है कि यह सब सहती है । मैं तो ऐसे आदमी को माहुर दे देती ।' चमारों का आक्रोश इसलिए है कि मातादीन ने सिलिया का सतीत्व नष्ट किया है, अतः उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करें । सिलिया का बुढ़ा बाप कहता है— 'हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है । जब यह सामर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो । हमारे साथ खाओ, पिओ, हमारे साथ उठो-बैठो । हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दो ।' मातादीन सिलिया से केवल काम-वासना की तृप्ति चाहता है । वह उसके साथ खान-पान में भेद रखता है पर अपनी स्त्री बनाकर उसे रखे हुए है । सिलिया का बाप इसपर कहता है— 'सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर जायगी ही । इसपर हमें कुछ नहीं कहना है; मगर उसे जो कोई भी रखे, हमारा होकर रहे । तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते हो, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं ।'

१. प्रेमचन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृ०सं० १५१ ।

२. वही, पृ० सं० १५१ ।

३. वही, पृ० सं० १५१ ।

प्रेमचन्द का सिलिया के अत्याचार के प्रति दृष्टिकोण समर्थन का नहीं है। वह मातादीन के हूबि किए गए अत्याचारों से सन्तुष्ट नहीं है। वह अन्त में वे मातादीन के व्यवहार को परिवर्तित कराके ही दम लेते हैं। मातादीन कहता है, ' मैं ब्राह्मण नहीं, चमार ही रहना चाहता हूँ, जो अपना धरम पाले वही ब्राह्मण है, जो धरम से मुंह मोड़े वही चमार है ।'

सिलिया के प्रति कि. गए मातादीन के अत्याचार को हम ठीक नहीं कह सकते हैं। मातादीन तो 'मनुष्यानन्द'^(१८३२३०) के पात्र व घनश्याम के समान हैं। जैसे घनश्याम, राधा से वासना तृप्ति चाहता है, वैसे 'गोदान' (१९३६ई) उपन्यास में मातादीन सिलिया से काम-वासना की तृप्ति करना चाहता है। या हम कह सकते हैं कि मातादीन का चरित्र 'हरिजन' (१९४९ई०) उपन्यास के पात्र रमेश के समान है, जो कि शंकर चमार को पुत्री से वासना की तृप्ति चाहता है पर विवाह करना नहीं। मातादीन का सिलिया के प्रति दृष्टिकोण गलत है। काम-संबंध तो स्त्री-पुरुष में तभी हो सकता है, जब कि वे आपस में विवाहित हों। समाज इसी को मान्यता देता है। अगर कोई किसी हरिजन स्त्री के साथ काम-भावना रखता है, तो समाज में उसे अपनी स्त्री मानने में हर्ज क्या है? अगर कोई नहीं मानता तो वह उसके ऊपर अत्याचार करता है। मातादीन भी सिलिया को पहले अपनी स्त्री बनाता है पर बाद में उसे अपनी स्त्री समाज में नहीं वह दर्शाना चाहता, जो कि सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता। हरिजनों को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए तथा हरिजन समस्या का समाधान करने के लिए यह जरूरी था कि हरिजनों का सबर्ण लोगों के साथ विवाह-सम्बन्ध कराया जाय तथा यह कार्य प्रथम बार प्रेमचन्द जो के द्वारा 'गोदान' (१९३६ई०) में उत्पन्न हुआ।

उच्च वर्ण के लोग हरिजन युवतियों से केवल वासना तृप्ति ही

चाहते हैं, विवाह करना नहीं। 'हरिजन' उपन्यास (१९४९ई०) में इस समस्या का चित्रण मिलता है। 'हरिजन' (१९४९ई०) उपन्यास में एक ओर तो रमेश कजरी बमारिन से अवैध सम्बन्ध रखता है, तो दूसरी ओर वह सरोज से भी प्रेम करता है। सरोज के पुरुने पर रमेश कहता है, 'सरो तुम भ्रम में हो। कजरी मेरो कुछ नहीं है। इस समय संसार में उसका कोई नहीं।'

'क्यों तुम तो हो।' सरोज ने फिर व्यंग्य किया। 'सरोज का कहना तो ठीक ही है, 'जब तुम विवाह करके स्त्री घर में ला सकते हो तो विवाह नहीं कर सकती?' इससे स्पष्ट हो जाता है कि रमेश अपनी वासना तृप्ति के लिए कजरी को माध्यम बनाना चाहता है, पर उसको अपनी स्त्री नहीं मानता, जैसा कि मनुष्यानन्द (१९३५ई०) उपन्यास में घनश्याम, बुधुजा भंगी को लड़की राधा से वासना तृप्ति चाहता है। रमेश तथा घनश्याम इन दोनों का ही चरित्र समान दिखाई पड़ता है। लेखक का कजरी के अत्याचार के प्रति दृष्टिकोण समर्थन का नहीं है, क्योंकि सरोज स्वयं ऐसे दुस्वरित्र पात्र से शादी नहीं करना चाहती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 'हरिजन' (१९४९ई०) उपन्यास के में हरिजनों के अत्याचार के प्रति लेखक पुरातन-परम्परा को नहीं मानता, बल्कि वह तो खुद हरिजन पात्रों के द्वारा अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट करता है।

रमेश जो कि कजरी से केवल वासना की तृप्ति चाहता है, उसको हम सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं कह सकते हैं। क्योंकि यह तो एक सामाजिक अपराध के समान है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि रमेश एक दुराचारी व्यक्ति है। इसका इस दृष्टिकोण से समर्थन नहीं किया जा सकता कि अगर समाज में व्यभिचार की छुली छूट दे दी जाय तो फिर हमारे समाज का क्या होगा? हमारा समाज तो कुछ सिद्धान्तों के आधार पर टिका है। अगर उन सिद्धान्तों की बलि हम दे

१. संतोष नारायण नोटियाल : 'हरिजन' (१९४९ई०), पृ०सं० २१६ ।

२. वही, पृ०सं० २१६ ।

देंगे तो फिर समाज का भावान् ही मालिक है । अतः रमेश जो अत्याचार कजरी के प्रति करता है, उसको उचित ढ़ नहीं ठहराया जा सकता है ।

इन सब सामाजिक अत्याचारों को देखकर कजरी कहती है कि, 'मुझे ज्ञात होना चाहिए था कि समाज मुझसे घृणा करता है, मुझे ऊंचा उठने देना नहीं जानता ।' कजरी का यह वाक्य उसकी स्थितियों को स्वयं स्पष्ट कर देता है ।

'मैला आंकल' (१९५४ई०) में रमपियरिया चमारिन के ऊपर महंत रामदास जी के द्वारा सामाजिक अत्याचार किया जाता है । महंत रमपियरिया से अनुचित संबंध रखने के लिए रमपियरिया को दासिन बना लेते हैं, 'महंथ रामदास जी रमपियरिया को दासिन रखेंगे ।' रमपियरिया को मां के ऊपर पंच दण्ड लगाती है कि उसे एक शाम भोज देना होगा, 'रमपियरिया की माये को एक साम भोज देना होगा । महंथ साहेब 'जाते' ले रहे हैं तो 'माते' दें ।... क्या कहती है रमपियरिया की माये ? देगा ?.... तब ठीक है ।... बोलिये पंच परमेसर क्या विचार ? ... जो दस का विचार । दस का विचार हो गया --रमपियरिया दासिन बन सकती है । 'जाति'को बंदिस में जरा भी 'ढीले' देने से सब गड़बड़ा जाता है । इसी तरह बराबर 'पंचायत' होती रहे तब तो ?' जब महंत को मात देने का प्रश्न मालूम होता है तो वह मुकर जाता है कि लक्ष्मी से पूछेंगे । रमजू की स्त्री इसका विरोध करती है, 'लक्ष्मी से पूछेंगे ?.... रमपियरिया की माये । सुनती हो ? हम कहा था न-- उसने तो इनको भेडा बना लिया है ।.... अरे, महंथ साहेब... लक्ष्मी कौन होती है जो आप उनसे पूछियेगा ?' इससे स्पष्ट हो जाता है कि रेणु जी रमपियरिया

१. सतीश नारायण नौटियाल : 'हरिजन' (१९४९ई०), पृ०सं० २२२।

२. फणीश्वरनाथ 'रेणु' : 'मैला आंकल' (१९५४ई०), पृ०सं० २८७।

३. वही, पृ०सं० ३०६ ।

४. वही, पृ०सं० ३०७ ।

के ऊपर हुए अत्याचार से असन्तुष्ट है। लेखक तो पंचों के भात मांगने पर विरोध प्रकट करता है। पंचों का भात मांगना कहां तक उचित है? रामपियरिया जवान है, उसके जो जी में आवे कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से किसी का दास बनता है तो उसपर क्यों जुर्माना किया जाये? रामदास तो दुष्ट चरित्र का व्यक्ति है, वह एक तरफ तो लक्ष्मी कोठारिन को दास बना कर रखे हैं तथा दूसरी ओर रामपियरिया को दास बनाता है। लेखक रामदास के इस व्यवहार से सन्तुष्ट नहीं है। वह इसका विरोध करता है, -- 'महंथ साहेब ! बुरा मत मानियेगा-- आप हिंजड़ा हैं। रामजू को स्त्री जाने के लिए उठकर खड़ी होती है, -- 'रामपियरिया को लक्ष्मिनियां की लॉडी बनावेंगे। महंथ साहेब, हम सब समझ गये। महंत तो एक तरफ रामपियारी का समर्थन करते हैं तो दूसरी ओर लक्ष्मी से कहते हैं,-- 'चाबी काहे फेंकती हो? बात-बात में इतना गुस्सा होने से कैसे काम चलेगा?' महंथ साहेब गम्भीर होकर कहते हैं,-- 'तुम मेरी 'गुरुभाई' हो।.....रामपियाड़ी को रास्ते पर लाना तुम्हारा काम है। महंथ रामपियरिया का भी तिरस्कार करता है,-- 'बुप चमारिन।.....अखाड़ा को 'भरस्ट' कर दिया।' रामदास गुसाईं जैसे लोगों के पाप से ही धरती दलमला रही है। रामदास का रामपियारी का तिरस्कार कर देना तो अनुचित लगता है। जब रामदास ने रामपियारी का भार वहन किया तो उसे क्यों भ्राना चाहता है? हमारे समाज में हरिजनों को नोचा समझा जाता है, इसीलिए सभी उनके साथ अत्याचार करना चाहते हैं।

फणीश्वरनाथ रेणु के 'परतो : परिकथा' (१९५७ई०) में हमारा समाज मलारी चमाइन के ऊपर इतना अत्याचार करता है कि वह घबरा कर सुकंश

१. फणीश्वरनाथ रेणु : 'मैला आंकल', (१९५४ई०), पृ०सं० ३०५ ।

२. वही, पृ०सं० ३०७ ।

३. वही, पृ०सं० ३०८ ।

४. वही, पृ०सं० ३२६ ।

लाल नामक सवर्ण हिन्दू के साथ भाग जाती है,-- मलारी और सुवंश लाल गांव होड़कर भाग गए । घाट-बाट, खेत-खलिहान, डार-सड़क और अली-गली में बस एक ही चर्चा-- हद हो गई । जुल्म हो गया ।

मलारी जब परजात सुवंश के साथ भागकर शादी कर लेती है तो समाज के लोग उसके दण्ड वसूल करना चाहते हैं ॥ यह तो उसी प्रकार का अत्याचार है, जिस प्रकार 'गोदान' (१९३६ई०) में हीरो शुद्ध के साथ मुखिया लोग दंड वसूल करते हैं । महाजन के विरुद्ध षडयंत्र में हरिजन वर्ग के लोग भी मिल जाते हैं । महाजन, मलारी की मां से कहता है, -- 'जाति वालों को भात कहां से देंगे री साली । तेरी बेटो ने सरकारी शादी की है तो कहे न सरकार बाप से जाति वालों का भात कहां से आवेगा ? बोल ? खोलती है मुट्ठी कि ल्याऊं लात ?... ।'

मलारी के विवाह करने पर जो दंड समाज के लोग उसके मां-बाप को देंगे हैं, में उससे असहमत हूं । आज तो कानून के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया जा चुका है । अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन लिया जा रहा है । अगर मलारी ने सुवंशलाल से शादी कर ली तो क्या बुरा किया ? इसकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए कि मलारी ने ऐसा साहस बरा कदम उठाया । व समाज के सवर्ण लोग तो इस ताक में रहते हैं कि कब मौका मिले, कब हरिजनों को परेशान करें । बालगोविन भी सवर्णों के अत्याचार का पर्दाफाश करता है तथा उसके विरुद्ध विरोध प्रकट करता है । लुत्तो बाबू जब समापति के से बालगोविन मोची की शिकायत करता है तो बालगोविन मोची कहता है,-- 'देखिये, समापति जी ! यह इसी तरह हमेशा हट्ट-हाट्टकर धोपता है, हमको । जात का नाम लेकर मसहरी करता है । समझा दीजिये । बालगोविन मोची ने हाथ जोड़ कर विनती करते हुए कहा-- हमेशा बमार-बमार कहता है । कहता है, यह

१. फण्णेश्वर नाथ रेणु : 'परती: परिकथा', (१९५७ई०), पृ०सं० ३१७ ।

२. वही, पृ०सं० ३६२ ।

राजनीयत की बात है, ढोल पोंपो बजाने वाले क्या समझे.....^१।^१ इससे यह तो स्पष्ट हो हो जाता है कि सर्वण लोग हरिजनों के बारे में कितने कलुषित विचार रखते हैं। हमारा तो स्पष्ट मत है कि जब तक हरिजन लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजा नहीं होंगे, उनको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उन्नति होना सम्भव नहीं है।

‘अनावृत’ (१९५९ई०) में फागली भंगिन के ऊपर भी इन्दर अत्याचार करता है। पहले वह फागली भंगिन को मांटी बातों से बहकाता है। इन्दर फागली से कहता है, -- ‘धरम-अधरम कुछ नहीं है, पाप-युष्य दुकानदारी, मंदिर हम पंडितों के भोजनालय और चरित्रहीन स्त्रियों के मिलने के स्थान...।’ फागली विरोध करती है, -- ‘मैं भंगिन हूँ, तुम मुझे प्यार करोगे तो तुम्हारा धरम बिगड़ जाएगा।’

कमलका विरोध करता है, -- ‘मैं भंगिन हूँ, तुम मुझे ब्यक्त करोगे तो तुम्हारा धरम बिगड़ जाएगा।’

‘तु तो पागल है फागली, जाइमों का धरम कभी नहीं बिगड़ता। तुने धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हैं। ब्रह्मा ने अपनी ही कन्या सरस्वती से प्रेम किया, विष्णु ने वृंषा को ब्रह्मा, चन्द्रमा ने गुरुपत्नी पर कुदृष्टि डाली सूर्य ने घोड़ी से, वायु भगवान ने केसरो वानर की पत्नी से.... देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई उत्थय की पत्नी ममता से और पराशर ने धीवर कन्या मत्स्यगंधा से। फिर मैं ब्राह्मण होकर तुमसे प्यार करूं तो क्या बुरा है? चारबाक तो स्पष्ट कह देता है-- ‘उसका फागली के साथ एक पति का सम्बन्ध है।’ इस प्रकार

१. फणीश्वरनाथ रेणु : ‘परती : परिकथा’ (१९५९ई०), पृ०सं०७०।

२. यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र : ‘अनावृत’ (१९५९ई०), पृ०सं०१४।

३. वही, पृ०सं० १४।

४. वही, पृ०सं० १३५।

वह फागली के साथ पतिकी सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, वह फागली के ऊपर बलात्कार करता है ।

लेखक फागली भंगिन के ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करता है । लेखक हरिजन स्त्री के साथ बलात्कार किये जाने पर रोष प्रकट करता है । चारवाक कहता है, -- ' तुम्हें ऐसा लगता है कि एक दैत्य के हाथों एक देवी पड़ गई है। जालंधर के हाथों महासती वृन्दा । ' चारवाक आगे कहता है, -- ' उस अनपढ़ फागली के अन्धविश्वास का तुम बेजा फायदा उठाकर अपने समाज में फूँठी प्रतिष्ठा बनाए रखो, यह मेरे लिए सह्य नहीं । इन्दर । '

जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि इन्दर एक दुष्ट चरित्र का व्यक्ति है । वह फागली से केवल वासना पूर्ति ही करना चाहता है, विवाह करना नहीं । वह फागली से एक ओर तो यह कहता है, -- ' तुम्हें लोग धर्मघोर समाज किसी की माँ परवाह नहीं । फागली, ईश्वर के शाप से तुम्हारा जन्म सूद्र वर्ण में हुआ है, किन्तु तुम्हें तो सबसे पवित्र एक घर में जन्म लेना चाहिए । तुम्हें मैंने कई बार कहा था कि आदमी का धर्म नहीं बिगड़ता । मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें अपना बाबी बनाकर रखूँगा । ' तथा दूसरी तरफ वह कहता है, -- ' मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बाप लज्जा से मर जाएगा । फिर मेरी माँ वह माँ तो बुद्धो है भैया । मैं इन सब को कैसे मरने दे सकता हूँ । आप यकीन रखिए, जब यह भांडा फूटेगा कि इन्दर ने ब्राह्मणी, सेठानो, चात्राणी, शुढानो आदि सबको ढोड़कर एक भंगिन से प्यार किया तब । नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता । ' चारवाक से कहे गये इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि वह फागली के साथ विवाह नहीं करना चाहता । उससे तो वह वासना की पूर्ति ही करना चाहता है ।

१. यादवैन्द्र शर्मा चन्द्र : ' अनावृत्त ' (१९५६ई०), पृ०सं० ६३।

२. वही, पृ०सं० १२२ ।

३. वही, पृ०सं० २३७ ।

४. वही, पृ०सं० ६३ ।

मन्मथनाथ गुप्त के 'शरीफों का कटरा' (१९६६ई०) उपन्यास में हरिजन स्त्रियों के ऊपर अत्याचार को चित्रित किया गया है। उदियों से सवर्ण हिन्दू लोग हरिजन वर्ग को लड़कियों को अपनी काम वासना की पूर्ति का शिकार बनाते रहे हैं, उसी का चित्रण इस उपन्यास में भी मिलता है। 'शरीफों का कटरा' (१९६६ई०) उपन्यास में जगन्नाथ नाम का सवर्ण हिन्दू सुहासिनी मंगिन को भगा कर ले जाता है तथा उस पर बलात्कार करता है, जगन्नाथ के साथ साथ एक मंगिन के भागने की रिपोर्ट आई है। पता लगा है कि दोनों एक साथ गए।

लेखक का इस अत्याचार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है। वह जगन्नाथ को दंड पुलिस के द्वारा दिलवाने का प्रयास करता है। लेखक ने जगन्नाथ का चित्रण उपन्यास में एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में किया है।

सुहासिनी मंगिन के ऊपर जो अत्याचार किया गया है, उसके बारे में मेरा दृष्टिकोण है कि किसी स्त्री पर बलात्कार करना तो न सामाजिक दृष्टिकोण से उचित है और न नैतिक दृष्टि से। क्या हरिजनों की बहु-बेटी का समाज में कुछ दृज्जत नहीं है? यदि एक चमार किसी सवर्ण वर्ग की बेटों के साथ बलात्कार करे तो वह नीच कार्य कहा जाता है, पर यदि कोई सवर्ण वर्ग का व्यक्ति किसी हरिजन युवती से बलात्कार करे तो समाज उसको कठोर दंड देने को व्यवस्था नहीं करता। इसके ^{कारण} क्या हैं? कारण यह है कि समाज में प्रभुत्व बड़े लोगों का होता है, अतः इसीलिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है और इसीलिये ये अत्याचार होते रहते हैं। क्या हरिजनों का सुन-सुन नहीं है जो कि कभी अत्याचार के विरुद्ध गर्म न हों?

५) अमानुषिक व्यवहार

जुंकि हरिजनों को ऊंचे जाति के लोग निम्न कोटि का समझते हैं, अतः उनके साथ पशुओं से भी अधिक घृणा का व्यवहार किया जाता है।

१. मन्मथनाथ गुप्त : 'शरीफों का कटरा' (१९६६ई०), पृ० सं० ६८ ।

हरिजन समाज के बिना सब धनोने कार्य को करता है, लेकिन उसे अच्छा जीवन व्यतीत करने का अधिकार कभी भी नहीं प्राप्त है। कहीं शासक वर्ग हरिजनों पर जुल्म बरसाता है, जो कहीं राजर्षि के व्यक्ति उनके साथ अमानुषिक व्यवहार करते हैं, तो कहीं जमांदार वर्ग और कहीं पूंजोपति वर्ग उनपर अत्याचार करता है। हिन्दो उपन्यासकारों ने इन सभी स्थितियों का चित्रण किया है। यहाँ तक ही उनके ऊपर अत्याचार की सीमा नहीं है, उन्हें कुश से पानी भी नहीं भरने दिया जाता है। समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा हरिजनों पर अमानुषिक व्यवहार किया जाता है।

शासक वर्ग

शासक वर्ग हमेशा से हरिजनों के ऊपर अमानुषिक व्यवहार करता आया है। शासक वर्ग के होने के नाते ये हरिजनों के ऊपर मनमाना अत्याचार करते हैं।

लज्जाराम शर्मा 'मेहता' के 'आदर्श हिन्दू' (१९१७ई०) में भी हरिजनों के ऊपर अमानुषिक व्यवहार को दर्शाया गया है।

'आदर्श हिन्दू' (१९१७ई०) नामक उपन्यास में हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचार का चित्रण किया है। लज्जाराम शर्मा ने मुमिका में ही लिख दिया है,-- इसमें तीर्थयात्रा के व्याज से एक ब्राह्मण कुटुम्ब में सनातन धर्म का दिग्दर्शन, हिन्दुपन का नमूना, आजकल की वृष्टियाँ, राजभक्ति का स्वरूप, परमेश्वर की भक्ति का आदर्श और अपने विचारों की बानगी प्रकाशित करने का प्रयत्न किया गया है।

भारतीय समाज में हरिजनों को बहुत ही दृष्टि से देखा जाता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। इस उपन्यास में भी खेमला चमार की निम्न परिस्थितियों का चित्रण मिलता है। बाबूलाल तहसीलदार साहब

१. लज्जाराम शर्मा : 'आदर्श हिन्दू' भाग १, (१९१७ई०), मुमिका से, पृ० सं० २।

मुरव्वत अली से बुद्धा भगवानदास को लड़ाने के लिए खेमला चमार को माध्यम बनाता है। बाबू लाल खेमला चमार को बहकाकर तहसीलदार साहब पर नालिश ठुक्वा देता है। तहसीलदार साहब बुद्धे भगवान दास से कहते हैं,--^१ मैंने उस खेमला चमार को बहकाकर मुफ पर नालिश ठुक्वा दी। दूसर उसका था कि उसने मेरे घोड़े को पानी नहीं पिलाया। अगर इस बात पर मैंने उसको गाली भी दे दी तो क्या गज़ब हो गया। है तो आखिर वह चमार हीन। चमार को हेसियत ही क्या?^२ इस वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस युग में चमारों को सामाजिक स्थिति कितनी दयनीय थी। जब तहसीलदार साहब बुद्धे भगवान दास के सामने बाबू लाल की सच बात कहने के लिए बुलाता है तो वह कहता है, --^३ केशक इन तीनों का कहना सच है। मैंने बाबा बी नसीहत से चिदकर (बाबा के पैर पकड़ कर उसके चरणों में पिर देते हुए) आपको इनसे नाराज कराने के लिए ही ऐसा किया था। अब मैं आप दोनों से क्षमा मांगता हूँ। लज्जाराम शर्मा जी का 'आदर्श हिन्दू' (१९१७ई०) उपन्यास में खेमला चमार पात्र के प्रति दृष्टिकोण अत्याचार पूर्ण हो है। खेमला चमार के ऊपर उन्होंने पर्याप्त सामाजिक अत्याचार को चित्रित किया है। लज्जाराम शर्मा को सहानुभूति हरिजन पात्र के प्रति नहीं है

'आदर्श हिन्दू' (१९१७ई०) उपन्यास में हरिजनों तथा सवर्ण हिन्दुओं के बीच भेद-भाव को क्ल दिसाया गया है। सवर्ण हिन्दू हमेशा से अपने को ऊंचा मानते आये हैं। वे हरिजनों को बहुत ही निम्नस्तर का समझते हैं। तहसीलदार साहब कहते हैं,--^३ चमार को हेसियत ही क्या? इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि सवर्ण लोग किस तरह नाच वर्ण के लोगों के साथ धर्म की विभिन्नता के आधार पर कैसा निम्न व्यवहार करते हैं। सनातनधर्मी लज्जाराम शर्मा पुरातन युगों की भांति ही शुद्र वर्ण के भंगो अथवा चमारों को चाण्डाल

१. लज्जाराम शर्मा : 'आदर्श हिन्दू' भाग १ (१९१७ई०), पृ० सं० १४६।

२. वही, पृ० सं० १५२।

३. वही, पृ० सं० १४६।

कहकर पुकारते हैं, भारतवर्ष में ही जब शूद्र और अति शूद्र तक द्विज बनने का प्रयत्न करते हैं तब द्विज स्वार्थवश थोड़े से आराम के लिए यदि भंगी बन जाय तो उसे क्या कहें ?

अस्तु जिस गाड़ी में वह चाण्डाल घुसा उसी में भगवानदास भोला आदि बैठे हुए थे । नाना प्रकार के तर्कों द्वारा वर्णाश्रम धर्म की स्थिरता को ही हिन्दू समाज के लिए कल्याणकारी घोषित करते हैं । रेल के एक मुसाफिर द्वारा कर्म से ही जाति निश्चय की धारणा को सुनकर अपने आदर्श पात्र द्वारा उसका खण्डन कराते हैं और जन्म से ही जाति निश्चय को सही बताते हैं । पंडित प्रियानाथ कहते हैं;— 'केवल कर्म से ही जाति नहीं । अच्छी जाति में जन्म लेकर मनुष्य को अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए । रेल के डिब्बे में चढ़ा हुआ एक भंगी उच्च वर्णों के द्वारा धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है तथा वे इस घटना के औचित्य को भी सिद्ध करते हैं । मेहता जी का सबसे बड़ा तर्क तो यह है कि यदि नीच वर्ण वाले शनैः-शनैः उच्च वर्णों में मिलते चले गये तो एक दिन ऐसा आवेगा जब नाई, धोबी, भंगी और चमार दूढ़ने पर भी नहीं मिलेंगे तथा उनके सारे कार्य उच्च वर्णों को ही करने पड़ेंगे । असुश्रुता तो मेहता जी के लिए कोई समस्या ही नहीं है । पंडित प्रियानाथ कहते हैं;— 'हुआकूत देश को चौपट करने वाली नहीं । पुराने जमाने में भले ही वाल्मीकि, नारद और रैदास जैसे निम्न वर्ण के लोग महात्मा हो गए हों, आजकल के शूद्रों में उनका सर्वथा अभाव है । पंडित प्रियानाथ के शब्दों में वे कहते हैं;— 'आप लोग नहीं टकसाल खोलकर शूद्रों के द्विजत्व का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, उनमें कोई वाल्मीकि और नारद के समान है भी ? मेहता जी खान-पान में भी सनातनधर्मी कट्टरता के

१. लज्जाराम शर्मा : 'आदर्श हिन्दू', (१९१७ई०), भाग २, पृ०सं० २३६ ।

२. वही, पृ०सं० २३६ ।

३. वही, पृ०सं० २३८ ।

४. वही, पृ०सं० २४० ।

अनुयायी हैं। पंडित प्रियानाथ कहते हैं,-- 'यदि इतनी मदद देकर आपने उनके हाथ का हुआ पानी न पिया तो क्या हानि हुई ? यदि हुआ हूत ही विनाश का हेतु होता तो संक्रामक रोगों में इसकी व्यवस्था क्यों की जाती ? एक ओर डाक्टर लोग हुआ हूत बढ़ा रहे हैं और दूसरी ओर धर्म के तत्वों को न समझकर, वैद्यक के सिद्धान्तों पर पानी ही ड़कर विर-प्रथा मेटने का प्रयत्न।' पुरातन वर्णाश्रम धर्म की मान्यताओं में उन्हें तनिक भी परिवर्तन मान्य नहीं। पंडित प्रियानाथ कहते हैं,-- 'ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही रहने दो जिस। उनसे जुता सिलवाने का काम न लीजिए। यदि उनमें कोई गिर गया हो तो उसपर लालें न मारिए।' मेहता जी के विचार से ब्राह्मण सवर्णों में ज्येष्ठ है और हरिजन दिन-प्रतिदिन और भी घृणित तथा पतित होते जा रहे हैं। पंडित प्रियानाथ कहते हैं,-- 'अब भी ब्राह्मणों में भगवान् भुवन भास्कर का-सा ब्राह्मणत्व प्रकाशमान है।' ये विचार मेहता जी तक ही सीमित नहीं हैं, गोस्वामी जी भी इनके प्रति आस्थावान् हैं। मेहता जी के उपन्यासों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां हरिजनों के सम्बन्ध में उनकी रुद्धिगत मान्यता को देखा जा सकता है। मेहता जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से अपने युग के सुधारों की तेज होती हुई बाढ़ों को रोकने का प्रयत्न किया था। ये अपने युगीन समाज के रुद्धिवादी हिन्दू वर्ग के सच्चे प्रतिनिधि हैं।

मेहता जी यदा-कदा हरिजनों की गिरी हुई दशा को सुधारने की चर्चा भी करते हैं, पर उनके कार्य के मूल में भी उच्च वर्गों की अधिकार भावना ही प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन परवर्ती उपन्यासों और उनके लेखकों के दृष्टिकोण में देखा जाता है, उसकी यहां हाया तक नहीं है। युग की परिस्थितियों को देखते हुए इसे किसी सीमा तक स्वाभाविक कहा जा सकता है, पर जब हम इस तथ्य को सामने रखते हैं कि उसी युग में एक ओर आर्य समाज भी हिन्दू धर्म के विषय में एक नया दृष्टिकोण रख रहा था, इन लोगों

१- लज्जाराम शर्मा : 'आदर्श हिन्दू' भाग २ (१९१७ई०), पृ० सं० २४२।

२- वही, पृ० सं० २४३।

३- वही, भाग ३, पृ० सं० १३६।

को विचारधारारं अद्वियों से ग्रस्त तथा संकीर्ण ही कही जा सकती है । आर्य समाज के संस्थापक दयानन्द के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही हरिजन नहीं समझा जाना चाहिए, वरन् व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही उसको जाति का निर्धारण करना चाहिए । इस प्रकार दयानन्द जन्मना-वर्ण नहीं, बल्कि कर्मणा-वर्ण मानते हैं । यदि जन्म से हरिजन व्यक्ति भी आगे बढ़कर विद्वान हो जाता है तो आर्य समाज के अनुसार उसे ब्राह्मण वर्ग का ही समझा जायेगा । आर्य समाज ने सबसे बड़ा क्रान्तिकारी विचार यह प्रस्तुत किया कि जाति-व्यवस्था का आधार जन्म न होकर गुण, कर्म तथा स्वभाव होना चाहिए । ईश्वरीय विधान के स्थान पर लौकिक तथा जनतन्त्रोप आधार उपस्थित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उच्च जाति प्राप्त कर सकता है । ब्रह्म समाज तथा प्रार्थना समाज का जाति विरोध एक सुधारवादी ढंग था, उससे निम्न जातियां आत्मविश्वास न पा सकीं । लेकिन आर्य समाज ने स्वयं अपने वैदिक धर्म से जाति-व्यवस्था का आधार गुण, कर्म तथा स्वभाव उपस्थित करके जाति-व्यवस्था को ईश्वरीय देन समझने वालों की मानसिक दासता दूर की । वस्तुतः यह आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का ईश्वरीय नहीं वरन् सांसारिक समाधान था । आर्य समाज के अङ्गुठी की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि उसका विश्वास था कि अङ्गुठी बिना शिक्षित हुए उच्च वर्ण के समझा नहीं जा सकता ।

जिस प्रकार मेहता जी पर सनातन धर्म का प्रभाव है, उसी प्रकार गोस्वामी जी पर भी सनातन धर्म का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । ऊंच-नीच के प्रश्न पर उनकी कट्टरता भी अद्वितीय है । उनके आदर्श पात्र सदैव ही उनकी इस मान्यता के अनुरूप आचरण करते हैं । 'अंगुठी का नगीना' (१९१८ई०) की लक्ष्मी नौकरानी बतसिया को गले लगा लेती है, इस पर उपन्यास की दूसरी नारी पात्र मालती, लक्ष्मी से कहती है,-- 'कह यहाँ टहलुई, कहां हम लोग अमीर आदमी ।'

१. डा० चण्डीप्रसाद जोशी : 'हिन्दी उपन्यास : समाजशास्त्रीय विवेचन' (१९६२ई०), पृ०सं० ६ ।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : 'अंगुठी का नगीना', (१९१८ई०), पृ०सं० १३७ ।

हरिजनों के प्रति भी लेखक को घृणा को उसके अनेक उपन्यासों में देखा जा सकता है। जब किसी दुष्ट पात्र को मृत्यु करा लेने मात्र से ही लेखक को सन्तोष नहीं मिलता, तो वे उसकी लाश को मेहतरों से उटवा कर उसका परलोक भी बिगाड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की घटना से सम्बन्धित एक वार्तालाप का अंश इस प्रकार है:-

‘हाय हाय बेचारे को मेहतरों ने फेंका।

मैंने कहा -- ‘वह इसी योग्य था।’

अतः हम कह सकते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी ब्रह्मवादी हिन्दू समाज के उच्च अनुयायी हैं। किशोरीलाल गोस्वामी जो हरिजनों को हृदय दर्जे का घृणित पात्र समझते हैं, जिससे उच्च कुल के किसी व्यक्ति को मृत-लाश भी नहीं हुआ जा सकती। कहने की आवश्यकता नहीं कि जाति-व्यवस्था संबंधी यह दृष्टिकोण कितना दकियानूस और जर्जर हो गया है। लेकिन तत्कालीन लेखकों में इसके प्रति विद्रोह की कोई भावना नहीं दृष्टिगत होती। हरिजनों की दशा में सुधार के लिए कुछ प्रयत्न अवश्य किए गए हैं, जो उनकी दया-दृष्टि का परिचायक ही कहा जा सकता है। इसके पीछे कोई उदार मानवीय भावना तथा समानता की चेतना नहीं है। वस्तुतः ये लेखक मानसिक रूप से हरिजनों को बराबरी का दर्जा देने की तैयार भी नहीं थे, क्योंकि उनकी मानसिक बनावट तथा उनके संस्कार प्रगतिशील सामाजिक-चेतना से सम्बन्ध नहीं रखते थे। स्पष्ट है कि जाति तथा वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में जो क्रान्तिकारी विचार परवर्ती युगों में अभिव्यक्त हुआ, वह अभी नहीं बन पाया था।

फिर भी प्रारम्भिककालीन उपन्यासकारों में कुछ ऐसे उपन्यासकार भी हैं, जो युगीन सुधार आन्दोलनों की वैचारिक क्रान्तियों से प्रभावित हैं और उनके अनुसार समाज में बहुत परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं। मन्नन द्विवेदी, जिनसे

१. किशोरीलाल गोस्वामी : ‘माधुवी माधव का मदन मौह्लिनी’ (१९६६ ई०), भाग ३ पृ० सं० ४८।

२. वही, प्रथम संस्करण, पृ० सं० ४८ (१९०६ ई०)।

वाद में प्रेमचन्द को हिन्दी में लिखने की प्रेरणा मिली, एक ऐसे ही उपन्यासकार हैं, जिन्होंने समाज-व्यवस्था को बुराइयों की ओर इंगित किया। इन्होंने अपने उपन्यासों में जहाँ अन्य सामाजिक पहलुओं को उद्घाटित किया, वहाँ दो महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न भी इनके विश्लेषण और विवेचन के विषय बने—हरिजन समस्या तथा ब्राह्मण समस्या। ब्राह्मणों के उच्चवर्गीय अहंकार को वे व्यंग्य की नज़र से देखते हैं, साथ ही हरिजन वर्ग के सुधार के लिए भी कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। उनके उपन्यास 'रामलाल' (१९१७) का आत्माराम हरिजनों को दशा सुधारने के लिए 'भारतीय पतितोद्धारक समिति' की स्थापना करना चाहता है। हरिजनों को झकड़वा बसाकर, उनको पढ़ा-लिखाकर, उन्हें कोई कारोबारी सिलाना तथा चमारों के लिए स्कूल खोलना उसका लक्ष्य है। मन्नन द्विवेदी अपने 'कल्याणी' (१९२०) में समाज में हरिजनों की स्थिति के बारे में कहते हैं—'कोई शुद्ध वेक्सोनेटर' ही को मार कर देख ले। शुद्ध दिन भर फावड़ा चलाता है, एक आना पाता है, ब्राह्मण सेकेण्ड भर के 'कल्याण' कहने में उससे कहीं अधिक बना लेता है, तिसपर भी जो ब्राह्मणों का महत्व न माने उसको 'आरियासमाजो' छोड़कर और क्या कह कहिएगा।' तात्पर्य यह है कि मन्नन द्विवेदी हरिजनों का ब्राह्मण वर्ग के साथ उत्थान चाहते हैं। मन्नन द्विवेदी का अपना विचार यह है कि जाति तथा वर्ण का निर्णय जन्म के आधार पर न होकर गुण, कर्म तथा स्वभाव के आधार पर हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह बात स्वीकृत हो जाने पर अनेक सामाजिक बुराई स्वतः समाप्त हो जाती है।

राज वर्ग

जिस प्रकार जमींदार वर्ग किसानों का शोषण करता था, उसी प्रकार राजा लोग हरिजनों के साथ अमानुषिक व्यवहार करते थे। एक तरफ से

१. मन्नन द्विवेदी : 'रामलाल' (१९१७), पृ० सं० १४६-१६२।

२. मन्नन द्विवेदी : 'कल्याणी' (१९२०), पृ० सं० १५०-१५१।

ब्रिटिश सरकार हरिजनों का शोषण करती थी तथा दूसरी तरफ राजा लोग हरिजनों का शोषण करते थे । हरिजनों के लिए न व्यवस्थित शासकीय प्रणाली थी, न कानूनों की समानता थी । रियासतों के हरिजन वर्ग के आधुनिक युग का अनुभव तक नहीं किया । राजाओं का हरिजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण मध्ययुगीन राजाओं की तरह रहा ।

पाण्डेय बैचन शर्मा 'उग्र' के 'सरकार तुम्हारी आंखों में' (१९३७) उपन्यास में हरिजन के सामाजिक शोषण का चित्रित किया गया है । 'सरकार तुम्हारी आंखों में' (१९३७) उपन्यास में राजा शत्रुघ्न सिंह के द्वारा जग्गू तेली के सामाजिक शोषण को चित्रित किया गया है । जब जग्गू तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए निकलता है तो महाराज शत्रुघ्न सिंह से शोर मचाने वाले को पकड़ लाने को कहते हैं,-- 'यह तेली :-- उठ भोर मेरे महल के नीचे शोर मचा रहा है । मोरी की ईंट बांबारे क चढ़ी । पकड़ लाओ बदमाश को ।' महाराज के सामने आते ही और उनका रुद्र रूप देखते ही तेली के डुम से तेलनिकल गया-- गरीब के होश के फास से उड़ गये । तेली राजा के इस तानाशाही के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह पाता है, क्योंकि वह तो हरिजन होने के कारण अपना आक्रोश भी व्यक्त नहीं कर सकता है । जग्गू तेली राजा के इस व्यवहार पर उनसे कहता है,-- 'दोहाई अन्नदाता की । माफ़ कीजिये सरकार । तेली हूँ तो क्या हुआ, उदार राजा की सड़क सबके लिये है ।' 'उग्र' जी का दृष्टिकोण 'सरकार तुम्हारी आंखों में' (१९३७) हरिजनों के प्रति अनुचित रहा है । जग्गू तेली के ऊपर सामाजिक अत्याचार के प्रति 'उग्र' जी ने उपन्यास में कोई विरोध व्यक्त नहीं किया है ।

जग्गू तेली के ऊपर राजा शत्रुघ्न सिंह द्वारा सामाजिक शोषण किया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता है । जग्गू तेली का तो कोई अपराध राजा के प्रति नहीं कहा जा सकता है । वह तो रोज की तरह

पाण्डेय बैचन शर्मा 'उग्र' : 'सरकार तुम्हारी आंखों में' (१९३७), पृ० सं० १६ ।

२. वही, पृ० सं० २० ।

तेल बेचने के लिए निकला था। जबर्दस्ती राजा शत्रुघ्न सिंह द्वारा उसको पकड़ मंगवाना सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। जग्गू तेली का चरित्र तो शोषित व्यक्ति का चरित्र है, जिसपर राजा शत्रुघ्न सिंह शोषक की भांति अत्याचार करते हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि चूंकि वह हरिजन है अतएव उसपर अत्याचार होना ही चाहिए। शायद समाज की इसी भावना के कारण राजा शत्रुघ्न सिंह ने जग्गू तेली के ऊपर अत्याचार किया हो। फिर भी हम कह सकते हैं कि जग्गू तेली के ऊपर सामाजिक अत्याचार किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है।

वृन्दावनलाल वर्मा का 'फांसी की रानी' (१९४६ई०) उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास में भी हरिजनों के ऊपर अत्याचार दिखाया गया है। हरिजनों का सामाजिक शोषण फांसी के राजा गंगाधर राव करते हैं। हरिजनों के साथ कैसा निम्न व्यवहार लोग करते हैं, इसका चित्रण भी उपन्यास में मिलता है। फांसी राज्य में हरिजन लोग भी जनेऊ धारण करना चाहते हैं, "इन सब के संघर्ष में अनेक जातियां और उपजातियां, जिनको शुद्ध समझा जाता था, उन्नति की ओर अग्रसर हो रही थीं। व्यक्तिगत चरित्र का सुधार, घरेलू जीवन को अधिक शांत और सुखी बनाना तथा जातियों की श्रेणी में ऊंचा स्थान पाना, यह उस प्रगति की सहज आकांक्षा थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जनेऊ पहिन्ते हैं, यह उनको ऊंचाई की निशानी है, जो न पहिन्ता हो वह नीचा। इसलिए उन जातियों के कुछ लोगों ने जिनके हाथ कुआ पानी और पुड़ी-मिष्ठान्न आम तौर पर ऊंचे जाति के हिन्दू ग्रहण कर सकते थे, जनेऊ पहिन्ने आरम्भ कर दिये। उनके इस काम में कुछ बुन्देलखण्डी और महाराष्ट्र ब्राह्मणों का समर्थन था।"

पर फांसी नगर के ब्राह्मण जो काफी संख्या में हैं, हरिजनों की इस प्रगति के विरुद्ध हो जाते हैं, आन्दोलन उठा। शुद्ध जनेऊ के अधिकारी नहीं हैं, अधिकांश पंडित मत के थे। आन्दोलन के पक्ष में एक विद्वान तान्त्रिक

१. वृन्दावनलाल वर्मा : 'फांसी की रानी लक्ष्मीबाई' (१९४६ई०, पृ० सं० ४१।

नारायण शास्त्री नाम का था । वह शृंगार-शास्त्र का भी पारंगत समझा जाता था । उसने शिवाजी के प्रसिद्ध अमात्य बालाजी आव जी के पदा में दो हुई महा-पण्डित विश्वेश्वरभट्ट की एक व्यवस्था को जगह-जगह उद्धृत किया ।^१ जब ब्राह्मण लोग नारायण शास्त्री का मत देते हैं तो हरिजन लोग भी साहस करके उनकी यथार्थ स्थिति सामने रख देते हैं,^२ नारायणशास्त्री जिसको तुम बार-बार दुहाई देते हो, ब्राह्मण ही नहीं है ।^३ इसका कारण यह है कि वह छोटी मंगिन को रखे हुए है । इसी जनेऊ धारण करने के प्रश्न पर हरिजन लोग राजा का कोप-भाजन बनना पड़ता है,^४ राजा ने अपराधियों से पूछा,^५ क्या ब्राह्मण बनना चाहते हो ?

अपराधियों में एक अधिक साहस वाला था । उसने उत्तर दिया,^६ नहीं तो सरकार ।

फिर यह अनुचित काम क्यों किया ?

अनुचित तो नहीं सरकार ।

क्यों रे अनुचित नहीं है ?

सरकार ! ब्राह्मणों के अलावा और अनेक जातियां भी तो जनेऊ पहिनती है ।

अबे बड़माश, उन जातियों की बराबरता करता है ?

वह चुप रहा ।

गंगाधर राव का क्रोध बढ़ लेने पर उतरता मुश्किल से था ।

बोले,^७ जनेऊ तोड़कर फेंक दे और फिर कभी आगे न पहिनना ।

उसने हाथ जोड़े और सिर नीचा कर लिया ।

राजा ने कड़क कर पूछा,^८ क्या कहता है ? अपने हाथ से तोड़ता है या तुड़वाऊं ?

उसने उत्तर दिया,^९ अपने हाथों तो हम लोग अपने जनेऊ नहीं तोड़ेंगे चाहे प्राण भले ही निकल जावें । आप राजा हैं चाहे जो करें ।

गंगाधर राव की आंखों के लाल डोरे रक्त हो गये । चौबदार को हुक्म दिया,^{१०} एक पतला तार लाओ ।

तांबा, लोहा किसी का भी । जल्दी लाओ ।

वह दौड़कर ले आया । आगी मंगवाई गई । तार को जनेऊ का आकार बनाकर

गरम किया गया । आज्ञा दी,^{११} यह गरम जनेऊ इसको पहिनाओ ।

१. वृन्दावनलाल वर्मा : 'कांसी की रानी लक्ष्मीबाई' (१९४६), पृ० सं० ४१।

२. वही, पृ० सं० ४३।

३. वही, पृ० सं० ४८।

वर्मा जो हरिजनों के ऊपर किये जाने वाले अत्याचार के समर्थक नहीं है, बल्कि वे तो इसका विरोध करते हैं। राजा के अत्याचार का वह हरिजनों के द्वारा विरोध व्यक्त करवा देते हैं, वह गरम जनेऊ उसके कन्धे को कुलाया ही गया था कि युवक तात्या ने विनय की, महाराज, धर्म को रक्षा करिये। यह टोक नहीं है।

गंगाधर राव ने वह गरम जनेऊ तुरन्त अलग करा दिया। युवक से बोले-- 'श्रीमन्त पेशवा भी तो यही दण्ड देते।'

लेखक मानो अपना निष्कर्ष धर्म के बारे में दे रहा ही, धर्म अपने विश्वास की बात है। इसमें राज्य को तटस्थ रहना चाहिये।

हरिजनों के ऊपर जनेऊ के प्रश्न पर अत्याचार करना उचित नहीं लगता है। क्या कारण है कि ब्राह्मण के सब जनेऊ पहनने पर राजा गंगाधर राव को बुरा नहीं लगता? पर जब हरिजनों को जनेऊ धारण करते देखते हैं तो दण्ड देने की आज्ञा देते हैं। धर्म तो अपनी जगह है तथा राज्य का शासन अपनी जगह है। राजा को यह अस्तित्व ही नहीं है कि वह इन सब अनुचित कार्यों में हाथ डाले। प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग अस्तित्व होता है। राज्य को तो किसी मनुष्य को दण्ड तब देना चाहिये, जब वह राष्ट्र विरोधी कार्य करे। जनेऊ पहनना तो कोई राष्ट्रीय अपराध नहीं कहा जा सकता है। रह गई समाज की बात, हमारा समाज तो सप्टि सप्टियों से लुढ़क रहा है। समाज की कुछ बुराइयां हैं, जिन्हें दूर करना चाहिये। इन्हीं थोड़ी-सी बुराइयों के कारण समाज की सब अच्छाइयां भी बुराइयों के नीचे दब जाती हैं। समाज में हरिजनों को पतित व नीच समझा जाता है। यहां भी राजा तथा समाज इसी भावना से प्रभावित होने के कारण हरिजनों को जनेऊ पहनने पर अत्याचार करना चाहते हैं। सर्वण हिन्दू तो मौके की तलाश में रहते हैं कि कब मौका मिले, हरिजनों को उत्पीड़ित किया जाये। लेखक को चूंकि

१. वृन्दावनलाल वर्मा : 'कांसी की रानी लक्ष्मीबाई' (१९४६), पृ० सं० ४६।

२. वही, पृ० सं० ४६।

यह अत्याचार पसंद नहीं है, अतः वह राजा के भी विचार को बदल देता है, जेजू वाले अपराधियों को बनाकटों स्वर में छल्लू डाटते हुए बोले,--'इस युवक ने तुमको बचा लिया।' तात्या नामक युवक के कहने से राजा गंगाधर राव अपना निर्णय बदल लेते हैं, जो समाज के स्वस्थ विकास को ही प्रोत्साहन देता है।

वृन्दावनलाल वर्मा के 'सोना' (१९५२ई) उपन्यास में शालिवाहन कुम्हार के ऊपर सामाजिक अत्याचारों का चित्रण मिलता है। हरिजन लोग भले ही कर्मों का नुकसान न करें तो भी किस प्रकार राज परिवार के लोग हरिजनों का शोषण करते हैं, व उनको परेशान करते हैं, इसी का चित्रण हमें 'सोना' (१९५२ई) उपन्यास में प्राप्त होता है। अनूप सिंह, जो देवगढ़ के बड़ा राजा धुरन्धर सिंह का साहू है, शालिवाहन कुम्हार पर जबर्दस्ती सामाजिक अत्याचार करता है। डुंगरिया में कुम्हार शालिवाहन रहता है। वह अपने स्कमात्र गधे को बहुत पीटता है। मिट्टी के बर्तन बनाकर उसी गधे पर लाद-लादकर हाट बाजार ले जाता है तथापैसे कमाता है, परन्तु विचारे को इतना खाने के लिए नहीं देता जितना काम लेता है। एक दिन अनूप, जो कि राजा का संबंधी है, गधे को बेभाव पीटते देख लेता है। कुम्हार ने उस गधे का नाम अजूबा रखा है। गधा तो छोटा है, पर कुम्हार उस पर बर्तन बहुत लाद कर ले जाता है। उट्टों कहावत को तरह 'नीचो दुकान का फीका पकवान'। शायद इसीलिए कुम्हार ने उसका नाम अजूबा रख छोड़ा था। अनूप सिंह जाकर पंचों से कुम्हार की शिकायत करता है,--'संध्या समय अनूप मुखिया के घर गया। वहां गांव के कुछ पंच भी बैठे हुए थे। अनूप ने कुम्हार की शिकायत की।

'गधे को भी इतना नहीं मारा जाता। कुम्हार बिल्कुल कसाई है।'

'गधे में अकल आती भी तो पीटने से ही है।'

'और अगर पीटते-पीटते मर जाय गरीब अजूबा तो?'

'मर जायगा तो कुम्हार का ही नुकसान होगा, हमारा कुम्हारा क्या ले जायगा कुंवर साहब?'

१. वृन्दावनलाल वर्मा : 'फांसी की रानी लक्ष्मीबाई' (१९४६ई, पृ० सं० ४६)।

‘बिना जीम का पशु है ।’

‘जीम तो उसकी इतनी लम्बी है कि ठिकाना नहीं । जब रेंकता है तब हाथ-हाथ भर निकाल देता है ।’

‘पर इस कुम्हार का इलाज तो करना ही पड़ेगा ।’

‘कर डालो । तुम्हारे लिये बायें हाथ का खेल है । ले आओ आज्ञा किसी दिन महाराज की ।’

‘इस जरा से मामले को देवगढ़ ले जाऊँ’

राजा के लोगों का कितना आतंक हरिजनों तथा अन्य लोगों पर कितना पड़ा है, इसका भी चित्रण ‘सोना’ (१६५२) में मिलता है । हरिजन वर्ग तो सवर्ण हिन्दुओं के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता, पर सवर्ण हिन्दु वर्ग को हरिजनों को सताने में आनन्द मिलता है । अनूप गधे के पास जाकर उसको कुछ कर देता है, जिससे कुम्हार के सब बर्तन टूट जाते हैं, अनूप गधे के कान के पास फुका । एक बार उसने कुम्हार की ओर देखा और एक क्षण गधे के कान के पास रुका था कि कुम्हार ने जो कुछ देखा उससे सब हँसी चली गई । गधे ने जोर के साथ दुलती फेंकी । अनूप कुछ दूर खड़ा था । दुलती फेंकने के कारण गधे पर लदी जाली एक ओर झिक गई और सारे बर्तन अनूप से भी दूर जा पड़े और चकनाचूर हो गये ।

यह गधा घर की ओर भागा । कुम्हार के होश गुम । अनूप अपनी पुंगी से कशों का धुआँ उड़ा रहा था ।

‘हाय, हाय, यह क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया मेरे अजूबे को ? सब चौपट हो गया । मेरे सारे बर्तन टूट गये ।’

‘आगे से कभी मत ठोक्ना-पीटना उसको । मैंने उससे पूछा था आज तुमको कितना पीटा गया ? अजूबे को याद आ गई । क्रोध से मर गया । दुलती फाड़ी और कल दिया । बस ।’

‘हायरे मैं मर गया ।’

‘गधे को जब पीटा था, तब अपने भविष्य की सोच लेनी चाहिए थी ।’

‘मैं फारियाद कहां पंचायत में । तुमने न जाने उसको क्या कर दिया है ।’

१. वृन्दावनलाल वर्मा : ‘सोना’ (१६५२), पृ० सं० ६४।

अजुबा भावान के यहां फरियाद करेगा । जाओ ।

कुम्हार गधे की पकड़ने और पंचायत में फरियाद करने चला गया ।^१

लेखक शालिवाहन कुम्हार पर हुए सामाजिक अत्याचार से सहमत नहीं है । वर्मा जो सामाजिक अत्याचार के विरोध में शालिवाहन कुम्हार का विद्रोहात्मक व्यक्तित्व हमारे सामने रखा है । शालिवाहन कुम्हार अपने ऊपर बिना अपराध के, अत्याचार को सहन नहीं कर पाता है । उसमें अनूप सिंह के विरुद्ध प्रतिहिंसा की भावना जगती है । इसी कारण वह पंचायत में फरियाद करता है । शालिवाहन का पंचायत में अत्याचार के विरुद्ध फरियाद करना इस बात को सिद्ध कर देता है कि वर्मा जो का 'सोना' (१९५२) में हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण पुनरुत्थानवादी है । वे हरिजनों का उत्कर्ष दिखाना चाहते हैं, अपकर्ष नहीं । यदि वर्मा जो की सहानुभूति हरिजन पात्र के साथ नहीं होती, तो शालिवाहन का पुरातन परम्परा के अनुसार ज्यों का त्यों चित्रण करते, जिसमें अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट करने की भावना हो नहीं होती ।

'उदयास्त' (१९५८) में चमारों के सामाजिक उत्पीड़न का भी चित्रण मिलता है । मंगतु के बेगार न करने पर राजा उसकी औरत को पीटने के साथ फोपड़ी के जलाने का हुक्म देता है;—^२ मैं हुक्म देता हूँ कि इस चमार के बच्चे की फोपड़ी में इसी वक्त आग लगा दी जाय और उसकी औरतों को नंगी करके पेड़ से लटका दिया जाय ।^३ राजा उसको कड़ा दण्ड देने का आदेश करता है, --'उस चमार के बच्चे को छोड़ना नहीं । ऐसा सबक सिखाना कि दूसरों को भी नसीहत रहे ।'^३

लेखक मंगतु चमार के ऊपर होने वाले अत्याचार से असन्तुष्ट है । वह अत्याचार का विरोध करता है । वहीद मिश्री कहता है, --'लेकिन रस्सी जल गई चचा, मगर ठ रेंठ अभी बाकी है । ये बुर्जुए अभी तक अपने वही पुराने हथियार

१. वृन्दावनलाल वर्मा : 'सोना' (१९५२), पृ० सं० ६७।

२. चतुरसेन शास्त्री : 'उदयास्त' (१९५८), पृ० सं० ३४।

३. वही, पृ० सं० ३५ ।

आजमाना चाहते हैं। जनता का राज है, पर उन्हें तो चमारों से बेगार लेनी ही होगी। उन्हें भी तो सोचना चाहिए कि अब ये चमार नहीं हरिजन हैं।^१ लेकिन मंगत के अटल निश्चय को धोषणा करता हुआ कहता है, - 'हमारे करोड़ों भाइयों पर ये लोग सदियों से जुल्म करते आए हैं। हम लोग व जो कल तक अछूत थे और आज हरिजन बन गए हैं, सदियों से पीड़ित और पददलित हैं। अब तो हमें उमरना होगा - अपने ही बलबूते पर।'^२

राजा का चमारों का उत्पीड़न तो उचित नहीं लगता है। तंग आकर ही इन्सान जंग पर तुल जाता है। ये स्वर्ण तब तक हरिजनों का खून पीने से बाज नहीं आयेगे। जब तक कि इनका खात्मा न कर दिया जाये। ये स्वर्ण लोग (राजा जैसे लोग) बुझदिल हैं, जो अपनी कमजोरी छिपाकर दूसरों पर दबाव डालते हैं, लेकिन उनकी हालत उस तपेदिक के मरीज की जैसी है, जो खून थूक रहा हो और दम तोड़ रहा हो। अब उनका अंत समय आ पहुंचा है। मंगत की कपोपड़ी जलाना तथा औरत को पीटने का हुक्म देकर तो राजा ने सामाजिक दृष्टि से तो अपराध किया है। एक सताये हुए प्राणी को राजा ने और सताया है।

गर्म लहरें जमीन के नीचे जब तक उबलती हैं, तब तक उनका किसी को पता नहीं होता है। लेकिन जब वे ज्वार-भाटे के रूप में तूफान बनकर सामने ऊपर आती हैं, तब दुनियां उन्हें देख पाती है। यही स्थिति हरिजनों की भी है। हरिजनों के अन्दर गर्म लहरें सदियों से उठती रही हैं, पर वे संगठित न होने के कारण ऊपर उठ न सके। पर अब तो सरकार के सहयोग से हरिजन ऊपर की ओर उठ रहे हैं। सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी बाढ़ या प्रगति को कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। लेकिन अन्त में राजा के भी विचारों से परिवर्तन कर हरिजनों के क्षेत्र में क्रांति उपस्थित कर देता है, बुजुर्गों की तो सभी बातें बदल रही हैं। हमारे बुजुर्गों की जमींदारियां छिन गईं। अब हम लोगों के मालिक

१. चतुरसेन शास्त्री : 'उदयास्त' (१९५८), पृ० सं० ४३।

२. वही, पृ० सं० ४४।

कहाँ रहे । अब तो समानता का युग है । सबको बराबर बनकर रहना पड़ेगा^१ । लेखक मंगतु की अंत में विजय दिखा कर यह सिद्ध कर देता है कि उनके ऊपर होने वाला अत्याचार गैर कानूनी है, मेरा भी यही मत है कि हरिजनों को आज के समाज में उचित न्याय मिले, समानता का स्तर हो ।

जमींदार वर्ग

जमींदार वर्ग भी हरिजनों के ऊपर अमानुषिक अत्याचार का व्यवहार करते हुए चित्रित किए गए हैं । जमींदार वर्ग किस प्रकार हरिजनों का शोषण करता था, इसका परिचय से हमें विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' के उपन्यास 'भित्तारिणी' (१९२३) में मिल जाता है ।

'कौशिक' जो के 'भित्तारिणी' (१९२३) उपन्यास में भी पासियों की निम्न सामाजिक स्थितियों का चित्रण मिलता है । उच्च वर्ग के लोग हरिजनों के साथ कैसे नौकरों से भी नीचा व्यवहार करते हैं, इसका चित्रण विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' के 'भित्तारिणी' (१९२३) उपन्यास से मालूम होता है ।

'भित्तारिणी' (१९२३) उपन्यास में रामनाथ मैकू सहित अनेक पासियों के सहित जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं । पर दुर्भाग्यवश शिकार खेलते वक्त उनको चोट लग जाती है । जब ठाकुर अर्जुन सिंह पूछते हैं तो एक पासी कहता है-- 'मालिक हम रह और मैकुवा रहे ।' जब ठाकुर अर्जुन सिंह, रामनाथ के घायल होने को सुनकर कोड़ा लेकर बढ़ते हैं तो रामनाथ कहते हैं-- 'ठाकुर साहब ये बेचारे निरपराध हैं, इनको कुछ मत कहिये, नहीं तो मुझे दुःख होगा ।' रामनाथ के कहने पर ठाकुर अर्जुन सिंह पासियों से कहते हैं-- 'अच्छा जाओ दफ्त छोड़े देहत हैं, आगे कबहुं ऐसी गफलत करिही तो साल उड़ाय दीन जाई ।' अर्जुन सिंह

१. चतुरसेन शास्त्री : 'उदयास्त' (१९५८), पृ०सं० ४८।

२. विश्वम्भरनाथ 'कौशिक' : 'भित्तारिणी', पृ०(१९२३), पृ०सं० १३७ ।

३. वही, पृ०सं० १३८ ।

४. वही, पृ०सं० १३८ ।

कट्टर जात्री है तथा हुआकृत की भावना में विश्वास रखने वाले हैं, इसीलिए वे पासियों को गलती न करने पर भी मारने दौड़ते हैं। 'कौशिक' जी को 'भिला-रिणी' (१६२१३) उपन्यास में हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण अत्याचार वादी रहा है, सुधारवादी नहीं। लेखक ने कहीं पर भी ठाकुर अर्जुन सिंह के अत्याचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई है। पासियों की ओर कोड़ा लेकर मारने दौड़ना तो 'कौशिक' जी के हरिजनों के प्रति संकुचित भावना को प्रदर्शित करता है। कहीं भी लेखक हरिजनों के उत्थान की भावना को प्रकट नहीं करता है।

ठाकुर अर्जुन सिंह का पासियों को निरपराध होने पर भी कोड़ा लेकर मारने दौड़ना सामाजिक दृष्टि के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। हरिजन लोग भी तो मनुष्य है तो फिर मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद कैसा? अतः हम कह सकते हैं कि ठाकुर अर्जुन सिंह का व्यवहार कठोरता का परिचायक है, उदारता का नहीं।

शिवपूजन सहाय के 'देहाती दुनिया' (१६२५३) उपन्यास में जमांदार के द्वारा हरिजनों के सामाजिक शोषण वर्ग के प्रतिनिधि हैं। 'देहाती दुनिया' (१६२५३) में पलटू चमार के ऊपर बाबू साहब के अत्याचार का चित्रण हुआ है। बाबू सरबजोत सिंह एक बीधा सेत के लिए ब्रह्महत्या करते हैं। इस कारण उनपर गांव वाले उनके ऊपर ब्रह्मदोषी का आरोप लाते हैं। उनके विवाह हो जाने पर गांव वालों ने कहना शुरू किया कि-व्याह तो हो गया, पर बंस न चलेगा हां, हम लोगों को बड़ी सुविधा हुई। जब तक भी स बैलों और गाय-भैंसों के घावों में कीड़े पड़ते थे, तब बेटा बेचने वालों के सात नाम लिखकर उनके गले में बांधने के लिए नामों का पता लगाना पड़ता था। पर अब तो केवल 'मनबहाल सिंह' का नाम ही काफी होगा। चूंकि मनबहाल सिंह सरबजोत

सिंह के स्वसुर हैं, अतः वह दिन-रात इसी फिराक में रहने लगे-- किसी को ऐसा कहते-सुनते पकड़ पाऊँ, तो उसको पीठ को छाल उधेड़ डालूँ। इसी कारण वे खेदू कहार के ऊपर अत्याचार करते हैं तथा बाद में पलटू चमार के ऊपर भी अत्याचार करते हैं, कुछ दिनों के बाद पलटू चमार को भी खेदू की सी दशा हुई। पर खेदू की तरह पलटू लाचार नहीं था। वह जूतियां गांटकर पेट पालने का वाला चमार नहीं था। वह था ईसाई चमारों का सरदार। अपने समाज में उसकी बड़ी सास और धाक थी। सन् १९५०ई० के पहले भारतीय समाज में जमींदारों का बोलबाला था। वे निम्न जाति का सामाजिक शोषण करते थे, उसी का चित्रण शिवपूजन सहाय ने 'देहाती दुनिया' (१९२५ई) उपन्यास में किया है। लेखक का 'देहाती दुनिया' (१९२५ई) में हरिजन के प्रति दृष्टिकोण अत्याचार पूर्ण रहा है, क्योंकि उपन्यास में कहीं भी बाबू सरबजीत सिंह के द्वारा पलटू चमार के ऊपर हुए अत्याचार का विरोध नहीं किया है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि लेखक हरिजनों के उत्थान के सचेष्ट नहीं हैं। 'देहाती दुनिया' (१९२५ई) उपन्यास में शिवपूजन सहाय बिना कारण पलटू चमार को पिटवाते हैं। यह तो जमींदार के उन्माद को अवस्था का परिचय देता है। हमारे समाज में सभी लोग बराबर माने जाते हैं, फिर पलटू चमार के ऊपर हुए सामाजिक अत्याचार का हम समर्थन किसी प्रकार नहीं कर सकते हैं। बिना कारण कोई किसी पर अत्याचार करता है, तो उसका विरोध हर दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। अतः इनसे स्पष्ट हो जाता है कि पलटू चमार के ऊपर बाबू सरबजीत सिंह ने जो अत्याचार किया है, वह सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता। यह तो सही बात है कि यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो गांव वाले उसको दोषी ठहराएँ ही। यदि सरबजीत ठीक दोषी है तो वह क्यों अपने बारे में सत्य बात नहीं सुनना चाहते? अतः हमारा दृष्टिकोण

१. शिवपूजन सहाय : 'देहाती दुनिया' (१९२५ई), पृ० सं० २२।

२. वही, पृ० २३।

है कि बिना कारण पलटू चमार को पिटवाना एक सामाजिक अपराध के समान है, जिसके दोष से बाबू सरबजीत बच नहीं सकते। हमारे विचार से किसी व्यक्ति के गुण, मानसिक प्रवृत्तियाँ, स्वभाव तथा समाज -व्यवस्था का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता है। जमींदारी-व्यवस्था एक ओर तो हरिजनों में भय, अविश्वास, आत्महीनता के भावों को पुष्ट करती हैं तो दूसरी ओर जमींदारों को अभिमानी निर्दय और निरंकुश बना देती है।

नागार्जुन के 'वरुण के बेटे' (१९५७) नामक उपन्यास में महुआ जाति के वर्ग संघर्ष को चित्रित किया गया है। ^{तिम्न-} वर्ग के व्यक्तियों को जीवनन्यापन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, यही इस उपन्यास का मूल तत्त्व है। मलाही तथा गोंडियारी दो गांव हैं। अत्यन्त निकट होने के कारण दोनों एक ही गांव के दो भाग प्रतीत होते हैं। यहां के अधिकांश निवासी महुआ हैं। गढ़-पोखर से महुलियां पकड़ कर जीवनन्यापन करते हैं। गढ़ पोखर अबाम की तीखी खुरदरी जुबान पर घिसते-घिसते 'गरोखर' बन गया है, 'गरोखर' और उससे पच्छिम कोस भर का इलाका देपुरा के मैथिल जमींदारों के अधिकार में था। कभी वे सबमुच 'बाबू साहेब' और 'साहूकार' थे। तिरहुत के खानदानी शासक^१ 'जमींदारी का उन्मूलन होता है। जमींदार 'गरोखर' को सतघरा के जमींदार के हाथ बेच देता है। वह गांव के अन्य महुओं को 'गरोखर' से महुली नहीं पकड़ने देता है। महुए इस नई व्यवस्था का विरोध करते हैं। संघर्ष प्रारम्भ होता है, 'एकदम गढ़पोखर पर हमेशा अपना अधिकार रहा है। जमींदार जल-कर लेता था, हम देते थे। नया तरीका दूसरे-तीरे गांव के महुओं को महुलियां निकालने का ठेका देता चलेगा और हम अपने पुश्तैनी अधिकारों से वंचित होकर रुलते फिरेंगे, मला यह भी क्या मानने की बात है।' मोला, नकहेदी तथा गंगा सहनी ने तीन हजार रूपया देकर 'गरोखर'

१. नागार्जुन : 'वरुण के बेटे' (१९५७), पृष्ठ सं० ३१।

२. वही, पृष्ठ सं० ३४।

का पट्टा लिखवाया था । मक़लियां निकाले जाने पर आधा हिस्सा उसमें मजदूरी होती थी तथा आधा हिस्सा तीनों मिल कर बांट लेते । नया मालिक मक़ली पकड़ने के प्रश्न पर पुलिस को बुला देता है । अंचलाधिकारी पट्टे को देखकर वापस चला जाता है—'कागजात साफ़ बतला रहे थे कि पुश्त पुश्त गद्दपोखर से मक़लियां निकालने का हक़ भला हो—गोदियारी के मक़ुजों का क़ला आया है । मालिक बदलता रहा है, लेकिन असाही कमी नहीं बदले हैं । परजमांदार शान्त नहीं होता । जमांदार तथा मक़ुजों के बीच का संघर्ष जन्म लेता है । इसमें स्त्रियां तक भाग लेती हैं । अन्त में पुलिस इन सब को पकड़ ले जाती है । मक़ुजा गिरफ्तार होकर 'मक़ुजा संघ जिन्दाबाद' का नारा लगाते हुए चले जाते हैं ।

लेखक मक़ुजों के ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करता है । वह नहीं चाहता कि इनका पुश्तैनी अधिकार समाप्त हो जाय । मक़ुजों के द्वारा लेखक ने अपने विरोध को प्रकट किया है तथा उनके अटल निश्चय की घोषणा की है—'मक़ुजों का संगठन तय कर चुका था, कि किसी भी स्थिति में घुटने नहीं टेकेंगे । सतधरा वालों का नया प्रभुत्व गैर कानूनी है, सर्वथा ग़लत है, वे गद्दपोखर की सीमाओं के अन्दर उन्हें घुसने नहीं देंगे ।'

नये जमांदार के द्वारा मक़ुजों को मक़ली न पकड़ने देना तो अत्याचार है । इसे हम सामाजिक तथा नैतिक दृष्टि से भी उचित नहीं कह सकते हैं । इसका कारण है कि मक़ुजों का जीवन इन्हीं के ऊपर टिका होता है । उन्हें मक़ली पकड़ने के अधिकारों से वंचित कर देना तो एक गंभीरतम अपराध के समान है, जो तर्कसंगत भी नहीं लगता है । मक़ुज विरोध प्रकट करते हुए कहते हैं—'यह पानी सदा से हमारा रहा है, किसी भी हालत में हम इसे छोड़ नहीं सकते। पानी और माटी न कमी बिके हैं, न कमी बिकेंगे । 'गरोखर' का पानी मामूली पानी नहीं है, वह तो हमारे शरीर का लहू है । जिनगी का निचोड़ है ।'

१. नागार्जुन : 'वरुण के बेटे' (१६५७), पृ०सं० ७८।

२. वही, पृ०सं० १२७।

३. वही, पृ०सं० ३३ ।

जमांदार अपनी कूटनीति का प्रयोग भी करता है। वह गंगा-सहनी को मिला लेता है। पर अन्ततः जमांदार असफल होकर रह जाता है। सत्य का पलड़ा भारी पड़ने लगता है। मकसू साम्यवादी विचारों से भी प्रभावित लगते हैं;— 'इन्किलाब जिन्दाबाद..... मकसूआसंघ जिन्दाबाद..... हक की लड़ाई जीते। जाते।..... गढ़पोखर हमारा है, हमारा है।..... यह संघर्ष घटना आधारित होने की अपेक्षा साम्यवादी विचारों से उद्भूत वर्ग संघर्ष पर आधारित है।'

बैजनाथ गुप्त के 'जीवन : जीवक आग और आंसू' (१९५८) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचारों को चित्रित किया गया है। ठाकुर साहब चमार के लड़के को पीटते हैं। लड़के का अपराध इतना है कि वह एक दिन उनके बाग में भूल से चला जाता है, तो इसी बात को लेकर ठाकुर रनबाज सिंह उसको पीटते हैं;—कई व्यक्ति ठाकुर रनबाज सिंह को पकड़ने की चेष्टा कर रहे थे, किन्तु ठाकुर साहब उस लड़के को बुरी तरह से मारते चले जा रहे थे। मार वे लड़के को रहे थे, किन्तु शरीर उनका कांप रहा था। साथ ही कहते जा रहे थे-- इन सालों ने क्या समझ रखा है। सरकार बदल गई तो क्या जादमी भी बदल गए। जिस दिन संसार में ऊंच-नीच, गरीब-अमीर, छोटे-बड़े का भेदभाव मिट जायगा, उस दिन दुनिया का भी लोप हो जायगा। चमार के लौंडे की इतनी हिम्मत। इसका बाप सरपंच है तो क्या साला हमसे बड़ा हो गया। चमार तो चमार...।

सुकसू ने बीच में ही बोलते हुए कहा -- नहीं मालिक। सरपंच होये से कतठ जाति बदल जाये। रहे तो चमार का चमारह।

'नहीं, नहीं जब से जमांदारी खत्म हुई है, देखता हूँ इन सालों के पंख लग गए हैं।

१. नागार्जुन : 'वसुधा के बेटे' (१९५७), पृष्ठ १३०।

२. सरोजनी त्रिपाठी : 'बाधुनिक हिन्दी उपन्यासों में वस्तुविन्यास' (१९७३),

पृष्ठ २१८।

सुरे अपने को लाट साहब समझने लगे हैं। बुलाओ उधर तो जाते हैं उधर साधे मुंह बात ही नहीं करते। मगर ये नहीं समझते, अपनी दाहिनी भुजा खिलाते हुए, इसमें सुर्यवंशी क्षत्रिय का रक्त है। एक-एक को काट कर फेंक दूंगा। देखता हूँ कौन मेरा रोंगा पाता है। जमींदारी खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि धोबी चमारों से दबकर चलूंगा। मेरा नाम ठाकुर रनबाज सिंह है। बड़े-बड़े डिप्टी कलेक्टरों को जूते से मार चुका हूँ। दरोगा तक तो मुफसे धबड़ाता है। पंचायतें क्या बन गई हैं, इन नीचों के पंख लग गए हैं। देखता हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेता है।^१ इतना कहने के पश्चात् उन्होंने झुपट कर उस लड़के के मासूम कपोलों पर तीन-चार चट-चट-चट फिर जमा विश।

‘ठाकुर साहब जाह्न दया। अब कर्मों ने आपकी आगी में पैर रखे। सुकृ ने ठाकुर साहब के पैर को दाहिने हाथ से छूते हुए कहा।^२

ठाकुर कहते हैं, -‘लात के देवता बात से नहीं मानते। आज इसके हाथ-पैर तोड़ दूंगा। साले दो साल पहिले मेरे नाम से थरति थे और आज लूट मचाए हुए हैं।’

ठाकुर साहब इतना मारते हैं कि फिंगुरी बेहोश हो जाता है, ‘फिंगुरी बेहोश पड़ा है। ठाकुर रनबाज सिंह उसे मार रहे हैं। कई व्यक्ति उन्हें मारने से रोक रहे हैं। बाग के रखवारे और चरवाहों की भोड़ लगी हुई है। बाबू साहब जामा करो। बहुत ही गया। मर जायगा।’ लालू ने हाथ जोड़ते हुए कहा।

‘कौन ब्राह्मण है जो हत्या लगेगी। मर जाने दो साले को।’^४

१. बैजनाथ गुप्त : जीवन: जाग और आंसू, (१९५८), पृ०सं० १८।

२. वही, पृ०सं० १८।

३. वही, पृ०सं० १८।

४. वही, पृ०सं० २०।

लेखक हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार के प्रति मुक दर्शक नहीं बना रहता । वह ठाकुर के अत्याचार का स्पष्ट विरोध करता है कि उनका कार्य गलत है । एक औरत कहती है,--'अरे बहिनी अहसन मारइ का चाही । ठाकुर अहेन व अपने घरे का अहेन । आम तोरे रहाततदुष्ट चार थबरा मारि देते न । अहसन नाह देखे कि किहू के लरिका का जान निकारि लेइ ।' कोई कहती जा रही थी,--'येनका सबका केउ पुखार नाह वा । गरीबई मनई का सब मारत गरियावाथई ।' कोई कहती जा रही थी,--'अबहीं हमार सभे का मनई इनके सबके लरिकन क मारि देहे होत त देखतु । जान लहलेतन, जान ।'

ठाकुर रनबाज सिंह से किंगुरी की जो पिटाई की है, वह तो सरासर अन्याय है । माना कि उसने उनके बाग से आम चुराये, तो वे दो-चार फापड़ मार लेते, पर यह तो उचित नहीं लगता कि वे किसी हरिजन को जान ले लेंगे । ठाकुर रनबाज सिंह का यह विचार भी तर्कयुक्त नहीं लगता कि जिस दिन संसार में ऊंच-नीच का भेद-भाव मिट जायेगा, उस दिन दुनिया का लोप भी हो जायेगा । आज तो समानता स्थापित हो रही है, पर दुनिया तो अपनी जगह है, जिस तरह पहले थी । वास्तव में कण्ठ ठाकुर को जमींदारी से हाथ धोना पड़ा है, इसलिए वह क्रोध में जमारों को पीट कर अपना गुबार निकालता है । सरकार ने सन् १९५०ई० में जमींदारी तोड़ी थी । चूंकि यह उपन्यास उसके आस पास के समय लिखा गया है, अतः इस उपन्यास में ठाकुर के जमींदारी प्रवृत्ति का परिचय मिलता है । ठाकुर सोचते हैं कि जमींदारी के समय जो रोब था, वह अब भी बना रहे । पर युग बीतने के साथ सब बदल जाता है । जब जमींदारी टूटी तो लाखों जमींदार बेकार हुए तथा उनकी जमीन के मालिक काश्तकार लोग बन बैठे । इस तरह सरकार ने हरिजनों को ऊपर उठाने की चेष्टा की । कृष्ण लाल ठाकुर के चरित्र का विश्लेषण करता हुआ कहता है,--'तुम नहीं जानते लालू । इनकी हालत सिसियाई बिल्ली की तरह है । खूब हराम की दाद लगी थी । कितने घरों में अब शाम को बूत्ते नहीं जलते । ठकुराइन साहब अलग मुंह

फुलार रहती है, क्योंकि चौका-वर्तन भी अब उन्हीं को करना पड़ता है। गांठ में पैसा है नहीं कि नाइन-बारिन रक्के। नौकर-चाकर भी छोड़कर भागे जा रहे हैं। किसी से अपने दर्द को कह भी नहीं सकते। अपने हाथ से काम करेंगे नहीं, क्योंकि शान में बट्टा लगता है। लोग काम करते देखेंगे तो क्या कहेंगे। सबसे बड़ा भय तो उन्हें अपनी फुटी डज्जत का है। जैसे-जैसे के लिस परीशान हैं मगर शान वही रखना चाहते हैं। सेंठ वही है जो पहिले थी। रस्ती जल गई मगर सेंठन न गई।

रामचन्द्र तिवारी के 'नवजीवन' (१९६३) उपन्यास में हरिलाल चमार के ऊपर जमींदार तथा कारिन्दा का अत्याचार चित्रित किया गया है। हमारा समाज हरिजनों को हमेशा से निम्न कोटि का समकता चला आया है, इसीलिये समाज में प्रायः हरिजनों का उत्पीड़न होता है। ठाकुर शिवनन्दन सिंह तथा कारिन्दा दोनों मिलकर हरिलाल हरिजन का सामाजिक शोषण करते हैं। जब कारिन्दा हरिनाथ हरिजनों का उत्पीड़न करते हैं तो हरिलाल, हरिनाथ के विषय में ठाकुर शिवनन्दन सिंह से कहता है—'ठाकुर दादा, कारिन्दा साहब भा तो आदमी को आदमी नहीं समकते। गाली सदा जबान पर बनी रहती है। यदि एक पड़ गया तो क्या गुरा हुआ ?'

हरिनाथ अपने चमार की इस स्पष्टवादिता पर चौंक पड़ते हैं। वे बोसकर हरिलाल से कहते हैं—'क्यों रे चमार के, बुप नहीं होता ? अभी कान पकड़ कर बाहर निकाल दूंगा।' 'साले बाबू तुम बैठे रहो, तुम अभी कान पकड़ कर निकाल दोगे, यह हो सकता है मैं चला जाऊंगा, पर अभी घण्टे भर में तुम्हारी बहिन का संदेशा पहुंचेगा।'

इस बात पर हरिनाथ चमार को पीटना चाहता है। वह इतना पीटना चाहता है कि बस जान ठिठ्ठो निकल जाये पर वह अपनी इच्छा पर संयम

१. वैजनाथ गुप्त : 'जीवन आग ओर आंसू', (१९५८), पृ०सं०२१।

२. रामचन्द्र तिवारी : 'नवजीवन' (१९६३), पृ०सं०७१।

रखता है, क्योंकि अगर हरिलाल बोभार पड़ जाता है तो उसके अलिखान का काम रुक जायेगा । हरिलाल को बहन को खेतो-बारी में हरिलाल दाहिना हाथ है, अतः इसीलिए हरिनाथ जोल नहीं पाता ।

रामचन्द्र तिवारी का 'नवजीवन' (१९६३ई) उपन्यास में हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सुधारवादी है । लेखक ने हरिलाल चमार के माध्यम से हरिजनों को विकट सामाजिक परिस्थिति के विरुद्ध विद्रोह को चित्रित किया है । लेखक हरिजनों के ऊपर अत्याचार को नहीं चाहता, बल्कि वह तो हरिजनों का उत्थान चाहता है । रामधन कहता है, -- 'हरिलाल ठीक कहता है, उसने और भी करिदे दिये हैं, उनको सेवा की है, पर ऐसा बदमिजाज नहीं देता ।' हरिलाल के ऊपर अत्याचार दिखाने के साथ-साथ उसमें सामाजिक अत्याचार के विरोध में विद्रोह की भावना भर दी है ।

हरिलाल के ऊपर जो अत्याचार कारिन्दा के द्वारा किया जाता है, वह ठीक नहीं कहा जा सकता है । जो व्यक्ति अपने मालिक की निःस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, मालिक के द्वारा उसी का उत्पीड़न कहां तक अधिक कहा जा सकता है ? हरिलाल के तो हरिनाथ का सेवक, उसके खेत को जोतता है तो फिर दण्ड देने की बात अनुचित लगती है । यदि हरिलाल स्वयं उसका नौकर न होता तो भी हरिनाथ के द्वारा हरिजनों का शोषण समाज में हम उचित नहीं ठहरा सकते हैं । लेखक हरिजनों के अत्याचार के प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण रखता है, इसीलिए हरिलाल अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का उटकर मुकाबला करता है । जब ठाकुर शिवनंदन सिंह, हरिनाथ से हरिजनों के बारे में कहते हैं, -- 'आजकल ये शूद्र बहुत सिर चढ़ गये हैं । ताड़ना न दीजिए तो वज्र में न आर्यें । अच्छा किया जो रामधन के एक लगा दिया । इस चमार के भी यदि एक लग जाता तो....' इसी बात पर हरिलाल काम छोड़ कर

१. रामचन्द्र तिवारी : 'नवजीवन' (१९६३ई), पृ०सं० ७२ ।

२. वही, पृ०सं० ७४ ।

कहता है, 'हाँ दादा, चमार पीटने के ही लिए तो हैं। अपना काम छोड़ कर, हारी बीमारी भुलाकर तुम्हारा काम करें और ऊपर से गाली खायें, मारने की धमकी खायें।' हरिनाथ बाबू, ये हैं तुम्हारे बेल। कहो तो खोलकर बांधें। मेरे बस का यह काम नहीं। पिटना और मजदूरी करना है तो सड़क पर मदद लग रही है। भावान सब को देता है। हरिलाल का यह कथन ही हरिनाथ तथा ठाकुर शिवनन्दन सिंह के अत्याचारों का खुलकर चित्रण कर देता है। हरिलाल का चरित्र निम्नकोटि का नहीं है, बल्कि वह सर्वोच्च हिन्दू ठाकुर शिवनन्दन सिंह तथा हरिनाथ से उच्च है। वह जन्म से ऊपर निम्न जाति का व्यक्ति है, पर जमांदार तथा कारिन्दा के समान नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है। प्राचीन वर्ण-व्यवस्था में हरिजनों के प्रति उच्च वर्ण की अपेक्षा भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक बुराई थी और आज भी यह बुराई उसी रूप में विद्यमान है, जिस तरह प्राचीन समय में थी, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि कितने भी हरिजनों के उत्थान के लिए कार्य किये गये हों पर आज भी हरिजनों के साथ प्राचीन समय से भी अधिक कुआकृत की भावना हमारे इस समाज में व्याप्त है। उच्च वर्ण जो कि हरिजनों की अपेक्षा करता है, इसको दूर किये बिना समाज का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है।

पूँजीपति वर्ग

जिसप्रकार हरिजनों के ऊपर राजवर्ग अमानुषिक अत्याचार करता था, उसी प्रकार पूँजीपति वर्ग भी हरिजनों को सताता था। हिन्दी उपन्यासकारों की दृष्टि से यह ओझल न हो सका। उन्होंने अपने उपन्यासों में इस अमानुषिक अत्याचार का समग्र चित्रण किया है।

वृन्दावनलाल वर्मा के 'भुवन विक्रम' जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है, में कपिंजल (१९६५) शूद्र के ऊपर सामाजिक अत्याचार का चित्रण मिलता है। कपिंजल शूद्र है, शूद्र है न? नाम ?' हूँ तो, नाम कपिंजल है।'

१. वृन्दावनलाल वर्मा : 'भुवन विक्रम' (१९५७, पृ० सं० ११)।

व्यापारी वर्ग किस प्रकार अपने दासों पर अत्याचार करते हैं, इसका चित्रण 'मुवन विक्रम' (१९५७) में हुआ है। कपिंजल शुद्र नील व्यापारी का दास है। नील की बेटी हिमानी तथा अयोध्या का राजकुमार साथ-साथ तौर चलाने का अभ्यास करते हैं। मुवन के तौर लक्ष्य पर सीधे नहीं पड़ते हैं, कपिंजल ने तुरन्त मुवन के कान में खुसफुस को, विदेशी प्राणि को ह्योकरी के सामने हारें। अब की वार कसके, कसके ध्यान के साथ साधा। मुवन का तौर लक्ष्य पर जा पड़ा। मुवन के मन में कपिंजल के लिए कुछ अनुराग उत्पन्न हुआ।

हिमानी ने कपिंजल के वाक्य का कुछ अंश तो सुन ही लिया। मेघ को भी बुरा लगा।

'शुद्र ! तेरो यह अनधिकार बेष्टा।' मेघ का घुटा हुआ क्रोध कपिंजल पर बरसा। हिमानी को आंस में भी लाल डोरे गहरे हुए। कपिंजल ने अविचलित स्वर में कहा--'मैंने क्या किया ?'

'दास होकर यह सब।' मेघ गरजा और हिमानी को आज्ञा दी, --'ले जाओ बेटी हिमानी इसको यहां से।' इसी पर शुद्र कपिंजल की सारी देह सूज गई, पर वह आह और कराह लेने के सिवाय चिल्ला नहीं रहा था। उसका बचाने वाला वहां था भी कौन ? पिटते-पिटते अचेत हो गया। हिमानी को लगा कहीं मर न जाय। वैसे दासों के प्राण उनके स्वामी या राजा के हाथ में रहते थे, जब जो जितना प्रबलतर हो बैठे।' निरपराध पर अत्याचार करने से नील के सभी दास भाग जाते हैं।

लेखक का कपिंजल शुद्र के अत्याचार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है। वर्मा जी कपिंजल के अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट करते हैं।

१. वृन्दावनलाल वर्मा : 'मुवन विक्रम' (१९५७), पृ०सं० १३।

२. वही, पृ०सं० १६।

जब कपिंजल दास को पकड़ने के लिए नील भुवन से सहायता मांगता है तो भुवन
इन्कार कर देता है, -- 'मैं दास प्रथा को अच्छा नहीं समझता हूँ । हमारे
यहाँ कहा है कि ऊपर उठना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का लक्ष्य है....
कपिंजल या किसी भी दास को पकड़-धकड़ में मैं कोई सहायता न कर सकूंगा ।'
इसी प्रकार जब नील के आदमी कपिंजल को पकड़ने के लिए धौम्य महर्षि के
आश्रम में जाते हैं तो महर्षि का शिष्य आरुणि, नील के नौकरों से कहता
है, -- 'लौट जाओ । यहाँ से तो इस दुःखी शरणागत को तुम्हारा राजा
रौपक भी पकड़ कर नहीं ले जा सकता ।'

'भुवन विक्रम' (उपन्यास) में कपिंजल शुद्र के ऊपर जो अत्याचार
किया गया है, वह सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है । कपिंजल शुद्र का
कोई अपराध नहीं है । वह तो निरपराध है । अगर उसने भुवन से यह कह दिया
कि तुम भी लक्ष्य की तोर के द्वारा भेद दो, तो उसने कौन सी गलती की ।
इस बात पर हिमानी द्वारा उसकी पिटाई करना कहां तक उचित कहा जा
सकता है । इससे यही तो स्पष्ट हो जाता कि समाज में हरिजनों का निम्न
स्थान है तथा उनके ऊपर सर्व वर्ग जो चाहे सी अत्याचार कर सकते हैं ।
साथ ही साथ समाज में दासों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है । कपिंजल
शुद्र नील का नौकर (दास) रूप न चुका पाने के कारण ही जाता है । दास
होने के कारण नील उसपर जो अमानुषिक अत्याचार करता है, वह अनुचित
है । मेघ, हिमानी सब अत्याचारी शासक के समान हैं । एक तरफ तो वे
कपिंजल शुद्र को बगैर अपराध पिटवाते भी हैं तो दूसरी ओर राजकुमार भुवन
से शिकायत भी करते हैं, -- 'असल में तुम्हारे पिता के शिथिल शासन के कारण
ही दासों और शुद्रों ने इतना सिर उठा रक्खा है ।'

१. वृन्दावनलाल वर्मा : 'भुवन विक्रम' (१९५७, पृ० सं० २७।

२. वही, पृ० सं० ४६ ।

३. वही, पृ० सं० १२

कुएं से पानी न भरने देना

वर्णाश्रम-व्यवस्था में शूद्रों को निम्न स्थान दिया गया है । उदियों से उनके साथ भेद-भाव का अर्थात् किया जाता रहा है । समाज के लोग हरिजनों के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं कि उनको कुएं से पानी भी नहीं भरने देते । अधिकांश उपन्यासकारों ने इस समस्या को चित्रित किया है ।

राजेन्द्र अवस्थी 'तृषित' के 'सूरज किरन की छांव' (१९५६) में हरिजन के ऊपर सामाजिक ताड़ना का चित्रण मिलता है । तिजरिया मिहतरानी है जब वह कुएं पर पानी भरने जाती है तो उसे लोग (पंडित वर्ग) पानी नहीं भरने देते हैं । समाज में हरिजन का हमेशा अलग वर्ग माना गया है । उनका अलग कुआं भी बना दिया जाता है । सर्वण हिन्दू लोग अपने कुएं से पानी नहीं भरने देते हैं । तिजरिया जब पानी भरने जाती है तो ग्रेसरी अपनी माभी से कहती है, -- 'अरी वही तिजरिया, जो हमारे मैदान में फाड़ लगाती है ।'

'तिजरिया मिहतरानी ?'

'हां-हां वही, कुएं में पानी भर रही थी, पण्डित के लड़के ने देख लिया तो गांव भर की मड़का दिया । गांव के लोग लूट लेकर दौड़ आये, बोले, उसकी इत्तों हिम्मत ।'

'जब वह चिल्लायो तो गंगा के डुमार भी आ गये, चमारों ने उनका साथ दिया, महारों ने मड़काया और बसोरों ने लूट दिये ।'

'हां माभी नहीं हुआ । चमार तथा डुमारों का अलग कुआं है, वे उसी में पानी भरते हैं कहते हैं, आज एक मंस उसमें डूब मरी । जब तक उसे निकाला न जाय, पानी कहां से आये, सो आज बेचारी यहां चली आयी ।'

'यह तो सराब हुआ' मैंने कहा, 'किसी पण्डित को पानी भरकर उसे दे देना था ।'

'पण्डित क्यों दे माभी ?' ग्रेसरी ने आसँ चढ़ाकर कहा, -- 'कुआं गांव भर का है,

पण्डितों के बाप का नहीं । उससे सब पानी भर सकते हैं । तुम नहीं जानतीं
इसे अपने पादरों ने बनवाया है । पहले इस गांव भर में कुआं नहां था ।

‘फिर लोग पानी कहां से लाते थे ? मैंने प्रश्न किया, उसने
कहा, ‘सामने के नाले से । गर्मां में यह भी सूख जाता था । फाड़ों के नौचे
फिरिया खोदकर पानी उलोचते थे ।’

‘हमारे गांव में तो अब भा यही होता है गेसरी । तुम्हारे
पादरी बड़े दयावन्त है ।’

राजेन्द्र अवस्थी का ‘सुरज किरन की ह्रांव’ उपन्यास में
हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सुधारपूर्ण है । लेखक पंडित वर्ग के अत्याचार
का विरोध करता है, जो कि उचित भा है । लेखक ने इस उपन्यास में सामाजिक
अत्याचार का विरोध करते दोनों पक्षों में (चमार तथा पण्डित वर्ग) में संघर्ष
को भावना को भा चित्रित किया है ।

तिजरिया मिहतरानो को कुएं से पानी न भरने देना तो
सामाजिक अपराध है । हमारे समाज में हरिजनोंको हेय दृष्टि से देखा जाता
है, इसीलिए उनको हर तरह से सताया जाता है, उनको कुएं से पानी
न भरने देना, रोटी-बेटी का संबंध न करना आदि । ‘सुरज किरन की ह्रांव’
(१९५६) उपन्यास में भी तिरिया मिहतरानो के साथ सवर्ण हिन्दू वर्ग अपनी
पुरानी करनी को दोहराता है, जिसपर संघर्ष तक की नौबत आ जाती है ।
पर लेखक ने संघर्ष दिखाया नहीं है । प्रश्न उठता है कि जब समाज में सब लोग
बराबर हैं तो किसी वर्ग पर क्यों अत्याचार किया जाए ? पर इन अत्याचारों
को देखकर लगता है कि सामाजिक उच्च व्यवस्था का कहीं नाम नहीं है । जैसे
पुलिस वर्ग अपराधी को न पकड़कर सीधे लोगों को सताती हैं, उसी प्रकार समाज

१. राजेन्द्र अवस्थी : ‘सुरज किरन की ह्रांव’ (१९५६), पृ० सं० ४६ ।

में उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोग अर्थात् हरिजनों के साथ नाचता का बर्ताव करते हैं। हरिजनों के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार करना उच्च वर्णों का जैसे आजन्म अधिकार बन गया है और यही मुख्य कारण है कि उच्च वर्ण के लोग को हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचार करते समय तनिक भी जलेश नहीं पहुंचता है। हरिजनों को हम कुएं से पानी नहीं भरने देते पर जब कुआं गंदा हो जाता है तो हरिजनों से ही उसे साफ करने के लिए टोकनी बलवाड़ी जाती है। यह प्रश्न उठता है कि जब हरिजन के स्पर्श मात्र से कुएं का जल अशुद्ध हो जाता है, तो फिर कुएं में हरिजन जो उतर कर गन्दगी निकालता है तो क्या कुआं का पानी स्वच्छ रह सकता है? अगर इस प्रश्न का उत्तर हम हां में देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब साफ करने से जल अशुद्ध नहीं होता तो हरिजन के स्पर्श से भी जल शुद्ध हो रहेगा। यदि हम इस उपरोक्त प्रश्न का उत्तर हम ना में देते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि कुएं का जल अशुद्ध हो गया तो वह पण्डित वर्ण के (सवर्णों) पीने लायक तो नहीं रह जाता है। पर हमारे समाज में तो सवर्ण लोग उसी कुएं का पानी पीते हैं तो फिर अक्षुत्पन की भावना ही कहाँ रहे? अतः हम कह सकते हैं कि तिजरिया मिहतरानी का कुएं पर पानी भरना कोई सामाजिक अपराध नहीं है। जब समाज हरिजनों के हाथ से साफ किया गया कुएं से पानी को शुद्ध समझ कर पीते हैं तो तिजरिया मिहतरानी का कुएं से पानी लेने पर कोई अशुद्धता नहीं आ सकती है। राजेन्द्र अवस्थी पर गांधी जी के अक्षुत्पन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वे तिजरिया मिहतरानी के पानी न भरने क देने पर समाज के सवर्णों के प्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त किये बिना नहीं रहते।

रामदरश मिश्र के 'सुस्ता हुआ तालाब' (१९७२) में मुरतिया बमार के ऊपर सवर्ण हिन्दुओं के द्वारा अत्याचार किया जाता है। रामलाल, मुरतिया को कुएं से पानी नहीं भरने देते हैं। धुरपतरी का बेटा जब कुएं पर पानी भरने के लिए चढ़ता है तो रामलाल जो कि शिवलाल का बेटा है, उसको

मार देते हैं, शिवलाल के बेटे रामलाल ने घुरपतरी के बेटे को मारा है। घुरपतरी का बेटा मुरतिया नाद भरने के लिए कुएं पर चढ़ गया। उसने देखा नहीं कि रामलाल भी पानी भर रहे हैं। बस इसी पर रामलाल ने कई फापड़ रसीद दिये मुरतिया को।^१

लेखक ने मुरतिया के अत्याचार के प्रति विरोध नहीं प्रकट किया है। मोतीलाल कहते हैं,-- 'अरे जाने दीजिए, शम्पड़ हा गया तो कौन वाला मर गया। अब बमार सियार के पीछे लिए पट्टीदार से लड़ाई करने जाऊं। जब गांव के लोग दूत-हात मानते हैं तो थोड़ा ठहर कर ही पानी भरता मुरतिया उसे इतनी जल्दी क्या थी? बात यह है कि इन सालों का भी काम में मन लगता नहीं, जल्दा-जल्दी काम करके तार-भाठ करना चाहते हैं।^२ ऐसा लगता है कि इस उपन्यास में लेखक हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार का समर्थन कर रहा है।

रामलाल ने बिना अपराध मुरतिया को पानी नहीं भरने दिया है तथा उसको पीटा है, तथा यह सब करके रामलाल के ने सामाजिक दृष्टि से अपराध ही किया है। अगर कोई स्वर्ण हिन्दू किसी हरिजन को पानी भरने के लिए तमाचे मारता है तो यह बहुत बुरी बात है। मोतीलाल जैसे नेता से तो हरिजनों का उत्थान नहीं हो सकता है। मोतीलाल जैसे नेता तो एक तरफ हरिजनोत्थान का नारा लगाते हैं तथा दूसरी तरफ उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों के प्रति उदासीन रहते हैं। मोतीलाल, जैराम से कहते हैं-- 'आप लोग बुनियादी ७ बातों को नहीं समझते, छोटी-छोटी बातों को महत्त्व देकर ऊन्हीं में समय जाया करते हैं। सामाजिक जिन्दगी बड़ी पेचीदा होती है, उसे सतही, और सीधे ढंग से नहीं समझा जा सकता।' ऐसा लगता है कि

१. रामदरश मिश्र : 'सुकता हुआ तालाब' (१९७२, पृ० सं० १९।

२. वही, पृ० सं० २१।

३. वही, पृ० सं० २२।

स्वयं लेखक यहाँ पर हरिजनों के प्रति भेदभाव बरत रहा है, एक कुएं पर बाभन और हरिजन पानी नहीं भर सकते । यह तो एक चिरंतन ईश्वरी व्यवस्था है ।^१ लेखक ने हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध न करके हरिजनों के प्रति न्याय नहीं कर बल्कि अन्याय किया है । रामलाल तो सवर्ण हिन्दू पात्र के हैसियत से पुरानी-परम्परा के प्रभाव के कारण अत्याचार करता है । आवश्यकता इस बात की है कि सवर्ण हिन्दुओं के मन में हरिजनों के प्रति प्रेम उत्पन्न किया जाये तभी हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार को समाप्त किया जा सकता है । आज भी समाज में हरिजनों के साथ बसकैसा भेद-भाव बरता जाता है, इसका भी चित्रण मिलता है, -- 'देखो सारे चमारिया ने प्रसाद कुकर अपवित्र कर दिया । अब इस प्रसाद का क्या होगा ।' लेखक व्यंग्य करता है, -- 'धर्मेन्द्र क्रोध से थुक फेंक रहे थे, जिसके कण लोगों के केहरों को पवित्र कर रहे थे ।

'कौन है हो मास्टर धरमेन्द्र, केनइया का भाई है क्या ?' कह कर जैराम ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ धर्मेन्द्र शिवलाल और दयाल की ओर देखा ।

'मैं क्या जानूँ कौन है ? चमारौटो भर की पहचानने का ठीका लिया है क्या ?'^३

हरिजनों की निम्न सामाजिक स्थिति के लिए सवर्ण हिन्दू ही जिम्मेदार हैं । ये ही लोग हरिजनों की सामाजिक उन्नति के मार्ग में बाधा डालते हैं । आज भी समाज हरिजनों में परहेज करता है । यह कहाँ तक उचित है कि समाज में हरिजनों का उत्पीड़न किया जाए । यदि केनइया का भाई प्रसाद कु देता है तो क्या हुआ ? क्या वह मनुष्य नहीं है ? क्या वह उसी ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है, जिसके बनाये सवर्ण हिन्दू हैं ? लेखक ने जैराम के द्वारा सवर्ण हिन्दुओं की कुजाकृत भावना पर व्यंग्य किया है ।

१. रामदरश मिश्र : 'सुखता हुआ तालाब' (१९७२), पृ०सं० २२ ।

२. वही, पृ०सं० ३७ ।

३. वही, पृ०सं० ३७ ।

समाज का अमानुषिक व्यवहार

सदियों से यह प्रथा चली आ रही है कि समाज में हरिजनों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाए। उपन्यासकारों का दृष्टि समाज के जघन्य कृत्यों के ऊपर गई है। समाज के सर्वोच्च लोग परम्परावादी-दृष्टिकोण का लाम उठाकर उनका शोषण करना अपना धर्म समझते हैं। उच्च वर्ण के लोग हरिजनों को मनमाना वस्त्र तक धारण नहीं करने देते। सभी प्रकार से वे हरिजनों का शोषण करने से बाजू नहीं आते। 'रंगभूमि' (१९२५ ई.) में सुभागी के बकलूपर भी होने वाले अत्याचार का प्रेमचन्द ने चित्रण किया है। सुभागी, भैरो पासी की पत्नी है तथा एक साधारण पासिन के रूप में प्रेमचन्द ने 'रंगभूमि' (१९२५ ई.) उपन्यास में सुभागी उन रूपियों को वापस कर देती है। फलस्वरूप गांव वालों के कहने से भैरो उसको पीटता है तथा सूर के घर रहने के कारण दुश्चरित्र होने का भौ उस पर आरोप लगाता है। प्रेमचन्द सुभागी पर अत्याचार होने देने के पक्ष में नहीं है। सुभागी के चरित्र द्वारा प्रेमचन्द मैत्री जगत् पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया है। जिस प्रकार सुभागी सास और पति द्वारा दोनों से त्रस्त, दोनों से उपेक्षित और तिरस्कृत, ठीक उसी प्रकार वर्तमान युग में आज भी हरिजन वर्ग की नारियां अपने पारिवारिक-जीवन में दुःख भोगती हैं। प्रेमचन्द ने दाम्पत्य-जीवन के टूटन को भी उभारा है। सुभागी बुचबाप सारी पीड़ा और भर्त्सना आंचल में मुंह छिपाये पीती रहती है, क्योंकि सुभागी भारतीय नारी का प्रतीक है। सुभागी भीतरो रूप से अपने अभिष्ट नारी-अस्तित्व की मजबूरियों का भान करते हुए, दुखी जिन्दगी के दिन काटती रहती है, किन्तु प्रेमचन्द के महान् समाज-द्रष्टा की आंखों से सुभागी की यह दशा छिपी रह न सकी। उनका सुधारवादी गांधी दौड़ा हुआ पाण्डेपुर गांव आया, बिना इस बात का संकोच करते हुए कि वह बस्ती पासी तथा चमारों जैसी हरिजनों की बस्ती है, जहां गन्दगी तथा कीचड़ का नरक है। जैसे भिलारी, चमार सूरदास के मन में पैठकर उन्होंने अपनी चिरसंचित संवेदन को सुभागी के आंचल में उड़ेल दिया, जिसे पाकर सुभागी के सुखे मन की धरती भींग उठी, रोम-रोम पुलक उठा, जिसे पाकर वह

सारी दुनिया से लड़ाई लेकर प्रत्येक कष्ट को सहने को तैयार हो गईं। उसकी ग्रंथियां खुली और स्वभिमान जा उठा। यही तो प्रेमचन्द चाहते थे।

सुभागी के माध्यम से लेखक ने स्त्री-सम्बन्धी विचार भी प्रकट किये हैं। प्रेमचन्द दाम्पत्य-टूटन को स्वीकार नहीं किया है। अन्त में उन्होंने फिर से पति-पत्नी का मेल करवा दिया है। सुभागी अपने दाम्पत्य-जीवन वैषम्य के कारण दुःखी तथा पीड़ित है और जो समाज से घिरा हुआ है, जहाँ वह अपनी मर्म-व्यथा का एक शब्द भी बोलकर जी हल्का नहीं कर सकता। अतः सुभागी एक का प्रधान नारी पात्र के रूप में हमारे सामने आती है।

सुभागी का चरित्र किसी कुलीन वर्ग की सच्चरित्रता नारी से कम नहीं है। वह सुरदास को अपना भाई मानती है तथा इसी पावन भावना में अन्त तक उसको सेवा करती है। जब उसी सुभागी के हाथ में पैसे आ जाते हैं तो परिवार में उसको दृष्टि बढ़ जाती है। इस प्रकार सुभागी के चरित्र विकास के द्वारा प्रेमचन्द ने एक और अशिक्षित तथा निम्नवर्गीय ग्रामीण समाज के वैषम्यपूर्ण दुःखी जीवन का यथार्थपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है, तो दूसरी ओर उन गुणों का संकेत भी किया है, जिनके द्वारा दाम्पत्य-जीवन की वह विषमता दूर की जा सकती है। हम कह सकते हैं कि प्रेमचन्द ने सुभागी के चरित्र के द्वारा अनेक स्त्री-सम्बन्धी समस्याएँ उठाई हैं तथा उन समस्याओं का चित्रण करने में लेखक पूर्ण सफल रहा है। प्रेमचन्द ने सुरदास तथा सुभागी पर हुए अत्याचार को चित्रित करने में पूर्ण सफलता पाई। सुरदास तथा सुभागी पर जो अत्याचार होता है, उसको किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

'गोदान' (१९३६ई०) में हीरी के ऊपर सामाजिक अत्याचार को भी चित्रित किया गया है। गोबर भोला अहीर की पुत्री मुनिया से प्रेम करता है। जब मुनिया को गर्भ रह जाता है तो गोबर उसको घर पहुँचा कर लसनऊ-भाग जाता है। इधर मुनिया तो पहले मुनिया के घर रहने जाने पर आपत्ति

करता है, पर बाद में उसे घर में बहू समझकर रख लेता है। इस बहाने गांव के मुखियों को होरी पर कथक्क अत्याचार करने का मौका मिलता है। वे उस पर दण्ड लगाते हैं कि उसने अपना बहू को घर में क्यों रखा? यह तो एक अत्याचार ही तो है कि अगर कोई अपने घर में अपना बहू को रखता है तो उस पर क्यों दण्ड लगाया जाय? पंच लोग उसके खेत के अनाज को ले लेते हैं। होरी कहता है, 'पंचो, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नहीं ब न हो, अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कोई चीज हो।' प्रेमचन्द का होरी के प्रति क्रोध इस अत्याचार के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। धनिया कहता है, 'पंचो गरीबों को मताकर खुल न पाओगे, इतना समझ लेना। हम तो मिट जायेंगे, कौन जाने, इस गांव में रहें या न रहें, लेकिन मेरा सराप तुमको मां जरूर से जरूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जरीबाना इसलिए च लिया जा रहा है, कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा। क्यों उसे घर से निकाल कर सड़क की भिखारिन नहीं बना दिया।' धनिया अत्याचारों का विरोध करता हुई कहता है, 'ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून झूसने वाले। सुद-व्याज, देदी-सवाई, नजर-नजराना, घूस-घास, जैसे भां हो, गरीबों को लूटो।' अतः स्पष्ट ही जाता है कि लेखक इस अत्याचार के पक्ष में नहीं है।

धनिया को लेकर मुखियों द्वारा किया गया अत्याचार से किसी को सहानुभूति नहीं हो सकती है। यह तो असामाजिक वातावरण का निर्माण रखता है। होरी तो बेचारा निर्दोष है। वह तो अपना बहू को अपने घर में शरण देता है। किसी की पराई बेटि को शरण नहीं देता। अगर होरी किसी की बेटि को शरण देता तो पंच उसके साथ अत्याचार करते तो यह एक उचित परम्परा कही जाती, पर पंचों ने निपराध होरी को दण्ड देकर अनुचित परम्परा की नींव डाली है।

१. प्रेमचन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृ०सं० ८२।

२. वही, पृ०सं० ८१।

फणीश्वरनाथ 'रेणु' के 'परती: परिक्था' (१९५७ई०) उपन्यास में मलारी चमाइन के ऊपर सवर्णों के द्वारा अत्याचार को चित्रित किया गया है। मलारी चमाइन में लेखक ने पर्याप्त जागरूकता दिखाई है। वह पढ़ लिख लेती है। पर समाज के लोग उसे नौकरी नहीं करने में चाहते हैं। महीचन कहता है, 'क्यों गई थी, अररिया कोढ़ ? पूछ, अपनी बेटो से। किसके हुकुम से गई थी ? किसके साथ गई थी, पूछ। इसपर मलारी को मां कहती है, 'सरकारी काम से गई थी। सरकारी नौकरी करती है, सरकारो हुकुम नहीं मानेगी? गांव के लोगों का कलेजा जलता है। वे बात को बात नहीं बोलेंगे, तो कलेजा ठंडा कैसे होगा ?'

मलारी को लोग सर्विस करने में जो बाधा उपस्थित करते हैं, उससे लेखक सहमत नहीं है। वह विरोध प्रकट करता है। मलारी को मां कहती है, 'जात धरम की बात पोछे करना। पहले यह फैसला करो कि मलारी सरकारी नौकरी करे या नहीं ? जात से फाजिल पढ़कर हमारी बेटो ने हास्टरी पास किया है। परजात वालों की छाती जलती है। तरह-तरह की बात उड़ावेंगे वे।'

मलारी के सर्विस करने पर वे लोग बाधा डालते हैं उनकी में समाज का शत्रु मानता हूं, उन्हें समाज का हित रक्षक नहीं मानता हूं। चूंकि हमारे यहां हरिजनों को निम्न स्तर की दृष्टि से सवर्ण लोग देखते हैं, अतः वह उनकी उन्नति देना नहीं चाहते। हरिजन तो वैसे ही पिछड़े हुए हैं। पर जो हरिजन लोग तरक्की करते हैं। उनके मार्ग में अनेक रोड़े अटकाये जाते हैं। मलारी के साथ भीवही होता है। लेखक ने हरिजन पात्र में पर्याप्त चेतना का विकास दिखाया है। प्रस्तुत उपन्यास के हरिजन पात्र में अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह की भावना मिलती है, जो कि उचित ही है।

रामप्रसाद मिश्र के 'कहांया क्यो' (१९६०ई०) उपन्यास में भी हरिजनों के ऊपर अत्याचार को चित्रित किया गया है। 'कहां या क्यो' (१९६०ई०) उपन्यास में सवर्ण हिन्दू वर्ग के द्वारा मन्वीरा धोबी पर सामाजिक अत्याचार किया

१. फणीश्वरनाथ 'रेणु' : 'परती: परिक्था' (१९५७ई०), पृ० सं० २०५।

जाता है। 'कहां या क्यों' (१९६०ई०) उपन्यास में सर दिग्विजयनाथ की लड़की सुलोचना पर हेमचन्द्र नाम का दुष्ट प्रकृति का आदमी उस पर बुरी नज़र डालता है। उधर सर दिग्विजयनाथ रणजयनाथ को दामाद बनाने के लिए कृत संकल्प थे। उधर रणजय के पिता इसी वर्षा विवाह कर डालने के लिए आतुर थे। किन्तु वह इतनी बड़ी रियासत का मूल्य समझते थे। सबसे बढ़कर रणजय यही सम्बन्ध करने के लिए निश्चय किस था। दिग्विजयनाथ को उससे बढ़कर लड़का मिलना असम्भव दिखता था। अतः वह सब कुछ करने को तैयार थे। पर हेमचन्द्र उनके रास्ते में पत्थर बन गया है। अतः वे मनोहरपुर के धोबी परिवार के प्रमुख महबीरा को बुलवा भेजते हैं। महबीरा उनकी यह इज्जत बचाने के लिए हेमचन्द्र का विरोध करता है, तो इस पर हेमचन्द्र महबीरा को पहले मरवाता है तथा बाद में कत्ल करवा देता है, 'सहसा बाईं ओर से विस्फोटमयी ध्वनि उस वन्य प्रदेश में भरती हुई एक गोली आकर महबीरा की कनपटी के ऊपर वाले भाग में घुस गई। खून की बौछार करते हुए वह गिर पड़ा और उसी के साथ ही अज्ञात हेमचन्द्र भी भयाकुल धराशायी हो गया। महबीरा के मुख से दस-बारूह घायल, मृतप्राय सिंह की सी दुर्बल दहाड़े निकलीं, और उसके नेत्र बन्द हो गए।'

'कहां या क्यों' (१९६०ई०) उपन्यास में हरिजननों के अत्याचार के प्रति मिश्र जी का दृष्टिकोण सहानुभूति पूर्ण नहीं हैं। यद्यपि उनके हरिजन पात्र में सामाजिक चेतना पाई जाती है। महबीरा, हेमचन्द्र का विरोध करते हुए अपना प्राण दे देता है। पर कहीं भी लेखक महबीरा की प्रशंसा नहीं करता है कि उसने उचित कार्य के लिए अपने प्राण दिये हैं। लेखक महबीरा के मौत पर मौन धारण कर लेता है, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि लेखक पुररतनवादी व्यवस्था के अनुसार हरिजननों पर अत्याचार करने का पक्षपाती है।

'कहां या क्यों' (१९६०ई०) उपन्यास में लेखक कहीं भी सवणों के अत्याचार को गलत नहीं निरूपित करता है। महबीरा पर जो

१. रामप्रसाद मिश्र : 'कहां या क्यों' ? (१९६०ई०), पृ०सं० १२६।

अत्याचार किया गया है, उसको जान से मार कर हेमचन्द्र ने अपनी घृणित प्रवृत्तियों का परिचय दिया है। अत्याचार करना हमें मानवतावादी दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता है।

महवीरा का उच्चकोटि का चरित्र है। वह तो दिग्विजय नाथ के कहने पर सुलोचना बहन की इज्जत को बचाने के लिए अपने जान पर खेल जाता है। वह इस बात को नहीं सोचता कि उसका आगे क्या होगा? अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि महवीरा में समाज-सुधारक के भी गुण मौजूद हैं।

महवीरा घोबी तो केवल हेमचन्द्र को कुपथ से संवेष्ट कराता है, पर वह तो उसकी जान क ही ले लेता है, -- महवीरा का भयानक आतंक था। उसने उसी दिन हेलान करके हेमचन्द्र की सारी पकी फसल कटवा ली। बटाई वाले गरीब किसान रोते ही रह गए। हेमचन्द्र थाने को चला महवीरा ने रास्ते में ही धेर लिया। ललकारा-नूरे खां लौंडा था। मैं महवीरा हूँ। हुकुम राजा साहब का है। आगे बढ़े तो जान ले लूंगा। तुम क किस खेत की मूली हो तहसीलदार तजमुलहुसैन का मैंने भरे बाजार का कत्ल कर डाला था। तब तो कुछ हुआ ही नहीं। कौन इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, जो मेरे खिलाफ गवाही दे सके? मनोहरपुर से भाग जाओ। इसी में मलाई है। हेमचन्द्र के बिल्कुल विपरीत महवीरा है। हेमचन्द्र यदि दुष्ट प्रकृति का पुरुष है तो महवीरा उच्च गुण वाला आदमी है, जिसमें सामाजिकता की भावना भरी हुई है।

हेमचन्द्र निम्न कोटि के चरित्र वाला है। एक ओर तो वह सुलोचना को बर्बाद करता है तो दूसरी तरफ राजपती को भी बर्बाद करता है। राजपती तो उसके अत्याचार से तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। हेमचन्द्र, सुलोचना से कहता है, -- विषमताओं का नाम ही जीवन है। हम तुम एक हैं, सदा रहेंगे। किन्तु विश्व में बाह्य रूप से नहीं, अन्तरतर में आंतरिक

१- रामप्रसाद मिश्र : 'कहाँ या क्यों?' (१९६०ई०), पृ० सं० ७७।

रूप से^१ और दूसरी तरफ वह राजपतो से शादी कर लेता है। एक दिन सुलोचना, हेमचन्द्र के घर बिना बताये चली जाती है। दरार में से झांक कर देखा, दालान में एक चटाई पर लेटा हेमचन्द्र उसी चटाई पर बैठी एक नितान्त सुन्दरी किशारी से कह रहा है— तो तुम प्यार करना भी जानती होगी राज्ञ ?

सुलोचना का सिर चकरा गया, वह संज्ञाशून्य हो गई, किन्तु खड़ी-खड़ी सुनती रही। बीच-बीच में इधर-उधर देख भी लेती थी। दरार से झांक कर अन्दर का दृश्य भी देखती जातो थी। राज ने कई बार पूछे जाने पर इस प्रश्न का उत्तर दिया-- तुम भी जानते होगे^२। सुलोचना भी यह देख कर तय कर लेती है कि अब कभी हेमचन्द्र से बात तक न करेगी, उसके विषय में कुछ सोचनी भी नहीं। फिर भी हेमचन्द्र उसका पीछा नहीं छोड़ता और उससे मिलता रहता है। सुलोचना की नादानी से उसको जिन्दगी तबाह होती है। अतः हम कह सकते हैं कि महबीरा, सुलोचना की जिन्दगी बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, पर वह असफल हो जाता है। महबीरा नामक हरिजन पात्र को हम सहायक कह सकते हैं, जो कि उचित भी है। महबीरा तो हेमचन्द्र की दुष्टता के लिए दण्ड देने को कृत संकल्प रहता ही है,^३ चाहे प्राण चले जाएं, पर हेमचन्द्र को मैं न जीने दूंगा। हेमचन्द्र इतना दुष्ट है कि वह विद्यालय के अपने सहयोगियों को परवाता-विखाता है तथा साथ ही साथ मिल में हड़ताल भी कराता है। इससे महबीरा तथा हेमचन्द्र दोनों के चरित्रों के गुण-अवगुण हमारे सामने स्पष्ट हो जाते हैं।

हेमचन्द्र को दण्ड मिलना चाहिए, पर दंड मिलता है निर्दोष पात्र महबीरा को। क्या यह समाज में उचित है कि ऐसे व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने दिया जाये जो कि दो औरतों की जिन्दगी को बर्बाद करता है? सामाजिक दृष्टि से तो यह उचित है कि ऐसे लोगों को स्वयं समाज के ही

१. रामप्रसाद मिश्र : 'कहां या क्यों' (१९६०ई०), पृ०सं०७३।

२. वही, पृ०सं० ६४।

३. वही, पृ०सं० १२५।

द्वारा दण्ड दिया जाये पर चूंकि हरिजनों की स्थिति सवर्ण हिन्दुओं के मुकाबले कमजोर है, अतः इसीलिए कहां या क्यों ? (१९६०ई०) में हेमचन्द्र जैसे दुष्ट व्यक्ति को दण्ड नहीं मिलता है ।

'पानी के प्राचीर' (१९६१ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचार का चित्रण मिलता है । इस उपन्यास के हरिजन पात्र निरबल तेली के ऊपर सवर्णों द्वारा सामाजिक अत्याचार किया जाता है । मुखिया का लड़का ह मदेश कहता है,-- 'हां, भाइयो, निरबल तेली का गोहरा साफ साफ उड़ा लो । सिर पर काले-काले गोहरे लादे हुए लड़के भाग रहे हैं । खबरदार कोई देखने न पाये ।'

मिश्र जी तेली के ऊपर होने वाले अत्याचार के समर्थक नहीं है । वह हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करते हैं । मिश्र जी चूंकि हरिजनों-त्यानवादी लेखक है, अतः उन्होंने अपने हरिजन पात्रों में इतनी जागरूकता दिखाई है कि वे अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध कर सकें । निरबल तेली पात्र में भी अत्याचार के प्रतिरोध करने की दायता भरी हुई है । निरबल तेली कहता है,-- 'अरे उल्लुओं, भागते क्यों हो ? तेली-बतमौली गांव में इसीलिए होते हैं । हम लोगों का यह हक होता है कि उनकी चीजें होली में डाल दें । कहता हुआ आज की बाल-मंडली का अगुवा मदेश निरबल तेली पर पिल पड़ता है । कहा-सुनी हो जाती है । मुखिया का बेटा मदेश निरबल तेली पर दो-तीन लाठी जमा भी देता है । निरबल का जी मसोस कर रह जाता है । मुखिया का बेटा न होता तो उसे यहां दबा कर चुरमूर कर देता, किन्तु क्या करे वह ?'

निरबल तेली के ऊपर मुखिया के लड़के ने जो अत्याचार किया है, वह तर्क संगत नहीं लगता । मदेश सवर्ण वर्ग का सदस्य है तथा निरबल

१. रामदरश मिश्र 'पानी के प्राचीर' (१९६१ई०), पृ०सं० २ ।

२. वही, पृ०सं० २ ।

तेली हरिजन वर्ग का सदस्य है। महेश का निरबल तेली को जबर्दस्ती परेशान करना इस बात को साबित कर देता है कि हरिजन लोग तो दुष्ट चरित्र के नहीं होते, पर सवर्ण लोग दुष्ट चरित्र के होते हैं। निरबल तेली का तो कोई अपराध नहीं है। महेश का उस पर अत्याचार करना सरासर अन्याय है। महेश का चित्रण एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में हुआ है। नीरू ब्राह्मण के द्वारा भी लेखक इस घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त करता है, -- 'यह हमारा अन्याय है कि हम निरबल तेली का गोहरा भी उजाड़े और उसे मारें भी।' वह आगे खे कहता है, -- 'भाइयो, होला में हमें पुरानी और सही गली चीजों को डालना चाहिए। होली में हम लोग अपने पुराने गम को, बैरभाव को जलाते हैं और नया जीवन शुरू करते हैं। यह उपला लोगों का जीवन है, इसे होला में डालना गुनाह है।' इस दुर्घटना का निरबल तेली पर क्या असर होता है, लेखक उसका वर्णन करते हुए कहता है, -- 'निरबल तेली आहत होकर घर में सरक जाता है।' सवर्ण हिन्दू लोग अपनी हूटी-सी खुशी के लिए हरिजन के घर का सत्यानाश कर देते हैं। सवर्ण लोगों को तो ऐसे दुष्कर्म करने पर दंड का विधान होना चाहिए।

भागवती प्रसाद बाजपेई के 'कर्मपथ' (१९६७ई०) उपन्यास में धन्नी चमार की लड़की सुन्दरिया पर सामाजिक अत्याचार का चित्रित किया गया है। ठाकुर लोग किस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए हरिजनों का शोषण करते हैं, इसका चित्रण 'कर्मपथ' उपन्यास (१९६७ई०) में मिलता है। मदन ठाकुर सुन्दरिया को रात में अपने घर आने के लिए कहता है। सुन्दरिया अपने ऊपर होने वाले अत्याचार की सूचना फतुहा अहीर को देती है, -- 'सुन्दरिया आंस में आंसु भर कर बोली -- भैया तुम्हारे होते हुए अब गांव की लड़कियों की इज्जत यों ही लूटी जायगी।' फतुहा बोला -- 'बात क्या है, साफ-साफ ब क्यों नहीं कहती?' मदन ठाकुर ने रात को बुलाया है। कहा है कि न आजोगी तो

१. रामदत्त मिश्र : 'पानी के प्राचीर' (१९६१ई०), पृ०सं० २।

२. वही, पृ०सं० ३।

३. वही, पृ०सं० ३।

जबरन उठा ले जायेंगे ।^१

फतुहा सन्नाटे में आ गया । क्रोध के कारण उसका रक्त खौलने लगा ।

तभी सुन्दरिया फिर बोली--'जरा सोचो तो भैया, तुम्हारी मेहरारू भी तो अपने बाप के घर है । उससे कोई ऐसा कहे तो उस पर क्या बीतेगी । गांव में तुम्हारे सिवा कोई ऐसा वीर नहीं जो मदन ठाकुर से टक्कर ले सके ।'^२

लेखक 'कर्मपथ' (१९६७ई०) उपन्यास में सुन्दरिया के प्रति जो अत्याचार हुआ है, उससे सहमत नहीं है । बाजपेई जी हरिजनों के उत्थान को चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मदन ठाकुर को पंचों के बीच बुलाया है तथा उस पर चमारिन के प्रति किए गए अत्याचार के दोष से विमूषित किया है, गांव भर के बड़े-बूढ़े और पंच जमा थे । भीखु पहलवान ने उसी समय हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि सब लोग जमा हैं । अभी फैसला कर दें, नहीं तो रकाव को लाश यहाँ पड़ी दिखाई देगी । लोगों के समझ में आ गयी ।

उसी जगह पंचायत बैठ गयी और सुन्दरिया को बुलाने के लिए आदमी भेज दिया गया ।

सुन्दरिया ने आकर सब बात कह दी ।^२

मदन ठाकुर का धन्नी चमार की लड़की सुन्दरिया के ऊपर अत्याचार का दृष्टिकोण अनुचित है । समाज में हरिजन औरतों को बहुत ही घृणित नजर से देखा जाता है, इसी बात का चित्रण 'कर्मपथ' (१९६७ई०) उपन्यास में मिलता है । वैसे समाज के हर वर्ग में स्त्रियों की दशा गिरी हुई है । पर हरिजन औरतों की दशा तो उससे भी निम्नतर है । हरिजन औरतों को लोग केवल अपनी वासना पूर्ति का साधन मानते हैं । मदन ठाकुर भी सुन्दरिया से अपनी

१. भगवतीप्रसाद बाजपेयी : 'कर्मपथ' (१९६७ई०), पृ०सं० १०४ ।

२. वही, पृ०सं० १०६ ।

वासनापूर्ति चाहता है। इसीलिए तो उसे रात में अपने घर बुलाता है। सुन्दरिया अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखक के हरिजन पात्र में अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना है। मदन ठाकुर फत्तुहा के कहने पर कहता है कि --सुन्दरिया फूठ बोलती है। वह खुद मेरे पास रुपया मांगने आयी थी। मैंने नहीं दिया, इसी कारण वह मुझ पर तोहमत ला रही है।

मगर फत्तुहा पर भूत सवार था। उसने कहा-- इस तरह काम नहीं चलेगा ठाकुर साहब। सुन्दरिया के सामने यही बात कही पड़ेगी।

सम्भव था कि मदन ठाकुर इसके लिए तैयार भी हो जाते क्योंकि वे समझते थे कि अपने मित्रों की गवाहियां दिलाकर वे उसे फूठा सिद्ध कर देंगे।

परन्तु फत्तुहा का कहना था -- इस तरह नहीं, पहले उससे माफी मांगनी होगी और फिर कहना होगा कि वह मेरी बहन है।

मदन ठाकुर इसके लिए तैयार न हुए।

मदन ठाकुर का सुन्दरिया को बहन न मानना यह सिद्ध कर देता है कि उनका सुन्दरिया के प्रति उचित दृष्टि नहीं है। मदन ठाकुर का तो दृष्टिकोण हरिजनों के ऊपर अत्याचार करने का है। वे तो सुन्दरिया का सामाजिक शोषण करना चाहते हैं, जो कि इस स्वतंत्र भारत में उचित नहीं मालूम होता। अंग्रेजी शासन में फौजी जमींदार लोग अत्याचार करते रहे हों पर स्वतंत्र भारत में हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचार करना तो सामाजिक अपराध करना है, जिसका हर दृष्टि से विरोध किया जाना चाहिए।

रामदरश मिश्र के 'जल टूटता हुआ' (१९६६ई०)

उपन्यास में हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचार को चित्रित किया है। बंसी

१. भावतीप्रसाद बाजपेयी : 'कर्मपथ' (१९६६ई०), पृ० सं० १०५।

नाम का युवक, मनबोधना, जो कि घोबी का बच्चा है, पर अत्याचार करता है,-- उस दिन मास्टर ने कितना पीटा था, जब बंसी ने राह चलते समय एक बड़ा सा ईटा लेकर मैले के ढेर पर दे मारा था और मैले के तमाम छोटे-छोटे क्लॉटे उसके साथ चलते हुए उस घोबी के बच्चे के ऊपर फैल गये थे । घोबी के बच्चे मनबोधना ने मास्टर से सवाल दाग दिया । मास्टर बंसी से तंग आ गया था, उठा-उठाकर पटकना शुरू किया और मनबोधना के सारे कपड़े बंसी से धुलवाये, बंसी से मनबोधना को नहलवाया भी । किन्तु बंसी फिर जस का तस । शाम को कुटी हुई तो बंसी ने मनबोधना को खदेड़ लिया । मनबोधना भी भागने में बड़ा तेज था । भागा लोमड़ी की तरह मुड़की कटाता हुआ । बंसी दौड़ते-दौड़ते हांफ गया, मनबोधना नहीं पा सका, तो गाली देकर कहा -- 'अच्छा सारे घोबी, आना कल ।' लेखक का मनबोधना के अत्याचार के प्रति विरोधी भाव है । लेखक हरिजन पात्र में इतनी चेतना दिखाता है कि वह अत्याचार का विरोध करता है । मनबोधना मास्टर से बंसी को पिटवाकर दम लेता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि लेखक इस अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट करता है ।

मनबोधना के ऊपर बंसी का अत्याचार करना तो सामाजिक दृष्टि से अनुचित लगता है । बंसी तो जबर्दस्ती मनबोधना को परेशान करता है । मनबोधना भी अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के प्रति सजग है । उसने अपना विरोध प्रकट किया है । यदि हरिजन वर्ग के लोग अत्याचार का डटकर मुकाबला करे तो कोई कारण नहीं जो कि अत्याचार सतम न हो जाये ।

प्रस्तुत उपन्यास में बलात्कार की समस्या को भी उठाया गया है । जब ब्राह्मण लोग किसी चमार की लड़की के साथ बलात्कार करते हैं तो समाज के लोग कुछ नहीं कहते, पर जब कोई चमार किसी ब्राह्मण की लड़की के ऊपर जबर्दस्ती करता है तो समाज उस पर किस प्रकार दंड देती है, इसी का चित्रण 'जल टूटता हुआ' (१९६६ई०) में मिलता है । लवंगी चमार का भाई पारबती के ऊपर अत्याचार करना चाहता है • तो समाज के लोग उसे मिलकर पीटते हैं । रामबहादुर हंसिया को पीटते हुए कहते हैं, -- 'क्यों रे सारे तेरी यह हिमाकत कि बामनों की लड़कियों की ओर आंस उठाये ।'

६,२. रामदरेश मिश्र : 'जल टूटता हुआ' (१९६६ई०), पृ० सं० ६१ व ३५२ क्रमशः ।

पारबती भी कहती है--^१ 'हरामखोर, सुअर-खोर मेरी इज्जत लेना चाहता था ।' लेखक लिखता है--^२ 'हंसिया लात खा रहा था, जो आता था चार लात मारता था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था, चुपचाप लात खाता हुआ सारा इल्जाम अपने ऊपर ओढ़ रहा था ।' यह तो अत्याचार का एक पक्ष हुआ । दूसरा पक्ष वही है कि जब हरिजन स्त्री को लोग अपनी काम वासना के शांति के लिए उपयोग करते हैं तो समाज इसका विरोध नहीं करता है । लंकी नेता जी से कहती है--^३ 'क्यों नेता जी, आप चुप क्यों हो ? कल तक फंडा लिये धुमते रहे और वोट दिलाने के लिए लेक्चर फाड़ते रहे कि अब देश आजाद हो गया है सभी बराबर हैं, सबको खेत मिलेंगे, सबकी इज्जत बराबर होगी और आज आपका लेक्चर आपके मुंह में चला गया है? जब चमरौटी की तमाम लड़कियों पर ये बाबा लोग हाथ साफ करते हैं तो कोई परलय नहीं आती और कोई चमार बामन को लड़की को हू दे तो परलय आ जाता है ।' लंकी कहती है,^४ 'क्या हुआ अगर मेरे भाई ने एक बामन को लड़की से भला बुरा किया ?..... चमार का खून-खून नहीं है ? बामन का ही खून खून है हमारी कोई इज्जत नहीं होती क्या, बामनों की ही इज्जत होती है ? लंकी हरिजनों के नेता जग्गू से कहती है--^५ 'हरिजनों के नेता, मैं तुमसे फरियाद करती हूँ कि वोट लेने वाले नेताओं से जाकर कहो कि हमारा खून-खून नहीं है, हमारी इज्जत इज्जत नहीं है तो हमारा वोट क्यों है ? ये देखो जग्गू नेता, तुम्हें याद है कि जब मुझे दलसिंगार बाबा ने पकड़ कर बेइज्जत करना चाहा था तो मैं फरियाद के लिए कहां-कहां नहीं रोईं, लेकिन सबने मजाक करके टूल दिया था । और तुमने भी कहा था कि जाने दो बाबा लोगों से कौन लो ।'

लेखक लंकी के ऊपर हुए अत्याचार से असन्तुष्ट है ।

वह लंकी के ऊपर हुए अत्याचार का विरोध करता है । रामदरश मिश्र का

१. रामदरश मिश्र : 'जल टूटता हुआ' (१९६६ई०), पृ०सं० ३५२।

२. वही, पृ०सं० ३५३ ।

३. वही, पृ०सं० ।

४. वही, पृ०सं० ३५४ ।

'जल टूटता हुआ' (१९६६ई०) में दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। जब हंसिया चमार के ऊपर सवर्ण हिन्दू वर्ग अत्याचार करता है तो लंकी के चरित्र द्वारा लेखक ने अपना दृष्टिकोण हमारे सामने रखा है। लंकी को सामाजिक अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करते हुए चित्रित किया गया है। लंकी का कहना है कि क्या हमारा खून खून नहीं है, बामनों का खून खून है। वही बात सवर्ण हिन्दू करे तो चाम्य है, पर हरिजनों के लोग के करें तो अपराध है। मैं हंसिया के कार्यों का समर्थन नहीं करता हूँ, फिर भी उसने जो कार्य किया है, गलत नहीं है। इसका कारण है कि सवर्ण लोग यदि लंकी को इज्जत छूटते हैं तो उसके भाई को अधिकार है कि वह ब्राह्मणों की बेटी प्रष्ट कर दे। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि मिश्र जो का हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण है।

लंकी के प्रति अत्याचार से मैं असंतुष्ट हूँ। लंकी की बात में सत्य की शक्ति है, उसके आंसुओं में विद्रोह है, नये जमाने की आवाज है। सचमुच यह भेद कब तक चलता रहेगा ? हंसिया को करतुत उसके संस्कारों को भी धक्के मारती है, उसके ब्राह्मण संस्कार को चमार के लड़के की यह बदतमोजी बहुत अखरती है। लेकिन लंकी की आवाज उसके न्याय को बल देती है। न्याय ही तो है, दुष्कर्म चाहे, ब्राह्मण करे या चमार करे, क्या फर्क पड़ता है। यदि ब्राह्मण का लड़का ही क्यों सम्मानित व्यस्क भी हरिजन की बेटी पर जुल्म करता है और कोई आफत नहीं आती तो हरिजन पुरुष द्वारा ब्राह्मण की लड़की पर कि गए जुल्म पर आफत क्यों आये ? जुल्म.... जुल्म भी इसे क्यों कहा जाये ? पारवती सिसक रही है। यह ब्राह्मण खून है कि स्वयं एक हरिजन बालक को अपनी काम पिपासा के लिए उत्तेजित कर सारा दोष उसी पर थोपकर नकली ढंग से सिसकती है और दूसरी ओर यह हरिजन खून है हंसिया है जो भरी सभा में लात खा रहा है और सारा अपराध अपने ऊपर ओढ़कर पारवती के सम्मान की रक्षा कर रहा है। हंसिया जो कि भरी सभा में लात खा रहा है। हंसिया सत-असत कुछ भी नहीं बोलता और लंकी एक सरी लपट की तरह ब्राह्मणों के च तमाम बेहरों

तो हुई उन पर लिखी स्पष्ट लकीरों को उभारती गरज रही है। काम करती भी का हाथपकड़ लेना... बड़ा आसान है।

लेखक उनके हरिजन स्त्री के ऊपर अत्याचार नहीं करने चाहता, इसीलिए वह अत्याचार का विरोध करता है। रामबहादुर कहता हरामजादो मुझे तो बदनाम करती ही है भरे बाप को भी बदनाम करती इसपर सतीश कहता है-- 'जाओ ब बक भक मत करो और अपने बाप की बचाने की कोशिश करो'। आज का सर्वण हिन्दू वर्ग हरिजनों के ऊपर अत्याचार करना चाहता तो है ही, वह साथ ही साथ यह भी चाहता है कि कोई उसके दुष्कर्मों पर प्रकाश न डाले। आज के जमाने में यह कहां संभव है कि लोग अत्याचार का सामना न कर मुक दर्शक बनकर बैठे रहे।

'आंस की चोरी' (१९७१ई०) में अंग्रेज राबर्ट हिल जैसे आदमी के कहने पर लक्ष्मी का बाप राबर्ट हिल के हाथों में ही उसके आदमी प देता है। लक्ष्मी कहती है-- 'जब मैंने 'हां' में सर हिला दिया तो अंग्रेज ने एक बार फिर मुझे सब बातें समझाई, और बोला-- 'अपने बाप को ना, कितने प्रकार उस आदमी को पुलिस को न पकड़ाए, पांच हजार तो कम नहीं है, उस आदमी के द्वारा तुमको और भी अधिक रुपया मिले'। राबर्ट हिल बिना अपराध के उस आदमी का शोषण करता है। और लक्ष्मी को सताता है।

लेखक का अत्याचार के प्रति समर्थक दृष्टिकोण नहीं है। वह चाहता कि लक्ष्मी या उसके पिता उसके आदमी पर कोई अत्याचार न जाये। जहां कहां उपन्यास में इन लोगों पर विपत्तियां आती हैं, लेखक उनके परिस्थितियों को स्पष्ट करके हरिजनों के ऊपर किये जाने वाले अत्याचार का विरोध करता है।

मदरश मिश्र : 'जल टूटता हुआ' (१९६६ई०), पृ०सं० ३५५।

१, पृ०सं० ३५६।

नचन्दर : 'आंस की चोरी' (१९७१ई०), पृ०सं० ८७।

अंग्रेज जोगी के द्वारा लक्ष्मी हरिजन तथा उनके भावमी को निरपराध दण्ड देना स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायता नहीं देता । इससे समाज में अराजकता फैलाने में सहायता मिल सकती है ।

‘मैंने जेब से सिगरेट की एक डिब्बिया निकाल कर उसमें से एक सिगरेट निकाल कर मुँह से लटकाया, फिर दूसरी जेब में हाथ डाल कर टास्टर निकाला और उससे सिगरेट सुलगाने वाला ही था कि फिरो ने मुझे जोर का धक्का दिया और मैं चट्टान से गिरकर धरती पर आ रहा । मैं जल्दी से उठने की कोशिश की, मगर अब दो आवमी मेरे सिर पर खड़े थे और मैं अकेला था । मैंने लड़ाई जारी रखने और उन्हें परास्त करने की दो-तीन बार जबर्दस्त कोशिश की, पर हौले-हौले मेरी कोशिश कमजोर पड़ती गई, मेरा शरीर ढीला पड़ता गया । और मैंने ऐसा प्रकट किया जैसे मैं आक्रमणकारियों के आगे बेबस हो चुका हूँ ।’

कृष्णचन्द्र के उपन्यास ‘आस की चोरी’ (१९५२) में लक्ष्मी का जिन्दगी को समाज के कुछ लोग टोकर देते हैं तथा उसकी जिन्दगी बर्बाद करते हैं । लेखक के हरि जन पात्रा लक्ष्मी में सामाजिक बेतना का विकास स्पष्ट देखने को मिलता है । लक्ष्मी समाज के तहकावेमें आकर अपने को बेचे जाने पर आक्रोश व्यक्त करती है । लक्ष्मी का आक्रोश प्रकट करना उचित ही लगता है, अनुचित नहीं । लक्ष्मी कहती है, -- ‘दुधर हमारे इलाके में रिवाज है, गरीबों और अमीरों की लड़कियाँ ऐसे ही बिक जाती हैं ।’

‘हर कोई ?’ मैंने पूछा ।

‘हर कोई तो नहीं, पर कोई-कोई जो बहुत गरीब होते हैं, जैसा कि मेरा बाप है । जिसके पास जमीन नहीं होती, वे लड़की बेचकर अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं ।’

‘तुम इसे ठीक समझती हो ?’

१. कृष्णचन्द्र : ‘आस की चोरी’ (१९७१ई०), पृ०सं० ८६ ।

'टांक नहीं है तो गलत क्या है ? जमीन के बिना किसान क्या है, और मालिक के बिना औरत क्या है ?'

क्या हमारे समाज में लड़कियों का बेचा जाना उचित है? यह तो समाज के ऊपर कलंक है। इसका डटकर विरोध किया जाना चाहिए। अगर इसी तरह समाज में अनैतिक कार्यों को मान्यता मिलती रहो तो समाज ध्वस्त हो जायेगा। समाज को कुछ मर्यादा होती है। उसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति समाज को मर्यादा को तोड़ता है तो उसको दण्ड देना चाहिए। चाहे वह कोई भी हो। ऐसा मेरा मत है। लड़की का दूसरे के हाथ बेचा जाना अपराधपूर्ण कार्य लगता है। लेखक भी अपना विरोध प्रकट किये बिना नहीं रहता है।

घ) वेश्या-समस्या

संसार के तथाकथित सम्य देशों में भी, जहाँ कि नारी समानाधिकार प्राप्त कर चुकी है तथा जहाँ नारी को भी जोविकोपार्जन के साधन समान भाव से उपलब्ध हो चुके हैं वहाँ भी वेश्याओं का होना कम आश्चर्यजनक नहीं। केवल कुछ समाजवादी देश हैं, जहाँ इस कुत्सित व्यवसाय का उन्मूलन हो सका है। संसार के वे देश जहाँ कि नारी स्वतन्त्र हो चुकी है, वहाँ वेश्या-समस्या के मूलभूत कारण हैं-- आर्थिक विषमता, सांस्कृतिक गतिरोध, भौतिकवादी संस्कृति का विकृत रूप तथा नैतिक मूल्यों का विघटन। इन सब का कारण यह हुआ कि वहाँ का व्यक्ति अधिक भोगवादी बना। वहाँ की नारी के सम्मुख सतीत्व-धर्म तथा पातिव्रत्य धर्म कभी आदर्श न रहा। लेकिन भारत की स्थिति इससे बिलकुल बेहतर है तथा भिन्न है। जिस देश में युगों से नारी के लिए सतीत्व तथा पातिव्रत्य-धर्म सर्वोच्च रहे हों तथा जिस देश की आत्मा ही 'अस्मत्' सतीत्व पर टिकी हो, वहाँ भी वेश्या व्यापार का युगों से अबाध गति से चलना कम आश्चर्यजनक नहीं। भारतीय समाज में इस कुत्सित स्वरूप के भिन्न कारण रहे हैं।

१. कृष्णचन्द्र : 'जास की चोरी' (१९७१ई०), पृ०सं०७६।

देशों में व्यक्ति नारी को इस चारित्रिक होनता भले ही मुख्य कारण मान लिया जाये, लेकिन भारत में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ ही प्रमुख कारण हैं ।

भारतीयसमाज में विधवा-प्रथा, दहेज-प्रथा, पर्दा-प्रथा, बहुपत्नी विवाह आदि अनेक सामाजिक कुप्रथाओं से त्रस्त निरोह नारी को जीवित रहने के लिए यही एकमात्र आर्थिक स्वावलम्बन शेष था कि वह वेश्या बनकर शरीर बेचे । उचित संरक्षण के अभाव में 'दो बूंद जल' (१९६६ई०) की नायिका रेशमा मंगिन भी वेश्या बनती है । उचित वैवाहिक चुनाव न होने पर अनेक मनोवैज्ञानिक असंगतियाँ भी इसके कारण हैं । रेशमा मंगिन के सामने भी आर्थिक समस्या प्रमुख है । वह यद्यपि सामाजिक अत्याचार के परिणामस्वरूप वेश्या बनना स्वीकार कर लेती है । यदि कोई नारी वेश्या का पेशा ग्रहण करती है तो इसका दोष सामाजिक अत्याचारों पर ही जाता है । समाज अपने को इस दोष से बरी नहीं रह सकता । साम्प्रतिक-अधिकारों से विहीन नारी के लिए यदि स्वावलम्बी बनना है तो इस जर्जर समाज ने केवल वेश्या-पेशा की व्यवस्था दी । संयुक्त परिवार के विघटन से जो आर्थिक सुरक्षा अबला नारियों को मिलती थी वह भी न रही । समाज में एक ओर निर्धनता है, जिसमें चारित्रिक दृढ़ता संभव है ही नहीं तथा दूसरी ओर धन सम्पन्न वर्ग जो अपनी विलासिता की पूर्ति के लिए ऐसे कुत्सित व्यापार को संगठित करता है । पैतृक-प्रधान समाज, शिक्षा की उपेक्षा तथा गृहिणी की उपेक्षा तथा गृहिणी पद का सम्मान देकर उसे सदैव घर में बन्द करने से उसे बाह्य जीवन-संघर्ष एवं ज्ञान से बिल्कुल वंचित कर दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि नारी वस्तुतः अबला बन गई । घर की देहरी से निकल कर वह अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो गई । दस वर्ष का बालक भी युवा नारी का अंगरक्षक बन सकता है । ऐसी स्थिति भारतीय समाज में ही देखने को मिलती है । सांस्कृतिक पतन की ऐसी स्थिति आई कि भारतीय समाज में वेश्या-प्रथा को संगठित करने के लिए धर्म का उपयोग तक किया

गया । दक्षिण में देवदासी - प्रथा ने धर्म का उपयोग किया तथा हिमालय की तराई में नायक समुदाय में लड़की को शादी न करके उसे वेश्या-पेशा के लिए बेचने को प्रथा इसी के परिणाम हैं । नारी का शोषण निरन्तर गति से चलने के लिए यह आवश्यक था कि वह वस्तुतः निरीह बनी रहे, इसके लिए पुरुष जाति ने नारी सौन्दर्य तथा गुण के ऐसे प्रतिमान गढ़ डाले कि वह कभी सबल न बन सके । कोमलता, लज्जाशैलता, मृदुलता आदि ऐसे ही प्रतिमान रहे हैं, जिन्होंने भारतीय नारी को दुर्दुर्लभ-मुई पौधे की भांति निरीह बना दिया । जिस समाज तथा संस्कृति ने नारी को इतना निरीह बना दिया वहाँ वैयक्तिक चारित्रिक-हीनता की दुहाई देकर सब दोष वेश्याओं के सिर मढ़कर तटस्थ रहना घोर असामाजिकता है । ऐसा स्थित में आक्रोश वेश्या पर नहीं, वरन् समाज पर होना चाहिए । आधुनिक समाजशास्त्रीय अध्ययन से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि ६५.६ प्रतिशत वेश्यायें आर्थिक कारणों से इस घृणित पेशे में आयां तथा २८.८ प्रतिशत सामाजिक कुप्रथाओं से पीड़ित, त्रस्त होकर और केवल ५.६ प्रतिशत मनो-वैज्ञानिक तथा अन्य कारणों से । पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर सी०पी०एम० सिंह ने भी एक बार अपने भाषण में कुछ इसी से मिलते-जुलते तथ्य पेश किए थे कि ८० प्रतिशत वेश्यायें निर्धनता के कारण तथा १५ प्रतिशत सामाजिक कुप्रथाओं के कारण और केवल ५ प्रतिशत इसी वेश्यायें हैं जो मनोवैज्ञानिक असंगतियों के कारण इस पेशे में आईं ।

दयाशंकर मिश्र के 'छोटी बहू' (१९६५ई०) उपन्यास में सिधाड़ी डोम की बेटों के ऊपर सामाजिक अत्याचार का चित्रण मिलता है । सिधाड़ी का बाप बुंकि जेल में चला गया है, अतः अबला होने के नाते समाज के लोग उस पर अत्याचार करते हैं । हमारे समाज में अबलाओं की स्थिति हमेशा निम्नस्तरीय है रही है । हमारी सामाजिक समस्याएँ इतनी जटिल हैं कि जिसमें विधवाओं तथा अबलाओं को उचित न्याय नहीं मिल पाता है । सिधाड़ी भी ऐसी लड़की है जो कि समाज के लोगों के वासना का शिकार बन जाती है ।

१. विधावर अग्निहोत्री : 'फालेन वीमेन', पृ०सं० ८ ।

सिधाड़ो राजेन्द्र से कहती है,--'बाबू । जो लोग हमें अक्षुत्त कहकर अपने घर में नहीं आने देते, हमें क्लृकर स्नान करते हैं-- जहां हमारा पैर पड़ जाता है उस जगह पर पानी क्लृडक कर पवित्र कर लेते हैं-- सो यहां वही आकर मेरे ओठों पर अपने ओठ कैसे रख देते हैं ? तब उनकी जाति क्यों नहीं बिगड़ती ।'

ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं लेखक समाज के कुत्सित कार्यों का उद्घाटन कर रहा हो । दयाशंकर मिश्र का 'छोटी बहू'^(१९४२-५) उपन्यास में सिधाड़ो के अत्याचार के प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण है । यदि लेखक का अत्याचार के प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण न होता तो वह सिधाड़ों में सामाजिक अत्याचार के विरोध में पर्याप्त चेतना का विकास न दिखाता । लेखक केवल अत्याचार का ही चित्रण करता, पर लेखक ने समाज की बुराइयों को हरिजन पात्र द्वारा हमारे सामने रखकर अपनी हरिजन-उत्थान की भावना का परिचय दिया है ।

सिधाड़ो के वेश्यावृत्ति के लिए समाज ही जिम्मेदार है । समाज के निम्न लोगों की वासना-शान्ति के लिए ही वेश्याओं का जन्म हुआ है । सिधाड़ो कहती है कि एक तरफ हरिजन कहकर हमारा तिरस्कार किया जाता है, वही लोग मेरे ओठों पर अपने ओठ कैसे रख देते हैं ? सिधाड़ो के इस कथन से हमारे समाज का दो रूप सामने आते हैं-- समाज का एक पक्ष तो वह है, जिसमें समाज को बहुत अच्छा कहा जाता है । वह समाज वर्ण-व्यवस्था का बड़ा पक्षपाती होता है तथा हरिजनों को अपने समाज-व्यवस्था में शामिल नहीं करता है । उनको अलग रखना चाहता है । हरिजनों से परहेज करता है, उनको रसोई में भी नहीं घुसने देता । सिधाड़ो यह बात जानती है तभी तो वह राजेन्द्र से कहती है,--'डोम की लड़की को अपने चौके में फांके भी देगा कोई।'

१. दयाशंकर मिश्र : 'छोटी बहू', (१९५८ई०), पृ०सं० ७५ ।

२. वही, पृ०सं० ७६ ।

समाज का यह उज्ज्वल रूप है । दूसरी ओर लेखक ने समाज की नग्न व्यथार्थता को उभारते हुए उसके कुत्सित रूप का भी चित्रण किया है । जो लोग हरिजन को अपने चौके में घुसने नहीं देना चाहते तो वही कैसे हरिजन स्त्री के साथ भोग-विलास करते हैं । यह कोई झूठी बात नहीं है, वरन् एक सच्चाई लेखक ने हमारे सामने रखी है, जिसकी चित्रित करने का साहस बहुत कम लेखक कर पाते हैं । प्रेमचन्द के उपन्यास को वैश्यायें भी इस तरह नहीं चित्रित की गई है ।

'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उपन्यास में जिस प्रकार राधा हरिजन पात्र पर घनश्याम सवर्ण पात्र द्वारा बलात्कार का चित्रण हुआ है, उसी प्रकार 'होटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में सिधाड़ी पात्र पर किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं वरन् समाज के सभी लोगों के द्वारा बलात्कार किया जाता है, जो उचित नहीं कहा जा सकता । अगर इस बात का समर्थन कर दिया जाय तो समाज का ढाँचा चरमरा कर टूट पड़ेगा ।

(3.) शिक्षा

हरिजनों के साथ शिक्षा में भी भेदभाव का व्यवहार किया गया । जिस तरह अन्य क्षेत्रों में उनकी उपेक्षा की गई थी उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके प्रति उदासीनता का व्यवहार किया गया । वास्तव में इन हरिजनों की शिक्षा की समस्या प्रमुख थी, उनके लिए कोई व्यवस्था भी न थी । 'कायाकल्प' (१९२८ई०) उपन्यास में इनकी अशिक्षा पर प्रकाश डाला गया है । 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) उपन्यास में अमरकान्त एक बालक से पूछता है कि कहां पढ़ने जाते हो, तो वह उत्तर देता है, -- 'कहां जायं, हमें कौन पढ़ाए ? मरसे में कोई जाने तो देता नहीं, एक दिन टाटा हुआ हम लोगों को लेकर गये थे । पंडित जी ने नाम लिख लिया, पर हमें सबसे अलग बैठाते थे । सब लड़के हमें चमार-चमार कहकर बिढ़ाते थे । दादा ने नाम कटा दिया ।' इन

१. प्रेमचन्द : 'कर्मभूमि' (१९३२ई०), पृ० सं० १५० ।

उपन्यासकारों ने इस सामाजिक समस्या को जिस गहनता के साथ प्रस्तुत किया, उसी का परिणाम है कि आज हरिजनों को समाज में प्रत्येक अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त हैं। आज उनमें राजनीतिक चेतना भी है जागरूकता भी।

'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उपन्यास में भी जब बुधुआ भांगों के नेतृत्व में अकूतोद्धार आन्दोलन चलता है तब दलित विधालय का निर्माण हो जाता है और हस्तकौशल के शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यह उस नवजागरण की चेतना का ही परिणाम है, जो उस युग की देन है।

बैजनाथ केडिया के 'कूत-अकूत' (१९३८ई०) उपन्यास में मौची के ऊपर सामाजिक अत्याचार का चित्रण किया गया है। उच्च कहे जाने वाले वर्ग या ब्राह्मण वर्ग किस प्रकार हरिजनों को मूर्ख समझते हैं, इसका चित्रण लेखक ने किया है-- 'ब्राह्मण महाराज पूढ़े-लिखे न होने पर भी इन गंवारों को संतोष कराने लायक विद्या खूब जानते थे।'

हरिजनों की तो हमारे समाज में बहुत उपयोगिता है। हरिजन तो दूसरे के घर का कूड़ा करकट (गंदगी) को दूर करते हैं। वे अपने घर को भी साफ-सुथरे रखते हैं, पर पता नहीं फिर भी समाज में लोग उन्हें कूना पसंद नहीं करते। इस सामाजिक अत्याचार को 'कूत अकूत' (१९३८ई०) उपन्यास में दर्शाया गया है। सुमेरन चमार का नाती घसीटू स्कूल में नाम लिखवाने के लिये जाता है तो मास्टर यह कहकर कि यह डोम-चमारों की पाठशाला नहीं है उसको लेने से इन्कार कर देता है। सुखिया ने उत्तर दिया, महाराजा में सुमेरन चमार की लड़की हूँ, यह उनका नाती है।

पंडित जी ने कुछ कड़े होकर कहा -- यह डोम-चमारों के पढ़ाने की पाठशाला नहीं है। ऊंची जाति के बालक ही यहां पढ़ा करते हैं।^२

१. बैजनाथ केडिया : 'कूत-अकूत' (१९३८ई०), पृ०सं० १।

२. वही, पृ०सं० ८।

लेखक का हरिजनों के अत्याचार के प्रति सहानुभूति है। वह हरिजन पात्र के उत्थान के लिए कार्यशील है। वह हरिजनों का पतन नहीं चाहता। वह हरिजन पात्र में अत्याचार के विरुद्ध य इतनी चेतना विकसित दिखाता है कि उसके हरिजन पात्र अत्याचार को स्वीकार न कर उसका विरोध करने लगते हैं। सुमेरन चमार की लड़की सुखिया जोरदार ढंग से इस अत्याचार का विरोध करती है। रानातनधर्मि पंडित भी जहाँ अपने शास्त्रीय ज्ञान को छोड़ने वाले हैं। पंडित बिगड़ता है,-- 'बहुत शास्त्र बघारने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सुशो हम इस बालक को नहीं पढ़ाते (हाथ से दरवाजा दिखाते हुए बोले) बस जब बहुत ही चुका, तुम सीधो तरह से यहाँ से चलो जाओ'।

पंडित जो घसोटू मोची को पढ़ाने से इन्कार करना हमें उचित नहीं प्रतीत होता है। इस अत्याचार से मैं असहमत हूँ। भगवान् ने सभी को एक समान बनाकर भेजा है तो फिर इस दुनिया में ऊँच-नीच का भेदभाव कैसा ? ऐसा लगता है कि उच्च वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग ने अपनी श्रेष्ठता बनाये रखने के लिये वर्ण-व्यवस्था का सूत्रपात कर उसमें हरिजनों को निम्न स्थान दिया ताकि ये लोग कभी सर न उठा सके। दयानंद (जो कि आर्य समाज के प्रवर्तक थे) ने इस वर्ण-व्यवस्था का विरोध करते हुए वर्ण जन्मना की जगह वर्ण-कर्मणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह उचित भी है। जन्म से किसी को नीच मानना सामाजिक दृष्टि से अपराध के समान है। कर्म से ही मनुष्य महानोठ बनता है।

सच्चिदानन्द हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' के 'शेखर : एक जीवनी' (१९४०ई०) उपन्यास में हरिजनों के शोषण को चित्रित किया गया है। सदाशिव, राघवन, देवदास हरिजन है और समाज उनके साथ अन्य लोगों के जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। लेखक ने शेखर का चारित्रिक उत्कर्ष दिखाने के लिए

१. वैजनाथ केडिया : 'कृत-अकृत' (१९३८ई०), पृ० ८० ।

हरिजन-समस्या का चित्रण किया है, लेकिन वैचारिक प्रगति की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। विद्रोही शेखर ब्राह्मण छात्रों का छात्रावास छोड़कर हरिजन छात्रों की सहायता से रहने लगता है। शेखर, सदाशिव, राघवन आदि हरिजन छात्रों की सहायता से अशुतोद्धार समिति का निर्माण करता है तथा हरिजन बालकों के लिए स्कूल खोलकर पढ़ाता है। स्वर्ण हिन्दू वर्ग हरिजनों को पढ़ाने के लिए कमरा नहीं देते हैं। बाद में जोर डालने पर इस शर्त पर कमरा दे देते हैं कि वह दरबान की तीन रूपया मासिक दिया करे ताकि मेहतर सब गन्दगी बाहर फेंक दे तथा हरिजन छात्रों की छूत, स्कूल के साधारण विद्यार्थियों के न लगे, मिडिल स्कूल के हिन्दू-संरक्षकों ने उसे इमारत के दो कमरों में अछूत क्लास बिठाने की अनुमति इस शर्त पर दे दी थी कि वह दरबान की तीन रूपये मासिक दिया करे-- सवेरे उठकर उन कमरों को विशेष रूप से फाड़-बुहार कर और ढप पानी छिड़ककर साफ कर देने के लिए, ताकि गंदे बालकों की छूत से स्कूल के साधारण विद्यार्थियों को न लग जाय।

लेखक का इस शोषण के प्रति विरोधी भाव है। वह यह नहीं चाहता कि हरिजनों का समाज में शोषण किया जाये। वह उनका उत्थान चाहता है। हरिजनों के उत्थान के लिए लेखक स्वयं नायक के द्वारा हरिजनों के लिए स्टीगोनम क्लब खोलवाता है। यह प्रयत्न लेखक के हरिजनोत्थान की दिशा को निर्देशित करता है। लेखक तो हरिजनों से प्रभावित होने के कारण नायक शेखर को ब्राह्मण छात्रावास छोड़ाकर हरिजन छात्रावास में ले आता है। यही नहीं शेखर पर लेखक ने इतना प्रभाव दिखाया है कि वह हरिजनों की सहायता करने में किसी से कम नहीं है, ट्रेन में उसने अखबार में पढ़ा कि लाल की जांच के बाद यह घोषणा की गई थी कि 'मृत्यु किसी भीतर औजार की

१. 'अज्ञेय' : 'शेखर : एक जीवनी' (१९४०ई०), पृ०सं० २१५।

२. वही, पृ०सं० २१५।

की चोट से हुई है, हत्या के कारण का पता नहीं लग सका है ।' लेकिन साथ ही साथ यह भी समाचार था कि शरीर एक 'वर्जित' सड़क पर पाया गया था और स्त्री अकृत थी...

शेखर को याद आया कि किस प्रकार उस स्त्री के रक्त और कीचड़ से उसका शरीर उसी वस्त्र सन गए थे और एक कंपकंपी उसके अंगों में दौड़ गई..... वह थी अकृत और वह था । ब्राह्मण और वह उसके रक्त में सन गया था... और उसके हत्यारे थे ब्राह्मण, जिन्होंने उसके पास आने की छूत से बचने के लिए, स्वयं उसके पास जाकर पत्थरों से मारा होगा ब्राह्मण..... वही ब्राह्मण जो शेखर है और अकृत, ... वही अकृत जिसे शेखर ने बंध कन्धे पर लादा था... और उसका रक्त ।

हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हिन्दू वर्ग के संरक्षक वर्ग करते हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूँ । क्या कारण है कि अहिंसावादी हिन्दू वर्ग हरिजन पात्रों के साथ दुर्व्यवहार करता है ? यदि शेखर कमरों में हरिजन छात्रों को पढ़ाता है तो वह फिर रुपये क्यों दे कि सफाई हो जाये और हरिजन छात्रों के छूत साफ हो जाये । जैसे हरिजन छात्र है, वैसे अन्यवर्ग के लड़के भी उसी समान है तो फिर दोनों में मतभेद कैसा ? हरिजन छात्र अपने साथ छूत लेकर पढ़ने आते हैं ? क्या सवर्ण हिन्दू वर्ग के छात्र छूतहीन होते हैं ? अतः ये प्रश्न गलत है कि दोनों को अलग-अलग पढ़ाया जाय । अब इस दिशा में सुधार भी हुआ है । भारत के स्वतंत्रता के बाद सभी जगह हरिजन तथा सवर्ण वर्ग के छात्र मिलकर पढ़ते हैं, जो उचित भी लगता है ।

'परती : परिकथा' (१९५७ई०) उपन्यास में हरिजनों की शिक्षा-समस्या को चित्रित किया गया है । मलारी चमाइन पढ़कर मास्टरनी बन जाती है । शिक्षित ही होने के कारण वह अपने बाप महीचन रैदास को गांजा पीने से मना करती है :--

१. 'वजेय' : 'शेखर : एक जीवनी' (१९४०ई०), पृ०सं० २१० ।

बप्पा । गाजा-दार पीकर रोज मारपीट करते हो ।

-- तु जुप रह । बड़ी मास्टरनी बनी है ।

हरिजन वर्ग में पढ़ाई के प्रति तो किसी की दिलचस्पी नहीं होती । अगर कोई पढ़ना चाहता भी है तो पारिवारिक, सब सामाजिक स्थिति कठिनाई डालती है । इसी कारण मलारी चम्पाइन के मार्ग में बाधा आती है, पर वह पढ़ती जाती है । 'परती: परिकथा' (१९५७ई०) में मलारी का चरित्र एक समाज-सुधारक के रूप में मिलता है । यह पहला उपन्यास है कि जिसमें हरिजन मात्र के द्वारा ही हरिजनों में व्याप्त कुसंगतियों का विरोध किया है, जो निश्चय ही प्रशंसाजनक है । अगर हरिजन स्त्रियां मलारी जैसी हो जायें तो हरिजन समाज की कुसंगतियां दूर हो सकती हैं तथा वे भी अन्य वर्ग के मुकाबले में ठहर सकते हैं ।

'चौथा रास्ता' (१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों की शिक्षा-समस्या पर भी चित्रण मिलता है । राम सिंह चमार, विद्यासागर जुलाहे से कहता है-- 'हम सब के बीच में इतना पढ़-लिखकर क्या रहोगे भय्या । कहीं काम-काज से लो । गांव में क्या रखा है ? ठीक से दो टैम रोटी भी नहीं मिलती ।' रामसिंह चमारों का प्रतिनिधित्व करता है-- 'आज संध्या को विद्यासागर चमारों की मंडय्या में जा पहुंचा । रामसिंह चमार की फौपड़ी पर भीड़ देखकर वह उस तरफ घूम गया ।' रामसिंह चमारों का प्रतिनिधित्व करता है-- 'आज संध्या को विद्यासागर चमारों की मंडय्या में जा पहुंचा । रामसिंह चमार की फौपड़ी पर भीड़ देखकर वह उस तरफ घूम गया ।' हरिजनों में शिक्षा के प्रति रुचि नहीं होती, यह बात रामसिंह के चरित्र से स्पष्ट हो जाता है । शिक्षा न होने के कारण ही समाज में उनकी स्थितियां कम निम्न बनी हुई हैं ।

१. फणीश्वरनाथ रेणु : 'परती : परिकथा' (१९५७ई०), पृ०सं० १३७ ।

२. यज्ञदत्त शर्मा : 'चौथारास्ता' (१९५८ई०), पृ०सं० ६ ।

३. वही, पृ०सं० ६ ।

डा० सुरेश सिनहा की कीर्ति को अक्षुण्ण रखने वाला 'सुबह अंधेरे पथ पर' (१९६७) उपन्यास एक सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास में भी हरिजनों को निम्नकारीय घृणित पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। समाज में हरिजनों के साथ सवर्ण हिन्दू का कैसा मनोभाव रखता है, यह भी 'सुबह अंधेरे पथ पर' (१९६७) उपन्यास से स्पष्ट हो जाता है, लोहारों ने काम हत्म कर दिया था, पर उनकी भट्टियां अभी भी चमक रही थीं। अपनी-अपनी नाहं पर उन्होंने मोमबत्तियां जलाकर रख दी थीं, जो भरे हुए घुंघुं में बिल्लों की तेज चमकती आंखों की भांति लग रही थीं। रोज की तरह रामविलास लोहार रामायण पढ़ रहा था और बहुत से लोहार चारों तरफ बैठे सुन रहे थे। लेखक आगे इनकी परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखता है,-- 'कुछ ही दूर ग्राण्ट ट्रंक रोड पर बने सुसुबाग के फाटक के पास मुन्नीलाल तीन चार लड़कों के साथ बैठा, फिल्मी गाने ताल ठोक-ठोक कर और चुटकियां बजा-बजाकर गा रहा था। वहां से गुजरते हुए पिता जी बोले,-- 'ये लोग बहुत गन्दे हैं, इनसे कभी मत बोला करो। न पढ़ना, न लिखना, बस दिन-रात आवारागर्दी ।'

लेखक की हरिजन पात्र के प्रति कोई सहानुभूति नहीं पाई जाती है। वह हरिजन पदा का यथार्थ चित्रण कर देता है। उनमें जो बुराइयां हैं, सिनहा जी ने उन्हें दर्शाया है। सिनहा जी ने उपन्यास में हरिजनोत्थान की भावना से कार्य नहीं किया है।

प्रश्न उठता है कि सनातन परम्परा से प्रभावित होकर किसी वर्ग के बारे में कोई गलत धारणा बनाना उचित कहा जा सकता है। यह बात ठीक है कि हरिजन लोग ज्यादातर निरक्षर होते हैं। उनकी चालें ठीक

१. डा० सुरेश सिनहा : 'सुबह अंधेरे पथ पर' (१९६७), पृ०सं० ११ ।

२. वही, पृ०सं० ११ ।

नहीं होती । पर सब हरिजन तो एक समान नहीं हो सकते । मनुष्य के हाथ की भी तो पांचों उंगलियां एक समान नहीं होतीं । अगर हरिजन लोग निरकार हैं तो भी उनके साथ नीचता का व्यवहार की बात सोचना मुझे तर्कहोन लगता है। मैं एक सवाल सवर्ण हिन्दू वर्ग से करना चाहता हूँ कि क्या उनके वर्ग में सभी साक्षर होते हैं कोई निरकार नहीं होता ? सवर्ण हिन्दू वर्ग में भी कुछ लोग निम्न प्रवृत्ति के होते हैं, पर हरिजन वर्ग के लोगों के द्वारा वे सताये तो नहीं जाते । आखिरकार हरिजन बेचारा, जिन्हें महात्मा गांधी ने 'हरिजन का जन' कहा है, क्यों समाज में पीड़ित किया जाता है? किसी भी हरिजन को सताना समाज के लिए उचित नहीं है । होना तो यह चाहिए कि हरिजन वर्ग को लोग सहायता दे, सहानुभूति दे, तभी तो यह वर्ग भी उच्च समाज की रचना में अपना योगदान दे सकता है, अन्यथा नहीं ।

(अ) कुआकृत की भावना

प्राचीनकाल से ही भारतवर्ष के इतिहास में हरिजनों के साथ कुआकृत की भावना चली आ रही है । हरिजनों की समस्या तो एक मानवीय समस्या है । हरिजन लोग भी अन्य व्यक्ति की तरह होते हैं, फिर उन्हें हम क्यों उनके साथ भेद-भाव का बताव करें, हरिजनों का कोई सम्मानित स्थान समाज में नहीं था । सवर्ण लोग उनकी परहाइयों से बचते थे और उनसे घृणा करते थे । यही कुआकृत की भावना उपन्यासों में प्रतिबिम्बित हुई है ।

गोविन्दवल्लभ पन्त के 'जलसमाधि' (१९५५ई०) उपन्यास में बिसुवा ह ढोली का लड़का सिरौराम का सामाजिक शोषण चित्रित किया गया है, 'सिरौराम गांव के बिसुवा ढोली का लड़का है । उच्चवर्ग के सदियों से हरिजनों के साथ निम्नकोटि का व्यवहार करते हैं । वे उनकी क़ाय

१. गोविन्दवल्लभ पन्त : 'जल समाधि' (१९५५ई०), पृ० सं० ३२ ।

तक से बचते हैं। इस उपन्यास में भी इसी का चित्रण मिलता है। सिरौराम जानता है कि थोड़ी-सी गलती करने पर उसे प्राणदण्ड भी मिल सकता है, अतः वह उच्च श्रेणी के लोगों की क्हाया बचाकर चलता है। लेखक लिखता है,--
 'बिसुवा शिल्पी और कलाकार भाग्य से वह अमृत के घर पैदा होने वाला, कृत उत्तराधिकार में प्राप्त थी उसे। समाज को उच्च श्रेणी के लोगों की क्हाया बचाकर चलने का आदो था। वह और इसका कोई कांटा भी नहीं था, उसके मन में। दूर से ही किसी को आते हुए देखकर वह एक स्वभाव सिद्ध प्रेरणा से मार्ग के एक ओर अपनी क्हाया और क्हाया समेट कर हाथ जोड़ कहता-- 'सेवा मालिस जा।' 'जोवित रहो बिसुवा।' -- यह आशीर्वाद मिलता था। उसे पर कैसे जोवित रहता था वह, यह केवल वही जानता।'

लेखक हरिजनों के ऊपर अत्याचार का विरोध करता है। वह हरिजनों के शोषण के विरुद्ध है। लेखक आर्य समाज से प्रभावित है। वह सिरौराम पर भी आर्य समाज का प्रभाव दिखाता है,-- 'लेकिन सिरौराम ने लदियों की यह गुलामी तोड़कर फूंक दी। उसने हलदानी आर्य समाज में जाकर अपना शुद्धि करा ली। स्नान करने लगा, जेऊ पहन ली और ईमानदारी के व्यवहार से उन्नति करने लगा।'

सिरौराम ढौली के ऊपर शोषण के द्वारा लेखक ने प्रकारान्तर से यह उद्घाटित करने की चेष्टा की है कि इसी तरह हरिजनों पर अत्याचार व शोषण किया जाता है। सिरौराम का चरित्र निष्कलंक है, इसीलिए वह सवर्णों की क्हाया से बचता है। सिरौराम सवर्णों के अत्याचारों से त्रस्त है। वह जानता है कि उसे बेबात पर कड़ा दण्ड दिया जा सकता है। हरिजनों के

१. गोविन्दवल्लभ पंत : 'जलसमाधि' (१९५५ई०), पृ०सं० ३२ ।

२. वही, पृ०सं० ३२ ।

साथ अत्याचार करना तो सवर्णों के दिमाग का दिवालियापन को दर्शाती है ।

भगवती चरण वर्मा के 'अपने खिलौने' (१९५७ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचार का चित्रण मिलता है । कृष्णान् नामक पात्र कहता है,-- 'मैं ब्राह्मण हूँ मिसेज भारती, चमार नहीं हूँ ।' इस उपन्यास में भारती परिवारों की ही कथा कही गई है । जयदेव भारती बुंकि चमार है, इसलिए कृष्णान् नामक ब्राह्मण पात्र उनको अपने से नीचा समझता है, जानेश्वरी भारती के साथ भी भेदभाव को 'अपने खिलौने' (१९५७ई०) उपन्यास में चित्रित किया गया है,-- 'आपको जुतों में कोई रुचि नहीं मालूम होती कृष्णान् साहब ।' कृष्णान् ने उत्तर दिया -- 'मैं ब्राह्मण हूँ मिसेज भारती, चमार नहीं हूँ । हमारे कुल में आज तक किसी ने जुता नहीं पहना । यह तो अपवित्र होता है ।'

हरिजनों के साथ भेद-भाव का जो स्वल्प हमारे समाज में प्राप्त होता है, उसी को लेखक ने यहां साकार रूप प्रदान किया है । लेखक इस अत्याचारपूर्ण भेद-भाव के विरुद्ध है । वह नहीं चाहता कि सवर्ण लोग हरिजनों को परेशान करें । वह विरोध प्रकट करता है,-- 'जयदेव भारती को अब अपनी गलती का पता चला । उन्होंने कहा-- 'ओ कृष्णान् , मैं भूल ही गया था कि तुम ब्राह्मण हो । माफ करना, जो मैंने तुम्हें जुता कुआ दिया । वैसे तुम जुता पहने हुए हो, इसलिए तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।'

हरिजनों के साथ जो भेद-भाव किया जाता है, वह आज के सम्य समाज में अनुचित लगता है या इसको हम यों कह सकते हैं कि अब तो कानून के द्वारा भेद-भाव का अन्तर दिया गया है, अतः भेदभाव का सम्य समाज के बीच कोई स्थान नहीं है । अगर भारती ने उनको गोद में जुता रख दिया तो

१. भगवती चरण वर्मा : 'अपने खिलौने' (१९५७ई०), पृ०सं० ६७ ।

२. वही, पृ०सं० ६७ ।

३. वही, पृ०सं० ६७ ।

कृष्णानु को गाली देने की क्या आवश्यकता थी ? कृष्णानु का विरोध करना इस बात का परिचायक है कि सवर्ण हिन्दुओं के मन में अभी भी घृणा के भाव विद्यमान हैं। लेखक व्यंग्य करता है,-- 'जयदेव को इस जामा याचना से कृष्णानु और भी कठोर हो गया, पिघलना तो डुर रहा--' हां जुता में पहने हूँ, लेकिन मैं पैर में पहने हूँ और इसे नौकर ने पहना दिया था, मैंने अपने हाथ से इसे नहीं छुआ, तुमने तो जुता मेरी गोद में रख दिया। मुझे स्नान करना पड़ेगा'। आज का ब्राह्मण वर्ग तो समाज में दिखाने के लिए बहुत-सा कार्य करता है। पर यदि उनके जीवन का यथार्थ चित्रण किया जाय तो बहुत ही सी हमें असंगतियाँ दिखाई देंगी। मेरा तो स्पष्ट मत है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नीच नहीं होता है। कर्म ही उसे ऊँच तथा नीच बनाते हैं। यहाँ पर मैं कृष्णानु को दुष्कर्मी के कारण चमार तथा भारती को ब्राह्मण वर्ग का मानता हूँ। मान लिया कि भारती से गलती हुई हो गई तो वह जामा मांग लेता है। किसी भी व्यक्ति को माफ़ी मांगने पर जामा मिल जाती है। पर कृष्णानु जैसा नीच प्राणी उसको माफ़ नहीं करता है। सवर्ण लोगों को अब भी जागृक हो जाना चाहिए। अब पुराना जमाना नहीं रहा। अब तो सब लोग के समान हरिजन वर्ग भी बढ़ रहा है।

चतुरसेन शास्त्री ने 'बगुला के पक्ष' (१९५६ई०) उपन्यास के द्वारा यह दिखाने की चेष्टा की है कि किस प्रकार कुजाकृत हमारे देश को चौपट कर रहा है। हमारे समाज में आज कुजाकृत का इतना प्रचार है कि सवर्ण हिन्दु वर्ग भी अनेक क्षेत्रों में बंटे हैं तथा यही नहीं, प्रत्येक जाति कई उपजाति में बंटी है जिनमें आपस में विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकते।

सामाजिक दुरवस्था के कारण ही जुगनु के साथ भेद-भाव का बर्ताव होता है,-- 'वह इस बात को लगभग भूल ही चुका था कि वह जन्मजात

१. माक्तीचरण वर्मा : 'अपने खिलाँने' (१९५७ई०), पृ०सं०६७।

भंगी है। साहब के बैरा-चपरासी जो अधिकतर ईसाई-गोआनी थे, किसी तरह उसकी जाति के सम्बन्ध में जान गए थे। वे उससे घृणा करते और उसे तुच्छ समझते थे।^१

जब प्रसव-वेदन में मेम साहब की मृत्यु हो जाती है तो मुंशी जुगनू को बर्खास्त करना तो उसके ऊपर अत्याचार करना है। और लोगों को तो नहीं बर्खास्त किया गया तो फिर जुगनू के साथ ऐसा कड़ा व्यवहार क्यों किया गया? शायद हरिजन होने के नाते उसपर यह अत्याचार किया गया हो। भारतीय समाज में दोष किसी का हो, पर उसका सारा दण्ड हरिजनों को ही भुगतना पड़ता है। हरिजनों का समाज में हमेशा से उत्पीड़न हुआ है, उसी भावना के कारण जुगनू पर भी अत्याचार किया गया है। अगर जुगनू के साथ और भी नौकर बर्खास्त किये जाते तो ये कहने का प्रश्न ही न उठता कि जुगनू भंगी के ऊपर अत्याचार किया गया है। लेखक अकूतोद्धार करने वाले कांग्रेसियों के ऊपर व्यंग्य करता है,--'सासकर भंगी के लिए तो अब केवल भंगी के काम को छोड़कर दूसरा काम ही न था। ये अकूतोद्धार करने वाले कांग्रेसी न उन्हें छु सकते थे, व उनका कुआ खा सकते थे। केवल उन्हें हरिजन का खिताब देकर उनके प्रति अपनी सब जिम्मेदारी से पाक साफ हो गए थे।' लेखक का दृष्टिकोण गलत नहीं है। आज जब सर पर चुनाव आते हैं तो नेता लोग आश्वासन देने लगते हैं, पर जब चुनाव का समय बीत जाता है, तो उनपर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे हरिजनों के ऊपर कितना ही कोई अत्याचार कर रहा हो। जुगनू भंगी, हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करता हुआ कहता है,--'शहर की सफाई का दारोमदार किन पर है? उनपर जिन्हें आप भंगी और मेहतर कहते हैं, जिनकी बहू बैटियां भोर के तड़के ही उठकर मैले के टोकरे सिरों पर लादे आपके घरों की

१. चतुरसेन शास्त्री : 'बगुला के पंखे' (१९५६ई०), पृ०सं० ७।

२. वही, पृ०सं० ६।

सफाई करती है। उन्हें पीढ़ियों से आपके ये नरक ढोने पड़े हैं और आपने कभी उनकी ओर हमदर्दी की नज़र से नहीं देखा। कभी आपने उन्हें अपना साथी, एक नागरिक नहीं समझा। कभी आपने इन्सान नहीं समझा, मानवीय सब अधिकारों से वे वंचित हैं। हिन्दू समाज का वह गला-सड़ा अंग है। महात्मा गांधी ने उन्हें हिन्दुओं में मिलाए रखने के लिए जान की बाजी लगा दी थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने उनके लिए क्या किया है? आगे जुगनू कहता है, -- मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप अब उनके लिए क्या करना चाहते हैं? वे अब हमारे समाज से पृथक् गन्दे सुअरों की भांति नहीं रह सकते। हमें उनकी तनखाहें बढ़ानी होंगी। उनके लिए अच्छे हवादार मकान, रोगी होने पर चिकित्सा और दूसरी सब सुविधाएँ देनी होंगी। महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन कहा है। हरिजनों को प्रेम से गले लगाना भगवान को प्रसन्न करना है।

जुगनू के इस कथन से हरिजनों की निम्नस्तरीय सामाजिक स्थिति का विश्लेषण हो जाता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समाज उन पर कैसा अत्याचार करता है। लेखक का हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण है। लेखक हरिजनों के ऊपर अत्याचार होने लेने के पक्ष में नहीं है। जुगनू भंगी में शास्त्री जी ने इसीलिए पर्याप्त सामाजिक चेतना का विकास दिखाया है। शास्त्री जी हरिजनों के उत्थान की ओर ध्यान दिया है। जुगनू भंगी के द्वारा हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध लेखक ने अपनी मनोभावना प्रकट की है। जुगनू भंगी का कहना ठीक ही है कि हमारा समाज उन्हें इंसान नहीं समझता है। समाज ने हरिजनों को मानव अधिकारों से वंचित कर दिया है। आज भी समाज में थोड़ी सी गलती करने के लिए पर्याप्त दण्ड दिया जाता है। वे हिन्दू समाज के सड़े गले अंग के समान हैं। यदि ऐसा

१. चतुरसेन शास्त्री : 'बगुला के पंख' (१९५६ई०), पृ० सं० ८३ ।

२. वही, पृ० सं० ८४ ।

न होता तो समाज उन्हें क्यों अस्पृश्य की कोटि में रखता ?

सुरेश सिनहा के 'पत्थरों का शहर' (१९७१ई०)

उपन्यास में हरिजन वर्ग के शोषण की ओर अवश्य ही संकेत किया गया है और उनके राजनीतिक दुरुपयोग को भी स्पष्ट किया गया है,-- 'डा० अम्बेदकर आपके लिए जिसे और मरे । उन्होंने देश में कानून बनाया । मुदा हमारी सरकार ने क्या किया । जानते हैं क्यों ? इसलिए कि ये लोग हमें अकूत सम्भरते हैं । हमें हरिजन कहकर हमारे साथ धोखा करते हैं । हमको बेकूफ बनाते हैं । आज आबादी का अस्सी परसेण्ट लोग हम सब बिरादरी वाले हैं । बाकी तीस परसेण्ट लोग बराहमन और ऊंचे हिन्दू कहलाते हैं । मैं कहता हूँ, हमारा इमतेहान बहुत हो चुका । अब हम कुछ बरदास्त नहीं कर सकते भाइयो ।' लेकिन कुल मिलाकर यह खेदजनक है कि सुरेश सिनहा ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उसको ओर चित्रण करने का कोई प्रयत्न ही किया है । सुरेश सिनहा एक ऐसे उपन्यासकार है, जिन्होंने हरिजन समस्याओं की ओर कम ध्यान दिया है । सुरेश सिनहा ने यद्यपि हरिजनों का यथार्थ चित्रण करने का प्रयत्न किया है, फिर भी हरिजनों के प्रति सिनहा जी का दृष्टिकोण रूढ़िवादी है ।

क) मनुष्यत्व की भावना

यद्यपि हरिजनों के ऊपर सवर्णों ने अनेक अत्याचार किया है, फिर भी हरिजन वर्ग में बदले की भावना नहीं मिलती । अगर एक हरिजन और एक सवर्ण के दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाय तो पता चलता है कि हरिजनों में मनुष्यत्व की भावना शेष है । इसी मनुष्यत्व की भावना को उपन्यासकार ने हरिजन पात्र के माध्यम से व्यक्त किया है ।

'गुबन' (१९३१ई०) की रचना के समय भारतीय समाज में अनेक विषमताएँ थीं । समाज की अनेक विषमताओं का प्रभाव 'गुबन' (१९३१ई०)

१. डा० सुरेश सिनहा : 'पत्थरों का शहर' (१९७१ई०), पृ०सं० १८५ ।

उपन्यास पर भी पढ़ा है । उपन्यास में हरिजन पात्रों के चित्रण के दो पक्ष हैं-- पहली स्थिति यह है कि उनके ऊपर अत्याचार को दिखाया जाय तथा दूसरी स्थिति है कि हरिजन पात्रों द्वारा सुधारपूर्ण दृष्टिकोण रखा जाय । 'गुब्बने' (१९३३ ई०) उपन्यास में दूसरी स्थिति ही प्रधान है तथा इसी का चित्रण उपन्यास में मुख्य रूप से किया गया है । देवीदीन खटिक पात्र में मनुष्यत्व को भावना मिलती है ।

देवीदीन व्यक्तिगत जीवन में निकम्मा, दुर्व्यसनी और धार्मिक पाखण्डों का पुजारी है, परन्तु सामाजिक जीवन में वह सरल, परोपकारी, उदार, दयालु तथा देश प्रेमी है । वह रमानाथ को झूठी गवाही देने से रोकता है । वह यह नहीं चाहता कि रमानाथ को झूठी गवाही से अनेक निरपराध व्यक्ति अपने प्राण गंवाए । वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का गला काटने वालों को विष देकर मार देने में भी पाप नहीं समझता है । वह रमानाथ से इसी कारण खिंच जाता है तथा जालपा के प्रति इसी कारण श्रद्धा आदर का भाव प्रकट करता है, क्योंकि वह सामाजिक हित का कार्य करती है । प्रेमचन्द ने देवीदीन के चरित्र के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर खींची है, जो अच्छा वातावरण पाकर अपने में भी सुधार कर लेता है ।

पंचम अध्याय

-0-

राजनैतिक स्थिति और हरिजन

- (क) शासक वर्ग ।
- (ख) जमींदार वर्ग ।
- (ग) एकमात्र जनतांत्रिक प्रणाली - म्युनिसिपैलिटी ।
- (घ) पुलिस का अत्याचार ।
- (ङ०) राष्ट्रीय आन्दोलन ।
- (च) शासन सम्बन्धी भ्रष्टाचार ।
- (छ) भाषा की समस्या ।
- (ज) पूंजीपति वर्ग का उदय ।
- (झ) पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण ।
- (ट) देशी रियासतें ।
- (ठ) महाजनी शोषण ।
- (ड) देशभक्त वर्ग ।
- (ढ) ब्रिटिश सरकार की न्याय-व्यवस्था ।
- (ण) ब्रिटिश शासन-नीति ।

पंचम अध्याय

-0-

राजनीतिक स्थिति और हरिजन

प्राचीनकाल से ही समाज के द्वारा हरिजनों का शोषण होता आया है। भारतीय राजनीति के इतिहास में जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो यूरोप वालों की दृष्टि भारत के ऊपर उठने लगी। पहले फ्रांस के लोग आये, फिर पुर्तगाल और स्पेन वाले भारत में अपने ठिकानों को मजबूत करने लगे। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिज्ञता के कारण सम्पूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया और भारतीय राजनीतिक इतिहास में अंग्रेजों का बोलबाला हो गया।

अंग्रेजों ने भारत पर अनन्तकाल तक राज्य करने के उद्देश्य से भेद-नीति को अपनाया। यदि एक तरफ अंग्रेजों ने हिन्दू और मुसलमानों में भेदभाव बरता तो दूसरी तरफ हिन्दुओं में भी भेद-भाव रख करने की चेष्टा की। उन्होंने तो ऐसा राजनीतिक चाल चली कि हिन्दू धर्म दो भागों में बंट कर जाये, परन्तु गांधी जी की कृपा के कारण हिन्दू धर्म में एकता बनी रही और इस प्रकार हिन्दू धर्म पतन के गर्त में जाने से बच गया।

अंग्रेजों ने जमींदार, रईस, राजे-महाराजे और सर-उपाधिवारियों आदि का वर्ग बनाकर हरिजनों का राजनीतिक क्षेत्र में शोषण प्रारम्भ कर दिया। अंग्रेजों ने हरिजनों का राजनीतिक उत्पीड़न करने के लिए जातियों को कागज में लिखा जाना अनिवार्य कर दिया। ताकि सवर्ण हिन्दू और हरिजनों जातियों के बीच भेद-भाव किया जा सके।

अंग्रेजों ने हिन्दुओं में फूट डालने के लिए हरिजनों को अपनी ओर मिलाना चाहा। डा० अम्बेदकर के नेतृत्व में हरिजनों को राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध करने की चेष्टा की गई। अंग्रेजों की भेद-नीति से प्रेरित होकर हरिजन-नेता डा० अम्बेदकर तथा श्रीनिवासन ने हरिजन समस्या को राजनीतिक प्रश्न का रूप दे दिया। अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस को शक्ति कमजोर करने के लिए मुसलमानों की तरह हरिजनों को भी स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व देकर उन्हें उसका विरोधी बना दिया जाये। अंग्रेजों की कूटनीति यहां तक पहुंची कि उन्होंने यह प्रचार करना आरम्भ कर दिया कि हरिजन हिन्दू नहीं है। अतः हरिजन वर्ग के नेता डा० अम्बेदकर और श्रीनिवासन ने गोलमेज परिषद् में बुनियादी अधिकार, बालिग मताधिकार और स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व की मांग रखी, परन्तु कांग्रेस ने तीसरी मांग स्वीकार न की। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ जो गलती किया था, उसे वह दुहराना नहीं चाहती थी। गोलमेज परिषद् का अलफल होना स्वाभाविक था, क्योंकि फूट डालने के लिए ही इस बैठक का आयोजन हुआ था। रैमजे मेकडानेल के 'कम्यूनल स्वार्ड' ने हरिजनों के स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली। इसके विरोध में गांधी जी के आमरण अनशन के बाद १९३२ ई० में 'पुना-पैक्ट' सम्पन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस ने हरिजनों को १४८ सीटें देना स्वीकार कर लिया, जब कि अंग्रेजी सरकार उन्हें केवल ६१ सीटें दे रही थी। गांधी जी इस बात को जानते थे कि यदि भारत के राजनीतिक इतिहास में दो वर्ग बन जायें तो विदेशी शक्तियों को सिर उठाने का फिर मौका मिल जायेगा।

आधुनिक काल में हरिजनों को राजनैतिक अधिकार प्राप्त है। उनके लिए कुछ सीटें निर्धारित की गई हैं। शासकवर्ग ने हरिजनों पर अंग्रेजी शासन काल में अनेक अत्याचार किये। अंग्रेजों की शह पाकर जमींदारों ने अनेक दुष्कर्म हरिजनों के ऊपर किये। लार्ड रिपन की कृपा से म्युनिसिपैलिटी का गठन हुआ, पर वहां भी उच्च लोगों के द्वारा हरिजनों का शोषण किया गया। ब्रिटिश राज के समय पुलिस अत्याचार का प्रतीक समझी जाती थी। समाज में पुलिस ही एकमात्र संस्था है, जिसके द्वारा समाज की सुख-शांति बना नहीं हो पाती। भारतीय स्वतन्त्रता के बाद भी पुलिस हरिजनों को सताती थी, परन्तु जब से आयात स्थिति की घोषणा हुई है, तब से हरिजनों की दशा में पुलिस वर्ग के द्वारा सुधार हुआ है। पुलिस का कार्य है कि वह यह देखे कि कहां हरिजनों के ऊपर पुलिस के द्वारा ही (जो कि समाज के रक्षाक हैं) अत्याचार तो नहीं किया जा रहा है। भाषा के प्रश्न को लेकर भी हरिजनों का शोषण करने से लोग बूकते नहीं। पूंजीपतियों ने भी हरिजनों का शोषण किया है। उपन्यासकारों ने पूंजीपतियों के अत्याचार का विशद् चित्रण किया है। महाजनों का शोषण भी राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। विभिन्न उपन्यासकारों ने हरिजनों की राजनीतिक दशा को ध्यान में रखकर चित्रण किया है।

(क) शासक वर्ग

प्राचीन समय से ही शासक वर्ग शोषितों पर अत्याचार करता आया है। ब्रिटिश सरकार के कार्यकालमें भी शोषितों पर अनेक अत्याचार किये गए। शासक वर्ग के लोग अपने को उच्च समझते हैं तथा शोषितों को निम्न। इसी कारण वे उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। शासक वर्ग के होने के नाते शोषित लोग इनके अत्याचारों का विरोध भी नहीं करता तो इसके फलस्वरूप शासक वर्ग के लोग मनमाना ढंग से शोषित लोगों का शोषण करते हैं।

मेहता लज्जाराम शर्मा ने 'आदर्श हिन्दू' (१९७६ई०) उपन्यास में राजभक्ति का आदर्श उपस्थित किया है। 'आदर्श हिन्दू' उपन्यास में तहसीलदार मुरव्वतअली ब के द्वारा खेमला चमार नामक पात्र पर राजनीतिक अत्याचार का वर्णन किया गया है,--^१ अच्छा सुन। तैने उस खेमला चमार को बहका कर मुफ पर नालिश ठुक्वा दी। 'राजनीतिक दृष्टि से लज्जाराम शर्मा जी को महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली है। सामंतवाद का क्या स्वरूप पूर्व समय में था, इसका चित्रण 'आदर्श हिन्दू' (१९१७ई०) उपन्यास में मिलता है। लज्जाराम शर्मा पुरातनवादी परम्परा के लेखक हैं, अतः इसीलिए उन्होंने हरिजन पात्र के साथ दुर्व्यवहार दिखाया है, जो कि वर्तमान समय में उचित नहीं जान पड़ता।

विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' प्रेमचन्द को परम्परा के लेखक हैं। अतः उसी शैली में वह 'संघर्ष' (१९४५ई०) उपन्यास में राजा साहब के शोषण का पूरा व्योरा देते हैं। राजा साहब को, 'जब हाथी खरीदना होता है, घोड़ा खरीदना होता है या मोटर, तब चन्दा लिया जाता है'। राजा साहब इसके लिए हरिजनों का शोषण करते हैं, जो कि सामाजिक तथा मानवतावादी दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं प्रतीत होता है। यही राजा साहब कलक्टर की खुशामद करने के लिए व्यग्र है। 'कौशिक' जी कहते हैं कि अनेक रियासतें राज्याधिकारियों को दावत देने के कारण ऋणग्रस्त हैं। जिलेदार पासियों से नजराना लेते हैं और इस राजसी रेश्वर्य का भार निर्धन हरिजनों को सहना पड़ता है। उनपर जो मार पड़ती है, सो अलग। 'कौशिक' जी सूक्ष्मदृष्टा हैं। उन्होंने सामन्ती व्यवस्था को एक सूत्र में स्पष्ट कर दिया है कि जिस रियासत की राजधानी जितनी ही अधिक सुख-सुविधाओं से सम्पन्न होगी, उस

१. लज्जाराम शर्मा : 'आदर्श हिन्दू' (१९१७ई०), भाग १, पृ० सं० १४६।

२. विश्वम्भरनाथ 'कौशिक' : 'संघर्ष' (१९४५ई०), पृ० सं० ६७।

रियासत के हरिजन वर्ग उतने ही अधिक पिछड़े तथा निर्धन होंगे । लेखक ने हरिजनों के शोषक तथा राजा साहब के विलासी चरित्र का भी पूरा चित्र दिया है । दो रनत्रियां हैं, अनेक रखेलियां, फिर भी रियासत की कोई सुन्दर युवती राजा के विलास से नहीं बचती । शोषण का इतना सुन्दर विवेचन देने पर भी अन्त में 'कौशिक' जो राजा साहब के लिए एक सुयोग्य सेक्रेटरी का प्रबन्ध करके सामन्ती व्यवस्था की स्थापना करते हैं । उनका चिन्तन एकसीमा पर आकर अवरुद्ध हो जाता है ।

वृन्दावनलाल वर्मा के 'मृगनयनी' (१९५०ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर राजाओं के अत्याचार का वर्णन किया गया है । राजा लोग किस प्रकार अपने राज्य-नीति की पूर्ति के लिए हरिजनों का शोषण करते हैं, इसी का चित्रण 'मृगनयनी' (१९५०ई०) में मिलता है । 'मृगनयनी' (१९५०ई०) एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें विभिन्न राजाओं की कूटनीतियों का चित्रण मिलता है । पीटा तथा पिल्ली नामक नटों का उत्पीड़न गुजरात के शासक बघर्रा के द्वारा किया जाता है, -- गुजरात के बघर्रा के शरीर की जितनी भूख अन्न, फल, मांस इत्यादि के लिए थी, उससे कहीं अधिक भूख और प्यास उसकी आत्मा को लड़ाइयां लड़ने और इन बहाने की लगी रहती थी । यदि उसको मनुष्य लड़ने को न मिलते तो वह हवा, पहाड़, पेड़ और पत्थर किसी से भी लड़ता भिड़ता रहता । शरीर की कराल जठराग्नि को बनाये रखने के लिए आत्मा का यह पाचकपूर्ण वह अपने लिए अत्यन्त अनिवार्य समझता था । अपनी इसी नीति के कारण वह नटों को अपनी राजनीति में समेटना चाहता है । मांडू पर बघर्रा आक्रमण करने के लिए जा रहा है । एक जगह मर्ण लुप्तप्राय हो गया था । मार्ग-दर्शक भ्रम में पड़ गये । सन्ध्या होने में क्लिम्ब था, परन्तु थोड़ी ही दूरी पर बाद में बल खाती हुई एक चौड़ी नदी भी पार करने को पड़ी थी । मार्ग खोजने वाला दल सेना के सामने से इधर-उधर फैल गया ।

१. वृन्दावनलाल वर्मा : 'मृगनयनी' (१९५०ई०), पृ० सं० ६० ।

थोड़ी दूर जंगल में उनको धुआं दिखलाई पड़ा। लौजने वाले धुरं के पास सतकर्ता पहुँचे। वहाँ नट-बेड़ियों का एक छोटा-सा डेरा था। मार्ग-प्रदर्शक का अगुआ नटों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए चिल्लाता है। नट लोगों के चेहरे पर भय से नहीं आश्चर्य से रेखायें खिंच जाती हैं। नटों का मुखिया अगुआ से पूछता है, 'क्या है ?'

अगुआ ने कहा, -- 'गुजरात के सुल्तान की फौज यहीं पास आ गई है और तुमको खबर नहीं।'।

'हमको नहीं मालूम।'।

'मांडू का रास्ता बतलाओ और नदी का घाट।'।

'हमको नहीं मालूम।'।

'फौज को इसी घड़ी उस पार उतरना है।

'काहे के लिए ?'

'काहे के लिये। तुम्हारे पुरखों को तारने के लिए।

निकलता है इस बाढ़े में से या हम रण-सिंगा बजाकर फौज के हाथियों को तुम्हें कुचल डालने के लिए बुलावें ?' बघराँ के सरदार इस प्रकार नटों को बिना अपराध कुचल देना चाहते हैं।

अगुआ ने मुखिया से पूछा-- 'तुम्हारा नाम ?'

'पोटा।'।

'और इस लड़की का नाम।'।

'पिल्ली।'।

'स्त्रियों को साथ लाने की जरूरत नहीं है^२।'।

आखिरकार अगुआ नटों को जबर्दस्ती पकड़कर राजा के पास ले जाता है। नट कांप गये। पिल्ली की सिटी भूल गई। वह अदब के साथ

१. बृन्दावनलाल वर्मा : 'मृगनयनी' (१९५०ई०), पृ०सं० ६३ ।

२. वही. प०सं० ६३ ।

खड़ी होकर नीचे से ही सुल्तान को भांपने लगी । उस शरीर, दाढ़ी और मुँह को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गये । सुल्तान ने पाव-पाव मर के ग्रासों से भोजन करना जारी कर दिया ।

एक ग्रास को चबाते - चबाते बघर्रा बोला -- 'कहाँ रहती हो ?' पिल्ली के कानों को प्रतीत हुआ जैसे किसी बड़े भरे हुए होज में मेंसा कुदा हो ।

बारीक स्वर में बोली -- 'सरकार मांडू के पास के जंगल के रहने वाले हैं हम लोग ।'

कहाँ जा रहे हो तुम लोग ? जैसे कोई चट्टान फटी हो ।

'सरकार भेवाड़ की तरफ ।'

'क्यों ?' जैसे लोहे के दो गोले आपस में टकरा गये हों ।

'वहाँ के राणा जी और सरदारों को अपना खेल दिखाने के लिए ।'

'यहाँ से कब चल दोगे तुम लोग ?'

'दो-तीन दिन में । बादल, साफ हुआ नहीं कि चल पड़े ।'

'कौन लोग हो ?'

'हिन्दू और मुसलमान दोनों ।'

'यह कैसे ?'

'सरकार, हम खुदा और भावान दोनों को मानते हैं और सब जानवरों का मांस खाते हैं ।'

'तोबा ! तोबा !!'

'भेवाड़ का राणा जी कहाँ है ?'

'बीतौड़ में होंगे महाराज ।'

चिरौड़ में नहीं है। मुझे जूझने-मरने को आ रहा है। यहां चालीस पचास कोस की दूरी पर है। मांडू के सुल्तान को खतम करके आता हूँ उस पर भी। कह देना कि चम्पानेर का जो हाल किया वही उसका भी होगा।

‘जो हुकुम सरकार।’

‘कसम खाजी।’

‘खुदा की कसम।’

‘भावान को भी खाजी।’

‘कसम भावान और खुदा की।’

नट लोग अपना इनाम न लेकर किसी तरह जान कुड़ाकर भागते हैं। इस प्रकार नटों के ऊपर अत्याचार किया जाता है।

लेखक का, हरिजनों के प्रति जो अत्याचार हुआ है, समर्थक दृष्टिकोण है। वर्मा जो ने इस उपन्यास में नटों की कथा को प्रासंगिक घटनाओं में प्रमुख स्थान दिया है। वर्मा जो ने पिल्ली तथा पोटा नटों में अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह की भावना नहीं दिखाई है। नट के ऊपर अत्याचार करना तो राजाओं को अत्याचार की नीति को स्पष्टतः हमारे सामने रखता है। यद्यपि वर्मा जो ने नटों में इतनी शक्ति नहीं दिखाई है कि वह बघराँ जैसे शासक का उटकर मुकाबला करे। पोटा के वर्ग के नट मांडू के जंगल में अपनी जान बचाने के लिए छिप जाते हैं, -- पोटा के वर्ग के नट मांडू के जंगल में आ छिपे। वर्षा के अन्त तक वहीं बने रहे। उस डरावने सुल्तान और प्रचण्ड ‘राणा जी’ के भ्रंश में वे नहीं पड़ना चाहते थे। शंका करते थे सुल्तान अब आया और तब आया। परन्तु न सुल्तान आया और न राणाजी आये।

हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार शासक वर्ग के द्वारा किया गया है, वह मानवता की दृष्टि से उचित नहीं लगता। इसका कारण

१. वृन्दाबनलाल वर्मा : ‘मृगयनी’ (१९५०ई०), पृ०सं० ६६ ।

२. वही, पृ०सं० ६७ ।

स्वयं स्पष्ट है। बघर्रा के लोग पहले नटों को इनाम देने को कहकर रास्ता पूछते हैं तथा बाद में उनको बगैर इनाम दिये भाग देते हैं। यही नहीं वे उन्हें वहां से भी भाग देते हैं जहां पर वे रहते थे। यह ठीक है कि राजा लोगों के मन में अनेक राज्य को जीतने की इच्छा रहती है, पर हरिजनों का शोषण वे क्यों अपनी नीति के पूर्ति हेतु करें? एक तो पीटा तथा पिल्ली नट अत्याचारियों को रास्ता दिखाते हैं तो दूसरी ओर उन्हें इनाम के रूप में उत्प्रेषण प्राप्त होता है। हरिजनों के ऊपर अत्याचार व का समर्थन तो किसी को भी मान्य न होगा और न यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित कहा जा सकता है।

भट्टरसेन शास्त्री का 'गोली' (१९५८ई०) उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है। 'गोली' (१९५८ई०) उपन्यास में चम्पा हरिजन के ऊपर हुए अत्याचारों को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास में राजाओं के काले कारनामों को उद्घाटित किया गया है साथ ही साथ चम्पा गोली के ऊपर हुए अत्याचार को भी उजागर करता है। अंग्रेजों का सदा से यह दृष्टिकोण रहा कि पहले वे रहने के लिए जगह मांगते थे। जगह मिलने पर अपनी टांगें फैलाते थे यानी काम काज में दखल देते थे तथा फिर किसी बात को लेकर रियासत को अपने अधिकार में ले लेते थे। सुहागरात के दिन राजा तथा रानी में लड़ाई हो जाती है। राजा, रानी कुंवरी के महल में न जाकर चम्पा के महल की ओर चले जाते हैं तो राजवर्ग के लोग चम्पा की शिकायत रेजिडेण्ट साहब से करते हैं। कुंवरी, रेजिडेण्ट साहब से राजा साहब के विरुद्ध कहती है कि महाराज मेरी मर्जी के विपरीत मेरे निकट न आने पाएं। रेजिडेण्ट साहब कुंवरी की सहायता का वचन देते हैं तथा चम्पा को रंगमहल से हटाने की सिफारिश भी करते हैं,-- 'रेजिडेण्ट साहब बहादुर ने उन्हें सहायता का वचन दिया और राजा से भी लिखवा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने २०जी०जी० और वायसराय को भी बहुत सख्त नोट लिखा और इस बात पर भी जोर दिया कि चम्पा को रंगमहल से हटा दिया जाए।'

१. चतुरसेन शास्त्री : 'गोली' (१९५८ई०), पृ०सं० १३१ ।

चम्पा के प्रति रेजिडेण्ट के द्वारा जो अत्याचार किया जाता है, लेखक उससे सहमत नहीं है, क्योंकि कुंवरी भी इस दण्ड का विरोध करती है। अगर कुंवरी विरोध न करती तो यह स्पष्ट हो जाता कि लेखक की सहानुभूति चम्पा के अत्याचार के प्रति नहीं है। क्लुरसेन जो ने चम्पा के ऊपर हुए अत्याचार को पूर्णरूप से चित्रित किया है। पर जहाँ कहीं भी चम्पा के ऊपर अत्याचार होता है, लेखक की सहानुभूति चम्पा के अत्याचार के प्रति रहती है। लेखक उपन्यास के अन्त में गोलों के जोवन से छुटाकर दिला देता है। इससे स्पष्ट है कि लेखक चम्पा हरिजन का उत्थान चाहता है, पतन नहीं।

रेजिडेण्ट साहब, चम्पा के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, वह मानवतावादी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। चम्पा तो बेचारी निर्दोष है, उसका दोष नहीं है। वह तो गोलो है। उसका कार्य है राजा के हुक्म को मानना। अगर वह राजा के आदेश को न मानती तो भी उसके ऊपर अत्याचार किया जाता। अगर उसने राजा के आदेश का पालन किया तो रेजिडेण्ट साहब उसपर अत्याचार करना चाहते हैं। इस प्रकार चम्पा को दोनों तरफ से परेशानी है। चम्पा ने तो राजा से तो यह कहा नहीं था कि वे कुंवरी के महल की ओर न जाये। चम्पा तो एक सच्चरित्र युवती, का चरित्र पेश करता है। जब रानी कुंवरी को उसे राजा को लिवा लाने के लिए भेजना चाहती है तो वह विरोध करती है, पर रानी के आदेश को मानकर रह जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजा को बहकाने में चम्पा का दोष नहीं है।

भारत में तो अंग्रेज मौके की ताक में रहते थे कि कब मौका मिले तथा कब हस्तक्षेप करें। जब राजा और रानी के बीच संघर्ष होता है तो रेजिडेण्ट साहब हस्तक्षेप करते हैं। यह अंग्रेजी कूटनीति का ही परिणाम थी। किमुना, चम्पा से कहता है, - छुजर रेजिडेण्ट साहब बहादुर नहीं रानी से मिलकर बहुत खुश हुए हैं। उन्हें उस बात की सारी बात मालूम हो गई है। इससे उन्होंने अन्नदाता को खूब फटकारा है और कहा है कि सब बातें वह जनाब एजेंट गवर्नर जनरल बहादुर को लिख देंगे और यदि वह अपना बाल चलन ठीक न

रखें तो वह रोजी० को रिपोर्ट देंगे कि रियासत खालसा कर ली जाए और अन्नदाता को गद्दी से उतार दिया जाए। अंग्रेज लोग अपनी कूटनीति के ही अनुसार दीवान को नियुक्त कर देते हैं। चम्पा कहती है,-- 'महाराज राज-काज में बहुत दखल नहीं दे पाते थे। सब काम राज्य के दीवान करते थे। दीवान उस समय एक मद्रासी सज्जन थे, जिन्हें सरकार बर्तानिया ने अपने यहां से भेजा था।' हम कह सकते हैं कि 'गोली' (१९५८ई०) उपन्यास में अंग्रेजों की राजनीतिक दांव-पेंच का चित्रण हुआ है। पहले अंग्रेज लोग तो भारत में व्यापार करने आये थे, पर बाद में वे स्वतंत्र राज्य में हस्तक्षेप करने लगे। यही नहीं वे राजा के लोगों का दमन करने लगे। चम्पा भी अंग्रेजों का इसी कूटनीति का शिकार बनती है।

(क) जमींदार वर्ग

जमींदार वर्ग अंग्रेजी राज्य के प्रारम्भिक दिनों को उगज है। इस विशाल देश पर शासन करने के लिए अंग्रेजों को समर्थकों की भी आवश्यकता थी, अतः अंग्रेजों ने जमींदार वर्ग को जन्म दिया। जमींदार वर्ग अंग्रेजी सरकार पर आश्रित होने के नाते राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोध करता तथा अंग्रेजों का समर्थक बना रहता। समान शत्रु से संघर्ष लेने के लिए जमींदार वर्ग तथा अंग्रेजी सरकार एकता स्थापित करते हैं। सारांशतः जमींदार वर्ग का हित ब्रिटिश सरकार के समर्थन करने में ही था।

विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' ने 'मिखारिणी' (१९२१ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर अत्याचार का वर्णन किया है। जमींदार ठाकुर अर्जुन सिंह, रामनाथ के शिकार खेलने की इच्छा प्रकट करने पर अंगुवां पासी से कहते हैं-- 'सबेरे ई बाबू सिकार खेलै जैहें। रहिते सबेरे चार बजे आठ आदमी लैके हाजिर रहो-- समके ओ रहि मां फरक न पड़े, नाहीं

१. चतुरसेन शास्त्री : 'गोली' (१९५८ई०), पृ०सं० १२५।

२. वही, पृ०सं० १३०।

चरसा उड़ाय दान जैसे^१ । जब कोई व्यवस्था शोषण तथा अप्राकृतिक आधार पर अवलम्बित रहती है तो व्यक्तियों में उदात्त गुणों का अभाव रहता है तथा पतनशाल अवगुणों का बाहुल्य हो जाता है । शोषक-शोषित का सम्बन्ध ही दमन तथा मथ पर आश्रित है । 'भिक्षारिणी' (१९२१ई०) उपन्यास के वृद्ध जमींदार अर्जुन सिंह अपने वर्ग के सम्पर्क में सौजन्य तथा शान्ति को मूर्ति बने रहते हैं । आतिथ्य सत्कार अब भी उनका धर्म है । लेकिन अर्जुन सिंह के चरित्र के दो पक्ष हैं । आतिथ्य सत्कार में तो सरल तथा सज्जन व्यक्ति के रूप में उनका चित्र हमारी आंखों के सम्मुख आता है, लेकिन वही जब पासियों को पीटने के लिए कौड़ा मंगवाते हैं, तो उनके चरित्र का दूसरा रूप देखने को मिलता है । उनके व्यक्तित्व के ये दो भिन्न स्वरूप क्यों हैं ? क्योंकि समाज में कई वर्ग हैं । इससे पता चल जाता है कि जमींदार लोग किस प्रकार अपने से निम्न तथा आश्रित लोगों पर अत्याचार करते हैं । भारतीय राजनीति में जमींदार वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है । साम्राज्यवाद ने गिने हुए, कुछ सौ अंग्रेजों का समूह नहीं धा, बल्कि वह एक व्यवस्था है । उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले ये जमींदार वर्ग के ही लोग तत्कालीन समय में थे । पर उपन्यासकारों ने इस तथ्य को और ध्यान न दिया । वे अंग्रेजी सरकार से तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके भारतीय समर्थकों से नहीं । 'कौशिक' जी 'भिक्षारिणी' (१९२१ई०) में जमींदारों के अत्याचार को उभार कर हमारे सामने रखा है । 'भिक्षारिणी' के जमींदार अर्जुन सिंह इसी कारण हरिजनों पर अत्याचार करने से नहीं डरते, क्योंकि वे तो अपने कौशासक वर्ग का समर्थक समझते हैं । फिर हरिजन तो शोषित है, उसपर अत्याचार होना ही चाहिए । अर्जुन सिंह को पासियों के ऊपर अत्याचार करना शोभा नहीं देता तथा यह सामाजिक दृष्टि के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल है ।

'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास के नायक हारी का जमींदार वर्ग के द्वारा शोषण भी चित्रित किया गया है । जमींदारी बढ़ने का

१- विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' : 'भिक्षारिणी' (१९२१ई०), पृ० सं० १२१ ।

कारण वस्तुतः यह है कि अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीति के कारण भूमि पर अतिरिक्त भार बढ़ गया है। भूमि का मूल्य बढ़ गया है, भूमि के अनुपात से किसानों को संरक्षा कई गुना बढ़ गई है। साथ ही जमांदार वर्ग विलासिता के गलत में डूबता गया। आधुनिक मंहंगो, सुख-सुविधाओं की आवश्यकता भी बढ़ी। इन सब का परिणाम यह हुआ कि जमांदार मानवोद्य सम्बन्ध मुलाकर किसानों का मनमाना शोषण करने लगा। राय अमरपाल होरी के ऊपर लगाये गये दण्ड में शरीक है। 'गोदान' (१९३६ई०) के राय साहब अमरपाल सिंह कौंसिल की मेम्बरी छोड़कर जेल जाने वाले देश-भक्तों में अपना नाम लिखा लेते हैं। वे मानवतावादी विचारक के रूप में सामने आते हैं, जो स्वयं अपने वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश करते हैं। ऐसा लगता है कि वह जमांदार वर्ग से उत्कट घृणा करते हैं, वह जाल से बूटना चाहते हैं, लेकिन बूट नहीं पा रहे हैं। प्रेमचन्द लिखते हैं कि इसका अर्थ नहीं कि, -- उनके उलाके में असामियों के साथ कोई हास रियायत की जाती हो, या डांड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुस्तारों के सिर जाती थी। असामियों से हंसकर जोल लेते थे। यही क्या कम है? सिंह का काम तो शिकार करना है, अगर वह गरजने और गुराने के बदले मीठी बोली बोल सकता, तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की सौज में उसे जंगल में न भटकना पड़ता। है देशकाल की परिवर्तित स्थिति में शोषण की प्रक्रिया भी बदल जाती है। जनवादी विचारों के युग में जनता से मातृत्व का सम्बन्ध रखना आवश्यक हो गया। राष्ट्रमुक्ति आन्दोलन के युग में यश-लाम के लिए जेल जाना सबसे सरल साधन था। लेकिन शोषण कम नहीं हुआ। वर्तमान युग में राय साहब जैसे ढोंगी चरित्रों की कमी नहीं। उनकी कथनी-करनी में अन्तर है। होरी से कहे गये लम्बे प्रवचन के तुरन्त बाद ही बेगारों पर बिगड़ते हैं। क्योंकि बेगार बिना भोजन के काम करने

को तैयार नहीं होकर होते ।

यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि जमींदार कर्ग न केवल आर्थिक शोषण करता है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी वह प्रतिक्रियावादी तथा शोषक होता है । फुनिया को बहु के रूप में स्वीकार करने के कारण पंचायत हॉरो से डांड लेती है । जिसमें अमरपाल सिंह भी हिस्सा बटाना चाहते हैं । वह कारकून को डांटते हैं, -- 'इस डांड-बांध के सिवा इलाके में कौन सी आमदनी है । वसूली सरकार के घर गई । अकाया असामियों ने क्या लिया । तब मैं कहाँ जाऊँ । क्या साऊँ, तुम्हारा सिर ? यह लाखों रुपये साल का खर्च कहाँ से आये ?'

हिन्दी उपन्यासों में किसानों का संघर्ष ब्रिटिश सरकार से न होकर मूलतः जमींदार कर्ग से होता है, क्योंकि हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश, विशेषतः उत्तरप्रदेश में रैयतवादी प्रथा न होकर जमींदारी-व्यवस्था ही मुख्य थी । लेकिन जमींदारी-व्यवस्था ही मुख्य शक्ति सरकार के संरक्षण में पाली पोसी गई थी, अतः यदा कदा किसानों का संघर्ष ब्रिटिश सरकार से भी होता है ।

(ग) सषष्ट्व एकमात्र जनतांत्रिक प्रणाली-- म्युनिसिपैलिटी

लार्ड रिपन ही एकमात्र ऐसे वायसराय थे, जो भारत के हितचिन्तक कहे जा सकते हैं । उन्होंने भारतीयों को आधुनिक शासन-प्रबन्ध को सीख शिक्का देने के उद्देश्य से स्वायत्त शासन का अधिकार दिया, जिसके आधार पर बाद में म्युनिसिपैलिटी तथा जिला बोर्ड का संगठन हुआ । लेकिन ब्रिटिश सरकार को कत्र-हाथा में किसी भी संस्था का जनतांत्रिक आधार पर संगठित होना सम्भव ही नहीं था । यही कारण है कि १९२५ई० के लगभग जवाहरलाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद तथा सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे योग्य व्यक्तियों को

१. प्रेमचन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृ०सं० १६ ।

२. वही, पृ०सं० १७७ ।

भां इलाहाबाद, पटना तथा बम्बई का म्युनिसिपैलिटीयों से त्यागपत्र देना पड़ा था। 'रंगभूमि' (१९१५ई०) उपन्यास का प्रकाशन भी इसी बीच हो रहा था, अतः प्रेमचन्द म्युनिसिपैलिटी तथा सरकार के परस्पर सम्बन्ध पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। 'रंगभूमि' (१९२५ई०) में जमान को लेकर म्युनिसिपल बोर्ड तथा सर्वसाधारण वर्ग का संघर्ष होता है। हिन्दी के उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द जानकर कलाकार थे, अतः उन्होंने एकमात्र जनतांत्रिक संस्था-म्युनिसिपैलिटी पर किन व्यक्तियों का आधिपत्य है, इस बात को भी परखा। यों निर्वाचन प्रकृति में चुने हुए व्यक्ति जनता के प्रतिनिधि होने चाहिये, लेकिन प्रेमचन्द अपने उपन्यासों में इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि जनता के द्वारा निर्वाचन ये सदाय वस्तुतः सर्वसाधारण जनता को अपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं जो धन के बल पर चुनाव लड़ते हैं। 'रंगभूमि' (१९२५ई०) में मि० जानसेवक सिगरेट का कारखाना खोलने के लिए सुरदास को जमीन होना चाहते हैं, जिसपर पाण्डेपुर व मुहल्ले के डोर चरते हैं। मुहल्ले वाले तथा सुरदास उस जमीन को नहीं देना चाहते। लेकिन व म्युनिसिपैलिटी औद्योगिक विकास में देश का हित देखकर उस जमीन को हीन लेती है। शहर में कई सेठ-राजा-महाराजाओं के बंगले हैं, जिनके पास इससे कहीं अधिक अनुपयोगी जमीन पड़ी है। इनमें म्युनिसिपैलिटी के चैयरमैन राजा महेंद्र तथा उद्योगपति मि० जानसेवक भी हैं। लेकिन देश-हित के नाम पर सुर को जमीन होनी जाती है तथा सुर के ऊपर अत्याचार होता है। इसमें एक निर्धन हरिजन की जमीन बली जाती है, जिसमें समस्त मुहल्ले का लाम है। सुर के नेतृत्व में पाण्डेपुर मुहल्ला संघर्ष करता है, लेकिन सरकार म्युनिसिपल बोर्ड तथा उच्च वर्गों की संगठित शक्ति के सामने विफल रहता है। जमान को लेकर 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) में भी सुरदास तथा मैना के नेतृत्व में हरिजन वर्ग तथा म्युनिसिपैलिटी में संघर्ष होता है। हरिजन वर्ग के लिए सुरदास, डा० शांति कुमार तथा समरकान्त पक्के मकान बनाना चाहते हैं,

जिसके लिए म्युनिसिपैलिटी से जमीन की मांग की जाती है। लेकिन म्युनिसिपैलिटी के धनी सदस्य वैयक्तिक लाभ के लिए जमीन स्वयं खरीदना चाहते हैं। फलतः हरिजन वर्ग के मकानों के लिए जमीन नहीं मिल पाती, जिसके लिए संघर्ष होता है। 'रंगभूमि' (१९२५ई०) में सूर के नेतृत्व में पाण्डेपुर मुहल्ले की चार 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) हरिजन वर्ग की विजय में क्यों बदल जाती है? पाण्डेपुर मुहल्ला संगठित नहीं है और न उन्हें योग्य नेतृत्व ही प्राप्त है। जब कि 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) का हरिजन वर्ग अधिकतर संगठित है। संघर्ष पद्धति का विकास हो चुका है। 'रंगभूमि' (१९२५ई०) में संघर्ष को कोई पद्धति है ही नहीं, एकमात्र सूरदास का अदम्य धैर्य, आत्मबल उनका शक्ति है। लेकिन 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) के विभिन्न पेशेवर वर्ग (हरिजन वर्ग) हड़ताल करते हैं। मध्यम वर्ग का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है, जब कि सूर के नेतृत्व में पाण्डेपुर मुहल्ला स्वयं लड़ते हुए मिट जाता है, लेकिन अन्य लोगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं का पाता।

देश की तत्कालीन परतन्त्र अवस्था में म्युनिसिपैलिटी ही एकमात्र जनतांत्रिक संस्था थी। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय विचारधारा के अग्रदूत लेखक प्रेमचन्द 'अज' के भांति म्युनिसिपैलिटी के खलनायक के रूप में चित्रित करते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या ये लेखक जनतंत्र के विरोधी हैं? उनकी रचनाओं को सम्पूर्ण भावधारा पर विचार करने के बाद ऐसा आशंका सम्भवतः कोई भी आलोचक नहीं करेगा। वास्तविकता तो यह थी कि निर्वाचन पद्धति का लाभ उच्चवर्ग के व्यक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास धन है, अतः म्युनिसिपैलिटी में उनका ही आधिपत्य है। दूसरा निष्कर्ष यह है कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार तथा म्युनिसिपैलिटी के शोषण में कोई अन्तर नहीं। दोनों ही हरिजन वर्ग को उपेक्षा करते हैं। ब्रिटिश सरकार इंग्लैण्ड का हित देखती है तो उन्नत वर्ग का नेतृत्व स्वयं वैयक्तिक लाभ तथा महत्वाकांक्षाओं को प्रमुक्ता देता है। जनवादो तथा राष्ट्रीय विचारधारा का उनके सम्मुख कोई महत्व नहीं। अज अफसरों से भी उसका घनिष्ट सम्पर्क रहता है। हां, यदि राष्ट्र प्रेम तथा जनता के नेतृत्व से यश तथा वैयक्तिक लाभ मिलता हो तो राष्ट्र सेवक तथा जनसेवी बनने का ढाँग रच सकते हैं। तीसरा निष्कर्ष यह निकलता है कि हरिजन वर्ग अधिक

संगठित तथा उनकी शक्ति उभर कर अधिक प्रखर होती जा रही है। राष्ट्रीय आन्दोलन में भी यह विकास स्पष्ट प्रकट होता है। राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व उच्च वर्गीय राजनीतिज्ञ माडरेट तथा लिबरल के हाथों में न रहकर गांधी^{जी} के साथ अम्बेदकर जैसे हरिजन नेता भी करते हैं, जिन्होंने हरिजनों के जनसमूह को राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार बनाया।

पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' ने 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) में हरिजनों के ऊपर राजनीतिक अत्याचार का वर्णन किया है। 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उपन्यास में बुधुआ मंगो के नेतृत्व में हरिजनों का आन्दोलन चलता है। म्युनिसिपैलिटी से सुविधाओं की मांग के लिए मंगो हड़ताल करते हैं और अन्ततः म्युनिसिपैलिटी सवर्ण हिन्दू तथा सरकार को संगठन शक्ति सभी हार स्वीकार करते हैं। हरिजनों को सभी सुविधायें मिलती हैं। पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' जागरूक कलाकार थे, अतः उन्होंने एकमात्र जनतांत्रिक संस्था म्युनिसिपैलिटी पर किन व्यक्तियों का आधिपत्य है, इस बात को भी देखा। यों निर्वाचन पद्धति से चुने गये व्यक्ति जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए, लेकिन 'उग्र' 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उपन्यास में इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि जनता द्वारा निर्वाचित ये सदस्य वस्तुतः सर्वसाधारण जनता को अपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, जो धन के बल पर चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए उन्होंने बुधुआ मंगो के नेतृत्व में आन्दोलन का सूत्रपात किया है। 'उग्र' जी म्युनिसिपैलिटी को खलनायक के रूप में चित्रित करते हैं। 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उग्र जी के 'बुधुआ की बेटों' (१९२८ई०) का अन्तर है।

'उग्र' राजनीतिक धरातल पर गांधी जी के प्रभाव से प्रभावित है। 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उपन्यास में अकृतोद्धार-आन्दोलन चलता है। गांधी जी के जितने भी मुख्य रचनात्मक कार्यक्रम थे, 'उग्र' जी ने उन्हें अपने उपन्यासों का विषय बनाया। गांधी जी यदा-कदा राजनीति से सन्यास लेकर इस रचनात्मक कार्यक्रमों को संगठित करते थे। जिनका महत्व सामाजिक तथा

राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से था। 'उग्र' गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) में अकूतीद्वार के प्रसंग में लेखक निश्चित रूप से गांधी जी से भी आगे बढ़ गया है। वस्तुतः सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं के प्रति लेखक नया दृष्टिकोण उपस्थित करता है। हिन्दी का यह प्रथम उपन्यास है, जिसमें पेशेवर संगठन बनते हैं। अन्ततः अघोड़ा बाबा तथा बुधुआ भांगी के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन को किये जाती है। औद्योगिक केन्द्रों में मजदूरों के संगठन बन चुके थे, जो कटौती तथा अन्य अत्याचारों के लिए मिल-मालिकों से संघर्ष लेने लगे थे। 'उग्र' जी पर स्वभावतः इन ट्रेड यूनियनों का प्रभाव पड़ा। 'उग्र' जी द्वारा इतना संकेत किया गया है कि अब सामाजिक - राजनीतिक संगठनों का आधार बदल गया है।

'सागर, लहरें और मनुष्य' (१९५५ई०) में यशवंत कोली के नेतृत्व में बरसोना के कोली लोग आन्दोलन करते हैं। कारपोरेशन से सुविधाओं की मांग के लिए कोली आन्दोलन करते हैं, पर इस उपन्यास में कोली लोग हार स्वीकार कर लेते हैं। उनकी मांगें पूरी नहीं हो पाती हैं। हरिजनों को सुविधायें नहीं मिल पाती हैं। जब यशवंत कारपोरेशन में अपील करता है तो उसे जवाब मिलता है, -- 'कारपोरेशन के सामने अकेले बरसोवा का ही सवाल नहीं है। पचासीं ऐसी जगहें हैं, जहां कि सुधार की जरूरत है।' जब गांव के लोग सदस्य से कहते हैं कि तुम तो हमारे क्षेत्र से जुने गये हो, पर हमने आपको वोट दिया है तो आपका काम है हमारे गांव को सड़कें पक्की हों, वहां नालियां बनें। जब यशवंत सदस्य से कहता है कि बरसोवा सड़क के किनारे के बंगलों को छोड़कर किता गन्दा है। सदस्य कारपोरेशन में फैले प्रष्टाचार को और संकेत करता है, -- 'मैं जानता हूं। मेरी तुम्हारे साथ पूरी सहानुभूति है। पर बात केवल मेरे हाथ की ही तो है नहीं। सब लोग जब तक साथ न हैं तब

१. पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' : 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०), पृ०सं० १३८

२. उदयशंकर मट्ट : 'सागर लहरें और मनुष्य' (१९५५ई०), पृ०सं० २३६।

३. वही, पृ०सं० २३६।

तक कैसे होगा । सभी सदस्य चाहते हैं कि उनकी अपनी चुनाव की जगहें साफ रहें, पर होती नहीं हैं ।' इसपर यशवंत डेप्युटेशन लेकर बोले ।'

'कोई बुराई नहीं है, पर होगा कुछ नहीं, मैं जानता हूँ ।'

'फिर क्या करें ?'

'मैं क्या बताऊँ । एक बात पुक़्तता हूँ।'

'कहिए ।'

'आज ही आप लोगों को सफ़ाई की जरूरत हुई, अब तक क्यों न हुई ?'

'यह तो कोई बात नहीं है । कारपोरेशन पहले भी था, सदस्य पहले भी चुने जाते थे, आप क्या पहले भी मेम्बर थे ?'

पटवर्धन ने देखा, कौली जाति के लोग अब जवाब भी देने लगे हैं । कारपोरेशन के सदस्य के ऊपर तो धनियों का प्रभाव रहता है । वे गरिबों का क्या हालत जानें ? इस उपन्यास का पटवर्धन हरिजनों का उत्थान नहीं, वरन् उनमें संघर्ष की भाँति उत्पन्न करा देता है ।

कारपोरेशन के सदस्य कितने पतित तथा हरिजन विरोधी है, यह बात मट्ट जी स्पष्ट ही कर देते हैं । जब भी कारपोरेशन के सदस्य सुधार के लिए कहते हैं तो सदस्य कुछ न कुछ परेशानी सड़ा कर देता है, 'मुझे कोई स्तराज नहीं है । यदि आप सब लोग अपने घर तुड़वाने की तैयारी करें तो मैं सड़कें -नालियाँ बनवा दूंगा ।'

यशवंत के साथियों ने पूछा--

'मकान कौन बनवाएगा ?'

पटवर्धन के पास जवाब हाजिर था --

'आप लोग, कारपोरेशन नहीं बनवाएगा, सोच लीजिए ।'

लोगों ने इसका विरोध किया और आपस में ही फूट के कारण यशवंत उदास

१. उदयशंकर मट्ट : 'सागर लहरें और व मनुष्य' (१९५५ई०), पृ०सं० २३६ ।

२ वही, पृ०सं० २३६ ।

लौट आया। साथियों ने कहा -- 'हम कोई मालदार तो हैं नहीं जो सड़क सरकार बनवाए और हम मकान बनावें। ऐसे ही ठीक है यशवन्त।' यशवन्त के प्रयत्न से जो चेतना को लहर बुरसोवा के लोगों में उठी वह और कहीं से बल न पाकर वहीं समाप्त हो गई। मट्टू जो ने पटवर्धन को खलनायक के रूप में चित्रित किया है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाचन पद्धति का लाभ हरिजन वर्ग नहीं, बल्कि उच्च वर्ग के लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास धन है। अतः कारपोरेशन पर उनका ही आधिपत्य है। ऐसा लगता है कि संगठित शक्ति न होने के कारण आन्दोलन बिखर जाता है। प्रेमचन्द के 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) तथा 'उग्र' के 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) में हरिजन वर्ग संगठित शक्ति के द्वारा ही सफल होता है। 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) तथा 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) के हरिजन वर्ग 'सागर, लहरें और मनुष्य' (१९५५ई०) के हरिजन वर्ग से अधिक संगठित है।

(घ) पुलिस का अत्याचार

पुलिस ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का प्रतीक है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के लिए पुलिस अत्यावश्यक है। पुलिस विभाग की नैतिकता तथा चरित्र से राज्य-व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है। पुलिस राज्य-व्यवस्था का वह विभाग है, जिसका जनता से सीधा सम्पर्क होता है। उसकी कार्यप्रणाली दो दिशाओं की ओर होती है। सरकार तथा जनता दोनों के प्रति उसके कर्तव्य निश्चित होते हैं। लेकिन बहुधा राज्य-व्यवस्था तथा जनता में विरोध की स्थिति रहती है और उसी विरोध के फलस्वरूप राजनीतिक प्रणालियों का विकास होता है। सरकार पुलिस द्वारा जनता का दमन करती है और जनता को भी व्यावहारिक रूप से सरकार से संघर्ष लेने के लिए पुलिस

१. उदयशंकर भट्ट : 'सागर, लहरें और मनुष्य', (१९५५ई०), पृ०सं० २४०।

से ही लड़ना पड़ता है। यह अन्तर्विरोधी स्थिति है, जो विदेशी शासन में उत्कृष्ट रूप से प्रकट होती है। क्योंकि शासक विदेशी होते थे तथा शोषित देश के नागरिक। पुलिस विभाग का दूसरा प्रमुखी कर्तव्य यह है कि अपराध वृत्ति का दमन तथा जनता की सुरक्षा करे। मनोवैज्ञानिक घरातल पर ये दो भिन्न मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं। अतः पुलिस विभाग का सम्बन्ध एक ओर सरकार से तथा दूसरी ओर जनता से होता है। एक ओर चरित्रहीन अपराधी समूह से उसका सम्बन्ध रहता है तथा दूसरी ओर चरित्रवान जनता से। ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में यदि पुलिस विभाग को शासन-व्यवस्था का प्रतीक माना जाय तो अत्युक्ति न होगी। पुलिस शासन-प्रबन्ध का ही एक अंग है, अतः वह प्रधानतः सरकाराभिमुख होती है। शासकों की नीति तथा नैतिकता ही उसके मानदण्ड बन जाते हैं। अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी हित की रक्षा के लिए भारतीय जनता का दमन करना आवश्यक समझा। अतः पुलिस विभाग क्रूरता, अत्याचार का प्रतीक बन गया। समाज में विलासी जमांदार तथा भ्रष्टाचारों नौकरशाही का प्रभाव है, अतः पुलिस विभाग भी व्यभिचार, भ्रष्टाचार का केन्द्र बनता गया।

हिन्दी उपन्यासकारों ने यदि पुलिस को केवल उत्पीड़क के रूप में देखा तो इसका कारण यह है कि पुलिस विभाग वस्तुतः जनता की सुरक्षा न करके उसपर अत्याचार ही करता था।

प्रेमचन्द के 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर राजनीतिक अत्याचार को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र यानी नायक हरी सुद्ध है, -- 'तुम सुद्ध हुए तो क्या, हम बाम्हन हुए तो क्या, हैं तो सब एक ही घर के।' हरी भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय किसान पर शासक वर्ग किस प्रकार अत्याचार करता है, इसका भी चित्रण प्रेमचन्द ने 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में किया है। भारतीय किसान

अज्ञेय है। होरी गंवार किसान है। वह निर्भीक तथा बलशाली है, लेकिन पुलिस के सामने उसकी धिग्धी बंध जाती है। क्योंकि किसी व्यक्ति से लड़ना दूसरी बात है, लेकिन किसी व्यवस्था से संघर्ष लेना सरल नहीं। पुलिस के अत्याचारों का 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में चित्रण मिलता है। 'गोदान' (१९३६ई०) में प्रेमचन्द पुलिस के दमन, घूसखोरी और उसके द्वारा किए जाने वाले भ्रष्ट आचरणों का उद्घाटन करते हैं। पुलिस व्यक्ति नहीं एक संस्था है, जिसका न्याय-व्यवस्था तथा सरकार से है। व्यवस्था को इस लम्बी कड़ी में निर्धन को न्याय नहीं मिलता। होरी पुलिस को व्यवस्था का ही एक अंग मानता है... ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का। जिसका सम्बन्ध सीधे सरकार तथा न्याय-व्यवस्था से है। जिस पठान के सामने शिष्ट सम्य पुरुषों की धिग्धी बंध जाती है, उसे होरी एक ही पटकनी में पटक देता है, लेकिन वही होरी गांव में दरोगा के बुलाने पर भय से कांप उठता है। प्रेमचन्द उसके सम्बन्ध में लिखते हैं,-- 'ऐसा डर रहा था, जैसे फांसी ही जावेगी। धनिया को पीटते समय उसका एक-एक अंग फड़क रहा था। दरोगा के सामने के सामने कहुए की भांति भीतर सिमटा जाता था।' निरपराध होने पर भी भूखे पेट वह कर्ज लेकर दरोगा को घूस देता है, लेकिन इस अन्याय का विरोध करने का साहस उसमें नहीं है। एक अज्ञेय, निर्भीक किसान इतना अन्याय, अपमान इसलिये सह जाता है, क्योंकि पुलिस तथा न्याय की व्यवस्था इतनी जटिल है कि उसमें निर्धन व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, बल्कि वह तो शोषण के चक्र में फंस जाता है।

प्रेमचन्द का होरी के प्रति पुलिस के अत्याचार के प्रति समर्थक दृष्टिकोण नहीं है। प्रेमचन्द ने दरोगा के इस अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट किया है। 'गोदान' (१९३६ई०) के प्रमुख सभी पात्र इस अत्याचार का विरोध करते हैं, सहसा दातादीन बोले-- भेरा सराप न पड़े, तो मुंह न दिखारुं। नोखेराम ने समर्थन किया-- ऐसा धन कमी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की-- हराम की कमाई हराम में जायेगी। किंगुरी सिंह को आज ईश्वर की न्यायपरता में सन्देह हो गया था। भावान

१. प्रेमचन्द : 'गोदान', (१९३६ई०), पृ०सं० ६५।

न जाने कहाँ है कि यह अन्धेरे देखकर भी पापियों को दराड नहीं देते^१।
इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचन्द होरो के ऊपर अत्याचार के पत्र में नहीं है।

होरो के ऊपर इस पुलिस के अत्याचार को सामाजिक दृष्टि से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। अगर कोई अपराध करता है, तो पुलिस उसको दण्ड दे तो उचित लगता है। पर यदि कोई निरपराध हो तथा पुलिस उसके ऊपर दंड लगाये तो यह बात अनुचित मालूम होती है। 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में होरो के ऊपर दोगा बगैर कोई अपराध के दण्ड देता है। होरो तो निर्दोष है। होरो अपने पैसे से गाय खरीद कर लाता है। अगर होरा उसकी गाय को जहर देकर मार डालता है तो इसमें तो हमें होराका दोष स्पष्ट दिखाई देता है होरो का नहीं। होरो का तो गाय मरने से नुकसान नहीं होता है तथा उसके ऊपर दण्ड लगाया जाता है। यह दण्ड तो उसी प्रकार प्रतीत होता है कि जैसे 'कटे घाव पर नमक छिड़कना'। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि होरो पर पुलिस का अत्याचार संतोषजनक नहीं है। संतोषनारायण नोटियाल के 'हरिजन' (१९४६ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर राजनीतिक अत्याचार को चित्रित किया गया है। 'हरिजन' (१९४६ई०) उपन्यास में झंकर चमार के ऊपर पुलिस के अत्याचारों का चित्रण मिलता है। प्रत्येक राज्य के लिए पुलिस की व्यवस्था आवश्यक होती है, अन्यथा शासन सुचारु रूप से चल नहीं सकता है। पुलिस के माध्यम से ही सरकार अपनी नीतियों के कार्यान्वयन में सफल होती है। यहीं पुलिस के आचरणों का भी प्रश्न उठता है, जो नैतिकता के साथ अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है। पुलिस विभाग की नैतिकता व तथा चरित्र से राज्य-व्यवस्था की नैतिकता तथा चरित्र का मूल्यांकन किया जा सकता है। पुलिस का सम्बन्ध सीधे जनता से होता है। उसकी कार्य प्रणाली दुहरी होती है, जिसके एक छोर पर जनता होती है तथा दूसरे पर सरकार। सरकार तथा जनता दोनों के प्रति उसके कर्तव्य निश्चित

१ प्रेमचन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृ० सं० ७० ।

होते हैं। लेकिन प्रायः शासन-व्यवस्था तथा जनता में विरोध की स्थिति होती है, उसके परिणामस्वरूप विभिन्न राजनैतिक आन्दोलनों का जन्म होता है। सरकार पुलिस से इन राजनैतिक आन्दोलनकारियों की शक्तियों के दमन में मदद लेती है और इन्हें नियंत्रित करके इनपर पुलिस के जोर से शासन करती है। इस प्रकार आम जनता को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पुलिस के साथ मौर्चा लेना पड़ता है। एक गुलाम देश में पुलिस की स्थिति और भी जटिल होती है, क्योंकि शासक विदेशी होता है, जिसके प्रति उसे वफादार रहना है तथा शोषित, देश के नागरिक होते हैं, जो पुलिस के भाई-बन्धु के रूप में उसकी सहानुभूति के हकदार होते हैं। ऐसी दशा में पुलिस के लिए यह काम मुश्किल नहीं कि वह तय कर सके कि उसे किसका साथ देना। स्वतन्त्रता के आन्दोलन के दौरान भारतीय पुलिस की लगभग यही स्थिति थी, जब अनेक पुलिस के अधिकारियों ने अपनी-अपनी नौकरियाँ छोड़कर अपने देशीय-बन्धुओं का साथ राष्ट्रीय आन्दोलन में दिया। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे पुलिस अधिकारी ऐसे भी थे, जो अपनी पदोन्नति के लाभ में देशवासियों पर जुल्म ढाये जा रहे थे और आन्दोलनकारियों पर लाठी बरसाने में भी जरा हिचकते न थे। 'हरिजन' (१९४६ई०) उपन्यास के पुलिस दरोगा स्करैसे ही पुलिस अधिकारी का प्रमाण पेश करते हैं।

'हरिजन' (१९४६ई०) उपन्यास पर महात्मा गांधी के १९४६ई० के राजनीतिक आन्दोलन की छाप मिलती है। १९४६ई० में भारतवासियों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 'भारत छोड़ो' का नारा बुलन्द किया था, उसी आन्दोलन की छाप 'हरिजन' (१९४६ई०) उपन्यास पर है तथा इसी आन्दोलन के कारण पुलिस को निरपराध जनता पर अत्याचार करने की छूट मिल जाती है। शंकर चमार भी इस अत्याचार का शिकार होता है।

जब आन्दोलनकारी दैन उड़ा देते हैं तो पुलिस जनता पर अत्याचार करती है तथा गांव वालों पर जुर्माना लाती है। शंकर चमार के ऊपर भी बीस रुपया जुर्माना होता है, हालांकि वह निर्दोष है। वही

शंकर जो कि कजरी के थोड़े से गलती करने पर बुरी तरह डांट बख्क देता है, पुलिस के सामने धर-धर कांपने लगता है। जब पुलिस शंकर के घर जाती है तो वह बाहर निकल आता है, इसपर सिपाही कहता है, -- 'साले हरामजादे ! दोवान जो खड़े हुए हैं और तुमसे चारपाई तक नहीं डाली जाती ?' रुपये के न देने पर पुलिस शंकर को खूब पिटाई भी करती है। इसके विपरीत पुलिस गांव के सवर्ण हिन्दू पात्रों को छोड़ देती है, पर निरपराध शंकर के ऊपर अत्याचार करने से नहीं बचती है। सिपाही कहता है, -- 'क्यों रे, रुपये वास्तिल कर दिये ?'

.....

'अब बोलता क्यों नहीं ?' एक पिट्टू ने पूछा।

'अभी नहीं सरकार', उसी पिट्टू के मुंह चिढ़ाकर कहा,

'अब सरकार क्या तेरे बाप के नौकर हैं जो तेरे घर रुपये वसूल करने आएं ?'

चूंकि पुलिस शासन का ही अंग है, अतः शंकर चमार पुलिस के अत्याचार का विरोध नहीं कर पाता है, क्योंकि पुलिस तथा न्याय विभाग में जटिल समस्याएं इतनी होती हैं कि उसमें शंकर चमार जैसा निर्धन गंवार व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सकता है, बल्कि वह तो शोषण के चक्र में फंस जाता है।

लेखक का शंकर चमार के ऊपर पुलिस के अत्याचार का समर्थक नहीं है। वह उसका विरोध करता है। जब कजरी भी रुपये देने से इन्कार कर देती है तो हट्टु पुलिस उसे घसीट कर पास के खेत में ले जाता है तथा उसे मारता पीटता है तो इसी समय रमेश नामक युवक उसपर लाठी से वार करता है, जिससे उसकी मृत्यु चहो जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संतोष-नारायण 'हरिजन' (१९४६ई०) उपन्यास में पुलिस के अत्याचार का चित्रण करते हैं और समय पाते ही पुलिस के अत्याचार का विरोध भी करते हैं।

१. संतोष नारायण नोटियाल : 'हरिजन' (१९४६ई०), पृ०सं० १६१।

२. वही, पृ०सं० १६१।

शंकर चमार के ऊपर हुए पुलिस का अत्याचार को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। शंकर निरपराध है। फिर निरपराध शंकर चमार के ऊपर पुलिस का अत्याचार न सामाजिक दृष्टि से अनुकूल कहा जा सकता है और न मानवता की दृष्टि से अनुकूल कहा जा सकता है। पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण कर्तव्य है, अपराध वृत्ति का दमन तथा जनता की सुरक्षा का ध्यान। मनोवैज्ञानिक धरातल पर ये दोनों भिन्न प्रवृत्तियाँ हैं, एक ओर तो पुलिस का सम्बन्ध अपराधियों के दिलों से होता है तो दूसरी तरफ चरित्रवान जनता से। ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में पुलिस शासन का प्रतिनिधित्व करने लगे तो इसमें भला क्या आश्चर्य हो सकता है? वस्तुतः पुलिस प्रशासन का है। एक अंग होती है, अतः वह मुख्यतः सरकार की ओर विशेष ध्यान देती है तथा जनता की ओर कम। शासकों की नीति तथा नैतिकता ही उसके मानदण्ड बन जाते हैं। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए भारतीय जनता का दमन आवश्यक था। अतः पुलिस विभाग क्रूरता तथा अत्याचार के प्रतिभ्य बन गया। संतोष नारायण नाटियाल जी ने पुलिस के इसी रूप को ग्रहण किया। क्योंकि तत्कालीन पुलिस विभाग जनता की सुरक्षा न करके उस पर अत्याचार ही कर रहा था। 'हरिजन' (१९४६ई०) उपन्यास में भी पुलिस हरिजनों के ऊपर अत्याचार करती है, पर सवर्ण हिन्दू पात्रों को पैसे के कारण छोड़ देती है। इस प्रकार पुलिस विभाग का निकम्पापन भी हमारे सामने आ जाता है।

उदयशंकर मट्ट के 'सागर, लहरें और मनुष्य' (१९२५) में हरिजनों के ऊपर पुलिस के अत्याचार का चित्रण मिलता है। इस उपन्यास में उदयशंकर मट्ट कलात्मक ढंग से पुलिस के दमन और भ्रष्टाचार को उद्घाटित करते हैं। दुर्गा, माणिक, सागी सब एक साथ रहते हैं। एक दिन सागी ली जाती है तो दुर्गा उसे ढूँढ लाने को कहती है तो माणिक इंकार देता है तो वह अकेले ही साथी को लौटने निकल पड़ती है। इतने में माणिक का दोस्त कान्तिराल, जो कि भीमसी चम्पकलाल कम्पनी में काम करता है, उसे मिल जाता है। दुर्गा उससे सब घटना

बता देती है तथा सागी को लोजने का अनुरोध करती है तो इस पर कान्तिलाल कहता है कि वह बम्बई में न जाने कहां होगा ? सुबह पुलिस में पता चलायेगा, दुर्गा को आंखों में आंसू डबडबा आए। वह जमान पर बैठ गई। लोग तमाशा जानकर झकट्टे हो गए। लो पूछने क्या बात है ? कोई कहता-- उड़ाकर लाया है साला। किसी ने व्यंग्य किया, मिया-बीबी को सट-पट है।

'साला इससे बदमाशी करना चाहता है और यह नहीं जाना चाहती।'।

कान्तिलाल चुप था। किस-किसको जवाब देता। स्वयं दुर्गा को नहीं मालूम हुआ कि यह क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। वह उठी और कान्ति का हाथ पकड़ कर चल दो। तभी एक ने आवाज कसी -- 'गुजराती होकरा एक कोलिन कू भाताय।'।

यह सुनते ही लोग चिल्लाए और पुलिस आ गई। उसने ले जाकर पास के थाने में दोनों को बन्द कर दिया। पुलिस ने कान्ति और दुर्गा के बयानों पर मरौसा न करके उन्हें सबेरे तक के लिए थाने की कोठरी में डाल दिया।

दुर्गा को तो जैसे काठ मार गया। उसकी बोलती बन्द हो गई। वह सोच रही थी कि माणिक सुनेगा तो क्या कहेगा। कान्तिलाल सुबह परेशान था। क्या करे, क्या न करे। उसके पास फूलों का एक गजरा था। वह पुलिस ने हौन लिया और दोनों को अलग-अलग कोठरियों में बन्द कर दिया।

उदयशंकर भट्ट का अत्याचार के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति-पूर्ण नहीं है। वह कहीं भी पुलिस के अत्याचार का विरोध अपने हरिजन पात्र के द्वारा नहीं करवाता। दुर्गा चुपचाप पुलिस के सब अत्याचार को सह लेती है, पर बोलती नहीं है। पुलिस के खिलाफ दुर्गा का विरोध न करना इस बात का सूचक है कि लेखक पुलिस के द्वारा हरिजन के ऊपर किए गए अत्याचार से असहमत नहीं है।

१ उदयशंकर भट्ट : 'सागर, लहरें और मनुष्य' (१९५५ई०), पृ०सं० १५५।

पुलिस ने दुर्गा कोलिन के ऊपर जो अत्याचार किया है, क्या वह उचित है ? पुलिस का हरिजनों के ऊपर अत्याचार करना उचित नहीं लगता है । आज हरिजन वर्ग के लिए सम्पूर्ण क्रान्ति के नारे लाये जाते हैं तथा दूसरी ओर हरिजन वर्ग का उत्पीड़न भी किया जाता है । वास्तव में हरिजन वर्ग के लिए सम्पूर्ण क्रान्ति के नारे का क्या अर्थ है ? यदि सम्पूर्ण क्रान्ति हमारी जनता के दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन नहीं लाती और हमारे समाज के हरिजन वर्ग की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार नहीं होता तो यह निरर्थक है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि हरिजन वर्ग ही सर्वाधिक पीड़ित है । हरिजन लोग हमारी कुल जनसंख्या का १४.६० प्रतिशत है । इस प्रकार के ये भारत की जनसंख्या के पांचवे हिस्से से कम है । आजादी के २६ वर्षों में इनके रहन-सहन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और न समाज में उनकी स्थिति में ही कोई सुधार हो सका ।

इन्द्र विद्यावाचस्पति के 'अपराधी कौन' (१९५५ई०)

उपन्यास में पुलिस के अत्याचारों का चित्रण हुआ है । रोशन कुम्हार के ऊपर पुलिस किस प्रकार ज्यादाती करती है तथा रोशन कुम्हार से गलत बयान थानेदार के सामने दिलवाती है, इसी का चित्रण इन्द्र विद्यावाचस्पति के 'अपराधी कौन' (१९५५ई०) उपन्यास में मिलता है । चार लड़के वशीर, उम्मेद, गेंदा और तिल्लु एक बुढ़े को नारंगी लूटने को सोचते हैं । वह अभाग्य बुढ़ा रोशन कुम्हार की दुकान के सामने नारंगी की फल्ली रसकर बैठा है । लड़के व्यूह रचना कर बुढ़े को फल्ली की नारंगियों को लूटने का ढंग बना लेते हैं । बुढ़े से कुछ दूरी पर तिल्लु और गेंदा आपस में लड़ते लगते हैं । गेंदा ने तिल्लु की बहिन को गाली दी तो तिल्लु गेंदा को मां की गाली देता है । इसपर तिल्लु के मुंह पर गेंदा चांटा रसीद कर देता है । दोनों के बिल्लाने से फल्लीवाले का ध्यान खिंच जाता है । गेंदा भाग कर फल्ली उलट देता है । इतने में नारंगी उठाने के लिए वशीर तथा उम्मेद भी आ जाते हैं तो वे रोशन कुम्हार की दुकान से हंडिया उठा लाते हैं ।

जब रोशन चोर चोर चिल्लाता है तो वे दोनों हंडिया फेंक कर भाग जाते हैं तथा पुलिस को रोशन कुम्हार के ऊपर अत्याचार करने का मसाला (साधन) मिल जाता है । जब याकूब सिपाही उम्मेद जो कि वास्तविक अपराधी नहीं है, पकड़ लेता है तथा उसको पिटाई करता है । सिपाही रोशन कुम्हार को भी धमकाता है कि जैसा वह कहे, वह वैसा ही थानेदार के सामने बयान दे वना खर नहीं है । रोशन कुम्हार भी बेचारा परिस्थितिबश सिपाही के कहे के अनुसार बयान देता है । याकूब सिपाही ने जो रपट लिखवाई, उसका सारांश निम्नलिखित था, 'लड़का जो घायल पड़ा है मज्जी मण्डी की ओर से भागा आ रहा था । उसके पीछे चोर-चोर चिल्लाते हुए बहुत से लोग आ रहे थे । मैंने इसे दूर से देखा । बेतहाशा जोर से भाग रहा था । भागते-भागते इसके पांव में ठोकर लग गई और यह गिर पड़ा, जिसे इसके सिर में चोट आ गई । इतने में पीछे से भागते हुए लोग आ गये, जिनमें यह आदमी भी था, जो अपना नाम रोशन और पेशा कुम्हार बतलाता है । इससे मुझसे कहा कि इस लड़के ने मेरी दुकान के सामने एक बुढ़े का नारंगियों की फल्ली उलट दी थी और दुकान से एक हंडिया लेकर भागा था । मैंने देखा तो इसकी जेब में उस वक्त भी नारंगिया मरी हुई थीं । तब मैं इसे तांगे में डालकर थाने में ले आया हूँ । रोशन कुम्हार भी मेरे साथ ही आया है वह अलग बयान देगा ।'

इसके बाद रोशन कुम्हार का भी बयान होता है । रोशन कुम्हार सिपाही के कहेके के अनुसार बयान देता है, -- 'रोशन कुम्हार का भी बयान हुआ । सिपाही ने रास्ते में ही उसे सब लिखा-पढ़ा दिया था । कशीर, गेन्दा और तिस्रु कहानी में से बिल्कुल निकाल दिये गये, क्योंकि वह हाथ से निकल चुके थे । जो आसामी हाथ में था, उसी के गले में रस्सी ठीक बंध सकती थी । रोशन ने भी सिपाही के अनुकरण में फल्ली उलटने, हंडिया लेकर भागने और ठोकर

खाकर गिरने आदि के सब गुनाहों को माला उम्मेद के गले छे में ही पहिना दी^१।

वैसे तो पुलिस का आतंक समाज के सभी वर्ग पर रहता है, पर पुलिस भी अपने से बलवानों के साथ नहीं लड़ती। वह तो हरिजनों को ही सता कर अपने कर्तव्य को इतिश्री समझ लेती है। इन्द्र विद्यावाचस्पति का 'अपराधी कौन' (१९५५ई०) में रोशन के ऊपर हुए पुलिस के अत्याचार के प्रति समर्थक दृष्टिकोण नहीं है। यह तो पुलिस का सरासर अन्याय है कि स्वतंत्र भारत में भी हरिजन अपने स्वतंत्र विचार सामने न रख सके। लेखक ने पुलिस की इसीलिए यमराज से भी अधिक भयंकर निरूपित किया है, --^२ पुलिस का सिपाही भावान से अधिक बलवान और यमराज से अधिक भयंकर है। लेखक ने रोशन हरिजन पात्र को पुरातन-परम्परा के ही रूप में चित्रित किया है। लेखक ने रोशन कुम्हार के अन्दर विद्रोह की भावना नहीं दिखाई है। लेखक सवर्ण हिन्दु पात्र के द्वारा तो पुलिस के अत्याचार का विरोध करता है, पर हरिजन पात्र में कोई हलकल नहीं दिखाता। रोशन का पुलिस का कहना मान लेना तो ठीक है, लेकिन रोशन कुम्हार पुलिस के अत्याचारों का शिकार होकर भी कुछ पुलिस विभाग में विरुद्ध नहीं कहता है। अतः हम कह सकते हैं कि रोशन हरिजन एक निर्जीव पात्र है, जिसे कठपुतली की तरह पुलिस जिस तरफ घुमाना चाहती है, वह उसी ओर घुम जाता है।

रोशन कुम्हार के ऊपर हुए पुलिस के अत्याचार को हम न्याययुक्त तथा तर्कसंगत नहीं ठहरा सकते हैं। एक तरफ उसकी (हंडिया फूटने से) आर्थिक हानि होती है तो दूसरी तरफ पुलिस भी उसे परेशान करती है ~~सब~~ तथा मारपीट को धमकाती है। यह कहाँ तक उचित है कि एक मरे हुए आदमी को और भी मारा जाये? रोशन कुम्हार तो परेशान है ही, उसपर से यमदूत

१. इन्द्र विद्या वाचस्पति : 'अपराधी कौन' (१९५५ई०), पृ०सं० २६।

२. वही, पृ०सं० ३६।

लोगों का परेशान करना मानवतावादी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है ।

इन्द्र विद्यावाचस्पति ने पुलिस को उत्पीड़क के रूप में देखा है, क्योंकि पुलिस विभाग हरिजनों की सुरक्षा न करके उसपर अत्याचार ही करता है ।

रागेय राघव के 'कब तक पुकारें' (१९५७ई०) में हरिजनों के ऊपर अत्याचार का चित्रण मिलता है । इस उपन्यास का नायक सुखराम नट है । नट जाति पर किस प्रकार अत्याचार किया जाता, इसका चित्रण हुआ है । 'कब तक पुकारें' (१९५७ई०) में पुलिस के अत्याचार का खुलकर चित्रण हुआ है ।

दारोगा कहता है, -- 'साले नट हैं ?'

कारिन्दा ने कहा : हां हुजूर ।'

इशारा हुआ इसीला आगे आया । झुककर सलाम किया ।

दारोगा ने कहा : 'क्यों बे, यहां तुम लोग चोरी-चोरी तो नहीं करते ?'

दारोगा के इस तर्क का इसीला नट विरोध करता है वह विद्रोहपूर्वक कहता है, -- 'नहीं हुजूर ! हम तो मेहनत करके पेट पालते हैं । और कमीन लोग हैं, माई-बाप दरबार जी से अपना हक-पानी मांगते हैं । हम चोरी क्यों करने लगे ?' जबर्दस्ती दारोगा नट को टिवाता है । बिना कारण, बिना अपराध के । वह नट पर झूठा दोषारोपण भी करता है । कारिन्दा दारोगा से कहता है, -- 'साला चोरी करने आया था, बहिया खोल ही लो थी । पकड़ लिया गया । हुजूर इसे जरा अच्छा सबक दे दें, ताकि इसे याद आ जाये कि यह है कौन, इसको हैसियत क्या है ? इसने पंडित वचनधर की गाली दी है हुजूर । अभी तो महाराज का राज है, नटों का तो नहीं हो गया ?' लेखक नट के ऊपर होने वाले अत्याचार से असहमत है । वह विरोध हरिजन पात्रों के ही द्वारा

१. रागेय राघव : 'कब तक पुकारें' (१९५७ई०), पृ० सं० ४० ।

२. वही, पृ० सं० ४४ ।

करवाता है। प्यारो नटनी पुलिस के अत्याचार से डरती नहीं है। वह सीनो से कहती है, 'तू बनिया वामन बन, ठाकुर बन पर मैं तो नटिनी की नटिनी हूँ।'

नट के ऊपर फूठमूठ के आरोप लगाकर उसपर अत्याचार अनुचित लगता है। पुलिस तो नटों के ऊपर इतना अत्याचार करती है कि जबरन नट लोगों के द्वारा बलि बनियों के यहां चोरी करवाती है, तथा बादमें वहाँ नटों को फंसा कर उनको पीटती है, -- 'मेरे पड़ोसी करनट खूब मस्त रहते। क्योंकि वे मेरे साथ थे और रुस्तमखान की दया थी, उनसे कोई कुछ न कहता। बल्कि दरोगा जो जो जहरत पड़ती तो इनमें से किसी को बुला लेते और सिपाहियों के जरिये समझा-बुझाकर बनियों की चोरी करवा देते। माल बंट जाता। गांव बाहर चामड़ के पीछे जूट का भी एक अड़्डा पुलिस ने बनवा दिया था, जिसको नाल का तीन चौथाई दरोगा जो के हाथ में बँट जाता था।'

पुलिस के अत्याचार जो नटों के ऊपर किये जाते हैं, उससे मैं असहमत हूँ। पुलिस इनको नीच जात का समझकर इनके साथ नोचता का जो व्यवहार करती है, वह गैर कानूनी है। किसी जगह कानून में यह नहीं लिखा है कि इनको सताया जाये। बल्कि सरकार ने तो स्वतंत्रता बाद अत्याचार करने वाले को अपराधी घोषित किया है। पर स कानून अपनी जगह है। आज भी पुलिस के सिपाही बिना कारण हरिजनों को चुकसान पहुँचाते रहते हैं। दरोगा के द्वारा नट पर चोरी करने के लिए दबाव डालना इस बात को सबित कर देता है कि चोरी में पुलिस का भी हाथ होता है। यह यह भी सिद्ध करता है कि कानून ही कानून का भङ्गक बन गया है। साथ ही साथ यह पुलिस विभाग के निष्क्रियता का प्रतीक है।

१. रागेय राघव : 'कब तक पुकाहं' (१९५७ई०), पृ०सं० ४७ ।

२. वही, पृ०सं० ६६ ।

दयाशंकर मिश्र के 'छोटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में सिंघाड़ो डोम की बेटों के ऊपर पुलिस के अत्याचार को चित्रित किया गया है। पुलिस किस प्रकार हरिजनों को परेशान करती है, 'छोटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में इसका चित्रण मिलता है। सिंघाड़ों डोम की बेटों है। सिंघाड़ो, राजेन्द्र से कहती है, -- 'बाबू। मेरे बापू जाति के डोम थे। सिंघाड़ों पुलिस के सिपाहियों से बहुत डरतो है, -- 'देखो बाबू। कैसा हाल किया है मेरा पुलिस के इन कसाइयों ने। सिंघाड़ों का बाप चोरो करते समय पकड़ा जाता है तो वह जेल में बंद हो जाता है। डोम की बेटों सिंघाड़ो बाजार में पुराने कपड़े बेचना शुरू कर देती है। एक दिन उसे वही सिपाही दिखाई दे जाता है जो उसके बापू को पकड़ कर लाया था। दोनों सिपाही उसका पीछा करने लगता है। सिंघाड़ो राजेन्द्र से कहती है, -- 'हाय बाबू न जाने कब से वे दोनों सिपाही मेरा पीछा कर रहे थे। एक जाह उनमें से एक सिपाही सामने आ सड़ा हुआ। बोला-- 'चल। चलेगा?' सुनकर मेरा मुंह सूख गया।

तभी दूसरा बोला -- 'फोपड़ी तो जानता है फिर यहां क्यों पीछे पड़ा है ? चला आ।' सुनकर वह कसाई मुफे घूरता-घूरता अपने साथी के साथ चला गया। रात को वही सिपाही आते हैं तथा सिंघाड़ो को पकड़ कर ले जाते हैं। जब वह चिल्लाती है कि 'बचाओ बचाओ।' यह सुनकर जब गांव वाले आते हैं तब तो पुलिस के लोग उन सब को समझा देते हैं कि, 'छोकरी चोरी करके भागी है। कोतवाली में बुलाया है। चोरी के कपड़े पकड़े गए हैं। रात को छिपकर अड़ुडा चलाता है। सिंघाड़ो कहती है यह सब झूठ है व पर उसकी बात कोई नहीं

१. दयाशंकर मिश्र : 'छोटी बहू' (१९५८ई०), पृ०सं० ७६ ।

२. वही, पृ०सं० ७६ ।

३. वही, पृ०सं० ८१ ।

४. वही, पृ० सं० ८२ ।

सुनता । दयाशंकर मिश्र जी ने 'छोटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में पुलिस के शोषण का यथार्थ स्वरूप हमारे सामने रखा है ।

लेखक का 'छोटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सुधारपूर्ण रहा है । पुलिसों के अत्याचार के विरुद्ध लेखक ने सिंघाड़ी पात्र में पर्याप्त केतना दिखाई । दयाशंकर मिश्र ने सिंघाड़ी पात्र में विद्रोह की भावना को उजागर किया है । हम कह सकते हैं कि दयाशंकर मिश्र जो का 'छोटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में दृष्टिकोण हरिजनों के उत्थान का रहा है, पतन का नहीं ।

पुलिस ने सिंघाड़ों के ऊपर जो अत्याचार किया है, उसको हम किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं कह सकते । पुलिस तो जनता के अधिकारों को सुरक्षा के लिए होती है न कि उनका शोषण करने के लिए । 'छोटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास से पुलिस के दो रूप का चित्रण मिलता है, पहला रूप तो सुधारवादी है । यह ठीक ही है कि वेश्यावृत्ति का समाज में प्रचलन न होना चाहिए । वेश्यावृत्ति के प्रचलन से समाज के नैतिक मूल्यों का विघटन होता है तथा समाज का पतन होता है । अतः पुलिस का कर्तव्य है कि वह ऐसे विघटनकारी तत्वों को रोके । 'छोटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में पुलिस सिंघाड़ी को वेश्यावृत्ति करने से रोकती है, पर दूसरी तरफ पुलिस के जवान उस पर बलात्कार करने के लिए चोरी का झूठा इत्जाम लगाकर उसे अंधेरी कोठरी में ले जाते हैं । यह पुलिस के चित्रण का दूसरा पक्ष है, जो पुलिस विभाग के अत्याचार पक्ष को उद्घाटित करता है तथा पुलिस विभाग के प्रति घृणा की भावना को उभारता है । सिंघाड़ी, राजेन्द्र से कहती है, -- 'मैंने न तो चोरी की थी न जड़हा चलाया था सो कोतवाली क्यों ले जाते ?'

'फिर कहां ले गए ?'

'टैक्सी में डालकर न जाने कहां कैसे लण्डन में ले गए । उस दिन अमावस की काली रात थी । अपनी आंखों से अपना हाथ तक न सुकता था । जब मैं किसी तरह नहीं मानी तब इतना पीटा कि बेहोश हो गई फिर... फिर... बाबू । कहती-कहती वह रो पड़ी ।' समाज में क्या सिंघाड़ी के प्रति पुलिस जो अत्याचार

करती है, वह उचित है ? निश्चय ही इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया जा सकता है । अगर पुलिस खुद सिधाड़ो पर बलात्कार न करती तथा बेइयावृत्ति को सत्म करने के लिए जोर डालती तो हम निश्चय ही पुलिस के कदमों की प्रशंसा करते । पर पुलिस के अत्याचार को देखकर ऐसा लगता है कि निर्बलों को सताना पुलिस का आजन्म अधिकार है । पुलिस भी जब बड़े लोगों का हु कुह बिगाड़ नहीं पाती तो वह छोटे जाति पर ही अपना प्रभाव दिखाती है । जिस प्रकार 'गोदान' (१९३६ई०) में हीरो के ऊपर थानेदार अत्याचार करता है उसी समान 'छोटी बहू' (१९५५ई०) उपन्यास में भी पुलिस सिधाड़ों पर अत्याचार करती है ।

कमल शुक्ल के 'पराजित' (१९५५ई०) उपन्यास में कलवन्तो चमारिन के प्रति जोखू के ऊपर राजनीतिक अत्याचार को चित्रित किया गया है । पुलिस का अत्याचार भी तो उसी का एक अंग है । 'पराजित' (१९५५ई०) उपन्यास में पुलिस किस तरह हरिजनों को परेशान करती है, इसका चित्रण मिलता है । गर्मी के कारण जोखू अपने निकटवर्ती पार्क में अपनी बच्चों के साथ ही रहा था, सहसा उसके कंधे पर एक डंडा पड़ा और वह चौंकर उठ बैठा । उसने देखा एक तीन बिल्ले का चीफ और तीन कांस्टेबल उसको घेरे खड़े हैं । उनमें से एक कह रहा था-- 'क्यों बच्चा ! इस तरह क्या बच जाओगे ? अभी-अभी टाट-पट्टी मुहल्ले में बैठे नकब लगा रहे थे हम लोगों के गश्त की सीटी सुनी तो सरिया, मोमबत्ती और माचिस वृहीं छोड़कर भाग खड़े हुए, और यहाँ आकर ऐसे पड़ रहे, जैसे बहुत देर खेसी रहे हो ?' पुलिस का आतंक तो सभी वर्गों पर कुछ न कुछ होता है, पर हरिजनों के ऊपर उनकी विशेष कृपावृष्टि रहती है ।

१. कमल शुक्ल : 'पराजित' (१९५५ई०), पृ० सं० १०१ ।

पुलिस जोखू से कहती है,--^१ 'चल साले, अभी बंद करता हूँ, हवालात में फिर कल जब सात लाख की हवेली में पहुँचोगे तो मालूम पड़ जायेगा कि संध कैसे लगाई जाती है?' 'पराजित' (१९५८ई०) उपन्यास में पुलिस के कठोर रूप का सुलकर चित्रण किया गया है। पुलिस वाले जोखू हरिजन की हतना पिटाई कर देते हैं कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है,--^२ जोखू का मृत शरीर मुर्दाखाने में रख दिया गया था। वह एक सफेद चादर से ढंका था, जिसपर चैत की बढ़ती हुई मक्खियाँ भिन भिना रही थीं।^२

लेखक का हरिजनों के ऊपर पुलिस के अत्याचार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण नहीं है। वह हरिजन के ऊपर हुए अत्याचार का कहीं भी विरोध नहीं करता है। ऐसा लगता है कि हरिजनों के उत्खान का वह विरोधी है। अगर कमल शुक्ल हरिजनोत्थानवादो लेखक होते तो वे अवश्य जोखू हरिजन के ऊपर हुए पुलिस के नृशंसतापूर्ण अत्याचार का विरोध अन्य पात्रों के द्वारा कराते। कमल शुक्ल ने हरिजन पात्र का चित्रण पुरातन लेखकों की ही तरह किया है। लज्जाराम शर्मा ने जैसे हरिजन पात्र को चेतनाहीन बनाकर चित्रित किया है, वैसे कमल शुक्ल ने जोखू का 'पराजित' (१९५८ई०) उपन्यास में चित्रण किया है।

जोखू के ऊपर पुलिस ने जो अत्याचार किया है, वह तर्कमंगत नहीं मालूम होता। जोखू तो निरपराध है। जबर्दस्ती पुलिस ने उसको गताकर अपने विभाग के निष्क्रियता का ही परिचय दिया है। समाज में अपराध कोई करता है पर पुलिस दंड हरिजनों को ही देती है। जोखू भी पुलिस की इसी भावना का शिकार बनता है। पुलिस तो असली अपराधी का पता नहीं लगा पाती तो वह हरिजनों को ही जेल में बन्द कर समाज में यश छूटती है। 'पराजित' (१९५८ई०) उपन्यास में बीरी कोई दूसरा व्यक्ति

१. कमल शुक्ल : 'पराजित' (१९५८ई०), पृ०सं० १०१ ।

२. वही, पृ०सं० ११६ ।

करता है, पर पुलिस जोखू को पकड़ कर समाज में अपना पदा प्रबल करने की कोशिश करती है तथा उसको पिटाई अपराध में करती है। जोखू को पीटना बिल्कुल गैर कानूनी है। आजकल पुलिस तो रिपोर्ट लिखाने वाले को ही बंद कर देती है। पुलिस वाले जल्दी हरिजनों के ऊपर अत्याचार करने वाले के विरुद्ध रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैं। रिपोर्ट दर्ज भी कर लेते हैं तो उनसे घूस मांगते हैं और घूस न देने पर उन्हें ठीक पीटकर अपराध स्वीकार कराने के लिए फाँसी और इस तरह चालान कर देने की धमकी देकर अपना अच्छा मतलब गाँठते हैं। पुलिस के सब अफसर भी श्याश तथा रिश्वती होते हैं। आज को पुलिस समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अपराध का उन्मूलन करने में सफल नहीं हो पाई है।

जोखू की मृत्यु यह प्रकट करती है कि हरिजनों के प्रति सवर्णों में कैसा भावना है? यदि चोरी या अन्य अपराध तक में कोई ऊँची जाति का हिन्दू पकड़ा जाता है तो पुलिस उसके साथ शायद ही कभी इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार करती है। ऊँची जाति के हिन्दू पुलिस अधिकारी और कान्स्टेबल केवल गरीब और नीची जाति के लोगों को लुचल कर ही अपने क्रोध और पूर्वाग्रहों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार की स्थिति में हरिजन सर्वथा निस्सहाय है। जब तक सवर्णों के दिल की सफाई नहीं की जाती, तब तक केवल बदली करके या निलंबित करके कानून के इन प्रहरियों के विकृत मस्तिष्क को ठीक नहीं किया जा सकता। यहाँ भी युवा वर्ग को ही नया नैतिक वातावरण पैदा करना होगा, उन्हें पददलित जनता को इतना शक्ति देनी होगी कि वे अन्धाय का प्रतिरोध कर सकें। उन्हें ऊँची जाति के हिन्दू पीड़ितों को यह अनुभव कराना होगा कि वे दोषी हैं, वे अपराधी हैं।

जयप्रकाश वान्दोलन ने हजारों युवकों को आकृष्ट किया है। इस वान्दोलन को इन युवकों में असमानता के विरुद्ध घृणा कूट कूट कर मर देनी होगी। जिन लोगों को हम हजारों वर्षों से पददलित करते

आये हैं, उनके प्रति इन युवकों में सच्ची हमदर्दी की भावना पैदा करनी होगी । बिना इसके सामान्य जनता के दृष्टिकोण में बदलाव कैसे आ सकता है ?

यज्ञदत्त शर्मा के 'चौथा रास्ता' (१९५८ई०) उपन्यास में पुलिस के अत्याचार को चित्रित किया है । प्रस्तुत उपन्यास में पुलिस कनकू तथा रामसिंह चमार के ऊपर अत्याचार करती है । हरिजन को ^{जिबिल} ~~जिबिल~~ समझ कर पुलिस उनपर अकारण अत्याचार करती है । दरोगा जो कनकू से कहते हैं,--
'अबे कनकू । वह दिन भूल गया जब तुफ पर सप्ताह में चार बार पुलिस की बेंतें ~~पड़ती थीं~~ पड़ती थीं । सेत कोई काटता था और पकड़ कर तुफे बुलाया जाता था और दीवान जी को पूजा भी करता था ।'

शर्मा जी का कनकू के ऊपर हुए पुलिस के अत्याचार के प्रति सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण है । वह हरिजनों के ऊपर पुलिस के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार का विरोध करते हैं । कनकू चमार को लेखक ने अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करते दिखाया है । कनकू चमार, दरोगा जी से कहता है,--'दरोगा जी । आपने पुलिस को पटाईं से वा समय मेरी जान बचाईं वाके लक्ष्मी में आपका हसान मानत हूँ ।'

भारतीय शासन-व्यवस्था में पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट स्थान है । पुलिस ही तो एकमात्र विभाग है कि जहाँ पर लोग अपने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को रिपोर्ट लिखवाते हैं तथा पुलिस विभाग जनता की सहायता करता है । वर्तमान पुलिस पर अंग्रेजी राज की पुलिस की छाप है । आज पुलिस पर धनी लोगों का रौब छाया हुआ है । वे धनियों की ही बात सुनते हैं तथा उनके कहने पर हरिजनों को थाने में बिना अपराध बन्द करके मारते हैं । हरिजन कर्म गरीब हैं, अशिक्षित हैं । इसीलिए पुलिस विभाग

१. यज्ञदत्त शर्मा : 'चौथा रास्ता' (१९५८ई०), पृ०सं० ३६ ।

२. वही, पृ०सं० ३७ ।

इनके कार्यों के प्रति सदा लापरवाही दिखाता है। किसी हरिजन को कोई जिन्दा जला भी देता है तो पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते। पुलिस वाले उल्टे हरिजनों को परेशान करते हैं। गांव या शहर में कोई चोरी हुई कि नहीं कि पुलिस वाले बस हरिजनों को बंद कर देते हैं, चाहे वह अपराधी हो या न हो। ब्रिटिश समय भी यही होता था और आज भी यही होता है। आज भारत स्वाधीन है, पर हरिजन वर्ग अभी तक पुलिस के अत्याचार से मुक्त नहीं हो पाया है। पुलिस वाले हरिजनों को शायद इसलिए भी परेशान करते हैं कि ये नोची वर्ण के हैं तथा अशक्त हैं। जब तक हरिजन वर्ग संगठित होकर पुलिस के अत्याचार का विरोध नहीं करता, वह तरक्की नहीं कर सकता और शोषण को समाप्त कर सकता है।

रामदरश मिश्र के 'पानी के प्राचीर' (१९६१ई०)

उपन्यास में हरिजनों के ऊपर राजनीतिक अत्याचारों का चित्रण मिलता है। वर्तमान प्रजातन्त्र युग में भी पुलिस हरिजनों के ऊपर किस प्रकार कठोर अत्याचार करती है, उनका शोषण करती है, इसका चित्रण 'पानी के प्राचीर' (१९६१ई०) उपन्यास में रामदरश मिश्र ने चित्रित किया है। बिंदिया चमाहन है, तीन चार सिपाहियों के साथ दारोगा जी बैजनाथ को धरे हुए है और बैजनाथ हक्का-बक्का सा अपने बिह्वावन पर बैठा है। उसी के बगल में बिंदिया चमाहन सहमी सक्की-सी मुंह गढ़ार बैठी है।

इस बिंदिया चमाहन के ऊपर दारोगा अत्याचार करता है, -- 'दारोगा चुन-चुन कर गालियां दे रहे हैं। कभी बैजनाथ को, कभी बिंदिया को। वैसी गालियां केवल दारोगा लोगों के ही शब्दकोष में होती हैं। कभी सकाधेरोल बैजनाथ को जमा देते हैं, कभी अपनाधेरोल बिंदिया को हाती में कोंच कर पीछे ठकेल देते हैं।' 'पानी के प्राचीर' (१९६१ई०) उपन्यास में

१. रामदरश मिश्र : 'पानी के प्राचीर' (१९६१ई०), पृ० सं० ४६ ।

२. वही, पृ० सं० ४६ ।

रामदरश मिश्र पुलिस के अत्याचार व घुसखोरी को कलात्मक ढंग से उद्घाटित करते हैं,-- 'दारोगा बिंदिया को ओर बढ़ा, एक लात जमा कर उसे डांट पर मुला दिया, फिर दोनों हाथों से उसका गला दाब कर फकफोरने का अभिनय करता हुआ अपनी अंगुलियों को ऊपर उठाकर उसके गालों को स्पर्श करता रहा । दारोगा का दृष्टि में भी चमाइन नीच है,-- 'क्यों साला बैजूआ धम्भन होकर चमाइन रखता है ।' पुलिस का दारोगा घुस भी लेना चाहता है । वह मुखिया को बुलाकर डांटता है । मुखिया के विनती करने पर,-- 'सरकार उसके पास रुपये हैं नहीं, पचीस, तीस ले लीजिए । उसका भी इन्तजाम यह मुश्किल से कर पायेगा ।' दारोगा कहता है,-- 'अरे भाई जो भी हो, ले आओ मैं करूँ ।' दारोगा आखिर घुस लेकर ही मानता है, 'मुखिया ने दारोगा के पास जाकर उसके हाथ में पचीस रुपये ठासक थमा दिये । दारोगा ने एक प्रश्नसूत्रक दृष्टि से उसे देखा । मुखिया ने मुसकरा कर कहा -- 'हुजूर यह भी बढ़ी मशक्कत से निकला है ।'

(६०) राष्ट्रीय आन्दोलन

एक बात महत्वपूर्ण है कि हिन्दी उपन्यासों में राष्ट्रीय आन्दोलन का चित्रण ब्रिटिश सरकार तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के संघर्ष के यथातथ्य रूप में चित्रित नहीं किया गया, वरन् विभिन्न माध्यमों से लेखकों ने राष्ट्रीय विचार तथा आन्दोलन को अभिव्यक्ति दी है । इसे प्रतीकात्मक

१. रामदरश मिश्र : 'पानों के प्राचीर', (१९६६ ई०), पृ०सं० ५० ।

२. वही, पृ०सं० ५० ।

३. वही, पृ०सं० ५३ ।

४. वही, पृ०सं० ५३ ।

५. वही, पृ०सं० ५३ ।

योजना भा कहते हैं । 'रंगभूमि' (१९२५ई०) में मि० जानसेवक को मिल ब्रिटिश सरकार को प्रतीक है । ब्रिटिश सरकार से कहीं भी सीधा संघर्ष नहीं होता है, वरन् उसके संरक्षण में चलाने वाली संस्थाओं तथा व्यवस्था से होता है । लखरि लेकिन संघर्ष की उत्कट स्थिति में ब्रिटिश सरकार को पुलिस तथा फौज यदा-कदाकम्प संस्थाओं तथा व्यवस्था की सहायता के लिए पहुँच जाती है । प्रेमचन्द ने बहुधा इस टेकनीक को अपनाया है । इससे न केवल राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का विकास समुचित ढंग से चित्रित हो जाता है, वरन् ब्रिटिश सरकार की समर्थक व्यवस्थाओं तथा संस्थाओं का भी पर्दाफाश हो जाता है ।

ब्रिटिश सरकार की अनैतिकता, पुलिस के दमन चक्र तथा पंजाब हत्याकांड से द्रुाव्य होकर १९१९ई० में गांधी जी राजनीतिक रंगमंच पर उतरते हैं तथा अन्त तक स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व वही करते हैं । अतः राष्ट्रीय रंगमंच राष्ट्रीय आन्दोलन पर उनके व्यक्तित्व, विचारधारा की विशेष छाप है, जिसका प्रभाव हिन्दो के उपन्यासकारों पर भी पड़ा है ।

'रंगभूमि' (१९२५ई०) में गांधीवादी सुरदास के नेतृत्व में जानसेवक के मिल की स्थापना के विरुद्ध पाण्डेपुर निवासियों का चलता है । जानसेवक की मिल ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक है, क्योंकि सरकार, पुलिस फौज के संरक्षण में उसकी स्थापना होती है । अन्ततः गोली चलती है सुरदास शहीद होता है, आन्दोलन असफल रहता है, पाण्डेपुर निवासियों को जमान, घर छोड़ने पड़ते हैं और जानसेवक का उस सम्पत्ति पर आधिपत्य हो जाता है । इस आन्दोलन पर १९२०ई० के असहयोग आन्दोलन की असफलता की छाप है । लेकिन मृत्यु-शय्या पर सुरदास भावी आन्दोलन की सूचना देता है, -- 'फिर सेलगे, जरा दम ले लेने दो, हार-हारकर तुम्हीं से सेलना सीसेगे, और एक न एक दिन हमारी जीत होगी, जरूर होगी ।' सन् १९३०ई० के राष्ट्रीय आन्दोलन की यह पूर्व सूचना है ।

१. प्रेमचन्द : 'रंगभूमि' (१९२५ई०), पृ० सं० ३७६ ।

प्रेमचन्द का 'कर्मभूमि' (१९३२ ई०) उपन्यास राजनैतिक चेतना को अभिव्यक्त करने वाला शक्ति उपन्यास है। मंजुलता सिंह के अनुसार 'कर्मभूमि' स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आन्दोलनों का इतिहास है। 'कर्मभूमि' (१९३२ ई०) की मूल भावना संघर्ष है-- एक वैयक्तिक घरातल पर एक सार्वजनिक घरातल पर जीवन संघर्ष की भावना से विभक्त है। आन्दोलन की भावना सम्पूर्ण उपन्यास में परिव्याप्त है। राष्ट्रीय राजनीति जिन आन्दोलनों के रूप में अभिव्यक्त पा रही थी, उसका बड़ा सच्चा चित्र प्रेमचन्द ने खींचा है। तत्कालीन राजनीति ने हरिजन वर्ग को कितना प्रभावित किया था तथा हरिजन वर्ग कितनी सक्रियता के साथ राजनीति में भाग ले रहा था, इसका उदाहरण 'कर्मभूमि' (१९३२ ई०) उपन्यास है।

अंग्रेजों ने भारत में फूट डालकर शासन करने की नीति अपनाई। विभिन्न जातियों तथा विभिन्न राजनैतिक प्रणालियों के देश में यह नीति भली भांति सफल हो सकती थी। बाद की लिबरल दल तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भी अंग्रेज इस नीति का विकास करते हैं। अंग्रेजों की नीति यह थी कि उग्र तथा क्रांतिकारी विचारों का दमन करके उदारवादी दल का सहयोग लिया जाय। 'कर्मभूमि' (१९३२ ई०) का गजनवी रैदास चमारों के लगानबंदी आन्दोलन का दमन करने के लिए इसी नीति का आश्रय लेता है। जमीन को लेकर मुसदा तथा नैना के नेतृत्व में निम्नवर्ग तथा म्युनिसिपैलिटी में संघर्ष होता है।

'कर्मभूमि' (१९३२ ई०) उपन्यास में बनारस तथा हिमालय की तलहटी में कुल तीन आन्दोलन चलते हैं। उपन्यास का मूल विषय हरिजनों

१. मंजुलता सिंह : 'हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग', पृ० सं० १७६।

२. महेन्द्र चतुर्वेदी : 'हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण', पृ० सं० ७६।

का उद्धार है, अतः लेखक ने हरिजन जनशक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय आन्दोलन का विकास दिशाया है। तत्कालीन राजनीतिक दांव-पेंच में अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से हरिजनों के नेता डा० अम्बेडकर को कांग्रेस के विरुद्ध करके अपनी ओर मिला लिया था। गांधी जो हरिजनों को भी राष्ट्रीय फण्डे के नीचे खींचना चाहते थे। गांधी जो के इस उद्देश्य की पूर्ति प्रेमचन्द 'कर्मभूमि' (१९३२ ई०) में करते हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि उपेक्षित हरिजन वर्ग इतना जागरूक एवं सशक्त हो गया था कि राष्ट्रीय आन्दोलन को आगे बढ़ा सके। राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण चरण यह था कि युगों से गृहिणी पद से विभूषित भारतीय नारी भी पारिवारिक मर्यादा का बन्धन तोड़कर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग ही नहीं लेती, वरन् उसका सफल नेतृत्व भी करती है। सलोनी चमारिन, सकीना जुलाहे की बेटी सभी आन्दोलन का नेतृत्व करती है।

इस च उपन्यास पर १९३० ई० के सविनय अवज्ञा आन्दोलन की छाप पड़ती है तथा उसका अंत भी १९३२ ई० के 'गांधी-इर्विन पैक्ट' से निर्दिष्ट है।

बनारस-केन्द्र में चलने वाला दूसरा आन्दोलन हरिजन निम्नतर पेशेवर वर्गों का है। निम्न पेशेवर लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था के लिए म्युनिसिपैलिटी से जमीन पाने के लिए संघर्ष होता है। संघर्ष की स्थिति में सरकार आन्दोलन का दमन करती है।

हिमालय की तलहटी में रैदास चमारों का लगान-बंदी आन्दोलन चलाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी लगानबंदी आन्दोलन चलाया था। महन्त जमींदार के विरुद्ध चलने वाला यह आन्दोलन अन्ततः ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि प्रान्तीय सरकार की छाप पर इसका प्रभाव पड़ता है। अतः ब्रिटिश सरकार पूरी शक्ति से इसका दमन करती है। बुद्धिया सलोनी भी सुन से लथपथ हो जाती है। १९३०-३२ ई० के सविनय

अवशा आन्दोलन का जितना उग्रता से ब्रिटिश सरकार ने दमन किया था, डिप्टी साहब सलोम तथा मि० घोष का दमन वक्र उसी नीति का पालन करता है, अंत में समझौता होता है। यह समझौता १९३१ई० के गांधी-इर्विन पैक्ट के अनुसरण पर किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि 'कर्मभूमि' (१९३१ई०) में राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास का पूर्ण चित्रण मिलता है। लेखक ने युगिन राजनीतिक वातावरण के मध्य में ही धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक सभी समस्याओं को उ प्रस्तुत करने का सफल प्रयत्न किया है। लेखक को दृष्टि बराबर ही राजनीतिक परिवर्तनों में होने वाले नव जागरण को और रही है।

'भूले बिसरे चित्र' (१९५६ई०) प्रमुख रूप से मध्यवर्गीय समाज से सम्बन्धित उपन्यास है। आंशिक रूप से हरिजनों की समस्या का भी चित्रण मिलता है। मंजुलता सिंह के अनुसार -- 'भारत के विगत लगभग पचास वर्षों के मध्यवर्ग को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक समस्याओं का अंकन प्रस्तुत उपन्यास का लक्ष्य है।'

८ जुलाई १९२१ई० को करांची में खिलाफत परिषद् की जो कांग्रेस हुई थी। उससे सारे देश में एक जबर्दस्त हलचल मच गई। लोगों को जेल में डूसा जाने लगा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। एक तरफ तो ज्ञान प्रकाश तथा गंगाप्रसाद अपने राजनीतिक आन्दोलन में हरिजनों का सहयोग चाहते हैं तो दूसरी ओर उनकी बेहज्जती भी करते हैं। 'भूले बिसरे-चित्र' (१९५६ई०) उपन्यास में इसी बात का चित्रण मिलता है। हरिजन गेंदालाल बघ का सहयोग सवर्ण हिन्दू वर्ग चाहता है। ज्ञान प्रकाश गेंदालाल से कहता है--
'गेंदालाल जी, इस आन्दोलन के बारे में आपका क्या ख्याल है ?

१. मंजुलता सिंह : 'हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग', पृ०सं० २७६।

‘जो, यह आन्दोलन ! इसके बारे में भला भरा क्या ख्याल हो सकता है ?

ये सब तो आप लोगों की चीजें हैं । हम अछूतों को भला इस सबसे क्या करना ?

हमें तो जनम-जनम तक आप लोगों की गुलामी ही करनी है ।’ गेंदालाल आंदोलन

के बारे में कहता है,-- ‘कैसा आन्दोलन और कैसा योग ?’ गेंदालाल ने पूछा--

‘कुछ हो रहा है, ऐसा तो हम लोगों को दिखाता है । लेकिन यह कुछ क्या है,

न कभी हमें यह समझाया गया है और न हमने कभी समझा है । और शायद

हमारी समझ में यह आसना भी नहीं और भला हमारी समझ में यह आसना भी

नहीं और भला हमारी समझ में आस भी कैसे ? पढ़े-लिखे हम लोग हैं नहीं ।

और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे पढ़ने-लिखने से भी क्या होता है ? मैं ही

पढ़-लिख गया हूँ, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिलती । जब लोग मुझे कूने ही को

तैयार नहीं हैं तब भला वे मुझे दफ्तर में अपने साथ बैठने क्यों देंगे ? वह तो

कहिस् मिशन-स्कूल था, इसलिए किसी की चली नहीं, नहीं तो लोग मुझे पढ़ने

भी न देते ।’ दूसरी तरफ गंगाप्रसाद, गेंदालाल का चमार कहकर तिरस्कार करता

है,-- ‘स्कास्क गंगाप्रसाद भड़क उठा,-- ‘चमार । तुम यहां इस कमरे में कैसे घुस

आस ? निकलो यहां से, निकलो ।’ ज्ञानप्रकाश ने यह कल्पना भी न की थी कि

गंगाप्रसाद पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी । उसने गंगाप्रसाद का हाथ पकड़कर

कहा,-- ‘यह क्या बक रहे हो गंगा ? मैंने इनको बुलाया है, इनसे बात करने के

लिए । इस आन्दोलन में हमारे देश के अछूतों का कोई योग नहीं है और देश में

अछूतों की कुल संख्या छः करोड़ की है । इन लोगों का सहयोग हमें चाहिए ही ।’

ज्ञानप्रकाश की बात गेंदालाल ने काटी, जो उठकर सड़ा

हो गया था, जो अभी सहयोग लीजिए, और फिर हम लोगों को सत्म करके रख

दीजिए । जहां बैठने का अधिकार भी लोग हमें न दें, वहां बातचीत ही क्या

होगी ? आन्दोलन कीजिए, स्वराज्य लीजिए, लेकिन हम लोगों की जिन्दा रहने

१. मगवती चरण वर्मा : ‘मूले बिसरे चित्रे’ (१९५६ई०), पृ०सं० ५०६ ।

२. वही, पृ०सं० ५१० ।

दीजिए । हम लोग तो आप लोगों को गुलामी करने के लिए ही पैदा हुए हैं ।^१
 'भूले बिसरे चित्र' (१९५९ई०) उपन्यास महात्मा गांधी के आन्दोलन से प्रभावित
 उपन्यास है । गांधी जो राजनीतिक आन्दोलन में हरिजनों का योग चाहते थे,
 अतः इस उपन्यास में भी सर्वर्ण लोग हरिजनों का सहयोग चाहते हैं । ज्ञानप्रकाश
 कहता है, -- 'गेंदालाल जी, देश में इतना बड़ा आन्दोलन चल रहा है, यह तो
 आप जानते ही हैं । इस आन्दोलन में आप योग क्यों नहीं देते ?'

गेंदालाल के ऊपर जो अत्याचार सर्वर्ण हिन्दुओं के
 द्वारा किया जाता है, लेखक उससे सहमत नहीं है । वर्मा जी इन अत्याचारों का
 विरोध करवाते हैं । वर्मा जी ने अपने हरिजन पात्र में पर्याप्त राजनीतिक चेतना
 का विकास दिखाया है । वर्मा जी गांधीवाद से प्रभावित दिखाई देते हैं, अतः
 उनका हरिजन पात्र भी गांधीवादी नीति का समर्थक है । गेंदालाल का कहना
 ठीक ही है कि अभी काम पर सहयोग न ले फिर हरिजनों को नाली का
 कीड़ा समझकर उनसे बुरा बर्ताव करे और उनको खत्म कर दे । प्रकारान्तर से
 यह लेखक का ही दृष्टिकोण स्पष्ट करता है ।

'प्रतिक्रिया' (१९६६ई०) उपन्यास के मुरलीधर पात्र पर
 अम्बेदकर की समस्याओं का असर दिखाई पड़ता है । मुरलीधर हरिजन कहता है,
 'यह झूठ है कि अछूत हिन्दु समाज के अंग हैं, असल में हम लोग एक अलग नेशन हैं।
 इतिहास भी इसका समर्थन करता है कि हम अछूत असल में भारत के आदिम
 आदिवासी हैं । भारत हम लोगों का देश है, आर्य डाकू थे, शक, हूण, पठान,
 मुगल सब डाकू थे । अब शताब्दियों के बाद सारा हिसाब साफ करने का मौका
 आया है ।' मुरलीधर अपने वर्ग के ऊपर होने वाले राजनीतिक अत्याचार का

१. भावती चरण वर्मा : 'भूले बिसरे चित्र' (१९५९ई०), पृ०सं० ५११ ।

२. वही, पृ०सं० ५०६ ।

३. मन्मथनाथ गुप्त : 'प्रतिक्रिया', (१९६६ई०), पृ०सं० ०४१ ।

विरोध करता है। मुरलीधर आम्बेडकर के पृथक् निर्वाचन पर बल देता है। 'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०) उपन्यास में हरिजनों के पृथक् निर्वाचन की समस्या उठाई गई है। मुरलीधर पात्र में लेखक इतनी राजनीतिक चेतना का विकास दिखाता है कि वह गांधी जो को ही अपना शत्रु समझने लगता है, -- 'गांधी हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वह लोगों के मन में यह भ्रान्ति पैदा करता है, जैसे वह हम लोगों के लिए कुछ करने ही जा रहा है। उसके ब ढोंगों का कोई अन्त नहीं है। पहले रेल से चलता था, अब पैदल चलता है। एक उल्टा सीधा बयान दे मारा कि बिहार का भूकम्प कुआरुत के कारण हुआ, अब यह पदयात्रा का ढोंग चला है। नाम के लिए अकूतों का उद्धार हो रहा है, पर ही सिर्फ इतना ही रहा है कि हम लोगों की संख्या का राजनीतिक लाभ सवर्ण हिन्दू उठाना चाहते हैं। नहीं तो मैकडोनल्ड के साम्प्रदायिक बंटवारे का इतना विरोध क्यों किया गया? राजनीतिक प्रभाव का हरिजनों के ऊपर कैसा असर होता है? इसको चित्रित किया गया है।

हरिजन पात्र मुरलीधर तथा अन्य पृथक् निर्वाचन का स्वागत करते हैं। लेखक का पृथक् निर्वाचन के प्रति समर्थक दृष्टिकोण नहीं है। वह उन्हें हिन्दू समाज का ही एक अंग मानता है। मुरलीधर पात्र कहता है, -- 'यह हरिजन शब्द आपके ढोंग का चोतक है। यह एक अफीम को गोली है, जिससे आप हमें सुला देना चाहते हैं। यदि धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो यह शब्द बहुत ही उलफान भरा है। हम हरिजन, हरि के जन हैं, और आप क्या हैं? क्या सवर्ण हिन्दू शैतान के जन हैं? या तो मनुष्य मात्र हरिजन है या कोई नहीं। विशेष रूप से हमें हरिजन कहने का कोई अर्थ नहीं होता।' लेखक उनके

१. मन्मथनाथ गुप्त : 'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०), पृ०सं० १५४ ।

२. वही, पृ०सं० ४२ ।

गांधीके विरोध करने को बात का भी समर्थक नहीं है,इसीलिए वह हरिजनों के गांधी जो के विरोध करने पर उनकी पिटाई भी करवा देता है,--जब दस-बीस घुसे,थप्पड़ पड़ चुके तो मुरलीधर ने चिल्लाकर अहूतों को सम्बोधित करते हुए अंग्रेजी में कहा -- अरे माई हम तो अहूत हैं । पर या तो लोगों ने उसे सुना ही नहीं, या अंग्रेजी में होने के कारण वह किसी के पल्ले छ ही नहीं पड़ा है ।

(१९६६१६०)

'प्रतिक्रिया' उपन्यास में हरिजनों के राजनीतिक दृष्टिकोण को हमारे सामने रखने के लिए केशव तथा मुरलीधर हरिजन पात्रों को सृष्टि हुई है । मुरलीधर, जो किष्किम्बेकर के मत का अनुयायी है, का दृष्टिकोण उचित नहीं कहा जा सकता है । ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने तो भारत पर शासन करने के लिए फूट डालने के लिए यह योजना क्ली । अगर अपने ही देश के वासी, देश के खिलाफ काम करें तो उसे हम किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं कह सकते हैं । मुरलीधर अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेना चाहता है । यह बात ठीक है, पर यह भी देखना चाहिए कि उसकी योजना देश के हित में है या नहीं । अगर कल्पना की जाय कि हरिजन को पृथक् निर्वाचन का अधिकार मिल जाता तो आज देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाते तथा देश ११ वीं शती के निकट पहुँच जाता । लेखक ने मुरलीधर तथा केशव आदि हरिजन नेताओं को पिटवाकर अच्छा ही काम किया है । केशव तथा मुरलीधर का गांधी जी का विरोध करना तो एक राजनीतिक अपराध लगता है । हरिजन नेताओं को हरिजनों के ही हाथ पिटवा कर लेखक ने उन्हें अपराध का दण्ड भी दे दिया है जो ठीक भी है । इस छ उपन्यास पर सन् १९३१-३२ की घटनाओं का प्रभाव है । उसी प्रभाव के कारण केशव माधव हरिजन के पृथक् निर्वाचन की बात कहते हैं । ऐसा लगता है कि लेखक ने 'प्रतिक्रिया' (१९६६१६०) उपन्यास में हरिजनों के राजनीतिक पक्ष से सम्बन्धित समस्याओं को उठाकर 'पूजा समझौते' की भाँति समस्या का समाधान भी प्रस्तुत कर दिया है ।

१. मममयनाथ गुप्त : 'प्रतिक्रिया' (१९६६१६०), पृ० सं० १५६ ।

(च) शासन सम्बन्धी भ्रष्टाचार

शासन में भ्रष्टाचार हमेशा व्याप्त रहा है, चाहे अंग्रेजी युग रहा हो या वर्तमान युग । अनेक लेखकों ने इस भ्रष्टाचार का विरोध किया है। लेखक लोग कहीं इसके लिए प्रत्यक्षा और कहीं अप्रत्यक्षा प्रणाली अपनाते हैं । 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) में शासन सम्बन्धी भ्रष्टाचार को दर्शाया गया है । किस प्रकार ऊंचे वर्ग वाले हरिजनों का शोषण करते हैं ? इसका भी अच्छा दिग्दर्शन मिल जाता है ।

रामप्रकाश कपूर के 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) में अंसारी जुलाहा के ऊपर शासन सम्बन्धी सर्वर्ण हिन्दू वर्ग के द्वारा अत्याचार का चित्रण मिलता है । 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) उपन्यास में शासन संबंधी भ्रष्टाचार का चित्रण मिलता है । अंसारी जूनियर वकील है तथा रामनारायण सीनियर वकील है । सीनियर वकील, जूनियर वकील का किस प्रकार शोषण करते हैं, इसका चित्रण 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) में मिलता है । इन्होंने शासन सम्बन्धी भ्रष्टाचारों से जूनियर वकील विद्वत्त्व ही उठता है । अंसारी अदालतों में फैले भ्रष्टाचार के बारे में कहता है, -- ' बड़ी मक्खली शुरू से ही छोटी मक्खली निगलती चली आई है । यहाँ भी बड़े वकील जूनियरों का शोषण कर रकम पैदा करते हैं ।' अंसारी भी वकालत करता है पर बंबड़े व दूसरे सीनियर लोग उसको आगे बढ़ाना देना नहीं चाहते हैं, उसको सत्ताते हैं । स्ट्रोकट रामनारायण राज मेहरा से कहता है, -- ' स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने वालों ने स्वतंत्रताओं को लम्बी सूची को जरूर बना दी, मगर उनको प्राप्त करने के साधन भी सचिंलि व पेचीदे बना दिए । गांव में एक अपद निर्दोष कृषक को धानेदार किसी कारण से या दुश्मनी से उठाकर हवालात में बन्द कर देता है । कानूनन वह चौबीस घण्टे

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०), पृ०सं० २०२ ।

तो अधिक उसे कैद नहीं रख सकता । गांव में भला धानेदार को मजिस्ट्रेट का क्या डर ? वह तीन-चार दिन तक उसे बिना किसी कारण हवालात में बन्द रखता है । यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ या नहीं ? अब उस कृषक से यह अपेक्षा करना कि वह उधार रूपया लेकर हाईकोर्ट जाए, वहां लम्बी फीस देकर बड़े सडवोकेट द्वारा रिट दाखिल करे, कितना हास्यास्पद है ? पहले तो उस गरीब को संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का प्रारम्भिक ज्ञान ही नहीं है, फिर उसकी आवाज, टूटो-फूटो हिन्दी को उच्च न्यायालय के चपरासी भी सुनने को तैयार नहीं.... न्यायधीशों की तो बात ही न करो। डा० लोहिया को जब उच्च न्यायालय में हिन्दी में बहस करने या बयान देने की अनुमति न मिली तो एक साधारण नागरिक वहां भला कैसे बोलने का साहस कर सकता है । इस प्रकार संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूलभूत अधिकारों तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, रोज देश के हर कोने में निर्दयतापूर्वक हनन होता रहता है.... सब तमाशा देखते रहते हैं । अब तो हाईकोर्ट में रिट भी दाखिल करने के लिए फीस लो जातो है.... । इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी न्यायालयों में किस प्रकार प्रष्टाचार पलता है । रामप्रकाश कपूर का 'टूटा हुआ आदमी' (१९६६ ई०) उपन्यास राजनीतिक अत्याचारों का पर्दाफाश करता है । लेखक का (अंसारी जुलाहे के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है) अत्याचार के प्रति समर्थक दृष्टि नहीं है । लेखक हरिजन पात्र पर अत्याचार करने के पक्ष में नहीं है । राजमेहरा, जो कि स्वयं हरिजन पात्र है, इस अत्याचार का विरोध करता है । राज मेहरा, सीनियर वकील से कहता है—
'कचहरियां प्रष्टाचार व अनाचार की सबसे बड़ी व प्रसिद्ध तीर्थ बन गई है ।'

अंसारी जुलाहे का जो शोषण कचहरी में सीनियर वकीलों के द्वारा किया जाता है, वह सामाजिक हित में अच्छा नहीं कहा जा

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ आदमी' (१९६६ ई०), पृ०सं० २०१ ।

२. वही, पृ०सं० २०४ ।

सकता है। राज मेहरा का कथन तो स्पष्ट ही शासन सम्बन्धी प्रष्टाचार को उ स्पष्ट कर देता है कि कचहरी ही एक ऐसा स्थल है, जहाँ न्याय नहीं मिल सकता है। दो व्यक्तियों में संघर्ष होना तो राजनीतिक विकास के लिए अत्यन्त उपयुक्त है, क्योंकि जब दो वर्गों का संघर्ष होगा तभी तो राजनीति का विकास होगा। किन्हीं दो से अधिक वर्गों में जब तक परस्पर स्वार्थों का टकराव नहीं होता, राजनीतिक गतिविधियों में चेतना नहीं आ पाती है तथा राजनीतिक वातावरण का निर्माण भी नहीं हो सकता है। 'टूटा हुआ आदमी' (१९६६ ई०) उपन्यास में भी परस्पर टकराव मिलता है। इसी के फलस्वरूप अंसारी जुलाहा के ऊपर अत्याचार होता है। अगर दो वर्ग आपस में लड़ते हैं तो निश्चय ही एक वर्ग को फायदा तथा दूसरे वर्ग को नुकसान पहुँचता है। 'टूटा हुआ आदमी' (१९६६ ई०) उपन्यास से अदालतों में व्याप्त प्रष्टाचार का उद्घाटन पर प्रकाश डालता है। साथ ही साथ उस राजनीतिक वातावरण की ओर संकेत करता है, जिसमें उच्च पदस्थ लोग निम्न पदों के लोगों का शोषण करते हैं।

एडवोकेट रामनारायण सामंत वर्ग के प्रतिनिधि है, उनमें अपने जूनियरों के प्रति दया, ममता नहीं है। जिस अंसारी जुलाहे का शोषण रामनारायण करते हैं, राज मेहरा (जो कि स्वयं वकील है) उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उसके अत्याचार से दुःखी होते हैं। लेकिन रामनारायण तो नये सामंतवर्ग का प्रतिनिधि है, वह केवल शोषण करता है। शोषण बढ़ने का कारण अंग्रेजी ही रही है, जिसने अदालतों में सीनियर एडवोकेटों को मनमाना अत्याचार करने की छुली छूट दे रखी है। अदालतों में सीनियर एडवोकेट के अनुपात में जूनियर वकीलों की संख्या कई गुनी बढ़ी है। आधुनिक मंहंगी सुख-सुविधाओं की आवश्यकता भी बढ़ी। इन सबका परिणाम यह हुआ कि सीनियर एडवोकेट मानवीय संबंध भुलाकर जूनियर एडवोकेटों का मनमाना शोषण करने लगे।

(७) भाषा की समस्या

भाषा का प्रश्न राष्ट्रीयता से सम्बन्धित है तथा इसके सम्बन्ध में भी उपन्यासकारों की दृष्टि गई है। रामदेव अपनी हिन्दी भाषा का

महत्त्व स्वाकारते हैं तथा शिक्षा के लिए ^{हिन्दी} भाषा को ही उपयुक्त बताते हैं । अंग्रेजों शिक्षा हमें एक तरफ ज्ञान-विज्ञान की प्रगतिशील चेतना से सम्पन्न किया है, ~~ब~~ तो दूसरी तरफ व्यावहारिक तथा कामकाजी दुनियां में हमें पंगु बना दिया है । पढ़े-लिखे लोगों के लिए मास्टरो ~~ब~~ लकीं आदि जैसे कुछ सीमित धन्धे के अतिरिक्त अन्य धंधों का अभाव हो रहा है । स्वयं अंग्रेजी शिक्षा के संस्थापकों के काले महोदय ~~ब~~ भी यही चाहते थे कि भारत में राज्य चलाने के लिए कुछ भारतीय क्लर्कों को पढ़ा लिखा कर तैयार किया जाए तो अंग्रेजी शासन के बल बन सके तथा शासन को मजबूत तथा सुदृढ़ बनाने में मदद दे सकें । रामदेव ने इंग्लिश हिन्दी भाषा पर बल दिया है, कदाचित् राष्ट्रीयता से प्रभावित होने के कारण । कहने की आवश्यकता नहीं कि लेखक का कार्य राष्ट्रीयता से सम्बन्धित है और इनके माध्यम से उसने हरिजनों के ऊपर अत्याचार दिखा कर उनके ऊपर राजनीतिक अत्याचार के चित्र को उभारा है । लेखक ने व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का निर्माण किया है ।

सुधार-आन्दोलन तथा सामाजिक संस्थाओं को एक सीमा होता है । आधुनिक युग में हरिजनों के अधिकारों को व्यापक स्वीकृति राजनीतिक माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है । सामाजिक जागरण तथा सुधार आन्दोलनों एवं नवीन मान्यताओं को निर्धारित अवश्य करते हैं लेकिन सम्पूर्ण समाज उन्हें कानून के रूप में उसी समय स्वीकार करता है, जब कि उसे सरकारी मान्यता मिल जाए । कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए समाज के शोषित हरिजन वर्गों को निश्चय ही राजनीतिक आन्दोलनों का स्वरूप प्रत्येक देश की ऐतिहासिक परिस्थितियों की विभिन्नता पर निर्भर करता है । भारतीय राजनीतिक स्थिति एक गुलाम की सी है, जिसमें हरिजन वर्गों का परतन्त्र बनाकर रखा जा रहा है । समाज के शोषित हरिजन वर्गों के लिए दो दृश्यां हैं -- एक तो वह भारत सरकार से सीधे अपने अधिकारों को पा ले या स्वतंत्र हरिजन

आन्दोलन कर अधिकार प्राप्त करे । जब तक हरिजन लोग शक्तिशाली नहीं हो जाते-- तब तक रोशन जैसे हरिजनों की लड़की को भाषा के प्रश्न पर सवर्ण हिन्दू वर्ग अपहरण करते रहेंगे । आज जरूरी है कि देश के राजनीतिक वातावरण में हरिजन भी अपना सहयोग दे । आज राजनीतिक नेताओं के द्वारा हरिजनों की सुरक्षा का आश्वासन दिया जा रहा है । हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन न केवल ब्रिटिश दासता से मुक्ति का अभियान था, वरन् हरिजन शोषित वर्गों की स्वतन्त्रता का इतिहास भी बन गया ।

रामदेव के 'लहरे' (१९५४ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर अत्याचार का चित्रण हुआ है । समाज के लोग हरिजनों को हमेशा से दबाते आये हैं, इसी भावना का चित्रण 'लहरे' (१९५४ई०) उपन्यास में मिलता है और इसी भावना के कारण रोशन हरिजन के ऊपर राजनीतिक अत्याचार होता है । 'लहरे' (१९५४ई०) उपन्यास में भाषा का प्रश्न को लेकर जबर्दस्ती रोशन हरिजन के ऊपर अत्याचार किया जाता है । 'लहरे' (१९५४ई०) उपन्यास में सिक्ख लोग गुरुमुखी भाषा पर जोर देते हैं, जब कि हिन्दो भाषा वाले हिन्दो पर जोर देते हैं । इसी भाषा के प्रश्न पर सवर्ण हिन्दू लोग रोशन हरिजन को लड़की को गायब कर देते हैं । भाषा के प्रश्न पर दोनों ओर से हरिजनों पर जो दबाव पड़ता है, उसी का चित्रण करते हुए लेखक कहता है,--
हरिजन बेचारों की अजीब दशा थी । सिक्खी का दम मरने वाले कहते हैं कि अपनी भाषा गुरुमुखी लिखवाओ नहीं तो हम सब प्रकार को सहूलें देना बन्द कर देंगे और कई जगह तो मार-पीट की नौबत भी आ गई । इधर अपने को अर्थों की सन्तान कहलाने वालों ने जोर दिया कि हरिजन अपनी भाषा हिन्दी लिखवाएं अन्यथा उन्हें गांव में रहना मुश्किल हो जायगा । हरिजन बेचारे क्या करते एक ओर कुआं और दूसरी ओर क़त्तई । जब इसी प्रश्न पर सवर्ण

१. रामदेव : 'लहरे', (१९५४ई०), पृ०सं० २० ।

हिन्दू लोग रोशन हरिजन की लड़की को गायब कर देते हैं तो इसी बात पर दलीप कहता है,--^१ सुना है आज रोशन हरिजन की लड़की को लोग निकाल ले गए और साथ ही यह भी सुना है कि रात उसे चार-पांच आदमी धमकाने आए थे कि अपना भाषा गुरुमुखी लिखवाना।^२ भाषा के प्रश्न पर रोशन हरिजन की लड़की गायब करने के अत्याचार के विरुद्ध लेखक अपना आक्रोश व्यक्त करता है। वह इस अत्याचार के पक्ष में नहीं है तथा इस बात को लेखक अपने पात्रों के ब द्वारा स्पष्ट करता है। जब रामसिंह यह कहता है,--^३ जब समझाए से कोई न समझे तो जोर से समझाना पड़ता है और क्या उसे हिन्दी लिखाने देते। अभी तो क्या देखा है एक रोशन की लड़की गायब है बाकियों से कहना कि अपनी-अपनी संभाल ले^२। इसपर दलीप को गुस्सा आ जाता है वह एक धौल रामसिंह के जमा देता है तथा इसी बात को लेकर खेल का स्थान युद्ध क्षेत्र बन जाता है तथा लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लड़ाई को बचाने के लिए वीर सिंह कहता है--^३ अगर लड़ना ही है तो पहले मेरी बातें सुनकर लड़ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। क्या मैं सिख भाइयों से पूछ सकता हूँ कि गुरुमुखी भाषा होने पर सब गांव वालों को मरपेट रोटी मिल सकेगी और क्या हिन्दू यह विश्वास दिला सकते हैं कि हिन्दी भाषा मान लेने पर अनाथ और विधवाओं के दुःख दूर हो जाएंगे सब को तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा मिल सकेगा। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यह भी एक पुंजीपतियों का हथकण्डा है, जिसके द्वारा वे आपको आपस में लड़ाना चाहते हैं।^३ इससे स्पष्ट हो जाता है कि रामदेव रोशन हरिजन के ऊपर हुए अत्याचार के समर्थक नहीं हैं। लेखक तो भाषा के प्रश्न पर दोनों पक्ष पर गहरा व्यंग्य भी किया है,--^३ थोड़े दिन पहले एक पगड़ी धारी महाशय गले में सफेद साफा लटकाए

१. रामदेव : 'लहरे', (१९५४ई०), पृ०सं० २१।

२. वही, पृ०सं०

३. वही, पृ०सं० २२।

बड़ा वजनदार व्याख्यान कर गये थे और उन्होंने समझाया था कि हिन्दी भाषा हमारा मातृ-भाषा है और आदिकाल से चली आ रही है सब अपनी भाषा हिन्दी हा लिखवाएं और उसपर खूबी ये कि उन्होंने व्याख्यान पंजाबी में किया था, क्योंकि या तो गांव के लोग उनके कठिन शब्दोच्चारण को समझने में असमर्थ थे या उन्हें खुद हिन्दी बोलने का अभ्यास नहीं था ।^१

गुरुमुखी भाषा के प्रश्न व पर भी लेखक व्यंग्य करता है,--^२ उसके कुछ दिन बाद एक नीली पगड़ी धारी सरदार जी आए और उन्होंने भी खूब जोरदार भाषण दिया और सब गांव वालों से प्रार्थना की कि अपनी भाषा गुरुमुखी लिखवाएं और इस विषय में समा की ओर से प्रस्ताव पास किया गया कि हमारी भाषा गुरुमुखी होनी चाहिए, क्योंकि हम पंजाबी हैं । परन्तु इस प्रस्ताव की लिपी उर्दू में लिखी गई थी, क्योंकि शायद व्याख्यान देने वाले महानुभाव गुरुमुखी लिपी से अनभिज्ञ थे ।^३

भाषा के प्रश्न पर रोशन हरिजन की लड़की गायब करना उचित नहीं है । अगर कोई दो पक्ष आपस में लड़ते हैं तो हरिजनों पर ही क्यों अत्याचार किया जाए ? यह प्रश्न उठता है फिर भाषा के संघर्ष में हमें रोशन हरिजन का कोई योगदान भी नहीं दिखाई देता । अतः यह बिल्कुल स्पष्ट स्वतः ही हो जाता है कि रोशन हरिजन के ऊपर सवर्ण हिन्दू वर्ग द्वारा अत्याचार करना गैर कानूनी तथा बेबुनियाद है । हमारे समाज में आज भी निरपराध हरिजनों पर अत्याचार किये जाते हैं । चाहे अपराध उन्होंने न किया हो, फिर भी दण्ड उनको भुगतना पड़ता है । 'लहरे' (१९५४ई०) उपन्यास में सवर्ण हिन्दुओं की संकीर्ण भावना का परिचय मिलता है । निरपराध रोशन हरिजन हरिजन के ऊपर अत्याचार समाज के सवर्ण हिन्दुओं की उदार भावना को प्रकट नहीं करता है । रोशन हरिजन के ऊपर अत्याचार करके सवर्ण हिन्दू

१. रामदेव : 'लहरे' (१९५४ई०), पृ०सं० २० ।

२. वही, पृ०सं० २० ।

वर्ग तो सामाजिक अपराध करते हैं। अतः इनको दण्ड मिलना चाहिए न कि रोशन हरिजन को। परन्तु हमारे सड़े-गले समाज में इतनी शक्ति नहीं है कि उचित-अनुचित व्यक्ति में भेद कर सके तथा उनको दंड दे सके।

(ज) पूंजीपति वर्ग का उदय

अपरोक्षरूप से भले ही ब्रिटिश राज्य भारत में औद्योगिक क्रांति लाने में सहायक हुआ हो, लेकिन यह उसकी नीति के विरुद्ध था कि भारत औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़े। भारत में ही नहीं, वरन् एशिया में उसके राज्य विस्तार का उद्देश्य ही यह था कि उन्हें कृषि उत्पादन का क्षेत्र रखा जाय जिससे ब्रिटेन को मिल्नों का सामान वहां बिना प्रतियोगिता के बाजार पा सके। लेकिन संसार में जब औद्योगिक अर्थ व्यवस्था का उदय हो रहा था, ऐसी स्थिति में भारत का एकमात्र कृषि देश रहना असंभव था। प्रथम विश्वयुद्ध आदि ऐसे अन्य कारण भी उपस्थित हुए कि ब्रिटिश सरकार को भी आवश्यकतावश मूल नीति कुछ समय तक बदलनी पड़ी। फलतः भारत में भी कारखाने बनने लगे और पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि औद्योगिक आर्थिक प्रणाली के दो चरण होते हैं। प्रारम्भिक अवस्था में उद्योगपति, जो स्वयं कारखाने का मालिक होता है तथा उत्पादन के तत्वों को जुटाता है, वह क्रियाशील तथा साहसी होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब देश में धन बढ़ जाता है तो उद्योगपति से अधिक महत्व पूंजीपति का हो जाता है। 'रंगभूमि' (१९२५ई०) का जानसेवक उद्योगपति है, लेकिन 'गोदान' (१९३६ई०) का डायरेक्टर सन्ना पूंजीपतियों का प्रतीक है।

प्रेमचन्द का 'रंगभूमि' (१९२५ई०) उपन्यास राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मि० क्लार्क, महेन्द्र सिंह तथा गवर्नर भारत के

राजनैतिक पक्ष को ग्रहण करने वाले हैं। केवल पक्ष में सुरदास के साथ अन्य लोग भी हैं। सुरदास तथा जानसेवक के बीच संघर्ष उत्पन्न कर प्रेमचन्द ने उद्योगपतियों पर प्रहार किया है।

'रंगभूमि' (१९२५ई०) की रणस्थली में सुरदास तथा जानसेवक अपने आदर्शों के लिए आदि से अन्त तक परस्पर प्रतिद्वन्द्वी बनकर संघर्ष करते हैं। जानसेवक उद्योगपति का प्रतीक है तो सुरदास भारतीय आत्मा का प्रतीक है। सुरदास जाति से चमार हैं,--'बनारस में पाँडेपुर ऐसी बस्ती है। वहाँ न शहरी दोपकों की ज्योति पहुँचती है, इन्हों में एक गरीब तथा अंधा चमार रहता है, जिसे लोग सुरदास कहते, जानसेवक तथा सुरदास के संघर्ष द्वारा प्रेमचन्द ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि भारतीय समाज में चेतना आ गई थी तथा वे अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने लगे थे।

जानसेवक देश के हित के नाम पर सिगरेट का कारखाना खोलने के लिए सुरदास की जमीन को ले लेता है। जानसेवक का कहना है,--'हम देखते हैं कि इस देश में विदेश से करोड़ों रूपए का सिगरेट और सिगार आते हैं। हमारा कर्तव्य है कि इस धन प्रवाह को विदेश जाने से रोकें। इसके बिना हमारा आर्थिक जीवन कभी पनप नहीं सकता।'

यह तो ठीक है कि जानसेवक देशहित करना चाहता है, लेकिन हरिजनों के ऊपर वह क्यों अत्याचार करना चाहता है? वह तो स्वयं अमीर व्यक्ति है। कहीं किसी दूसरे की जमीन खरीद सकता है। उसको क्या जरूरत है कि वह सुरदास जैसे गरीब हरिजन की जमीन ले। चूंकि जानसेवक शासक वर्ग से भिन्न हुआ है, इसीलिए वह सुरदास को जमीन ले लेने में अंततोगत्वा

१. प्रेमचन्द : 'रंगभूमि' (१९२५ई०), पृ०सं० १० ।

२. वही, पृ०सं० ७४ ।

सफल हो जाता है। वह अपनी व्यावहारिक बुद्धि के फलस्वरूप सुर की जमीन को लेकर मि० क्लार्क तथा राजा महेन्द्र को आपस में लड़ा देता है और वह अपने महत् उद्देश्य को पूर्ण करता है। जानसेवक जन नेता तथा ब्रिटिश सरकार दोनों में मेल रखता है। जानसेवक के चरित्र के द्वारा प्रेमचन्द ने हमारे सामने उद्योग-पतियों के दुर्गुणों को हमारे सामने रखा है।

(फ) पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण

मुगल साम्राज्य तथा ब्रिटिश-साम्राज्यवाद की पराधीनता स्वीकार करते हुए भी प्राचीन और मध्ययुगीन राज्यों के कुछ अक्षेप अब भी बचे थे। १८५७ई० की जनक्रान्ति के पीछे मूलभूत प्रेरणा भले ही अंग्रेजों से मुक्ति पाना रहा हो, लेकिन क्रांति के संगठन के पीछे मुख्य शक्ति विविध राज-परिवारों का नेतृत्व करना था। ब्रिटिश सरकार भी राष्ट्रीय आन्दोलन के तीव्रतर होने पर राजाओं से गठबन्धन कर लेती है। अतीत का भारत भी आधुनिक भारत के निर्माण में प्रेरणा का स्रोत रहा है। ऐसी स्थिति में यदि राजनीतिक क्षेत्र में भी पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण का अस्तित्व रहा तो कोई आश्चर्य नहीं।

'रंगभूमि' (१९२५ई०) का सुरदास गांधीवादी विचार-धारा का प्रतीक है। वह निरीह, निःशस्त्र तथा निर्बल भारतीय जनता का प्रतीक है, लेकिन गांधीवादी आदर्शों से अनुप्रेरित होने के कारण उसमें चारित्रिक दृढ़ता है, उसमें सत्याग्रह तथा नैतिकता का बल है। ईश्वर पर उसकी अटूट आस्था है तथा अहिंसा उसका प्राण है। राजा महेन्द्र के अन्याय के विरुद्ध वह सारे शहर में घूमकर न्याय की मोख मांगता है। ऐसा लगता है कि गांधी जी सारे राष्ट्र में घूमकर जनमत तैयार कर रहे हों। हिंसा पर सुर कहता है, -- 'तुम लोग यह उषम मचाकर मुझ पर कलंक क्यों लगा रहे हो आप लोगों

को दुआ से वह आग और जलन मिटेगी । परमात्मा से कहें, मेरा दुख मिटाये । भगवान से विनती कीजिए । मेरा संकट बर हरे । जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया है, उसके दिल में दया, धरम जागे, बस मैं आप लोगों से और कुछ नहीं चाहता ।' ऐसा लगता है कि गांधी जो राष्ट्र को हिंसक वृत्तियों को रोक रहे हों । सुरदास गांधी जी से भी आगे बढ़ जाता है । उसने वह काम किया जो औलिया ही कर सकते हैं । लोगों के न मानने पर वह पत्थर उठाकर सिर फोड़ना चाहता है, उसके इस सबल आग्रह से लोग हिंसा रोक देते हैं ।

पाँडेपुर मुहल्ले की जमीन पर जानसेवक का आधिपत्य हो गया तथा सब निकाले जाने की स्थिति में हैं । सुरदास मुहल्ले वालों से सरकार के दमनचक्र के सम्बन्ध में कहता है, -- 'सरकार के हाथ में मारने का बल है, हमारे हाथ में और कोई बल नहीं है तो मर जाने का बल तो है ।' यह 'मर जाने का बल' ही अहिंसा तथा सत्याग्रह सिद्धांत का मूल बिन्दु है कि अपने धर्म, विचार के लिए मरने की शक्ति भी होनी चाहिए । गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्र ने यह शक्ति अर्जित की थी । अन्ततः जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत को विदेशी शासन से मुक्ति मिली । यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है कि गांधी जी के राजनीतिक दर्शन का कौन पहलू सफल रहा । हमारा मत है कि तत्कालीन परिस्थितियों में जब कि भारतीय जनता निःशस्त्र तथा निरीह अवस्था में थी, विदेशी सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार करना तथा उसे असहयोग करना युद्ध पद्धति को उचित टेकनीक थी । लेकिन हम यह स्वीकार नहीं करते कि अंग्रेजों का हृदय-परिवर्तन तो कभी नहीं हुआ, बरन् सरकार का दमन चक्र बढ़ता गया । प्रत्येक बार गांधी जी को आन्दोलन वापस लेने पड़े, लेकिन इन आन्दोलनों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि स्वतन्त्रता के लिए जनमत तैयार हो गया और राष्ट्रीय

१. प्रेमचन्द : 'रंगभूमि' (१९२५ई०), पृ०सं० ३१६ ।

२. वही, पृ०सं० २६७ ।

भावनाओं से सम्पूर्ण भारत तरंगित होने लगा । स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त मर जाने का बल आ गया । सुरदास भी जानसेवक, राजा महेन्द्र, मि० क्लार्क तथा अंग्रेजी सरकार किसी का हृदय परिवर्तन कर नहीं पाता । यद्यपि वह शहर में न्याय के लिए जनमत जागृत करने में सफल है । गांधीवादी दर्शन को सबसे बड़ी विशेषता उसकी आशावादिता है । सुरदास मृत्यु के समय भी निराश नहीं होता, वरन् फिर लड़ने की बुनौती देता है और उसका विश्वास है कि एक दिन वह अवश्य विजयी होगा । हम कह सकते हैं कि प्रेमचन्द के उपन्यासों में युगोन राजनीति का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत हुआ है । 'रंगभूमि' (१९२५ई०) में यदि एक ओर अत्याचार की नीति का वर्णन है तो दूसरी ओर भारतीयों का स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अथक प्रयत्न भी वर्णित है ।

(ट) देशी रियासतें

अंग्रेजों ने भारत के विस्तरे राज्यों को समाप्त करके राज्य का विस्तार किया था । लेकिन १८५७ई० की क्रांति के पश्चात् जब सामंत वर्ग अपने अंतिम प्रयत्न में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में पूर्णतया असफल हो गया, तब अंग्रेजी सरकार ने शेष निर्जीव राज्यों को छेड़ना उपयुक्त नहीं समझा । लेकिन उनपर अंग्रेजी सरकार अपना नियन्त्रण रखती थी । बीसवीं शताब्दी में जब ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन तीव्रतर हुआ, अंग्रेजी सरकार ने देशी राज्यों को अतिरिक्त संरक्षण देने की नीति अपनाई । संरक्षण मिलने पर राज्यों के राजाओं ने हरिजनों का शोषण करना आरम्भ कर दिया । जो अंग्रेज किसी समय सामन्तीय शासन के विरुद्ध थे, अब उसके समर्थक बन गए और कुछ अंग्रेज राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रतिक्रिया में यहां तक सोचने लगे थे कि ब्रिटिश भारत को भी विभिन्न राज्यों में विभाजित क्यों न किया जाए ? इन राजाओं का अस्तित्व ब्रिटिश सरकार की कृपादृष्टि पर निर्भर था तथा भारत को स्वराज्य मिलना उनके लिए घातक था । अतः वह बदतरशः ब्रिटिश सरकार की

नीति का पालन करते थे । सामाजिक कल्याण की भावना रियासत का मानदण्ड नहीं, वरन् राजा की वैयक्तिक भावनार्थ ही राज्यनीति निर्धारित करती हैं ।

यह सर्वमान्य धारणा आज भी जनता में प्रचलित है कि भारतीय रियासतों के राजे-महाराजे और विलासी और चरित्र भ्रष्ट रहे हैं। इन राजाओं की विलासिता अराजक रूप लेती हैं । यों सामन्त का सदैव से विलासिता बरख्यक रूप लेती हैं * यों स का भक्त रहा है । लेकिन राज्य में सुरक्षा, शान्ति, स्थापित रखने के लिए उसे वैयक्तिक जीवन में सदाचार का निर्वाह करना पड़ता था । लेकिन आधुनिक भारत के ये राजे, क्योंकि अस्तित्वहीन थे, अतः उनके सम्मुख न तो आदर्श और न कर्तव्य की प्रेरणा थी । उनकी दृष्टि उस व्यक्ति को भांति थी, जो खैरात में मिली सम्पत्ति का उपभोग करते थे । प्रजा को आतंकित करके निर्द्वन्द्व और कर्तव्यहीन अराजकता से प्रजा पर शासन करते थे ।

इन सब विलासिताओं की पूर्ति के लिए ये राजे-महाराजे प्रजा को लूटते हैं । इनमें (राजाओं) न दया है, न धर्म है । हमारे ही भाई-बंधु की गरदन पर हुरी चलाते हैं । किसी ने जरा साफ कपड़े पहने और ये लोग उसके भिर हुर । जिसे घूस न दीजिए वही आपका दुश्मन है, चोरी कीजिए, डाके डालिए, घरों में आग लगाइए, गरीबों का गला काटिए, कोई आपसे न बोलेगा । रियासत में जो अराजक वातावरण इन राजाओं ने फैला रखा है, उसका विरोध हरिजन क्रांतिकारी हो कर सकते हैं, दूसरा नहीं ।

प्राचीन राज्यों की भांति ये देशी रियासतें स्वतंत्र नहीं थीं, वरन् ब्रिटिश सरकार का उनपर पूर्ण नियन्त्रण होता था । कहा जाता है कि रियासतों को आन्तरिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वस्तुतः उनका कोई मुत्स्य नहीं था । राजा तो केवल नाम के लिए होता था । सारा अस्तित्व तो अंग्रेजी सरकार के हाथों में रहता था । यहां तक कि राजा की वैयक्तिक स्वतन्त्रता भी नहीं मिलती । अंग्रेजी सरकार का अधिकार रियासत तथा राजा

के महल के अन्दर भी होता था ।

इन राजाओं की शिक्षा-दीक्षा यूरोपीय शिक्षक करते थे, जो उन्हें लड़ना तथा प्रजा पालन की शिक्षा न देकर विलासी बनाते थे । अंग्रेजों का राजाओं को विलासी बनाने का उद्देश्य यह था कि राजाओं के शासन-प्रबन्ध के उत्पादन से लोग परिचित रहे और ब्रिटिश शासन-प्रबन्ध पर जनता का आस्था बनी रहे । शासन-तंत्र की यह दुहरी प्रक्रिया अराजकता का स्वप्न ले लेती है । अंग्रेजों तथा रियासत के राजा दोनों हरिजनों के साथ जनता पर अत्याचार करते हैं । उसे लूटते हैं, क्योंकि उनके अधिकार विभक्ति हैं, पूर्ण उत्तरदायित्व कितना पर नहीं । सफे की संपत्ति को जो दुरवस्था होती है, वही इन रियासतों की होती है । शासन-प्रबन्ध राजा करता है, लेकिन उसे वास्तविक अधिकार नहीं । जिसके पास पूरे अधिकार हैं, उसका जनता से कोई सम्पर्क नहीं और न उसका उत्तरदायित्व है । यदि कोई देशसेवी हरिजनों के साथ जनता का उदार करना चाहता है, तो दोनों शासक एक दूसरे को ओट लेते हैं ।

संघर्ष (१९४५ई०) में राजा साहब के संरक्षण में ही पासों लोग शराब बनाते हैं और साथ ही राजा साहब का बेगार भी करते हैं । इस पर बाकी लोग हरिजनों के खिलाफ हो जाते हैं । हरिजनों को तो दोनों तरफ से परेशानी है । अगर राजा का कहना नहीं मानते तो भी खतरा है अगर दूसरे वर्गों के विचार को नहीं मानते तो भी हरिजनों के लिए परेशानी है । राजा, पुलिस तथा अंग्रेजी सरकार सब मिलकर हरिजनों पर अपने देशवर्ष तथा विलास के लिए अत्याचार करते हैं । इनका विश्वास है कि राज्य का आधार आतंक और भय है । अंग्रेजी सरकार सोचती थी कि उसका राज्य तभी तक अजेय रह सकता है, जब तक प्रजा पर आतंक ब्रह्माया रहे । 'राज्य व्यवस्था का आधार न्याय नहीं, भय है । भय को आप निकाल दीजिए और राज्य विध्वंस हो जायेगा ।' जिस राज्य का राजनीतिक सिद्धांत ही भय एवं आतंक ही उसे अराजकतावादी ही कहा जा सकता है । 'संघर्ष' (१९४५ई०) में रियासत के

करीबतार हरिजनों के उत्थान को जगह उनको पोंदित करते हो चित्रित हुस
हैं ।

(ठ) महाजनों शोषण

तीसवीं शताब्दी सामाजिक विकास की दृष्टिकोण से सामंतवाद के पतन तथा पूंजीवाद के विकास का काल माना जाता है । वस्तुतः अब तक सामंतवादी व्यवस्था जर्जर हो गई थी तथा पूंजीवाद नई शक्ति के साथ अपना विस्तार कर रहा था । गांवों में भी पूंजीवादी शोषण का आरम्भ हो गया था और महाजनों का प्रभुत्व बढ़ गया था । पं० नेहरू इन महाजनों का विस्तृत विवरण अपनी यात्रामंथ्या में देते हैं, -- 'खेती से ताल्लुक रखने वाले सभी वर्ग, जमींदार, मालिक, किसान और काश्तकार सभी साहूकारों के जो कि मौजूदा हालातों में गांवों की आदिमकालीन व्यवस्था का एक आवश्यक कार्य कर रहे थे, फंसे में फंस गये थे । धीरे-धीरे छोटे जमींदार और मालिक किसान दोनों के हाथ से जमीन निकल कर उनके हाथों में जाने लगी और साहूकार के ही बड़े पैमाने पर जमीन के मालिक, बड़े जमींदार जमींदारकोय बन गये । वे आम तौर पर शहर के रहने वाले थे, जहां वे अपना लेन-देन करते थे और उन्होंने लगान वसूली का काम अपने कारिन्दों के सुपुर्द कर दिया, जो इस काम को मशीनों की-सी तंगदिली और बेरहमी से करते थे ।' पं० नेहरू लिखते हैं कि सरकारी आर्थिक नीति बिलकुल साहूकारों के ही हक में रही है^१ । महाजनों के इस शोषण में सरकारी कानून का संरक्षण भी उन्हें प्राप्त था । अतः यह शोषण और अधिक बढ़ता ही गया । उपन्यासकारों में प्रेमचन्द का ध्यान इस शोषण के विकराल रूप पर सबसे अधिक गया, क्योंकि वे गांवों के लेखक थे और उन्होंने इस शोषण का अनुभव बहुत निकटता से किया था । साथ ही स्वयं भी आर्थिक तंगी के कारण वे इस शोषण का शिकार रह चुके थे । 'गोदान'^२

१. जवाहरलाल नेहरू : 'मेरी कहानी', पृ०सं० ४१८ ।

२. वही, पृ०सं० ४२४ ।

(१९३६ई०) में होरी का शोषण महाजनों के द्वारा ही अधिक होता है । महाजनों के यहां सूद का व्यापार महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें शोषण की चरम स्थिति पाई जाती है । किसान अगर किसी से कर्ज लेता है तो फिर जिन्दगी भर उसकी तबही केवल सूद भरने में ही हो जाती है, मूल का तो प्रश्न ही नहीं उठता । होरी के साथ ही यह सब घटित होता है । इस दृष्टि से 'गोदान' (१९३६ई०) में कर्ज की समस्या भी एक प्रमुख समस्या है । 'गोदान' (१९३६ई०) के महाजनों में फिंगुरी सिंह, मंगरू साह, दुलारी सहजाइन, पं०दातादीन, पटेश्वरी तथा नोहराम आदि हैं, जो गांवों में सूद का व्यवसाय करते हैं तथा गरीब किसानों का शोषण करते हैं । धीरे-धीरे इनके कंगुल में पड़कर होरी जैसे न जाने कितने किसान अपनी जमीन से बेदखल कर दिये गये और उनकी जगह महाजनों ने ली च तथा वे दास बनकर अपने हा खेतों में काम करने पर मजबूर किये गये । होरी की परिणति उस समय के सम्पूर्ण भारत के किसानों की नहीं तो कम से कम सम्पूर्ण उत्तरभारत की किसानों का परिणति का द्योतक तो मानी हो जा सकता है, वस्तुतः महाजनों शोषण का रूप भी अन्य शोषणों से ब कुछ कम भयंकर नहीं था । इन्होंने महाजनों के कारण जब होरी के खेत परती पड़ने लगते हैं, तब दातादीन अपने घर से बीज बोनके लिए देकर सेतमेत के मजूर प्राप्त कर लेता है जब होरी ऊख काटने के लिए खेत में जाता है तो उसी स्थिति का चित्रण करते हुए प्रेमचन्द लिखते हैं, -- "महाजनों ने जो ऊख कटते देखी, तो पेट में बूहे दौड़े । एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरू साह, तीसरी ओर से दातादीन और पटेश्वरी और फिंगुरी के प्यादे । दुलारी हाथ-पांव में मोटे-मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने का झुमक, आंखों में काजल लगाये, बूढ़े यौवन को रंगे-रंगाये आकर बोलो-- पहले मेरे रूपये दे दो तब ऊख काटने दूंगी । मैं जितना ही गम खाती हूं, उतना ही तुम सेर होते रहोष । दो साल से एक धेला सूद

नहीं दिया, पचास रुपये तो मेरे सुद के होते हैं^१। होरी दुलारी से पांच साल पहले तीस रुपये लेता है। तीन साल में उसके सौ रुपये हो जाते हैं। दो साल में उसपर पचास रुपये सुद बढ़ गया है। होरी पर इससे बढ़कर अत्याचार क्या हो सकता है कि तीस रुपये के बदले उसे तीन सौ रुपये भरने पड़े ? जब ऊस का सारा पैसा महाजन वर्ग ले लेता है तो धनिया पहले बिगड़ती है, पर फिर वह जान जाती है कि, महाजन जब सिर पर सावर हो जाय और अपने हाथ में रुपये हों और महाजन जानता हो कि उसके पास रुपये हैं, तो आसामी कैसे अपनी जान बचा सकता है ? 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में होरी के ऊपर मुखिया महाजन, ब्राह्मण सभी का शासन चलता है। 'गोदान' का होरी जमींदारों से इतना नहीं पीड़ित है, जितना कि महाजनों से। उपन्यास का मुख्य विषय ही महाजनी शोषण है। पं० नेहरू लिखते हैं, -- 'मालिक किसान जो अभी तक अपनी ही जमीन पर खेतो करता था, अब बनियां-जमींदारों या साहूकारों का करीब-करीब दास किसान बन गया, जो केवल काश्तकार था उसको हालत तो और भी खराब हो गई, वह तो साहूकार का भी दास बन गया था, या बेदखल किए हुए भूमिहीन मजदूरों की बढ़ती हुई जमात में शामिल हो गया।'

१. प्रेमचन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृ०सं० ११० ।

२. वही, पृ०सं० ११३ ।

३. पं० नेहरू : 'मेरी कहानी', पृ०सं० ४१८ ।

(ठ) देशभक्त वर्ग

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास में देश-भक्त वर्ग का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। देशभक्त वर्ग ने ही हर तरह की मुसीबतें फलकर स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन को सफल बनाया। उपन्यासकारों पर इसी देश भक्ति का प्रभाव पड़ा। प्रेमचन्द ने 'गृबन' (१९३०ई०) उपन्यास में देवीदीन खटिक नामक देशभक्त पात्र को रखा है। बहुत से ऐसे पात्र भी प्रेमचन्द ने अवतरित किए हैं, जो कि पहले सरकारी नौकरी में थे, पर देश-भक्त होने के नाते नौकरी छोड़ देते हैं तथा स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन में सहयोग दिया। जैसे 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) का सलीम और 'प्रेमाश्रम' (१९२२ई०) का डिप्टी ज्वाला सिंह। इससे यह स्पष्ट ही जाता है कि शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों वर्गों ने देशभक्त होने के कारण मुसीबतों का सामना किया।

प्रेमचन्द का 'गृबन' (१९३०ई०) मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ को व्यक्त करने वाला सशक्त उपन्यास है। मध्यवर्गीय जीवन की असंगतियों और मनोवैज्ञानिक सत्यों का बड़ा ही तीखा बोध 'गृबन' (१९३०ई०) के द्वारा व्यक्त हुआ है। 'गृबन' (१९३०ई०) में राजनीतिक समस्याओं का स्थान-स्थान पर अच्छा उद्घाटन हुआ है। उच्च वर्ग के लोगों और नेताओं में मनोबल की कितनी हीनता है, कितनी असंगतियां हैं, कितना दिखावा है, जीवन के वास्तविक मूल्यों की पकड़ कितनी कम है, यह सत्य देवीदीन खटिक की बातों से स्पष्ट होता है।

'गृबन' (१९३०ई०) उपन्यास में देवीदीन खटिक नामक पात्र में देशभक्ति कूट-कूट कर मरी हुई है। देवीदीन खटिक भारतीय स्वतंत्रता

का पुजारी है। वह स्वतंत्रता को पाने के लिए कुछ भी त्याग कर सकता है। देवीदीन खटिक अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को सह नहीं पाता है तथा स्वतंत्रता पाने के लिए अथक परिश्रम करता है। वह विदेशी वस्त्रों को पहनना उचित नहीं समझता है। उसकी अल्पमति में यह बात स्थिर है कि देशी वस्त्र पहनने में कभी-कभी रूपया अधिक लग जाता है, परन्तु उससे देश का धन विदेश में तो नहीं जाता है। इस प्रकार वह शासन के अत्याचार के विरुद्ध वह अपने देश-प्रेम पर गर्व करता है। शासन से मोर्चा लेने के लिए वह केवल बातें ही नहीं करना चाहता, वरन् त्याग भी करता है। उसने अपने दो युवा लड़कों को स्वतंत्रता आन्दोलन में बलि दे दिया है। वह पुत्र मोह में पड़कर अपने देश-प्रेम से को मुला नहीं पाता है। उसके पुत्र विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देते रहे हैं,-- 'जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न-जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी न करें तो जीने को धिक्कार है। दो जवाब बेटे इसी सुदेसी को भेंट कर चुका हूँ, भैया। ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुम से क्या कहें। दोनों विदेशी कपड़े की दुकान पर तेनात थे। क्या मजाल थी कि कोई गाहक दुकान पर आ जाय।' देवीदीन खटिक भी विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देता है। वह खटिक की विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देता है। वह विदेशी वस्त्रों की बिक्री को रुकवा कर हो धम लेता है। वह अपने युग के सच्चे सत्याग्रहियों का एक प्रतीक बन गया है।

१. प्रेमचन्द : 'गुबन' (१९३०ई०), पृ०सं० २६२।

वह अपने युग के उन व्यक्तियों के प्रति घृणा प्रकट करता है, जो ऊपर से देशभक्ति का राग अलापते हैं, परन्तु अपने जीवन में अनाचार-व्यभिचार करते हैं। वह महात्मागांधीजीके सत्य को मानने वाला प्रतीत होता है। उसका कहना है कि अपना उद्धार किये बिना कोई भी व्यक्ति देश का उद्धार नहीं कर सकता है। विदेशी शासकों के आगे रोने से भी उसकी दृष्टि में कोई लाभ नहीं हो सकता है। उसकी आंखों के सामने स्वराज्य का एक मधुर चित्र रहता है। उसे आशा है कि स्वराज्य मिलने पर हजारों रुपये वेतन लेने वाले अफसर नहीं रह सकते हैं। वकीलों कीलूट तथा पुलिस का आतंक नहीं रह सकता है। उसके सामने किसानों व तथा मजदूरों का उज्ज्वल भविष्य रहता है और अपने देश की मंगल कामना करता रहता है। अनपढ़ होते हुए भी वह देशानुराग से भरा है। 'गुबन' (१९३०ई०) में देवीदीन ही ऐसा पात्र है जो राजनीतिक प्रभाव से पूर्णरूप से प्रभावित है तथा गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास करता है। हम कह सकते हैं कि वह गांधी जी का छोटा प्रतिरूप है। 'गुबन' (१९३०ई०) उपन्यास में देवीदीन नामक पात्र का, जो कि शासन के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करता है, प्रेमचंद समर्थन करते हैं। चूंकि प्रेमचंद साहित्यकार थे तथा उनकी प्रारम्भिक रचनाओं को सरकार ने जब्त कर लिया था, इसी से क्रुद्ध होकर प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में जाह-जगह शासन के अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट करवाया है।

'गुबन' (१९३०ई०) उपन्यास में देवीदीन खटिक के

द्वारा शासन के अत्याचार का विरोध किया जाना किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं कहा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी पराधीनता की स्थिति स्वीकार नहीं कर पाता है, भले ही परिस्थितिकश थोड़े दिन तक अत्याचार सह ले। इस कसौटी पर कसने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि देवीदीन का शासन के विरुद्ध विरोध प्रकट करना उचित ही है, अनुचित नहीं, क्योंकि देवीदीन में भी देशभक्ति का जागरण है और इसी जागरण के फलस्वरूप वह खुद तथा अपने लड़कों द्वारा महात्मा गांधी के सत्याग्रह और उन हिंसा के सिद्धान्त के आधार पर अपना विरोध प्रकट करता है, जिसे हम राजनीतिक दृष्टि से अनुचित नहीं कह सकते हैं।

युग के राजनीतिक जागरण के अन्तर्गत भी पात्र देवीदीन समुचित रीति से हमें दे देता है।

अशिक्षित एवं तथाकथित निम्नवर्ग के दुर्व्यसनी व्यक्ति के हृदय में भी इस युग में अगाध देशभक्ति की भावना विद्यमान है, यह तथ्य इस पात्र के द्वारा भली भाँति विदित हो जाता है। इसके अतिरिक्त लेखक ने इसके द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कुलीन धनिक तथा सम्य व्यक्ति भी अनैतिक आचरण कर सकते हैं और इसके विपरीत अशिक्षित, निम्न कुल व निर्धन व्यक्ति में उदात्त नैतिक गुण रह सकते हैं। लेखक की मानवता सम्बन्धी यह अवस्था भी इससे स्पष्ट हो गई है, कि सत्संगति, अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके अशिक्षित तथा निम्न वर्ग का व्यक्ति भी अपना जीवन उन्नत बना सकता है। देवीदीन लेखक के जीवन दर्शन का प्रतीक बन गया है।

जंगो के कारण ही देवीदीन में देशभक्ति का उदय होता है। जंगो में भी देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर मरी हुई है।

स्वतन्त्रता संग्राम के निमित्त वह अपने दो बेटों का बलिदान कर सकती है पर शासन के अत्याचार का विरोध करती है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि देवीदीन की भांति जगो में भी राजनीतिक जागरण की भावना है। प्रेमचन्द ने जगो में पर्याप्त राजनीतिक चेतना का विकास दिखाया है। जगो का भी शासन के अत्याचार का विरोध हमें उचित प्रतीत होता है।

(ड) ब्रिटिश सरकार की न्याय-व्यवस्था

न्यायशास्त्र के आधार पर ही कोई राजनीतिक व्यवस्था टिकती है अन्यथा अराजकता की स्थिति में कोई भी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था संगठित नहीं हो सकती। न्यायशास्त्र के मूलभूत नियम तथा मानदण्ड क्या है? इसी से किसी भी व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है। सामन्त युग, परतन्त्र देश, जनतांत्रिक प्रणाली तथा सामाजिक-आर्थिक जनतन्त्र व्यवस्था सभी के न्यायशास्त्र भिन्न है, क्योंकि समाज रचना तथा शासन प्रबन्ध की व्यवस्था एक दूसरे से भिन्न है। भारत में अंग्रेजों के आगमन से सामंतकालीन व्यवस्था का विघटन प्रारंभ हुआ और नई व्यवस्था की स्थापना हुई, अतः स्वाभाविक था कि नवीन न्यायशास्त्र का भी सुत्रपात हो। प्रारम्भिक अवस्था में अंग्रेजों की उच्च न्याय व्यवस्था किसी सीमा तक सामंतकालीन न्यायशास्त्र की अपेक्षा विकासशील थी। समस्त ब्रिटिश भारत में एक न्यायशास्त्र की व्यवस्था प्रारम्भ हुई तथा सामंतों की वैयक्तिक सम्पत्ति को ही न्याय न मानकर कुछ मूलभूत मानदण्ड निश्चित किये गये, जिसका लाभ प्रत्येक सामान्य

व्यक्ति भी उपलब्ध कर सकता था । लेकिन अन्ततः इलवर्ट बिल जैसे काण्डों का भी होना निश्चित था । ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना सबसे बड़ा अन्याय था, अतः प्रेस का कानूनों की भरमार तथा कठोरता को भी न्यायोचित माना गया ।

'रंगभूमि' (१९२५ई०) उपन्यास में सुरदास की जमीन लेकर मि० क्लार्क तथा म्युनिस्पल बोर्ड के चेयरमैन राजा महेन्द्र कुमार सिंह में संघर्ष होता है । मि० क्लार्क अपनी प्रेमिका सोफिया से शासन-नीति का यह मेद सोलते हैं कि,--'एक जिले के अफसर के खिलाफ किसी रईस की मदद करना हमारी प्रजा के प्रतिकूल है, क्योंकि इसके शासन में विघ्न पड़ता है ।' जिले का अफसर बादशाह था, उसके विरुद्ध राजा महेन्द्र तथा जननेताओं को भी न्याय मिलना कठिन है, अन्य साधारण व्यक्तियों का प्रश्न तो कल्पना के बाहर है। इन्हीं विशेषाधिकारों के फलस्वरूप सरकार का नौकर होना सबसे बड़ा गौरव समझा जाता था, क्योंकि उन्हें अन्याय करने की सुली छूट थी । लेकिन राष्ट्रीय जागरण के कारण स्थिति में कुछ परिवर्तन आ गया था ।

गवर्नर महोदय शासत्र के विरुद्ध शौर मचाने के डर से राजा महेन्द्र का पदा लेते हैं । लेकिन साथ ही यह सम्भव है कैसे था कि एक भारतीय के लिए किसी अंग्रेज अफसर का अपमान किया जाता । अतः मि० क्लार्क को और भी ऊँचे, पोलिटिकल एजेण्ट के पद पर स्थानान्तरित किया जाता है । गवर्नर को सुरदास की

जमीन पर न्याय देना नहीं सुझता, वरन् ब्रिटिश सरकार के राज्य की रक्षा ध्यान में रखकर अपील को सुनवाई करता है ।

ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का मुख्य आधार जिलाधीश होता था । समस्त देश जिलों में विभाजित था, जिसके शासक बहुधा अंग्रेज होते थे । इन जिलाधीशों को सहायता से ही मुट्ठी भर अंग्रेज इतने विशाल भू भाग पर राज्य करने में समर्थ हो सके थे । जिले में अंग्रेजी सरकार का वह प्रतिनिधि होता था । 'रंगभूमि' (१९२५ई०) में क्लार्क जिलाधीश के रूपमें सुरदास पर अत्याचार करता है । क्लार्क, सोफिया से कहता है कि भारत में अंग्रेजी शासन अज्ञेय रह सकता है, यदि जनता पर अंग्रेजों का आतंक छाया रहे । अपनी नीति का क्लार्क गांवों के लोगों के दबाने में प्रयोग करता है । प्रत्येक जिलाधीश अपने जिलों में उस आतंक को चिरस्थायी बनाये रखने की चेष्टा करता था । देश और समाज का कल्याण अंग्रेजी शासन का उद्देश्य नहीं था, वरन् अपने साम्राज्य का हित साधन व तथा विस्तार के ही उसका मुख्य स्वार्थ था ।

प्रेमचन्द उदारपंथी नेताओं को नेतावनी देने के निमित्त, सोफिया के विश्वासघात करने के अवसर पर क्लार्क के मुंह से इंग्लैण्ड के विभिन्न राजनीतिक दलों की साम्राज्यवादी नीति का पर्दाफाश करते हैं,-- 'अंग्रेज जाति भारत को अनन्तकाल तक अपने साम्राज्य का अंग बनाये रखना चाहती है । कंजरवेटिव हो

१. प्रेमचन्द : 'रंगभूमि', (१९२५ई०), पृ०सं० २५ ।

या लिबरल, रेडिकल हो या लेबर, नेशनलिस्ट हो या सोशलिस्ट, इस विषय में सभी एक ही आदर्श का पालन करने हैं। सोफी के पहले मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि रेडिकल और लेबर नेताओं के धोखे में न आओ। कंजरवेटिव दल में और चाहे कितनी ही बुराइयाँ हों, वह निर्भीक है, तोड़ना सत्य से नहीं डरता। रेडिकल और लेबर अपने पवित्र और उज्ज्वल सिद्धान्तों का समर्थन करने के लिए ऐसी आशाप्रद बातें कर सकते हैं, जो भिन्न-भिन्न दल इस जाति पर आधिपत्य जमाये रखने के लिए ग्रहण करते हैं। कोई कठोर शासन का उपासक है, कोई सहानुभूति का, कोई चिकनो-चुपड़ी बातों से काम निकालने का। बस वास्तव में कोई नीति ही नहीं केवल उद्देश्य है, वह यह कि क्योंकि हमारा आधिपत्य उत्तरोत्तर सुदृढ़ हो। प्रेमचन्द ने ब्रिटिश नीति के मर्म को कुछ ही शब्दों में व्यक्त कर दिया। जब कि भारतीय नरम दल तथा लिबरल दल सदैव इस भ्रमजाल में भटकता रहा कि इंग्लैण्ड का लेबरदल प्रगतिशील विचारों का समर्थक है तथा मानवतावाद का पुजारी है, अतः वह शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य देगा। ये राजनीतिज्ञ डोमीनियन स्टेट्स से आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजी राज्य से सम्बन्ध रखने में वह अब भी देश का कल्याण समझते थे। इस भ्रान्त धारणा के फैलने का एक कारण यह भी था कि जब कभी इंग्लैण्ड में लेबर दल

१. प्रेमचन्द : 'रंगभूमि' (१९२५ई०), पृ०सं० १८४-१८६ ।

की सरकार बनती थी, भारत को सुधार योजनायें--मार्ले-मिण्टी तथा माण्टेग्यू- चेम्सफोर्ड तथा १९३५ई० का विधान देकर प्रसन्न करने का प्रयत्न किया गया । लेकिन वह सब साम्राज्यवादी आधार को और भा दृढ़ करने के लिए सुनहरे जाल बनाने का प्रयास था । प्रेमचन्द का यह निष्कर्ष उनको राजनीतिक बुद्धि का परिचय देता है । देखा है • यही कारण है कि अनेक तत्कालीन नेताओं का भांति वह कभी भी युग से पीछे नहीं रह, वरन् सत्य तो यह है कि राष्ट्रीय नेताओं से भी आगे बढ़ जाते हैं ।

षष्ठ अध्याय

-0-

आर्थिक स्थिति और हरिजन

- (क) शासक वर्ग ।
- (ख) समाज वर्ग ।
- (ग) जमांदार वर्ग ।
- (घ) पूंजीपति वर्ग ।
- (ङ) राज वर्ग ।

षष्ठ अध्याय

-0-

आर्थिक स्थिति और हरिजन

दुर्भाग्य की बात है कि हरिजनों की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश काल से ही अत्यन्त दयनीय रही है। जमींदारों के क्षेत्रों में परिश्रम हरिजन करता था, आय जमींदार को होती थी। जमींदारों का शोषण इस हालत तक हरिजनों के ऊपर बढ़ गया कि उनका साधारण जीवन व्यतीत करना भी दुर्लभ हो गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रोत्साहन के फलस्वरूप हरिजनों के आर्थिक विकास की सम्भावनाएं समाप्त हो गईं। जमींदारों का उद्देश्य हरिजनों का आर्थिक शोषण करना था। हरिजनों के आर्थिक विकास या हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार से उनका कोई सम्बन्ध न था। दासता के कारण हरिजनों को सरकारी कर्मचारियों का पेट भी भरना पड़ता था। इसके साथ ही साथ समाज और राज तथा महाजनों के वर्ग द्वारा हरिजनों का शोषण अत्यन्त अमानवीय ढंग से किया गया। इससे हरिजनों की आर्थिक दशा दिन-प्रतिदिन शोचनीय होती गई। कदाचित् इसी को लक्ष्य करके भारतेन्दु जी ने लिखा था :--

अंग्रेज राज सुरत राज तजे सब भारी ।

पै धन विदेश चलि जात इहे अति ख्वारी ।

हरिजनों के साथ सामाजिक दुराव की जो भावना है, उसके पीछे एक ओर तथाकथित परम्पराओं और संस्कारों का इतिहास है, वही हरिजनों की आर्थिक गरीबी भी है । यह उल्लेखनीय बात है कि दुनिया में अमीरी और गरीबी के दो वर्ग होते हैं, परन्तु भारत में अमीरी और गरीबी के दो वर्ग मिलते हैं । वर्णों के द्वारा ही हरिजन जातियां शोषित और पीड़ित रही हैं । इनका इतना अधिक आर्थिक शोषण हुआ है, कि इनका मन भी गिर गया है । हमारे देश की ५५ करोड़ आबादी में लगभग ६ करोड़ ऐसे लोग हैं, जो भूमिहीन हैं और इनमें अधिकतर हरिजन हैं । हरिजन हमेशा से सवर्णों की सेवा करते आये हैं । परम्परागत बेगार प्रथा, सौ-दो सौ के बदले जिन्दगी भर बंधक बनाकर रखना तो एक साधारण सी बात रही है ।

इस वर्ग का जीवन स्तर बहुत भिन्न है । कई वर्ग ऐसे मिल जाते हैं, जो आर्थिक विसंगतियों के कारण एक वक्त भोजन करते हैं । वे अच्छे वस्त्र धारण नहीं कर पाते, साफ-सुथरे नहीं रह पाते । हरिजनों की आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । यद्यपि उनको अब जमीनें दी जा रही हैं, परन्तु यह वर्ग सच्चियों से इतना दबाया गया है कि इसको ऊपर उठने में कुछ समय ले लगेगा । हरिजन वर्ग के लोग अभी भी पुराने

पेशों को करने में मस्त रहते हैं। यही कारण है कि उनको आर्थिक स्थिति दयनीय है। हरिजनों के मकानों को दशा बहुत जोरों है। कच्चा दीवार के घर और फूस के फोपड़ों में आर्थिक संकट के कारण ये गुजारा करते हैं। आर्थिक स्थिति के कारण ही वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। हरिजन समस्या अभी उलझी हुई है। इस दिशा में अभी बहुत काम करना शेष है। जब तक देश में हरिजनों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती, तब तक देश महान् नहीं बन सकता, क्योंकि देश के महान् होने से आदमी महान् नहीं बनता, बल्कि जिस देश के व्यक्ति महान् होते हैं, वही देश महान् बनता है।

(क) शासक वर्ग

शासक वर्ग ने भी हरिजनों के साथ अत्याचार किया है। देश में पांच पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं, पर हरिजनों की आर्थिक स्थिति को सरकार ऊंचा उठा नहीं सकी है। हर तरफ हरिजनों का आर्थिक शोषण होता है। हिन्दी उपन्यासकारों ने इस समस्या को भी अपने उपन्यासों में स्थान प्रदान किया है। शासक वर्ग के व्यक्ति होने के कारण ये लोग हरिजनों का मनमाना आर्थिक शोषण करते हैं।

हरिजनों का समाजमेंकिस् प्रकार आर्थिक शोषण किया जाता है, इसका चित्रण 'टूटा हुआ आदमी' (१९६६ ई०) उपन्यास में मिलता है। अंसारी जुलाहे का शोषण, मौलवी साहब

पेशों को करने में मस्त रहते हैं। यही कारण है कि उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। हरिजनों के मकानों की दशा बहुत जाँगी है। कच्ची दीवार के घर और फूस के फोपड़ों में आर्थिक संकट के कारण ये गुजारा करते हैं। आर्थिक स्थिति के कारण ही वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। हरिजन समस्या अभी उलझी हुई है। इस दिशा में अभी बहुत काम करना शेष है। जब तक देश में हरिजनों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती, तब तक देश महान् नहीं बन सकता, क्योंकि देश के महान् होने से आदमी महान् नहीं बनता, बल्कि जिस देश के व्यक्ति महान् होते हैं, वही देश महान् बनता है।

(क) शासक वर्ग

शासक वर्ग ने भी हरिजनों के साथ अत्याचार किया है। देश में पांच पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं, पर हरिजनों की आर्थिक स्थिति को सरकार ऊंचा उठा नहीं सकी है। हर तरफ हरिजनों का आर्थिक शोषण होता है। हिन्दी उपन्यासकारों ने इस समस्या को भी अपने उपन्यासों में स्थान प्रदान किया है। शासक वर्ग के व्यक्ति होने के कारण ये लोग हरिजनों का मनमाना आर्थिक शोषण करते हैं।

हरिजनों का समाजमेंक्स प्रकार आर्थिक शोषण किया जाता है, इसका चित्रण 'टूटा हुआ आदमी' (१९६६ई०) उपन्यास में मिलता है। अंसारी जुलाहे का शोषण, मौलवी साहब

के द्वारा किया जाता है। अंसारी जुलाहे के कारण मुवधिकल मुकदमा जात जाता है। मुवधिकल वकाल के सौ रूपये बखशीश में देने के लिए मौलवी साहब को देता है, पर मौलवी साहब यह कहकर रूपया रख लेते हैं कि ये अभी काम सोख रहे हैं। इस प्रकार मौलवी साहब अंसारी जुलाहे के ऊपर आर्थिक अत्याचार करता है। राज मेहरा से अंसारी जुलाहा कहता है, ' मैं एक बहुत गरीब बाप का बेटा हूँ। मेरा बाप जुलाहा है। उसने पेट काट-काट कर मुझे पढ़ाया। मेरी मां ने अपना सोने का बुड़ियां गिरवी रखकर मुझे यह साइकिल दिलाई। मौलवी साहब राजघाट पर रहते हैं। मुझे मदनपुर से रोज तीन मील का चक्कर देकर सुबह ठीक सात बजे उनके चैम्बर में पहुँचना पड़ता है। फिर साढ़े नौ बजे वहाँ से घर जाने की छुट्टी मिलती है घर पहुँचकर खाना खाकर बिना सुस्ताए फिर तीन मील साइकिल चलाकर कचहरी आता हूँ। यहाँ चार बजे तक मौलवी साहब की फार्सलें उठाए उनकी खिदमत करता हूँ। शाम को चार -साढ़े चार बजे फिर छुट्टी मिलती है तो घर जाता हूँ। वहाँ से छः साढ़े छः तक फिर मौलवी साहब के घर पहुँच जाता हूँ। रात दस-ग्यारह से पहले छुट्टी नहीं मिलता। अंसारी आगे कहता है, '--' एक साल से इतनी तगड़ी डिउटा दे रहा हूँ। मगर आज तक एक फूटी कौड़ी न मिली। सोचता था इस केस में अगर बखशीश मिलेगी तो मां को गिरवी पड़ी सोने को बुड़ियां छुड़ा लूंगा।' पर अंसारी को बखशीश नहीं मिलती है।

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०), पृ०सं० २०२।

२. वही, पृ०सं० २०२।

लेखक का अंसारी के ऊपर हुए अत्याचार के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्वक है। लेखक अत्याचार के प्रति सहमत नहीं, है यह बात राज मेहरा के कथन से स्पष्ट जाती है,-- 'यह तो भयंकर शोषण है। तुम किसी सीनियर को क्यों नहीं पकड़ते?' लेखक मौलवी साहब के अत्याचार का विरोध करता है।

मौलवी साहब ने जो अत्याचार वकील के ऊपर किया है, उसको युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता है। अगर अंसारी जुलाहा के कारण कोई मुवकिल मुकदमा जीत जाता है तथा उसको इनाम देता है पर मौलवी साहब उस रूपये को जुलाहे को नहीं देना चाहता तो दोष इसमें किसका है? दोष तो हमें मौलवी साहब का ही दिखाई देता है न कि अंसारी जुलाहे का। मौलवी साहब तो एक अत्याचारी व्यक्ति के रूप में उपन्यास में चित्रित किए गए हैं। अंसारी कहता है,-- 'दागे हुए सांड को कोई नहीं पालता।' अंसारी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करता है,-- 'मुझसे अच्छा तो मौलवी साहब का मुंशी है, जो चार पांच रूपये रोज पैदा कर लेता है। मुझे तो वकालत के पैसे से ही नफरत हो गई है। क्या एक जूनियर वकील, पान-वाले, रिक्शे वाले, लोमचे वाले, टाड़पवाले सभी गया-बीता है? क्या वह हवा खाकर किम्पगा?.... मगर बड़े वकील तो चाहते हैं कि उनके पैसे में कम से कम लोग आएं।' इससे स्पष्ट हो जाता है कि हरिजन वर्ग के लोगों

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ आदमी' (१९६६ ई०), पृ०सं० २०३।

२. वही, पृ०सं० २०३।

३. वही, पृ०सं० २०३।

को प्रत्येक काँ के लोग को ढबाना चाहते हैं । अंसारी को इतना वकालत से नाफरत हो गई है कि वह उस पैसे को पानवाले से भी मया-बीता समझता है । अंसारी आगे कहता है, --^१ इस प्रोफेशन में दस-पांच ऐसे मले सीनियर मिलेंगे, बाकी तो सब पैसे के भुसे हैं । उन्हें पैसे से मतलब है, चाहे वह किसी के खून से सने रुपये क्यों न हों ? ...^२ राज मेहरा भी कहता है, --^३ दुनिया में दो पैसे ऐसे हैं, जहाँ नये बेहरों को वही लोग स्थान देते हैं जो उनका शोषण करना जानते हैं । अपवाद हर जगह होते हैं यहाँ भी हो सकते हैं । मगर अपनी बेटो को गन्दो कमाई खाने वाली बूढ़ी वेश्या में और आप लोग कामा करें.... अपने नये जूनियर के गाढ़े पसीने को कमाई खाने वाले बुजुर्ग सीनियरों में में कोई अन्तर नहीं देखता । ...^४ राज का रामनारायण से इस प्रकार कहना समाज की सच्चाई को प्रकट करता है । राज समाज की आलोचना करते हुए कहता है, --^५ ज्या देसा भी कोई साम्य समाज है जो चोरी, राहजनी, डाका, हत्या व बलात्कार जैसे घृणित अपराधों को उचित मानता हो । मगर अफसोस है, यह कहते लज्जा से मेरा मस्तक झुक जाता है कि हम वकीलों का समाज, इन अपराधों का तिरस्कार न कर, उनकी वकालत करता है... । केवल कागज के नोटों के लिए अपनी व्यक्तिगत सुख-सुविधा के लिए ही हम कानून को जानकर बाल को साल निकाल कर.... अदालत को गलतफहमी में डालकर उच्च न्यायालयों के फैसलों के जाल में उलफाकर

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ आदमी' (१९६६ ई०), पृ० सं० २०३ ।

२. वही, पृ० सं० २०३ ।

दिन को रात, सब को झूठ सिद्ध कर अपना उल्लू सीधा करते हैं ...^१ । न्यायमंदिर में न्यायाधीश की कुर्सी को दाहिनी ओर बैठने वाले पेशकार चपरासी दिन दहाड़े घूम लेते हैं^२ । वकील के चरित्र के दो रूप सामने आते हैं-- एक रूप तो है खुद रिश्वत लेना तथा दूसरी तरफ वकील लोग अपने जूनियरों पर अत्याचार करने से नहीं झुकते । एडवोकेट रामनारायण एक तरफ तो खुद रिश्वत लेते हैं तथा दूसरी ओर अपने से जूनियरों का शोषण भी करते हैं । मौलवी साहब अंसारी जुलाहा का सामाजिक शोषण के साथ आर्थिक शोषण भी करता है । राज के शब्दों में लेखक कह रहा है कि , --'वर्तमान व्यवस्था के मूल में कहीं कोई कड़ी कमजोर व टूटी हुई है । इसे जरूर बदलना होगा, नीचे से ऊपर तक क्रान्ति करनी पड़ेगी तभी समाज प्रगति करेगा, देश आगे बढ़ेगा हो सकता है उस कायाकल्प के बाद समाज को हमारी जरूरत न रहे । तब रोजी-रोटी के लिए हम-आप सभी कोई दूसरा सम्मानजनक धन्धा अपनाने को मजबूर होंगे ... ।'

मौलवी साहब का 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) में चित्रण एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हुआ है जो कि अपने अधीन लोगों का आर्थिक शोषण करता है । मौलवी साहब जो एक ओर अंसारी एडवोकेट से अधिक काम कराकर उसका सामाजिक शोषण करते हैं तो दूसरी ओर उसका आर्थिक शोषण भी करते हैं । 'टूटा हुआ आदमी'

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०), पृ०सं० २०४।

२. वही, पृ०सं० २०४ ।

३. वही, पृ०सं० २०५ ।

(१९६६ई०) में मौलवी साहब का तथा रामनारायण हरिजनों का शोषण करते हैं। केवल यही नहीं, वरन् सभी वर्ण हिन्दू वर्ग हरिजनों पर निरंकुशता से अत्याचार करते हैं। जब कोई व्यवस्था शोषण तथा अप्राकृतिक आधार पर टिकी होती है तो उस समय व्यक्ति में अनुकूल गुणों का उदय नहीं होता है तथा दुर्गुणों का व्यक्ति में बहुलता हो जाता है। मौलवी साहब अपने वर्ग के लोगों में तो सौजन्य तथा शान्ति को मूर्ति बने रहते हैं। दूसरों की सुविधा का ख्याल रखते हैं। उस समय उनका रूप हमारे सामने सचरित्र व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन जब हरिजनों की बात आती है तो वे उन पर मनमाना अत्याचार करते हैं। इस प्रकार उनके चरित्र का दूसरा रूप देखे देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह हो सकता है कि समाज कई वर्णों में बंटा है। मौलवी साहब शायद उच्च वर्ग के व्यक्ति होने के कारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति तथा हरिजन होने के नाते अंसारी जुलाहे के ऊपर अत्याचार करने में अपनी शान समझते हैं।

यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि मौलवी साहब जैसे शासक वर्ग के लोग न केवल आर्थिक शोषण करते हैं, वरन् सामाजिक क्षेत्र में भी प्रतिक्रियावादी तथा शोषक होते हैं। जब अंसारी जुलाहे के कारण एक मुवाकिल मुकदमा जीत जाता है, तो वह कुछ रुपये अंसारी को देना चाहता है, जिसमें मौलवी साहब भी हिस्सा बंटाना चाहते हैं। वे मुवाकिल से कह देते हैं कि ये अभी काम सौप्त रहे हैं।

(ख) समाज का

हमारा समाज इतना संकीर्ण श्रम है कि वह हरिजनों को तारकी करने ही नहीं देना चाहता। हरिजनों की आर्थिक स्थिति दयनीय रही है। समाज ने शोषण के द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति और दयनीय बना दिया है। हिन्दी उपन्यासकारों की दृष्टि से यह तथ्य छिपा नहीं रह सका। उन्होंने अपने उपन्यासों में इस समस्या पर भी विचार प्रकट किया है।

'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर आर्थिक अत्याचार का चित्रण हुआ है। मातादीन का सिलिया चमारिन के साथ कामकाज संबंध है। सिलिया अपना तन-मन सब कुछ मातादीन को सौंप देती है, पर मातादीन सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। सिलिया अब उसको जगह में केवल काम करने की मशीन है। सिलिया, दुलारी, सहजाइन ने दो पैसे का गुलाबी रंग लाई थी, पर पैसे न दे पाई थी। दुलारी सहजाइन के बाबकर तकादा करने पर वह दो की जगह चार पैसे का अनाज दे देती है, सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो मातादीन वहां न था। बोली--चित्ताजी मत सहजाइन, यह ले लो, दो की जगह चार पैसे का अनाज। अब क्या जान लेंगे ? मैं मरी थोड़े ही जाती थी। पर मातादीन उसी वक्त पेड़ की आड़ से सामने आकर सहजाइन से गल्ला वापस

१. प्रेमचन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृ०सं० १४६ ।

ले लेता है । फिर उसने लाल-लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, -- 'तुने अनाज क्यों दे दिया ? किससे पूछकर दिया ? तु कौन होता है मेरा अनाज देने वाला ?' इस प्रकार सिलिया का खुले आम मातादीन बेइज्जती कर देता है । सिलिया जब उससे पूछती है, -- 'तुम्हारी बीज में मेरा कुछ अस्तियार नहीं है । मातादीन आंखें निकाल कर बोला -- नहीं, तुम्हें कोई अस्तियार नहीं है । काम करती है, खाती है । जो तु चाहे कि खा भी, लुटा, भी तो यह यहां न होगा । अगर तुम्हें यहां न परता पड़ता हो, कहीं और जाकर काम कर । मज्दूरों की कमी नहीं है । खेत में नहीं लेते, खाना कपड़ा देते हैं ।' मातादीन इस प्रकार सिलिया चमारिन के ऊपर आर्थिक अत्याचार करता है ।

लेखक का सिलिया के ऊपर इस आर्थिक अत्याचार के प्रति साम्यक दृष्टि नहीं है । इसी लिए वे आगे चलकर मातादीन की बेइज्जती दिखाते हैं तथा उपन्यास के अन्त में उसे चमार बनाकर हने दम लेते हैं ।

सिलिया के ऊपर मातादीन जो आर्थिक अत्याचार करता है, उसको उचित नहीं कहा जा सकता है । कारण है कि जब सिलिया ने अपना तन तथा मन सौंप देती है तो सिलिया का क्या इतना अधिकार नहीं, कि वह उसके खलिहान से चार पैसे का अनाज दे सके । वह तो मातादीन की प्रेमिका न होकर स्त्री है तो मातादीन का सिलिया के ऊपर अत्याचार करना ठीक नहीं लगता है ।

१. प्रेमचन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृ०सं० १५० ।

२. वही, पृ०सं० १५० ।

फणीश्वरनाथ रेणु के 'मैला आंचल' (१९५४ई०) उपन्यास में हरिजनों के आर्थिक शोषण का चित्रण मिलता है। सवर्ण-हिन्दू वर्ग के विश्वनाथ बाबू एक अस्पताल बनवाना चाहते हैं धन तथा उसमें रैदास टोली के लोगों से बेगार लेने को कहते हैं, पर वे लोग तैयार नहीं होते हैं,-- 'रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया --' सात दिनों तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिये-- हलफाल, फोड़ कमान बन्द रखें। करना ही क्या है ?'

लेखक की दृष्टि हरिजनों के अत्याचार पर है। वह हरिजनों पर किसी तरह अत्याचार नहीं होने देना चाहते हैं, इसीलिए उसने रैदास टोली के लोगों में सामाजिक चेतना का विकास दिखाया है। हरिजन लोग अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के प्रति सज्ज हैं।

हरिजनों से बेगार लेना तो नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। हरिजनों का बेगार करने से इन्कार कर देना उचित नहीं ही है। अब वह जमाना नहीं रहा कि सवर्ण लोग हरिजनों के ऊपर चाहे जैसे मनमानी अत्याचार करें। पर, 'धनुकधारी टोली के तनुकलाल ने एक सवाल पैदा कर दिया' लेकिन हलफाल ब काम काज बन्द करने से मालिक लोग मजुरी तो ही देंगे। एक या दो दिन को बात रहे तो किसी तरह स्या भी जा सकता है। सात दिनों तक बिना मजुरी के ? यह जरा मुस्किल मालूम होता है।.....

१. फणीश्वरनाथ रेणु : 'मैला आंचल' (१९५४ई०), पृ०सं० १३।

रामगोविन्द मिश्र के 'मर्यादा' (१९५५ई०) में हरिजनों के आर्थिक शोषण का चित्रण मिलता है। समाज में तो जैसे ही मर्दियों से हरिजनों पर अत्याचार किये जाते रहे हैं। 'मर्यादा' (१९५५ई०) उपन्यास में उसी बात की पुनरावृत्ति हुई है अर्थात् रामदीन कोइरी का सवर्ण हिन्दू के द्वारा आर्थिक शोषण दिखाया गया है। रामसिंह, रामदीन कोइरी के घर से दो बीरा आलू ले आते हैं, पर दाम नहीं देते हैं। इस प्रकार रामदीन कोइरी के ऊपर रामसिंह आर्थिक अत्याचार करते हैं। जब रामसिंह, नरेश तथा उमेश दुबे कर घर की सम्पत्ति का बंटवारा करने के लिए उनके घर जाते हैं तो नरेश दुबे रामसिंह की कलाई को खोल देता है। नरेश दुबे रामसिंह से कहता है,-- 'रामसिंह, अपना देखिए। भाई के लड़के को घर से निकाल दिया, उसका सारा हिस्सा हड़प गये और अब आये हैं, हमें उपदेश देने। रामदीन कोइरी के घरसे आलू का बीरा ले आये और उसका पैसा देने से इन्कार कर गये और आप हो अब नरेश दुबे के घर के मामले पर विचार करने चले। जाइये, जाइये किसी कोइरी कुम्हार का मामला देखिये।'

रामगोविन्द मिश्र जी का हरिजनों के प्रति 'मर्यादा' (१९५५ई०) उपन्यास में दृष्टिकोण परम्परावादी ही है अर्थात् अत्याचारपूर्ण है। रामदीन कोइरी का चित्रण पुरातनवादी दृष्टिकोण के अनुसार 'मर्यादा' (१९५५ई०) उपन्यास में हुआ है। लेखक ने यद्यपि हरिजन पात्र में चेतना नहीं दिखाई है, पर नरेश दुबे के द्वारा अपना विरोध लेखक ने प्रकट कर दिया है। 'मर्यादा' (१९५५ई०)

१ . रामगोविन्द मिश्र : 'मर्यादा' (१९५५ई०), पृष्ठ सं० १८४ ।

उपन्यास में रामदीन कोहरी का जो आर्थिक शोषण रामसिंह के द्वारा किया जाता है, उसको हम निन्दनीय समझते हैं । इसका कारण यह है कि हरिजनों की आर्थिक अवस्था तो स्वयं ही शोचनीय होती है । उस पर से समाज के अत्याचार के कारण उनको आर्थिक स्थिति और भी डाँवाडोल हो जाती है । इसके साथ ही यह प्रश्न उठता है कि अगर रामसिंह ने, रामदीन को छोड़ किसी दूसरे के घर से आलू ले आते, तो क्या उसका पैसा न देते ? पैसा तो निस्संदेह उन्हें देना पड़ता । तो जब वे दूसरे आदमियों को पैसा दे सकते हैं तो उन्होंने रामसिंह को क्यों नहीं पैसा देना उचित समझा ? इसका तो एक कारण मुझे स्पष्ट दिखाई देता है, बुकिं हरिजनों का वर्ग भारत जैसे देश में हमेशा से दबाया जाता रहा है, इसीलिए यही बात ध्यान में रखकर रामसिंह ने पैसा न दिया होगा कि यह हरिजन हमारा क्या कर लेगा ? पर इन बात को हम उचित नहीं समझते हैं कि आप उनका सामाजिक, आर्थिक या अन्य किसी दृष्टि से शोषण करे, कारण यह हि वे निम्न हैं, पतित, म्लेच्छ हैं । बहुत से लोग यह तर्क देते हैं कि हरिजन आपस में संगठित नहीं हैं । वे जब तक अपनी तरक्की नहीं करेंगे तब क्यों लोग उनके उन्नति की ओर ध्यान लावें । मैं पूछना चाहता हूँ कि ^{यथा} हरिजन वर्ग इंजिन के समान आगे-आगे चलेंगे और हम सब सवर्ण हिन्दू वर्ग इंजिन के पीछे डिब्बे बनकर घिसटेंगे ?

रामसिंह, जो कि रामदीन कोहरी का आर्थिक शोषण करता है, महाजन के समान है । जैसे महाजन लोग निम्न लोगों का शोषण करते हैं, उसी प्रकार रामसिंह कोहरी का आलू

उठा लाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो रामसिंह का रामदीन कोइरी कर्जदार रहा हो तथा कर्ज न देने के कारण रामसिंह प्रतिशोध की भावना से उसके घर का आलू उठा लाते हैं। पं० नेहरू लिखते हैं कि सरकारी आर्थिक नीति बिल्कुल साहूकारों के ही हक में रही है। सर्वण हिन्दू वर्ग हमेशा से हरिजनों पर आर्थिक अत्याचार करते आये हैं। आज भी स्वतंत्र भारत में भी हरिजनों का आर्थिक शोषण समाज के द्वारा किया जाता है। इसका विरोध करना चाहिए। हरिजनों की आर्थिक स्थिति तब तक सुधर नहीं सकती, जब तक कि वे साक्षर न हो जायें। जब रामसिंह स्वयं इतना बेहमान तथा भ्रष्ट चरित्र का व्यक्ति है तो उसके द्वारा दुबे परिवार के घर की सम्पत्ति का बंटवारा करना कहां तक उचित कहा जा सकता है? रामदीन कोइरी में सामाजिक चेतना का विकास नहीं मिलता है, क्योंकि वह रामसिंह के अत्याचार का विरोध नहीं करता है, जो उचित नहीं कहा जा सकता है।

इन्द्र/विद्या वाचस्पति के 'अपराधी कौन' (१९५५ई०)

उपन्यास में भी आर्थिक अत्याचार का चित्रण मिलता है। रोशन कुम्हार के ऊपर आर्थिक अत्याचार को 'अपराधी कौन' (१९५५ई०) उपन्यास में चित्रित किया गया है। हरिजन वर्ग तो वैसे ही आर्थिक दृष्टि से निम्न श्रेणी वाले होते हैं और उनपर आर्थिक अत्याचार करना बिल्कुल अनुचित लगता है। जब तिरुं तथा गेंदा बूढ़े की नारंगी

१. पं० नेहरू : 'मेरी कहानी', पृ० सं० ४२४ ।

को फाली उलट देते हैं, तो बशीर और उम्मेद दोनों अपना जेब नारंगी से भरने लगते हैं। जब जेबें भर जाती हैं तो वे रोशन कुम्हार की मटकियां वगैर दाम दिये उठा लेते हैं और उसमें नारंगी भरते हैं। जब रोशन कुम्हार अपने सामान का दाम नहीं पाता तो वह चोर-चोर चित्लाता है। परिणाम यह होता है कि दोनों उनको मटकियां फेंक कर भाग जाते हैं। इस प्रकार समाज के लोगों के द्वारा कुम्हार पर आर्थिक अत्याचार किया जाता है,--'रोशन कुम्हार को दुकान पर उस समय भीड़ ला रही थी। रोशन को यह चिन्ता सता रही थी कि कहीं धक्कमधक्का में उसके बर्तन फूट जायं। बशीर की जेबें जब नारंगियों से भर गईं, तो उसे एक नया ढंग सुझा। उसने कुम्हार की दुकान से मिट्टी की एक मटकी उठा ली और उसमें नारंगियां भरने लगा। रोशन ने उसे मटकी उठाते देखा लिया। वह एकदम बशीर से मटकी छीनने को फपटा। वह मटकी फेंक कर भागा। मटकी गिरकर टूट गई। रोशन 'चोर-चोर' चित्लाता हुआ पीछे भागा। रोशन को जो भय व्याप्त हो रहा था, आखिर वही होकर हुआ कि मटकियां फूट गयीं।

लेखक रोशन के प्रति आर्थिक अत्याचार से सहमत नहीं है। वह अत्याचार का विरोध करता है तथा पुलिस के हाथ बशीर को पकड़वा देता है, पीछे से रोशन भागा चला आ रहा था,

१. इन्द्र विद्या वाचस्पति : 'अपराधी कौन' (१९५५ई०), पृ० सं० २६।

आगे से सिपाही ने रास्ता रोक लिया । वह जरा सा ठिठक गया । इसी में शिकार शिकारियों के चंगुल में आ गया और सिपाही ने वशीर का हाथ पकड़ लिया ।^१ यदि लेखक रोशन स के प्रति हुए आर्थिक अत्याचार से सहमत होता तो वह अपराधी को भाग निकलने देता ।

रोशन को जो आर्थिक हानि समाज के शरारती तत्वों ने पहुंचाई है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ । हरिजन वर्ग तो वैसे ही दलित तथा दबा हुआ है, उसको हमें उभाड़ना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए न कि घृणित कर्म करके और उनके ऊपर अत्याचार किया जाये ।

राजा राधिकारमण सिंह के 'बुम्बन और चांटा' (१९५७ई०) उपन्यास में राम बहू घोबिन के ऊपर आर्थिक अत्याचार का चित्रण मिलता है । गुलाबी की मां घोबिन से कपड़े धुलवा लेती पर धुलाई का पैसा घोबिन को नहीं देती है । घोबिन इस बात की शिकायत गुलाबी से करती है,--'गुलाबी पर नज़र पड़ती है, घोबिन फुफकार उठती है--

' लो सुनती हो । यह कब तक आजकल करतो चलेगी अरे वही कानी
..... तेरो मैया ।'

गुलाबी ठमक पड़ती है, लगती है एकटक देखने ।

१. इन्द्रविद्यावाचस्पति : 'अपराधी कौन' (१९५५ई०), पृ०सं० २६ ।

'ध धोलाई न बाकी है, तुम्हें पता नहीं ?'

'सच ? कितने पैसे हैं ?'

'बस, बारह आने । हां, पांच आने काट वह देती नहीं । कहती है कि साड़ी का किनारा कहीं धोने वक्त फट गया..... फूठ, बिल्कुल फूठ । पुरानी फिंफरी साड़ी रही-तार-तार, कहीं..... ।'

हरिजनों का समाज किस प्रकार आर्थिक शोषण करता है, लेखक ने 'बुम्बन और चांटा' (१९५७ई०) उपन्यास में इसी बात को चित्रित किया है । लेखक ने रामू बहू धोबिन हरिजन पात्र में पर्याप्त चेतना का विकास दिखाया है । धोबिन अपने ऊपर होने वाले आर्थिक अत्याचार को सहती नहीं है, वरन् उसके विरुद्ध विद्रोह करती है । इससे यह मो स्पष्ट हो जाता है कि लेखक का 'बुम्बन और चांटा' (१९५७ई०) उपन्यास में हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है । वह उनका उत्थान दिखाना चाहता है ।

राम बहू धोबिन के धुलाई के पैसे न देना उस पर आर्थिक अत्याचार करना है, जो कि स्वस्थ सामाजिक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं होता है । अगर पुरानी साड़ी धोते वक्त फट जाती है तो इससे धोबिन का कोई दोष नहीं । इस

१. राधिकारमण प्रसाद सिंह : 'बुम्बन और चांटा' (१९५७ई०)

पृ०सं० १७८ ।

बात के लिए उसके धुलाई के पैसे न देना उस पर अत्याचार ही तो करना है। राम की बहू धोबिन तो बेचारी निर्दोष है, उसको तो उसके धुलाई के पैसे अवश्य मिलना चाहिए और यही उचित तथा सही दृष्टिकोण है। राम बहू धोबिन को 'बुम्बन और चांटा' (१९५७ई०) उपन्यास में शोषित स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है।

वैजनाथ गुप्त के 'जीवन : आग और आंसू' (१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर आर्थिक अत्याचार को चित्रित किया गया है। लाला गटहमल, चौधरी गिन्नु के ऊपर आर्थिक अत्याचार करते हैं। गटहमल मटरी के ऊपर अत्याचार करते हैं। वह चौधरी से मटरी के मामले को सौ दो सौ रुपये देकर दबा देना चाहता है। पर चौधरी नहीं मानता है। इसी बात पर लाला ने कुर्की करवाने की ठान ली है। गटहमल चौधरी के ऊपर पंचायत में आरोप लगाता है, -- 'पंचो। बात यह नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा राज है। चौधरी के ऊपर मेरा तीन चार सौ कर्ज निकलता है। वर्षों बीत गये, टका देने का नाम नहीं लेता। रुपया महाजन धोने के लिए नहीं देता। मैंने इसके साथ सस्ती की। इसे गाली दे और फजीहत किया जिसके बदले में मेरे साथ यह चार सौ बीस की जा रही है। अजीब अन्धेरे है साहब। रुपये का रुपया दीजिए, ऊपर से हज्जत भी दीजिए। क्या जमाना हो गया है।

लेकिन जोर से बोलते हुए मैं आप लोगों से कहे देता हूँ, अगर इसका थाली-लौटा नीलाम न करा लिया जाय तो मेरा नाम लाला गटरूमल नहीं। यह अपने को क्या समझता है। जाति का चमार, ब्राह्मण जात्रियों पर रोजाब गांठे। पानीदार आदमी हो तो ऐसी चीज कभी वर्दाश्त नहीं कर सकता।^१ ठाकुर रनबाज सिंह कहते हैं, -- 'सेठ जी। किस ससुरे का दम है जो रोब गांठ जाय। अरे ठाकुर-ब्राह्मणों से लोहा लेना दिल्ली नहीं है। लोहे के बने चबाने पड़ेंगे लोहे के।'

लेखक गिन्नु चौधरी के ऊपर होने वाले लाला के अत्याचारों से सहमत नहीं है। वह लाला के अत्याचारों का विरोध स्वयं चौधरी के मुँह से करवा देता है, यह बात सही है कि मैंने लाला का रूपया उधार लिया है। लेकिन इसके लेन-देन के सम्बन्ध में मेरी लाला से कभी कोई बातचीत नहीं हुई। बड़े आदमियों को झूठ बोलना भले ही शोभा दे, लेकिन मैं इस मामले में कतई झूठ नहीं कहूँगा। हाँ, इतनी बात उन्होंने मुझसे जरूर कही थी कि मैं सुलिया वाले मामले का दबा हूँ। जिसके बदले में उन्होंने मुझसे कहा था कि कर्ज छोड़ दूँगा और सौ-दो सौ रुपये ऊपर से दूँगा। लेकिन मैंने उसी दिन लाला से पंडित सत्यनारायन जो

१. वैजनाथ गुप्त : 'जीवन : आग और आंसू' (१९६५ ई०), पृ० सं० ४१।

२. वही, पृ० सं० ४१।

के सामने कह दिया था कि लाला जी क्षमा करना, मैं पैसे के लोभ में ईमान नहीं बेंच सकता हूँ। ऐसे तो लाला जी बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं। चाहे जो कुछ भी कहें।^१

लाला गटकमल का चौधरी गिन्नु के घर के सामान को कुर्क कराना तो अनुचित लगता है। माना कि उन्होंने कुछ रुपये उधार दिए थे। पर इसके बदले में पूरे घर का सामान कुर्क कराना तो हरिजन पर अत्याचार छोड़ कराना ही कहा जायेगा। लाला क्यों चौधरी को नष्ट करना चाहता है? इसका कारण यह है कि वह लाला को बात नहीं मानता। जो व्यक्ति स्वयं नीच हो वह दूसरे को क्या उचित शिक्षा दे सकता है? लाला तो मनुष्य का खाल जोड़े नर पिशाच है। लेखक लाला के चरित्र का विश्लेषण करते हुए लिखता है,--^२ धार्मिक प्रकृति के जीव। घण्टों ईश्वर के नाम पर पूजा - पाठ किया करते, किन्तु उदारता हू तक नहीं गई थी। ब्राह्मणों का सम्मान करते, किन्तु पीठ पीछे बहुधा इनके विषय में यह कहते हुए सुने जाते--^३ बड़ी लालची कौम है।^२ यदि लाला तथा चौधरी के चरित्रों की तुलना की जाये तो हमें ज्ञात होता है कि लाला एक दुष्ट प्रकृति का इंसान है तथा चौधरी ईमानदार सच्चरित्र इंसान है। लाला कहता है,--^३ बस देख लिया आप लोगों ने। सारी मक्कारी इसी सख्ख की है।

१. बैजनाथ गुप्त : 'जीवन : आग और आंसू' (१९५८ई०), पृ०सं०४२।

२. वही, पृ०सं०२७।

कल ही लीजिए, एक-दुज्जती का दावा करता हूँ। इसको सारी चमरईं भुलवा दूंगा। इसने अपने को समझ क्या रखा है। गंगरी दाना सुद उताना वही मसल है। सरपंच बन गया है तो किसी को दुज्जत लेने के लिए। देखता हूँ अब कौन बचाता है। ठाकुर रनवाज सिंह भी कहता है, -- लाला कैसी बात करते हो। जमादारी चली गई तो चली गई, मगर दाहिनी भुजा को आगे बढ़ाते हुं इससे दात्रिय का रक्त नहीं गया। किसके मुंह में दांत है, जो एक शब्द भी खिलाफ निकाल जाय। चौधरी, ठाकुर के इस बात का विरोध करता है। लेखक ने चौधरी पात्र में इतनी चेतना भर दी है कि वह अपने ऊपर होने वाले प्रत्येक अत्याचार का विरोध करता है। चौधरी कहता है, -- ठाकुर साहब, दात्रिय रक्त इतना सस्ता नहीं है। उसका कहीं और उचित उपयोग कीजिए। यहां आवश्यक पंच का हैसियत से बैठे हैं। आपका कुछ कर्तव्य है। इसपर ठाकुर कहते हैं, -- देखो चौधरी। अपनी औकात के बाहर मत जाओ। चमार होकर तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। क्या क्या वह दिन भूल गए, जब जेठ की धूप में सारे दिन खड़े रहते थे और ऊपर से दस-पांच जुते भी लाते थे। चौधरी फिर अपना

१. वैजनाथ गुप्त : 'जोवन : आग और आंसू' (१९५८), पृ०सं० ४३।

२. वही, पृ०सं० ४३।

३. वही, पृ०सं० ४३।

४. वही, पृ०सं० ४३।

विरोध प्रकट करते हुए कहता है, -- ' नहीं ठाकुर साहब, भूला नहीं हूँ । अब भी उन दिनों की याद कलेजे में ताजा बनी है । किन्तु संशानियत यह नहीं कहती कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाय । अब भी मैं आपसे छोटा हूँ और सदा आपसे छोटा रहूँगा । आज भी छूतों से मारने में आप अपना बड़प्पन समझते हों, तो मार लीजिए । मेरा सिर आपके सामने फुका है ।' वह कहता है, -- ' बात सत्य ही कहूँगा, चाहे किसी को मला लगे चाहे बुरी ।' लाला के रूपयों से गांव वालों के मुंह बन्द हो जाते हैं तथा लाला कहते हैं, -- ' देख लिया आप लोगों ने । सरपंच होने का मतलब तो यह नहीं है कि किसी भले आदमी की इज्जत ले ली जाय । अब क्यों नहीं बोलते गिन्तू ? तुम चमार होकर मेरी इज्जत लेना चाहते हो तो डंके की चोट पर कहता हूँ कान खोल कर सुन लो -- ' अगर तुम्हें मिटा न दिया जाय तो अपने बाप का नहीं । तुमने मुझे समझव्या रखा है ?' पर मेरा मत है कि एक वधा सौ लाला अब इस जमाने में पैदा होकर भी हरिजनों के ऊपर आर्थिक अत्याचार करने का साहस नहीं कर सकते । लेकिन लालू चमार के द्वारा भी लाला को इस बेईमानी का विरोध करवाता है, ' लाला जी ! आप ही ने एक दिन कहा था -- हर चीज का समय होता है । आये हुए अवसर को हाथ से नहीं

१. वैजनाथ गुप्त : 'जोवन : आग और आंसू' (१९५८ई०), पृ० सं० ४४।

२. वही, पृ० सं० ४४ ।

३. वही, पृ० सं० ४५ ।

जाने देना चाहिए । अब समय आ गया है । हमारी बन्द आंखों से परदे हट गए हैं । हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप रूपये के बल से हमारी ज़बान पर ताला लगाना चाहते हैं-- हमारी जोभ बन्द करना चाहते हैं--किन्तु अब यह सम्भव नहीं है । सत्य को आप घोट जाना चाहते हैं, केवल पैसे के जोर से । चौधरी के पाँके आप हाथ धोकर इसलिए पड़े हैं कि वह अत्याचारों में आपका साथ नहीं देता, यही न । आप चाहते हैं कि सब आपके गुलाम बनकर रहें, किन्तु अब वह जमाना लुप्त गया और रही सबूत की बात । मैं ज़मा पेश करता हूँ । लेकिन इससे पहिले आप स्वयं अपने से पूछ कर देखिए कि आप कहां तक पाक साफ हैं । क्या आपने छे मटरी का फुनकी चमारिन से गर्भपात नहीं कराया ? क्या आपने अपनी स्त्री को उस समय मैके नहीं भेज दिया था । यदि आपकी पवित्र आत्मा पर पाप की कालिमा अब भी शेष है तो मैं फुनकी चमारिन को बुलाता हूँ । जिस पापिन ने चांदों के चन्द टुकड़ों पर इन्सानियत को बेचा । अपने को बेचा और जिसने आपके नीच कर्मों को छिपाने में आपकी मदद की । किन्तु पाप का घड़ा एक दिन अवश्य फूटता है । लालू के इस वक्तव्य से लाला के दुश्चरित्रता अपने आप हमारे सामने आ जाती है । चौधरी गिन्नु कहता है,-- 'पंचायत आज ही होगी । मैं कुरकी से छरने वाला आदमी नहीं हूँ । जिसने रूपया उधार लिया है, उसे मुक्तान करना ही पड़ेगा । मैंने रूपया

१. वैजनाथ गुप्त : 'जीवन : आग और आँसू' (१९५८ई०), पृ० सं० ४६।

देने से कभी इन्कार नहीं किया। लेकिन इस समय मजबूर हूँ। अगर लाला कुरको कराने में ही खुश है, तो कोई बात नहीं। जाकर कुरक करा लें। मुझे इसकी चिन्ता नहीं है।' इस वक्तव्य से चौधरी की गज्जना हमारे सामने आ जाती है।

मीड़ चौधरी के सामान को कुर्क नहीं होने देना चाहतो है,-- नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज तुम्हारे ऊपर कुरको हो रही है, कल हमारे ऊपर भी हो सकती है। हम यह कभी वरदाश्त नहीं करते। या तो मर जायें या लाला को ही आज समाप्त कर दें। चौधरी इसका विरोध करता हुआ कहता है,-- 'सबरदार। यदि किसी ने मी लाला के खिलाफ जवान निकाली। आप लोगों ने क्या समझ रखा है? पहिले जमीन पर मेरी लाश गिरेगी, उसके बाद लाला पर आंच आयेगी। न्याय के सम्मुख मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है। मैं भूखों मर जाना पसन्द करूँगा, किन्तु किसी प्रकार का अन्याय नहीं पसन्द करूँगा। मैंने लाला से रूपया ढ़ उधार लिया है। उन्हें सरकार ने अधिकार दिया है कि वे अपना रूपया किसी भी तरह से वसूल करें। यह आप लोगों की भलमनसाहत है कि उनके ऊपर हाथ छोड़े, उन्हें गाली दें। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि शान्ति से काम लें। क्रोध जड़ता का प्रतीक है। इसमें मनुष्य का विवेक समाप्त हो जाता है। क्रोध में अपने को न मूलिट। यह मनुष्य को पागल बना

१. वैजनाथ गुप्त : 'जीवन : आग और आंसू' (१९५८ई०), पृ०सं० ४८।

२. वही, पृ०सं० ५१।

देता है। इन्सानियत से काम लीजिए। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है।

दुनिया के सारे धन्धे जो चल रहे हैं, आखिर क्यों? हमें पापी पेट के कारण ही न। नहीं तो मनुष्य को चिन्ता क्या थी? कोई किसी की क्यों सुनता? मनुष्य, मनुष्य के आगे हाथ न पमारता--दोन न बनता। कोई किसी के सामने कभी न गिड़गिड़ाता। खूबसूरत आंखों के अनमोल मोती सूखे कपोलों पर न खेलते। ईमानदार होंठों पर कमजोर हंसों की फलक न दिखाई देती। न किसी के हृदय का अथाह वेदना को कोई समझ पाता। ईमानदारी में दाग न लगता। पाप न बढ़ता। पुण्य दोनों हाथों से बरसाती पानी की तरह उलीचा न जाता। यहां तक कि ईश्वर को मंदिरों में बन्द न किया जाता। मनुष्य ही स्वयं भगवान होता।

मनुष्य नियति के हाथों का खिलौना है। वह कठपुतली की भांति उसके इंगितों पर नाचता है। परिस्थितियां उसे विवश करती हैं। चौधरी गिन्नु जो चार दिन पूर्व दूसरों की शिक्षा देता था, अत्याचार का शिकार बनकर स्वयं हतप्रभ तथा ज्ञानशून्य बन जाता है। उसकी शान-गरिमा न जाने कहां चली गई थी। लाला जबर्दस्ती ही तो चौधरी के हृदय पर चोट करता है। मनुष्य के हृदय पर जब चोटें पड़ती हैं, तो वह बौखला जाता है। उसका खून खौलता है। उसके अन्दर प्रतिहिंसा की भावना तिलमिला कर सक्रिय हो जाती है। पर

१. वैजनाथ गुप्त : जीवन : आग और आंसू (१९५८ई०), पृ० सं० ५२।

चौधरी अपनी संयम का प्रदर्शन करता है, जिससे उसका चरित्र ऊपर उठ जाता है। चौधरी के ऊपर तो गांधी जी के सिद्धान्तों का प्रभाव है। गांधी जी की तरह वह भी सत्य तथा अहिंसा का मुकाबला करता है। पर जिस तरह गांधी जी गोली से मारे गये, उसी प्रकार चौधरी भी इन सिद्धान्तों से हार जाता है। चौधरी की तुलना हम 'रंगभूमि' (१९२५ई०) उपन्यास के नायक सुरदास चमार से कर सकते हैं। सुर भी अहिंसा तथा सत्य का सहारा लेते हुए अत्याचार की बलि वेदी पर चौधरी की तरह स्वाहा ही जाता है।

यह खुनी इन्सान। दूसरे की जिन्दगी को एक किलौना समझता है। वह उसकी जिन्दगी को कुम्हार के मिट्टी की तरह रौंद क देना चाहता है। सारे संसार को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। धरती का मालिक बनना चाहता है। इन चलती फिरती रंगीन तस्वीरों का खून जोंक की तरह बूस रहा है। इन्हें दाने-दाने के लिए मोहताज करके अपने पैरों से काड़े की तरह कुचल डालना चाहता है। इन्हें गुलाम क बनाना चाहता है, प्राचीनकाल में आदमी तथा औरतें बाजार में बिकती थीं। धनी आदमी खरीदते थे। उनसे चौबीस घण्टे जानवरों की भांति काम लिया जाता था। उनपर कोड़े बरसाये जाते थे। वह जमोन पर दुर्बल होने के कारण गिर-गिर पड़ते थे। उन्हें कोड़े से मार-मार कर उठाया जाता था। औरतों के साथ दुर्व्यवहार होता था। उन्हें नंगा करवा कर सरे बाजार में घुमाया जाता था। उन्हें सताया भी जाता था। इनको गुलाम कहते हैं थे। फिर वही युग। आज का यह मनुष्य हरिजनों

को गुलाम की भांति पोस डालना चाहता है, सत्यतत्त्व का दम्भ करता है। बर्बरता को और अग्रसर होने वाला यह खूनो इन्सान कहता है, -- 'मैं सभ्य हो रहा हूँ ।'

हमारी नई और ताजी सभ्यता का नमूना है । औरतों पर लाठी बरसाना, बेगुनाह और बेकसूर हरिजनों को पीटना । उनके बच्चों को बिना दूध तथा बिना पानी के मार डालना आज व को सभ्यता है । यह सवर्ण इन्सान भी कितना बेशर्म है, जो हरिजन के बच्चे को अपने सामने मरते देखकर खामोश हो जाता है । क्या ठीक है कि इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होना चाहिए । जिनके खून में गर्मी नहीं है, जो बर्फ की तरह ठंडा हो, जो अपने को इन्सान नहीं समझता, अपने ही हरिजन भाइयों के बेटे, बहिन को खा जाना चाहता है, उसका रुधिर बस डालता है। ऐसे सवर्ण हिन्दुओं को जीने का कोई हक नहीं है । क्योंकि यहाँ धरती पर जीने का मतलब है, इन्सान बन कर जीना । अपने अधिकारों के लिए हरिजनों को होम कर देना प्लेग के कोड़े से भी ज्यादा खतरनाक है । जितना जल्दी हो सके, अत्याचारियों को कड़ा से कड़ा दण्ड देना चाहिए , ताकि लाला गटहमल जैसे नीचों से हरिजनों की सुरक्षा हो सके ।

यज्ञदत्त शर्मा के 'बौधारास्ता' (१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों के आर्थिक शोषण का चित्र उभारा गया है । रामसिंह कनकू^{और} कमन चमार का आर्थिक शोषण सवर्ण हिन्दु वर्ग करता है ।

ये लोग चमारों से काम तो करवाते हैं, पर उनकी मजुरी नहीं देते हैं। यहां तक ही नहीं, अत्याचार करते, बल्कि वे अपने खेत को घास करने को मना कर देते हैं और इस तरह हरिजनों की आर्थिक स्थिति को दयनीय बना देते हैं। विद्यासागर जुलाहा रामसिंह चमार से पूछता है, 'और ४ कैसी बातों पिछले सप्ताह रामसिंह ? दरोगा जो ने कनकू के रुपये दिये या नहीं ? फुम्मन का खेतन चौधरो रूप सिंह से वसूल हुआ या नहीं ? लाला चौखेराम के फार्म पर काम करने वालों की क्या दशा रही ? रामसिंह इसके जवाब में कहता है-- 'भय्या ! सरकार ने जब से जमींदारी खतम करके भूमधर बनाये है तब से तो धरम धोरा ही नांय रहा। जहां देखो, वहां गरीब ही मारा जाय है।' 'म्हारे जानवरन कु खेतन में से चारा देना तो दूर को बात रही खेतन के डौलन पै की घास खोदन को भी मनाही कर दयो। तीन दिन से चमारों की भैंसें सूखी पड़ा है।'

'भैंसें सूखा खड़ा है। यह तुम क्या कह रहे हो रामसिंह ?'

'ठीक कह रहा हूं भय्या। कनकू, फुम्मन और लाला चौखेराम के फार्म के सब चमारों ने काम पै जाना बन्द कर दिया।'

रामसिंह बोला

'फिर क्या हुआ ? विद्यासागर ने पूछा।

'गांव के भूमधरन ने अपनी मीटिंग करी और चमारन को अपनी जमीन में से घास तक खोदने की मनाही कर दई।'

१. यज्ञदत्त शर्मा : 'बोधा रास्ता' (१९५८ई०), पृ० सं० २५।

विधासागर जब सुलह की बात कहता है तो रामसिंह कहता है 'वे हमसे फैसला ज्युं करन आयें मझ्या । हमें गरज होयगा तो हम हौ नांक रगड़ते हुए सौ बिरियां उनके दरवाजन पै जाके गिड़ठि गिड़ठे ।' रामसिंह बोला--

'यह कमी नहीं होगा रामसिंह । इससे निश्चित रहो ।'

शर्मा जो का हरिजनों के ऊपर अत्याचार के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण है । वे हरिजनों के ऊपर स्वर्ण हिन्दुओं के द्वारा आर्थिक अत्याचार का विरोध करना चाहते हैं । इसीलिए उन्होंने अपने हरिजन पात्रों में अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करने की क्तेना विकसित की है । चमारों को संगठित कर अत्याचार का विरोध करना इसका त को साबित कर देता है कि लेखक हरिजनों के उत्थान को प्रगति चाहता है । वह उनके ऊपर अत्याचार का समर्थन कर उन्हें और भी नहीं गिराना चाहता । शर्मा जो ने हरिजन पात्रों का चित्रण पुरातन परम्परा के अनुसार नहीं, वरन् आज की युग के मांग की अनुसार चित्रित किया है ।

हरिजनों के ऊपर आर्थिक अत्याचार करना युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता है । हरिजनों को आर्थिक स्थिति तो वैसे ही दयनीय होती है, उसपर से उनकी स्थिति और भी दयनीय बनाना कहां तक उचित है । कनकू-फम्मन तथा रामसिंह का रूप सिंह, दरोगा जो तथा लाला बीसेराम के द्वारा वेतन न

१. यज्ञदत्त शर्मा : 'बौधा रास्ता' (१९५८ई०), पृ०सं० २५ ।

दिया जाना तो स्पष्टतः अपराध के समान है । यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब हम किसी से काम करवायेंगे तो पैसा देना ही पड़ेगा तो फिर उपरोक्त भूमिधर लोग क्यों नहीं हरिजनों को पैसा देते ?

हमारे देश में बेगार लेने की परम्परा बहुत प्रचलित रहो है । पहले राजा लोग बेगार लेते थे, तथा बाद में चलकर जमांदार लोग हरिजनों से बेगार लेने लगे । ये जमांदार लोग, जमांदारी टूटने से पहले राजा के समान थे । ये ही लोग हरिजनों से बेगार करवाते थे । जमींदारी तोड़कर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है । इससे हरिजनों को आर्थिक राहत मिली । अब तो सरकार ने हरिजनों के हित में घोषणा कर रही है कि उनके ऊपर जो कर्ज था, अब वे स्वतन्त्र हो गये । उनका भुगतान नहीं करना होगा। यह भी उचित कदम है । क्योंकि हरिजनों को थोड़ा पैसा देकर सर्वांग हिन्दू वर्ग इनसे अपने खेतों में जन्म भर काम करवाता था । वह बात अब स्वतन्त्र हो गई है । शर्मा जी ने अपने उपन्यास में हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का खुलकर यथार्थ चित्रण किया है तथा सर्वांग हिन्दुओं के अत्याचार वाले पक्ष को भी चित्रित किया है। विद्यासागर का सहारा पाकर कनकू फम्मन और रामसिंह का जोश दुगना हो जाता है । वे कहते हैं,-- 'भय्या । या बिरियां बड़ी जात वालन से टक्कर मई है । थारी मदद से जो जोट बराबर मो कूट गया तो भगवान् का लाख-लाख सुकर भेजेगे ।'

१. यज्ञदत्त शर्मा : 'बाँया रास्ता' (१९५८ई०), पृ० सं० २८।

विद्यासागर जुलाहा भी अत्याचार से दुखी है। वह कहता है,--^१ हमारी किसी से टक्कर नहीं है रामसिंह ! हमारी टक्कर गलत बात से है। कनकू और फम्मन के पैसे मिलने ही चाहिए।^१ इससे विद्यासागर के चरित्र का उज्ज्वल पक्ष हमें दृष्टिगोचर होता है तथा साथ ही यह स्पष्ट होता है कि हरिजनों में सर्वो हिन्दुओं के समान द्वेष का भावना नहीं मिलता है। वे निष्कपट तथा झलरहित होते हैं। विद्यासागर का विश्वास है कि विजय उसकी ही होगी, कनकू, फम्मन और रामसिंह। डरना नहीं किसी बात से, चाहे कोई भी क्यों न आये गांव में। मुझसे पूछे बिना किसी कागज पर अंगूठा न लगाना। धाने के दरोगा जो या दोगान जो कोई भी क्यों न आये। विजय तुम्हारी ही होगी।^२

यह तो अत्याचार की ही सीमा तो है। व केजदान जानवरों का चारा रोक देना कहां का न्याय है ? आर्थिक शोषण को लेकर विद्यासागर क्लेक्टर से मिलता है। चारों तरफ शोर मचता है। अखबारों में भी इसका वर्णन छपता है। कनकू कहता है,--^३ 'यु अकबार दरोगा कु में खुद देके आऊंगा और क हूंगा उक अब बात यु ही धमन वालो नाय है। हमने भी याकू धुरपंडत जवाहरलाल तक नाप पहुंचाय दिया तो म्हारा नाम भी कनकू उस्ताद नाय है।'^३

१. यज्ञदत्त शर्मा : 'बौथा रास्ता' (१९५८ई०), पृ०सं० २८ ।

२. वहा, पृ०सं० २८ ।

३. वही, पृ०सं० ३४ ।

कनकू भी इस अत्याचार के विरोध में कहता है,-

'यारों का सक है यार कनकू । दरोगा, या चौधरी कपसिंह या लाला चौखेराम, म्हारो मजुरो कैसे नांप देगे ? जब महनत उनन के खेतन पे करी तौ लाव-पहनन कू कहां जाय ? कनकू अकड़ कर बोला । तभा रामसिंह ने पूहा, -- 'वैसे हाल-बाल के है भूमधरन का ? जरा यू भी तो कहो । कल के हल कले गांम में ?' कम्पन मूंशों पर ताव देता हुआ उठ बोला, -- 'आधे भी नांप कले रामसिंह । धरतो सूखा जाय रहा है । होस हवास उड़ रहे हैं भूमधरन के ।'

रामसिंह बोला, -- 'सागर ने कह दया है अक घबरावन की जहरत नांय है । जानवरन कू बराबर बारा मिलता जायगा । तम लोग अपना-अपनी भैंसन का दूध बेचके अपने लावन-पीवन का खरच चलाओ ।'

'और जाके पास भैंस नांय हैं रामसिंह! वे कहां करें ?'

गम्भीरतापूर्वक कनकू ने आगे बढ़कर पूहा ।

रामसिंह बोला, -- 'उनन का मदद हम भैंसन वालन कू तौ लों करनी है जो लों भूमधरन से फैसला नांय है जाय ।'

'बिनाकुल ठाक है ।' कनकू ने गम्भीरतापूर्वक कहा ।

अन्त में रामसिंह यह भी सचेत करता हूं 'भूमधर तमें ककू भी कहें पर तम गर्मा मत खूयो । अपनी कोंपड़ियन को हिफाजत रखना । रात कू पहरा देना ।'

लेखक ने प्रस्तुत उपन्यास में सर्वांग हिन्दुओं के ऊपर हरिजनों की विजय को दिखाया है । आखिरकार लाला चौखेराम को

१. यज्ञवत शर्मा : 'चौथा रास्ता' (१९५८), पृ० सं० ३५ ।

फैसला कौं मानना होता है । हरिजन कौं भी चालाक हो गया है । विद्यासागर सेठ से पूछता है,-- "सेठ चौखैराम जी ! आपसे एक बात पूछूं ?"

"एक नहीं, दौं पूछी सागर !" लाला चौखैराम ने कहा ।

"दो गले तो नहीं बनौंगे । अबसर पड़ने पर चौधरी ह्मसिंह और दारोगा जी से तो नहीं जा मिलौंगे ?"

इस बात की शमथ लौं तो मैं तुम लोगों का सम्भरता अनी पढ़ा-लिखाकर तैयार करता हूं । कागज पर तुम्हारे हस्ताक्षर और इन सब के अंठे लावा दूंगा ।" सेठ चौखैराम बोले,-- "सेठ की जुबान एक रहेगी सागर ।" वह फिर जरा-सा उभारा लेकर बोले,-- "और फिर चौधरी ह्मसिंह और दारोगा जी से तो मैरी वैसे ही खट-पट रहती है । दोनों अबल दजे के चौर और नगे हं । दारोगा थाने के सिपाही और दिवानों का दलाल है और ह्मसिंह व्यर्थ ही अपनी अकड़ में धूर रहता है । अब कौड़ पास नहीं डालता उसे, परन्तु वह सम्भरता अपने को अकलातून है । रस्सी जल गई, बल नहीं गए अनी ।"

विद्यासागर फैसले का ड्राफ्ट सेठ जी के हाथों में देकर कहता है,-- इसे पढ़कर ठीक कर लीजिए तथा आप, रामसिंह मिलकर ऐसी खैती करे कि आपका गांव की तो क्या आस-पास की भी आज की कमी दूर हो जाये ।

१. यज्ञदत्त शर्मा : 'चाथा रास्ता', (१९५८ई०), पृ०सं० ५६ ।

चौखैराम भीहस्ताकार कर देते हैं,
 "समझौते के अनुसार वर्ष भर का अनाज और कपड़े की व्यवस्था
 के अतिरिक्त फार्म के हर कर्मचारी का बीस रुपया माहवार
 वेतन निश्चित हुआ।"

लेखक ने समझौता कराकर अपनी सुधार-
 वादी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। लेखक हरिजनों को न्याय
 दिलाना चाहता है। उक्त: इसीलिए वह संघर्ष में हरिजनों का
 विजय दिखाता है। रामसिंह कहता है,-- "चौधरी रूप सिंह
 और दरोगा जी की नाई मजूरन की साल नाय काढ़त।" इससे
 इन दोनों का चरित्र स्पष्ट हो जाता है। जिस प्रकार 'संघर्ष'
 (१९४५ई०) उपन्यास में 'कौशिक' जी जिल्दार शिवसहाय का
 मटरू पासो पर आर्थिक शोषण को चित्रित किया है या जिस
 प्रकार कौशिक जी ने 'भित्तिारिणी' (१९२१ई०) उपन्यास में
 जमींदार अजुनसिंह का मकू तथा अन्य पासियों के ऊपर अत्याचार
 करते हुए चित्रित किया है, वैसे ही यशदच शर्मा जी ने 'चीथा रास्ता'
 (१९५८ई०) उपन्यास में कनकू, फाम्मन, रामसिंह के ऊपर सवणों का
 अत्याचार को चित्रित किया है। इन सभी उपन्यासों में हरिजनों से
 बेगार लेने को चित्रित किया गया है। यही चौखैराम जी कि
 परिस्थिति को देखते हुए थोड़ा दब गये, इतना नीच आदमी का
 चौला पहने है, इसने नका जुलाहै, जुम्मा लोहार के ऊपर भी
 आर्थिक अत्याचार किया। थोड़ा सा पैसा देकर यह उनके सामानों
 १. यशदच शर्मा : 'चीथा रास्ता', (१९५८ई०), पृ०सं० ६०।
 २. वही, पृ०सं० ६०।

को ज़ब्त करा जाता है, ननका जुलाहे की मस कुर्क कराने समय यदि ननका की लाठी को रामसिंह ने न रोकता होता तो लाला चौखैराम कीवहीं कपाल किया ही गई होती। यदि जुम्मा लोहारकी दुकान का लौहा-लंगड़ा नीलाम कराने समय यदि जुम्मा का खीड़ा रामसिंह के हाथ पर न पड़ा होता, तो लाला चौखैराम की खीपड़ी चकनाचूर ही गई होती। यही चौखैराम रामसिंह का उपकार न मानकर उसका केतन रोक देते हैं। ऐसे धरित्र हैं तो भारतीय समाज में सवर्ण हिन्दुओं के, जो कि अपने हितों को रक्षा करने वाले कभी बख्शते। ऐसा लगता है कि लेखक चौखैराम को, विधासागर के शब्दों में चेतनवन्ती दे रहा ही, लाला चौखैराम। एक बार फिरछाद विलाता हूँ। चौधरी रूपसिंह और दारागा जी के चक्कर में ब आये तो मेरा तुम्हारा सम्बन्ध टूट जायगा। यह सम्बन्ध जो आज बन रहा है, फिर कभी नहीं बनेगा।

विधासागर की बातसुनकर लाला चौखैराम सहम गये। वह विधासागर की बात का उधर न देने से जी चुराना चाहते थे, परन्तु चुरा नहीं सके।

वह खिची-सी लैत हुए बोलें,-- लाला चौखैराम अपनी बात को निभायेगा विधासागर। पर जो तुमने लुटिया हुआ दी तो यूँ जान लो कि चौधरी रूपसिंह और दारागा जी मेरी फसल दिन-दहाड़े सड़ी ही कटवा लें।

१. यदुच शर्मा : 'बाधा रास्ता' (१९५८ई०), पृ०सं० ६१।

२. वही, पृ०सं० ६१।

धानेदार से दरौगा जी का बड़ा रसूक है ।
 यह सुनकर विद्यासागर बोला,-- उनके
 कितने ही रसूक क्यों न हों सैठ जी ! पर अपना रसूक भी तो दरौगा
 जी से कम नहीं है । दरौगा जी हमारी मलाई के लिए ठ हैं । हमारी
 पुराई नहीं करेंगे वर, तुम विश्वास रखो ।

(ग) जमींदार वर्ग

पूँजीपति वर्ग के समान जमींदार वर्गभी
 हरिजनों का आर्थिक शोषण किया है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के
 पूर्व समाज में जमींदारों का ही बोलबाला था । वे मनमाना क्रियाचार
 हरिजनों के ऊपर करते थे । इसी बात का चित्रण हमें उपन्यासों में
 देखने को मिलता है ।

फण्णेश्वरनाथ रेणु के 'जुलूस' (१९६५ई०)
 उपन्यास में हरिजन पात्र के ऊपर क्रियाचार को चित्रित किया गया
 है । तालेवर गौड़ी के ऊपर जमींदारों के क्रियाचार का निरूपण
 मिलता है । गौड़ी मकली मारने वाली जाति को कहते हैं । गौड़िहार
 से गौड़िहार बना है । तालेवर गौड़ी कहता है,-- 'मेरे घर में कोई
 बाढ़ का पैसा नहीं और न बाढ़ में आयी हुई मकलियों के पैसे हैं ।
 जाग्रम नगद भुगतान देकर जमींदारों से जलकर कीबन्दोबस्ती लेता था।
 तिसपर गाँव के बाबू लोगों के जोर जुलूम' । सिपाहियों को घाट पर

१. कलच शर्मा : 'छ चाँथा रास्ता' (१९५८ई०) पृ० सं० ६५ ।

भैरव राज एक पसैरी मक्ली 'तलवाना' में ही तलब करने वाले ऐसे मालिकों के जल्दियों से मक्ली, काबू (कच्छप), कैकड़ा, घोंधी निकाल कर--पुरखन के पात और कमलगटा बेचकर मैंने किस तरह पाई-पाई बटेरा है ।

लैसक का तालेवर गौड़ी के ऊपर हुए अत्याचार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं । वह अत्याचारों का विरोध कहीं नहीं प्रकट करता है । लैसक केवल हरिजनों के शोषण पदा का ही चित्रण करता है । वह हरिजनों में विद्रोह की भावना नहीं दिखाता है ।

तालेवर गौड़ी के ऊपर जो आर्थिक अत्याचार जमींदार व गाँव वाले करते हैं, उसका हम समर्थन नहीं कर सकते हैं । आज के बदलते हुए समाज में हरिजनों का आर्थिक शोषण तो बिल्कुल अनुपयुक्त लगता है । अब तो वह जमाना आ रहा है जब कि हरिजन भी सवर्णों के बराबर आर्थिक दृष्टि से हो जायेंगे । अतः तक हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है । हरिजनों की आर्थिक स्थिति को ठेस पहुँचाने वाले समाज के चन्द सवर्ण लोग हैं । जब तक हम हरिजनों को ऊपर उठने का रास्ता नहीं देंगे, तब तक वे कैसे प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं ?

तालेवर गौड़ी का चरित्र सज्जन पुरुष की भाँति है तभी तो वह अत्याचार का विरोध करता है तथा वह

१. फणेश्वरनाथ रेणु : 'जुलूस' (१९६५ई०), पृ० सं० २४ ।

मेहनत के पैसों पर जोर देता है। वह छल-कपट या दुष्कर्म पर कमाई करने को नहीं कहता, -- "मेहनत करो और पैसा कमाओ फिर देखो वह धन जो कभी घटे।" वह शिक्षा के प्रति भी जागरूक है, -- "जो सचमुच अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सरकार उनके लिए स्कूल जहर सोलेगी।" अतः हम कह सकते हैं कि तालेवर गौड़ी सभ्य पुरुष के रूप में उपन्यास में चित्रित किया गया है।

अमृतलाल नागर के 'भूस' (१९७०ई०) उपन्यास में दयाल जमींदार के द्वारा मोनाई केवट का आर्थिक शोषण को चित्रित किया गया है। दयाल जमींदार, मोनाई केवट से कहता है, -- "बाप का जमाना भूल गया है शायद।" दयाल जमींदार की आवाज कानों में आई -- हेदाशेन ! हराम-जादा का अब्कल में भाला भोंके देवों। बीला शाला के जे दयाल तौमार बाबार पूजा नैई जे तीन घंटा तक दरवाजे पर सड़ा रहेगा।"

एक सैकेण्ड के लिए मोनाई की आँसू मिन गई। जिन्दगी-भर की आवरु गई जो एक पड़.... सठ फापटा।" वो जा गया राजा बहादुर।"

१. फणीस्वरनाथ रेणु : 'जुलस' (१९६५ई०), पृ०सं० २३।

२. वही, पृ०सं० २४।

३. अमृतलाल नागर : 'भूस' (१९७०ई०), पृ०सं० १२५।

दयाल एक क्रियाचारी और निर्दयी जमींदार है, जो अकाल से पीड़ित जनता को परेशान करता है, 'मेरा इकीमजाल कि आपको सड़ा रूख ? भगवान जी ने यह दिन तो दिखाया कि सरकार की गालियाँ सुनने की मिली । अब मरौसा भया कि हुजूर ने मुझे अपनी सरनागत में ले लिया है। मालिक जब गालियाँ दें तो समझते कि दास का अहोभाग है ।' दयाल जमींदार आगे कहता है—, 'जा गया ठिकाने पर । चीपट करके फेंक दूंगा सारे को । इसके गोदाम में दौ हजार बोरे से कम न होंगे । काट-पीटकर भी हैड़' क लाख बचा लेगा पट्टा । कहां-कहां से धिपाकर धान इकट्ठा किया है इसने ! मुझे रबी भर भी खर न लगने पाई, बड़ा काइयाँ है ।

मौनाई की सुशामद दयाल के दिमाग को अपने हथकड़े दिखाने के लिए उकसा रही थी । मौनाई की बातें कानों में पड़कर दलाल के स्थालों की सतह को छूकर निकल जाती थी । 'पुलिस में दे दूंगा तो मेरे पल्ले कुछ न पड़ेगा । पुलिस वाले सब हड़प कर जाएँगे । मिलिटरी वाले दौ हजार बोरों के लिए पांच सौ इससे क्यों न फहड़प लूं ? बुरा क्या है ? अगर अभी मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूं तो कौड़ी का भी न रह जाएगा और जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, सौ अलग ! यों पांच ही सौ बोरे के करीब बच रहेंगे सारे के पास । लाख सवा लाख के रोकड़े कर लेगा ।

१. अमृतलाल नागर : 'भूख' (१९७०ई०), पृ०सं० १२६ ।

२. वही, पृ०सं० १२६ ।

कुछ कम है नीच जाति के लिए ? क्या जमाना जा लगा है ।
 ये सारे कौरी चमार केवट भी कम लक्षपट्टी होनै लगे । मगर
 बड़ा का ह्या है भाई मान गए । गांव के बाधे पट्टे अपने नाम
 करवा लिए । बड़ी गहरी चौट दी थी सारे ने । मेरी बराबरी
 करने चला था । बदमाश से हजार बौरे फटकने चाहिए ।^१

दयाल जमींदार के द्वारा मौनाई केवट
 के ऊपर जो आर्थिक अत्याचार किया जाता है, उससे लेखक
 असहमत है । वह दयाल जमींदार के कार्यों का विरोध करता है,
 जो उचित ही है । लेखक दयाल जमींदार के ऊपर व्यंग्य करता
 है, -- " मेरे गांव में, गांव भर की भूस के ठेकेदार को दयाल
 जमींदार ने अपने जूतों तले लाकर दुनिया को यह दिखला दिया कि
 उनकी शक्ति कितनी बड़ी है । श्री दयालचंद विश्वास की परम्परागत
 मान-प्रतिष्ठा के चार चांद लगा दिए थे । उन्होंने दुनिया को
 दिखला दिया कि नीच जाति सदा नीच ही रहेगी ।"^२

मौनाई केवट का आर्थिक शोषण आज
 के युग में उचित नहीं लगता है । दयाल जमींदार तो एक अत्याचारी
 शासक के समान है, जो पूजा का हित नहीं बल्कि अहित करता है।
 जिस प्रकार पुलिस हरिजनों के हित की रक्षा की बजाय उनको और
 परेशान करती है, दयाल जमींदार का मौनाई के प्रति दुर्व्यवहार भी
 इसी प्रकार का है । जमींदार दयाल का चरित्र-चित्रण कल्पनाजनित
 जातिरंजित नहीं है । बल्कि वह वास्तविक सत्य है कि ऐसे जमींदार
 वर्ग के कारण काल में प्रलयकारी काल पड़ा । जिसमें ३० लाख
 व्यक्ति मरने के लिए बाध्य किए गए ।

१. अमृतलाल नागर : 'भूस' (१९७०ई०), पृ०सं० १२७ ।

२. वही, पृ०सं० १२७ ।

मौनाई के हित की रक्षा तो दयाल जमींदार नहीं करता, बल्कि उसका आर्थिक शोषण कर समाज में अशान्ति के कारणों को जन्म देता है। दयाल जमींदार कहता है-- "हु: ! बड़े पंख लगाकर उड़ने चला था।" जमींदार सोचने लगे -- "साला, हम खानदानी रहसियों से हौड़ लेना चाहता था। मंदिर बनवा दिया साहब गांव में। जाधे पट्टे जी-हुजूर कहलाने की हविस लगा थी जनाब को। मुझसे दयाल जमींदार से, टक्कर लेने के लिए वह मेरी पूजा को भूसा मार-मार कर अपनी ताकत दिखाना चाहता था। ले बच्चू अब देख ले कि कौन शक्तिशाली है। सारा गांव आसिं सौझर देख रहा है कि अपनी पूजा पर अत्याचार करने वाले दुष्ट को दयाल जमींदार कितना कठोर दण्ड देते हैं। देख ले पूजा, जमींदार अब भी अपनी पूजा का कितना पालन कर सकता है ? नमकहराम है, साले सब के सब।" दयाल जमींदार तो दोहरा व्यक्तित्व रखता है। एक तरफ तो वह पूजा पर अत्याचार करता है तथा दूसरी ओर वह पूजा के पालने का दावा करता है। मेरा मत है कि दयाल जैसा अत्याचारी जमींदार कभी भी अपनी पूजा का न्यायपूर्ण ढंग से पालन नहीं कर सकता है। लेकिन जमींदार के ऊपर व्यंग्य करता है, -- "जिनके लिए खुद दयाल जमींदार इतना कष्ट उठाकर यहाँ पधारे, जिनके एक बड़े भारी शत्रु को उन्होंने चुटकियों में परास्त कर दिया, जूठन चाटने वालों को अन्न और रोगियों को दवा दिलाई, क्या कुछ न कर दिसाया दयाल जमींदार ने।..... लेकिन, जिसके लिए उन्होंने यह सब कुछ किया उसी

१. अमृतलाल नागर : 'भूख' (१९७०ई०), पृ० सं० १२८ ।

महा मूर्ख जनता पर कौई भी ज्वार पड़ता नहीं दिखता । किसी ने उनकी जय-जयकार भी नहीं बौली । उनके उस हंसने वाले प्रशंसक ने भी नहीं । कम्बस्त अब तो ध्वर देस भी नहीं रहा । घूरे की जूठना साने में जुटा हुआ है । कमीने^१—सब के सब । और नालायक आज तो मुकैपुणाम भी करने नहीं आए । हरामखोर^२ । लेखक आगे स्पष्ट करता है,—“दयाल जमींदार सहसा महसूस करने लगे कि एक उनकी झोंकर सारा भारतवर्ष, सारी दुनिया रसातल की ओर चला जा रहा है । पतन के सड़क की ओर जल्लि मूंदकर बढ़ती हुई महामूढ़ मानवता के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा का स्रुत फूट पड़ा । दयाल जमींदार सारे संसार के कल्याण की चिन्ता करने लगे । पतितों के उद्धार की प्रबल आकांक्षा उनके मन में उत्पन्न हुई । सोचने लगे, बड़े काम करने से अपना भी बड़ा नाम होगा और हिन्दू धर्म का देश का उद्धार भी हो जायेगा ।^२ जो कुछ भी हो, पर झाना तो स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि दयाल जैसे जमींदार से तो न पतित का उद्धार और न दलित हरिजन का उद्धार हो सकता है ।

१. अमृतलाल नागर : 'भूस' (१९७०ई०), पृ०सं० १२८।

२. वही, पृ०सं० १२९ ।

(घ) पूंजीपति वर्ग

जिसप्रकार पूंजीपतियों ने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में हरिजनों का शोषण किया ठीक उसी प्रकार पूंजीपति वर्ग ने आर्थिक क्षेत्र में भी हरिजनों का शोषण किया। यह वर्ग राष्ट्रीय कल्याण को चिन्ता नहीं करता, वरन् अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की चिन्ता करता है। यही कारण है कि इसने हरिजनों का शोषण किया।

प्रेमचन्द की आर्थिक प्रणाली का सूक्ष्म अध्ययन था। उन्होंने 'रंगूमि' (१९२५ई०) उपन्यास में आर्थिक समस्या को उठाया है। 'रंगूमि' (१९२५ई०) उपन्यास की प्रमुख समस्या उद्योग तथा व्यवसाय की है। प्रेमचन्द ने सूर तथा जानसेक के संबंधों को लेकर पूंजीवाद को अपना लक्ष्य बनाया है। प्रेमचन्द ने पूंजीवादी युग को अपनी दृष्टि में रखा है। उन्होंने न केवल पूंजीवाद के कुछ ऐसे दोष भी बताये हैं, जिनकी ओर सहज ही ध्यान नहीं दिया जाता। पूंजीवाद मनुष्य जीवन को कुत्सित बना देता है और उसमें बुजुर्ग मनोवृत्ति भर देता है, जिसकी प्रेमचन्द ने इसमें तीव्रनिन्दा की है। मशीनों वाला मजदूर जीवन में प्रेमचन्द को विशेष प्रिय नहीं था। वे औद्योगिकरण में भी विश्वास नहीं करते, यह अत्यन्त आश्चर्य का विषय है। एक ओर तो वह प्रगतिशील विश्वासों की दृढ़ता अनाते प्रतीत होते हैं, दूसरी ओर परिवर्तनशीलता और जीवन की आधुनिक गतिशीलता के प्रति अपनी आस्थाहीनता प्रकट करते हैं। इसका कारण कदाचित् यही था कि प्रेमचन्द यह समझते थे कि औद्योगिकरण हो जाने से मानवता के स्थान पर

पशुत्व को अधिक पश्रय मिलता है और लोगों का नैतिक स्तर पतला है। वास्तवमें उन्होंने औद्योगिक जीवन तथा सरल जीवन की तुलनात्मक दृष्टि से परख कर सरल जीवन को ही अधिक श्रेयष्कर और भारतीय व्यवस्था में वांछनीय स्वीकार किया है। डा० रामरतन मटनागर का यह कहना उचित ही है कि,-- 'वास्तव में 'रंगभूमि' में स्वातंत्र्यापूर्व भारत की सारी आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याएँ जा जाती हैं। ऐसी विशाल विक्रमट भारतवर्ष के किसी उपन्यासकार ने ग्रहण नहीं की।' आधुनिक महाजनी के द्वारा व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के निहित स्वार्थों को सर्वाधिक प्रोत्सहहन मिला है, जिससे हमारे देश की पुरानी ग्राम व्यवस्था चार-चार ही गई है। सूरदास ने औद्योगिककरण तथा पूंजीवाद के विरुद्ध मौजा सौल रखा है। वह मनुष्य का अवमूल्यन करने वाली मशीन हर्षा राक्षस को आगे बढ़ने से रोक रहा है। उसकी लड़ाई के अस्त्र हैं-- सत्य, अहिंसा, असहयोग, तथा सत्याग्रह जिन्हें लेकर वह दोनों मौजा पर डटा हुआ है, गांधी की तरह गांधी का प्रतिह्न बनकर। लेकिन सूरदास की कथा को गाँव के औद्योगिककरण के विरुद्ध एक चुनौती के रूप में सड़ा करता है। दो सभ्यतायें टकराती हैं--मुनाफा और प्रतियोगिता पर आधारित औद्योगिक सभ्यता से पारस्परिक सहयोग पर आधारित भारतीय ग्राम्य-सभ्यता की टक्कर होती है। पहली का प्रतिनिधि जानसेवक है और दूसरी

१. डा० रामरतन मटनागर : 'प्रेमचन्द: आलोचनात्मक अध्ययन'
पृ०सं० ११२ ।

का सुरदास । सुरदास चट्टान को तरह दृढ़ है । वह इस बात की परवाह नहीं करता कि उसकी कोई मदद करेगा या नहीं, वरन् अपनी आत्म-शक्ति के बल पर गांव में कारखाना खुलने का विरोध करता है । वह गांव के लोगों को चेतावनी देते हुए भविष्यवाणी करता है,-- 'जहां यह रौनक बढ़ेगी, वहां ताड़ी-शराब का भी तो प्रचार बढ़ जायेगा, कसाबियां भी तो आकर बस जायेंगी, पर देसी जादमी हमारी बहू बेटियों को धूरेंगे.... देहात के किसान अपना काम छोड़कर मजूरी के लालच में दौड़ेंगे, यहां बुरी बुरी बातें सोचेंगे और अपने बुरे आचरण अपने गांव में फैलायेंगे । देहात को लड़कियां, बहूएं मजूरी करने आसंगी और यहां पैसे के लोभ में अपना धरम बिगाड़ेंगी ।' आंखों में आंसू भर सुर कहता है-- 'मुझे तो इस पुतलीघर ने पीस डाला ।' इन्द्रदत्त से वह प्रार्थना करता है,-- 'आप पुतलीघर के मजूरों के लिए घर क्यों नहीं बनवा देते । वे गारी बस्ती में फैले हुए हैं और रोज लघम मचाते रहते हैं । हमारे मुहल्ले में किसी ने औरत को नहीं हेंड़ा था न कभी इतनी चोरियां हुईं, न कभी इतने धड़ल्ले से जुआ हुआ, न शराबियों का ऐसा हुल्लड़ रहा ।'

१. प्रेमचन्द : 'रंगभूमि' (१६ २५ई०), पृ०सं० ६ ७७ ।

२. वही, पृ०सं० ४७५ ।

३. वही, पृ०सं० ३६८ ।

का सुरदास । सुरदास चट्टान को तरह दृढ़ है । वह इस बात की परवाह नहीं करता कि उसकी कोई मदद करेगा या नहीं, वरन् अपनी आत्म-शक्ति के बल पर गांव में कारखाना खुलने का विरोध करता है । वह गांव के लोगों को नेतावनी देते हुए भविष्यवाणी करता है,-- 'जहां यह रौनक बढ़ेगी, वहां ताड़ी-शराब का भी प्रचार बढ़ जायेगा, कसाबियां भी तो आकर बस जायेंगी, पर ऐसी आदमी हमारी बहू बेटियों को धरेंगे.... देहात के किसान अपना काम छोड़कर मजूरी के लालच में दौड़ेंगे, यहां बुरी बुरी बातें सोचेंगे और अपने बुरे आचरण अपने गांव में फैलायेंगे । देहात का लड़कियां, बहू मजूरी करने आसंगी और यहां पैसे के लोभ में अपना धर्म बिगाड़ेंगे ।' आंखों में आंसु भर सुर कहता है-- 'मुझे तो इस पुतलीघर ने पीस डाला ।' इन्द्रदत्त से वह प्रार्थना करता है,-- 'आप पुतलीघर के मजूरों के लिए घर क्यों नहीं बनवा देते । वे सारी बस्ती में फैले हुए हैं और रोज ज़ुबान मचाते रहते हैं । हमारे मुहल्ले में किसी ने औरत को नहीं छेड़ा था न कभी इतनी चोरियां हुईं, न कभी इतने घड़ल्ले से जुआ हुआ, न शराबियों का ऐसा हुल्लड़ रहा ।'

१. प्रेमचन्द : 'रंगभूमि' (१९२५ई०), पृ०सं० ६७९ ।

२. वही, पृ०सं० ४७५ ।

३. वही, पृ०सं० ३६८ ।

प्रतियोगिता, लोभ और स्वार्थ पर आधारित औद्योगीकरण का समस्या सूर के सामने अनेक प्रश्न उपस्थित कर देता है। यही औद्योगीकरण आगे चलकर संघर्ष का महाभारत का कारण हुआ। इसी औद्योगीकरण के द्वारा गांव के सामाजिक तथा आर्थिक सूत्र टूटने लगे तथा अन्त में यही समस्या सूर के ज्ञान का कारण भी बनती है। अतः प्रेमचन्द 'रंगभूमि' (१९२५ई०) उपन्यास के द्वारा औद्योगीकरण के बोधपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। 'रंगभूमि' (१९२५ई०) देहाती जिन्दगी के नाश की कहानी है। वह उसके नैतिक तथा आर्थिक पतन की लम्बी गाथा है, जिसका उत्तरदायित्व.... पश्चिमी सभ्यता पर है। इस उपन्यास में लेखक ने कुलकर ग्रामीणों की आर्थिक समस्या का चित्रण किया है।

भाक्तीचरण वर्मा के 'भूले बिभरे चित्र' (१९५६ई०) में हरिजनों के ऊपर आर्थिक अत्याचार को चित्रित किया गया है। गेंदालाल पर सवर्ण हिन्दू जनता अत्याचार करना चाहती है। 'भूले-बिभरे चित्र' (१९५६ई०) में सरकार गेंदालाल के बमड़े के व्यापार में जल्दी सहायता नहीं करती है। ^{सहायता} क्रान्ति पर सवर्ण हिन्दू लोग गेंदालाल से लम्बा सुद तथा मुनाफे में आधा साफा मांगते हैं। ज्ञानप्रकाश, जिसपर आर्यसमाज का प्रभाव है, गेंदालाल से पृथक्ता है, -- 'मैंने सुना है आप बमड़े का कारखाना खोल रहे हैं, विलायती ढंग से। जो खोल तो क्या रहा हूँ, खोलने की कोशिश जबर कर रहा हूँ। लेकिन

१. डा० इन्द्रनाथ मदान : 'प्रेमचन्द एक विवेचन', पृ० सं० ८३।

पैसे को कमा है। सरकार को लिखे हुए भी साल भर हो गया है। उधर-उधर से कर्ज मांगा तो लम्बा सूद मांग रहे हैं, और उस पर मुनाफे में आशा साफ़ा। यहीं तक ही हरिजनों के ऊपर आर्थिक अत्याचार किया जाता है। पैसे देने वाले ऐसी शर्तें लगाते हैं कि जहां कारखाना चलने लगे वहीं रुपया लगाने वाला मालिक बन जाये और गैदा जैसे लोग बाहर कर दिए जाएं। गिंदालाल में राष्ट्रीयता की भावना है, इसीलिए वह विलायती ढंग से चमड़ा ब तैयार करना चाहता है। पर आर्थिक समस्या आते आ जाती है। आज भी हरिजनों में कितने प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, पर वे आर्थिक संकट के कारण उच्च शिक्षा नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार उनका जीवन अन्धकारपूर्ण बन जाता है। एक तरफ जहां हिन्दू वर्ग अपनी स्यासी पर हजारों रुपये मिनटों में पानी की तरह बहा देता है। मगर उसी धन का १० प्रतिशत भी हरिजन वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाय तो कोई गलत बात न होगी। यद्यपि सरकार अब हरिजनों को शिक्षा विभाष से आर्थिक सहायता देती है। हरिजनों को आर्थिक व्यवस्था इतना निम्न होता है, कि उनके छोटे-छोटे बच्चे बचपन से काम करने लगते हैं, जिसे बच्चों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसको रोकने के लिए सरकार का कर्तव्य है कि वह हरिजन-परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करे।

१. भावली चरण वर्मा : 'मुझे बिसरे चित्र' (१९५९ई०), पृ० सं० ५०६।

(६०) राजर्षि

राजर्षि ने भी हरिजनों के ऊपर अत्याचार किए हैं। राजर्षि के लोग ब्रिटिश सरकार में मिले-जुले रहते थे। ब्रिटिश सरकार यदि इनका शोषण करती थी, तो यह र्षि अपना क्रोध शान्त करने के लिए हरिजनों के साथ आर्थिक अत्याचार करता था।

'कौशिक' जो 'संघर्ष' (१९४५ई०) में भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजा का आर्थिक शोषण करते हुए दिखाया गया है और राजर्षि द्वारा हरिजनों का आर्थिक शोषण करते हुए चित्रित किया गया है। उपन्यास में मटर पासो के ऊपर जिलेदार शिवसहाय के अत्याचार को चित्रित किया गया है। पं० मदनमोहन शर्मा शिवसहाय के बच्चों के शिक्षक हैं। एक बार वे मटर पासो के साथ गांव घूमने जाते हैं। उन्हें रास्ते में बच्चा सुकल मिल जाते हैं। जब बच्चा सुकल मटर को अपने घर पान लाने को भेज देता है तो बच्चा सुकल कहता है कि जिलेदार शिवसहाय, नजर बेगार लेता है। गांव में डाक बनवाता है। खुद भी पीता है और विकवाता है भी है।

'अच्छा।' शर्मा जी विस्मित होकर बोले।

'जी हां।'

'कौन बनाते हैं डाक ?'

'पासी लोग बनाते हैं। इसी सारे पासी लोग हम लोगों से सब दबते नहीं। नहीं सरकार पासी कमारों की यह मजाल नहीं थी

कि हम लोगों से बेजा बर्ताव करें। परन्तु जिलेदार साहब ने इन्हें फिर चढ़ा रखा है-- इस सारे शेर रहते हैं।^१

‘पुलिस को यह बात मालूम है?’

‘मालूम क्यों नहीं है। पर पुलिस भी राजा साहब का आदमी समझ कर उनसे नहीं बोलती। यह भी पुलिस की खातिर करते रहते हैं।

‘क्या खातिर करते रहते हैं?’

‘घा-दूध भेजवाते रहते हैं। कभी गांव में कोई चोरी बदमाशी होती है तो धानेदार को घुस दिलवा देते हैं।^१

‘यह मटर भी पासो मालूम होता है।’

‘पासो तो हई है।’

इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिलेदार शिवसहाय पासियों से बेगार तो लेता है, नजराना भी वसूल करता है। गांव में दाह भी बनवाता है। इस प्रकार वह पासियों के ऊपर अत्याचार करता है। लेखक का इस अत्याचार के प्रति दृष्टिकोण सुधारवादी नहीं है। वह इन अत्याचारों का समर्थक है। जिलेदार शिवसहाय शर्मा जो से कहते हैं,-- ‘आपक कायदा न बिगुड़ें। इन लोगों का फर्ज है देना और हम लोगों का फर्ज है लेना।’

१. विश्वम्भरनाथ शर्मा ‘कौशिके’ : ‘संघर्ष’ (१९४५ई०), पृ०सं० २२६।

२. वही, पृ०सं० २२८।

जिलेदार शिवसहाय का पासियों के ऊपर अत्याचार करना अनुचित है। जिलेदार शिवसहाय के अत्याचार से प्रतीत होता है कि जैसे शासक वर्ग अपने अधीन शोषित वर्ग पर बेगार लेकर उनके ऊपर आर्थिक अत्याचार कर रहा है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समाज का हिं हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण आशाजनक है न होकर निराशाजनक है। प्रश्न यह उठता है कि जब समाज का प्रत्येक मनुष्य बराबर हैं तो कोई व्यक्ति क्यों किसान के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार करे ? जिलेदार शिवसहाय का पासियों से बेगार लेना तथा दाह बनवाना इस दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता।

‘गोली’ (१९५८) उपन्यास में चम्पा के ऊपर आर्थिक अत्याचार का चित्रण भी मिलता है। चम्पा तो शुरू से ही राजा के महलों में पली थी, अतः उसे कहीं भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। राजा को उप पत्नी बन जाने पर वह अपने भविष्य के लिए बहुत सा पैसा एकत्र कर लेती है। चम्पा को सम्पत्ति को हस्तगत करने के लिए गंगाराम गोला (जो कि इयोदियों का मालिक है) चम्पा से शादी करना चाहता है। गंगाराम गोला चम्पा से कहता है, -- ‘मेरी बात मान ले। मुझसे व्याह कर ले। बस, तेरा बेड़ा पार। पर सब रकम जमा-पूजी मेरे नाम तुफ करनी पड़ेगी। बता कितना रूपया बैंक में है ? वह गुलमटा तो कुछ बताता ही नहीं।’

‘तो तेरा उससे क्या सरोकार है ? मैं भी नहीं बताने की।’

'और व्याह ?'

'वाह क्या हौसला है ।'

'मैंने अन्नदाता को मर्जी ले ली है ।'

'उससे क्या होता है । मेरी मर्जी नहीं है ।'

'तुम्हारा अन्नदाता की मर्जी के खिलाफ कलेगी ?'

'अन्नदाता से कह दे कि वह मुझे कोल्हू में पेल ले दे ।'

'उससे कहने की क्या जरूरत है, यह काम तो मैं ही कर लूंगा । पर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ।'

'और मैं तेरे मुंह पर थूकती हूँ । चोट्टा कहीं का ।'

'ऐसी बात ?' उसने हाथ की चाबुक फेंक दी और वह भेड़िये की तरह मुझ पर टूट पड़ा । एक बार तो मैंने उसे धकेल दिया । उसका सिर दीवार में जा टकराया और उसमें से खून बहने लगा । पर इसके उसने परवाह न की । वह फिर मुझ पर फपटा । मुझे उसने भूमि पर गिरा दिया, फिर उसे उठा-उठा कर दो-तीन बार पटक कर दो-तीनों स्त्रियां भी उसकी सहायता को आ गईं । उन्होंने मेरे हाथ-पैर जकड़ लिए । अब तीन-तीन राक्षस मेरे साथ जुक रहे थे । उसका सारा मुंह खून से भर रहा था । खून उसके ऊपर से बह रहा था । मैंने अक्सर पाकर उसे दांतों से खूब जोर से काट लिया । इसके बाद तिलमिलाकर उसने मेरा सिर पत्थर के फर्श पर पटक दिया । मेरा सिर फट गया और खून की धार बह निकली । धीरे-धीरे मैं बेहोश हो गई । चम्पा के ऊपर

१. चतुरसेन शास्त्री : 'गोली' (१९५८ई०), पृ० सं० २७७ ।

होने वाले अत्याचार के प्रति लेखक का सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है यानी लेखक चम्पा के ऊपर होने वाले आर्थिक अत्याचार का पक्ष नहीं ग्रहण करना चाहता है। चम्पा के द्वारा लेखक ने अपना विरोध प्रकट किया है। चम्पा का पति किसुन भी संपत्ति का च्योरा राजा को नहीं देता है। जब राजा विलायत से लौटते हैं तभी से उन्होंने किसुन पर दबाव डालना शुरू किया कि वह सब रनपये पैसे उन्हें दे दें। पर किसुन इन्कार कर जाता है, 'अन्नदाता, जिसको जमा-पूँजी है, उसकी आज्ञा बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो केवल उसका रजक हूँ, स्वामी नहीं।' राजा किसुन के ऊपर सस्ती करने लगे। रात को शराब पीने के समय वे किसुन से पूछते, 'क्यों रे गुलाम, देता है वह सब जमा-पूँजी कि नहीं?'^१

चम्पा के ऊपर जो आर्थिक अत्याचार किया जाता है वह उचित नहीं कहा जा सकता है। कारण यह है कि अगर कोई अपना कमाई इकट्ठा करता है तो दूसरों का उस पर क्या हक? अगर चम्पा ने दूसरों की पूँजी चुराकर रख ली होती तो राजा या गंगाराम का पैसा मांगना वाज़िब कहा जा सकता है। पर यहाँ ऐसी बात नहीं है। चम्पा ने खुद अपने पैसे एकत्रित

१. चतुरसेन शास्त्री : 'गोली' (१९२८ई०), पृ०सं० २६० ।

२. वही, पृ०सं० २६० ।

किए हैं। गंगाराम गोला तो उसको सम्पत्ति लेने के लिए ही झूठ-फरेब का आश्रय लेकर उससे शादी करने को कहता है। हमारा तो विचार है कि जब गोला उसको सम्पत्ति पा लेता तो वह उसको (चम्पा) को जान से मार डालता। इस तरह चम्पा की पूंजी तो मारो ही जाती, साथ ही साथ उसकी जान भी जाती। गंगाराम गोला तो शुरू से ही नीच रहा है। वह गद्दीपाने के लिए अपने लड़के को रानो का लड़का घोषित करता है, ताकि नये राजा को हटाया जा सके, क्योंकि पुराने राजा को कोई पुत्र न था। अतः दूसरा व्यक्ति राजा बन गया था, इसलिए गोला तथा रानो चन्द्रमहल मिलकर चाल खेलती है, जो सफल भी रहता है। जब बालक १०जी०जी० द्वारा राजा घोषित कर दिया जाता है तो वह रानो को सताने लगता है। रानी भाग जाती है। जो व्यक्ति इतना नीच है तो फिर उसका कैसे विश्वास किया जा सकता है? चम्पा ने अपने ऊपर होने वाले आर्थिक अत्याचार का उटकर विरोध किया है, जो उचित ही लगता है।

चतुरसेन शास्त्री के 'उदयास्त' (१९५५ई०)

उपन्यास में मंगतु चमार के ऊपर आर्थिक अत्याचार किया गया है। राजा साहब हरिजनों से बेगार कराना चाहते हैं, पर मंगतु चमार उनके इस आदेश को नहीं मानता है। राजा लोग किस प्रकार हरिजनों को सताते थे, इसका चित्रण मिलता है। राजा मंगतु चमार से कहते हैं--

'क्या तु मंगतु चमार नहीं?'

'जी नहीं।'

'क्यों नहीं?'

‘हसलिर कि में मंगतराम हूं ।’

‘मंगतराम क्यों ? मंगतु चमार क्यों नहीं ?’

‘मंगतराम क्यों नहीं ? मंगतु चमार क्यों, यह आप ही बताइए ।’

‘क्या हमो से पूछता ह, यह गुस्ताखी ?’

‘गुस्ताखी नहीं महाराज, सवाल पूछा है । जैसा आपने पूछा था ।’

‘तु बेगार क्यों नहीं करता ।’

‘बेगार करना और कराना दोनों ही अपराध है ।’

‘क्या तेरे बाप-दादा बेगार नहीं करते थे ?’

‘जो करते थे, मगर मैं नहीं करता ।’

‘क्यों नहीं करता है ?’

दीवाना नौरंगराम भी कहते हैं,-- ‘बदमाश मालिक
 रो हम तरह बात की जाती है ?’ दीवाना उससे यह भी कहते हैं,--
 ‘मुंह से जबान खींच लो जास्गी, बज्जात ।’ राजा तथा दीवानों का
 व्यवहार चमारों के प्रति कितना घृणित होता है, स्पष्ट हो जाता
 है ।

लेखक का ‘उदयास्त’ (१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों
 के अत्याचार के प्रति गुधारवादी दृष्टिकोण है । लेखक ने हरिजनों का
 उत्थान दिखाने में विशेष दिलचस्पी दिखाई है । मंगतु चमार के द्वारा
 लेखक ने सवणों के अत्याचारों का विरोध किया है । हम कह सकते हैं,

१. चतुरसेन शास्त्री : ‘उदयास्त’ (१९५८ई०), पृ०सं० ३२ ।

२. वही, पृ०सं० ३३ ।

३. वही, पृ०सं० ३३ ।

कि 'उदयास्त' (१९५८ई०) उपन्यास हरिजनों के उत्थान में योग देने वाला महत्त्वपूर्ण उपन्यास है। मंगतु चमार तो राजा से बेगार के प्रश्न पर विरोध प्रकट करते समय यथार्थ स्थिति को सामने रखता है, -- 'महाराज के बाप-दादा डाकेजनों का पेशा करते थे, आप क्यों नहीं करते।' मंगतु दोवान को भी फटकारता है, -- 'दीवान जी, मुंह से गालियां निकालते हुए आपको शर्म आनी चाहिए ! आपको बुजुर्ग समझकर मैं आपको उलट कर बदमाश नहीं कहता।' जब दोवान उसे बज्जात कहता है तो भी मंगतु उसका विरोध करते हुए कहता है, -- 'हकीकत तो यह है कि आप बड़े ही बज्जात हैं।'

मंगतु चमार से बेगार करवाना आज के युग में न्यायसंगत नहीं है। सर्वण हिन्दुओं को क्या हक है कि वे हरिजनों से बेगार करावे ? सदियों से हरिजनों से जमींदार तथा राजा लोग बेगार करवाते आये हैं, उसी बात को लेकर लेखक ने मंगतु पात्र की सृष्टि की है। राजा का हरिजनों के ऊपर आर्थिक अत्याचार करना तो विल्कुल ही अतर्कसंगत है। राजा का मंगतु से यह कहना कि तुम्हारे बाप-दादा बेगार करते थे तुम भी करो, यह तर्क तो उपहासास्पद लगता है। यह जरूरी नहीं कि पुरानी पीढ़ी जो काम करे, वह नई पीढ़ी के लोग भी करें। यदि हम राजा का कहना ही मान लें तो यह उचित ही लगता है कि उनके बाप-दादा चुंकि डाके डालते थे, अतः राजा भी डाके डाले। सुनने में तो मंगतु का मत

१. चतुरसेन शास्त्री : 'उदयास्त' (१९५८ई०), पृ० ३३ ।

२. वही, पृ० सं० ३३ ।

३. वही, पृ० सं० ३३ ।

कर्णकटु है, पर यह यथार्थ स्थिति को हमारे सामने रखता है । स
मंगट्ट कुंवर साहेब से भी कहता है, "मला ऐसा भी हो सकता है कि
में महाराज से रार ठानूं ? ज्यादाती उधर ही से हुई ।"

"खैर वह बुजुर्ग है, बड़े हैं । मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें, दाता से
माफ़ी मांगनी होगी ।"

"कुंवर साहेब, आपको मैं बहुत मानता हूँ । आप देवता हैं । आप
कहेँ और महाराज और दीवान साहेब चाहेँ तो मैं उन्हें माफ़
कर दूंगा, लेकिन मैं माफ़ी काहे को मांगूँ, ज्यादाती तो सरासर
उन्होंने का है ।" "महाराज और दीवान साहेब मुफ़से माफ़ी
मांगे और मविष्य में ऐसी हरकत न हूँगी यह वचन दे ती मैं, केवल
आपके लिहाज से उन्हें माफ़ कर दूंगा ।" ऐसा लगता है कि लेखक
मंगट्ट के अटल निश्चय को धोषणा कर रहा हो ।

-0-

१. चतुरसेन शास्त्री : 'उदयास्त' (१९५५ई०), पृ०सं० ३७ ।

२. वही, पृ०सं० ३८ ।

सप्तम अध्याय

-0-

धार्मिक स्थिति और हरिजन

- (क) हरिजनों के धार्मिक अधिकार ।
- (ख) धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण ।
- (ग) मंदिर - प्रवेश ।
- (घ) मध्यकाल के निम्नवर्ग के द्वारा तथाकथित ब्राह्मण वर्ग की आलोचना ।

-0-

सप्तम अध्याय

-0-

धार्मिक स्थिति और हरिजन

हरिजनों की धार्मिक स्थिति भी अत्यन्त दयनीय रही है। अस्पृश्यता वस्तुतः अमानुषिक अपराध है, इसमें घोर कृतघ्नता है। हरिजनों को सेवा का पुरस्कार नहीं, उल्टे दण्ड दिया जाता है। यह दण्ड भी विचित्रता लिए हुए है। इसमें न्याय तो नाम की भी नहीं है। कितने ही मंदिरों के दरवाजे उनके लिए बंद पड़े हैं। एक चर्मकार ढोलक बजाना जानता है। भजन-कोर्तन के समय सवर्ण लोग उसे मन्दिर में ढोलक बजाने के लिए कहते हैं, पर उसके ही भाई-बन्धु जब दर्शन हेतु मन्दिर में जाना चाहते हैं, तब उन्हें मंदिर में आने से इसलिए रोका जाता है कि उसके दर्शन से भगवान् अपवित्र हो जायेंगे या उनके प्रवेश से मन्दिर अपवित्र हो जायेगा। कौन न्याय-प्रिय व्यक्ति इस अन्याय का समर्थन करेगा ?

सब प्राणियों में एक ही परम पिता का प्रकाश फैलने वाला पंडित है और इसके विपरीत आचरण करने वाला मिथ्याचारी है, चाहे वह ऊपरी या बाह्य रूप में कितने ही धर्म के चित्र सजा लें। अब गुलामी को अंग-अंग से मिटाकर जागे बढ़ने वाले देश में अस्पृश्यता को वैध कहना, वापस गुलामी का आवाहन करना है।

आज किसी को दबाकर हम काले अंग्रेज बने, यह शोभाजनक नहीं है । आजादी पूरे भारत में आई है, मुट्ठी भर सवणों के लिए नहीं । अब धार्मिक अत्याचार का समर्थन करना उचित नहीं । कबीरदास ने लिखा है कि, 'रुके --

‘रुके त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा

एक बिन्दु से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा ।’

अर्थात् परमात्मा की दृष्टि में धार्मिक भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है । जहां तक हरिजनों के धार्मिक अधिकार का प्रश्न है ? इस बात को जानने के लिए मनुष्य की आदिम अवस्था से लेकर वैदिक-काल, उत्तरवैदिककाल, पौराणिक-काल, स्मृति-काल एवं भक्ति-काल तक की परम्पराएं और प्रमाण ही काफी हैं ।

समाज के पंडित वर्ग धर्म के नाम पर हरिजनों का आर्थिक शोषण करते हैं । इसीलिए समाज-सुधारकों के द्वारा इनकी तीव्र भर्त्सना भी की गई है । हरिजनों का मंदिर-प्रवेश का प्रश्न अस्पृश्यता निवारण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रक्खा है । क्योंकि जब असंस्थ सार्वजनिक मन्दिर हरिजनों के लिए खुल जायेंगे, तब उन्हें तत्काल अपने लिए नवयुग का उदय होता दीस जायेगा । वे यह भूल जायेंगे कि हम किसी समय समाज से बहिष्कृत थे । मंदिरों में परस्पर संसर्ग से उनकी दृष्टि और जीवन में परिवर्तन हो जायेगा । वे अपनी बुरी आदत छोड़ देंगे । आजकल मंदिरों की क्या कीमत है ? वे अनाचार के अड़ढे तक बन गये हैं और वहां पर सब प्रकार का दुराचार होता है ।

(क) हरिजनों के धार्मिक अधिकार

यह निर्विवाद है सत्य है कि अस्पृश्यता आत्मा के विकास के लिए घातक है। यह प्रथा हिन्दू-धर्म के तत्त्वों और उसके उदार सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। हमारे धर्मशास्त्रों में आचार की शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है, किन्तु 'आचार' को वास्तविकता को एक ओर रखकर हमने अस्पृश्यता के द्वारा 'आचार: प्रथमो धर्म:' को पुष्टि करना प्रारम्भ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आन्तरिक आचार, आत्मिक विशुद्धता और धर्म के वास्तविक स्वरूप से विमुक्त होकर हम बाह्य आचार और प्रथापूजन के अनुयायी हो गये। मनुष्य के मानसिक विकारों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि वह पशुओं की तरह निर्बलों पर आधिपत्य बनाये रखने की वृत्ति का सदा से पोषण करता रहा है। दास-प्रथा को यह भावना भी अस्पृश्यता का आधार रही है। इतिहास साक्षी है कि सदैव से पराजित जातियाँ विजेता जातियों द्वारा पद दलित अवस्था में रखी गईं। वे जातियाँ, जो निर्बल, निर्धन और सेवा पर आधारित थी, स्वभावतः विनम्र रही और इसके विपरीत अन्य समुदाय अपने धन और बड़प्पन के अहंकार में उ इन्हें दबाता रहा तथा अवधि में इसे परम्परा का रूप देकर विकृत और दृढ़ कर दिया। इसी सामाजिक कलंक को वैधानिक स्वरूप देने के लिए और सत्य के साँचे में ढालने के लिए धर्म की सहायता लेने का प्रयत्न किया गया। जो ही, अस्पृश्यता की यथार्थता पर विचार करें, तो स्पष्ट है कि धर्म से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

हिन्दू धर्मशास्त्रों ने जो आदर्श प्रस्थापित किया है, उसमें ऊंच-नीच के लिए कोई स्थान नहीं है। हिन्दू-धर्म का मूल सिद्धान्त मानवता की रक्षता है, जो मनुष्य को शाश्वत क्रमानुगति को पूर्णता की ओर ले जाती है। असीम अनुराग, पारस्परिक सच्चरित्रता, यथार्थ सहानुभूति तथा सत्य को प्रत्येक व्यक्ति पर प्रत्यक्ष कर दिखाना ही सच्चा धर्म है। इसमें भेद-भाव का आग्रह हिंसा और अधर्म है। ईश्वर का दिव्य प्रकाश प्राणिमात्र को प्रकाशित करता है। उसके साम्राज्य में सब समान हैं। प्राणिमात्र को सुख देना ही धर्म और मन, वचन या कर्म से किसी को दुःख पहुंचाना ही पाप स्वम् अधर्म -- यही हिन्दू शास्त्रों का निचोड़ है। कहा है कि--

‘अष्टादश पुराणानां व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकारस्तु पुण्याप्य पापाय परपीडनम् ॥’

इसी संवेदन के आधार पर हमारे लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, --

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः

सर्वे मद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ।’

इसी पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है--

‘परहित सरिस धरम नहिं भाई,

पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ।’

इस सर्वहित की भावना से अस्पृश्यता का सम्बन्ध पूर्व और पश्चिम जैसा हो है। अस्पृश्यता में स्वार्थ और अहंकार है। अपने स्वयं के सम्मान और अन्य के तिरस्कार के कुप्रवृत्ति है। बड़े और

बोटे को अहंभावना है। सामाजिक अस्युश्यता इसी कुप्रवृत्ति का संगठित परिणाम है। जिस प्रकार कुछ आक्रमणकारी दल एक और किसी निर्बल राष्ट्र को अपने स्वार्थों के लिए पराजित करके उसे दबाये रखते हैं, उसके शोषण पर अपना वैभव विस्तृत करते रहते हैं और अपने इस गहिरे कृत्य को नैतिकता का स्वरूप देकर विश्व के लोकमत को अनुकूल करने का प्रयत्न किया करते हैं। ठीक वही स्थिति अस्युश्यता के सम्बन्ध में भी रही है। जो लोग इसे धर्म शब्द से संज्ञित करते हैं, वे अपने भोले अनुयायियों को अन्धकार में रखने का प्रयत्न करते हैं। धर्म ने कभी किसी को ऊँच या नीच नहीं माना। हिन्दू धर्म शास्त्रों का आदि प्रोक्त वेद है। वेदों में सब के समान अधिकार माने गये। सब को एक दर्जा दिया गया है। कहा गया है कि,--

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्प्रेषाम् ।

समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन हविषा जुहोमि ।

(ऋग्वेद न० १०)

अर्थात्-हे मनुष्यों, तुम्हारी सम्मति एक हो, तुम्हारी समिति एक हो, समान चित्त से तुम्हारा मनन एक हो, इस प्रकार करने को मैं तुम्हें अभिमन्त्रित करता हूँ और समान साधनों से युक्त करता हूँ।

इस समता के आधार पर हमारे धर्म कार्यों में समस्त समाज को समान अधिकार दिया गया था। यजुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है--

ये मां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम्
शुभ्राय चार्याय च स्वाय चारणाय प्रियोदेवानां दक्षिणाया
दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृद्धतामुपमादोनमतु ।

--यजु० २६।२

अर्थात्-हे शिष्यो! जिस प्रकार इस वेद वाणी को मैं ब्राह्मण
जात्रिय व वैश्य, शुद्र सब के लिए कहता हूँ, उस प्रकार तुम भी
इसका सब मनुष्यों में उपदेश दिया करो । जिस प्रकार मैं
विद्वानों और दक्षिणा के देने वाले धनियों का प्रिय बनुंगा,
उसी प्रकार तुम लोग भी पदापात रहित होकर सर्वप्रिय बनोगे।
जैसे मुझमें अनन्त विद्या के सर्वसुख विद्यमान हैं, ठ वैसे ही जो
कोई विद्या का ग्रहण और प्रचार करेगा, उसे भी मोक्ष तथा
संसार को समस्त समृद्धियां प्राप्त होंगी ।

इसी प्रकार वेदों में अनेक मंत्र हैं, जिनसे सिद्ध
होता है कि धर्मशास्त्रों ने मनुष्य का मनुष्य से कोई भेद नहीं
माना था । स्मृति ग्रन्थों में भी शुद्रत्व का सम्बन्ध शुभाशुभ आचरण
से ही माना गयाथा । जन्म, वंश, रक्त आदि से नहीं । धर्म का
निष्पन्न करते हुए स्वयं महाराज मनु ने भी शुद्धाचारी शुद्र को
श्रेष्ठ और दुष्ट कर्म करने वाले ब्राह्मण को हीन कहकर सिद्ध किया
है कि हिन्दू धर्म में जन्मगत या जाति वंशगत अस्पृश्यता के लिए

१. श्री राम शर्मा आचार्य : 'यजुर्वेद' (१९६६ई०), पृ० सं० ४२८ ।

(सम्पा०)

कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान, सत्यादि
आदर्श गुणों से युक्त और भगवद्भक्ति के से विभूषित एक
एवम् ईश्वर विमुख ब्राह्मणों से कहीं श्रेष्ठ है।

हमारे धर्म शास्त्रों ने कुल चार ही वर्ण
माने हैं। कहा है कि,--

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः

चतुर्थं एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमः । १२

--मनु० अ० १०।४

धर्म में हरिजनों का समान अधिकार है। अतएव प्रत्येक मनुष्य
भी समान ही है। जब सब मनुष्य परमात्मा के लिए एक समान
प्रिय पुत्र है, तो भक्ति करने देव दर्शन करने या मंदिर में प्रवेश
प्राप्त करने का सबको समान अधिकार है। यही सत्य सनातन
धर्म है। धर्म स्थानों या धर्मकार्यों के लाभों से किसी को वंचित
और अप्रतिष्ठित रखना अधर्म और अन्याय है।

यह वंशानुगत अस्पृश्यता अज्ञानजनित अंधविश्वासों
का ही परिणाम है। घृणा और विद्वेष का रूपान्तर है। जो
लोग कहते हैं कि अस्पृश्यता अपवित्रता के कारण प्रचलित हुई है,
उन्हें भी यह ज्ञात होना चाहिए कि अपवित्रताजनित अस्पृश्यता
वंश परम्परागत कदापि नहीं हो सकती, न इस प्रकार की अस्पृश्यता
किसी वर्ग विशेष के लिए 'यावच्चन्द्रविवाकरो' हो रह सकती है।

अपवित्रता से उद्भूत अस्पृश्यता हमारे यहां थी,
पर वह सभी वर्गों में व्याप्त रही और वह अवसर विशेष के लिए

हा माना गई थी। जैसे-- जन्म, मृत्यु, विवाह, संभोग आदि। जन्म में दस दिन के लिए मृत्यु से भी दशरात्रि के लिए, अपवित्रता आता था, जो सर्पिंह, सगौत्र, गुरु, गुरु-पत्नी आदि पर्यन्त पहुंचती थी। परन्तु यह अपवित्रता नियत अवधि के उपरान्त गौमय, गोमूत्र पाना, दूर्वादल, धर्म आदि से निर्मूल हो जाती थी। इस अपवित्रता का प्रभाव सभी वर्गों पर न्युनाधिक रूप में होता था, किन्तु वंशानुगत अस्पृश्यता एक भिन्न स्वरूप की है। इसका परिहार तो मृत्यु के उपरांत भी नहीं हो सकता। इसके लिए शुद्धि के समस्त उपकरण निष्फल हैं। इसका सूत्र जन्म के पूर्व से मृत्यु के बाद तक अनन्त और अपार है। धर्म शास्त्रों ने बड़े से बड़े पतित के शुद्धिकरण की व्यवस्था दी है, पर यह अस्पृश्यता तो धर्मशास्त्रों से सर्वथा भिन्न केवल अंधविश्वास है।

मंदिर-प्रवेश के सम्बन्ध में धर्म शास्त्रों ने भक्ति को ही विशेष मान्यता दी है। स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि,--

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम् १

अर्थात् - हे अर्जुन, मेरे आश्रित होने वाला कोई पतित हो, स्त्री, वैश्य, शूद्र हो, पापयोनि हो, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। इसी प्रकार ईशान संहिता, नृसिंहपुराण, भागवत, स्मृतियों और

१. श्री भगवद्गीता, इण्डियन प्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ सं० १६८ ।

महाभारत आदि में शूद्र को अन्य वर्णों के समान दर्जा दिया गया है ।

पंचयज्ञ का विधान हरिजन के लिए भी है । उसे भी नित्य कर्म अवश्य करना चाहिए । पंचयज्ञ का विवरण शास्त्रों में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है--

अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु पूजनम्
होमो देवो बलि माँतो, नृपज्ञो तिथि पूजनम् ।

मनु० ३।७०

अर्थात् वेद का अध्ययन, अध्यापन, ब्रह्मयज्ञ वेद मन्त्रों से पितृतर्पण हवन करना-- देवयज्ञ, बलि देना, भूत यज्ञ और अतिथि पूजन ये पांच यज्ञ हैं । जिनमें देवयज्ञ में देव पूजा देवदर्शन आदि का समावेश है और इन सब का शूद्रों को भी अधिकार दिया गया है ।

मन्दिर-प्रवेश और मूर्तिपूजन का ही प्रश्न नहीं, धर्मशास्त्रों ने ब शूद्रों को ब्राह्मणों के समान ही अधिकार प्रदान कर जिस महानता का परिचय दिया है, वेद है कि उसे उन्हीं शास्त्रों के अनुयायी आज घटा रहे हैं--

शूद्राणामदुष्टकर्मणामुपन्यनम् ।

--पारस्कर गृह्यसूत्र टीका ।

अर्थात् अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले शूद्रों को उपनयन का अधिकार है और यह स्पष्ट है कि जिसे उपनयन का अधिकार है,

उसे वेदाध्ययन आदि के भी अधिकार हैं। अब इस दशा में अस्पृश्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ख) धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण

हमारा समाज इतना संकीर्णग्रस्त है कि वह धर्म के नाम पर भी आर्थिक शोषण करता है। असल में धर्म के नाम पर रोटी कमाने वालों का यह प्रथम कर्तव्य है कि वे लोगों को धर्म का सही पाठ पढ़ावें। अपनी सामाजिक नौकाओं से अस्पृश्यता के पत्थर निकाल कर बाहर करें। इसे ही अन्धकार से प्रवेश की ओर बढ़ना कहा जाता है। धर्म का गलत अर्थ समझकर रोटी कमाना गलत है। इसी कारण ही पोप और पुजारी और अन्य धर्मोपदेशकों का स्वयं ही असम्मान हुआ है।

प्रेमचन्द के गोदान (१९३६ई०) उपन्यास में धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण को चित्रित किया गया है। भारतीय समाज में धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण का भी बहुत प्रचार था। धार्मिक पंडे-पुरोहित धर्म के बहाने हजारों रूपए लोगों से रेंठते रहते थे और अंधविश्वासी भारतीय जनता इसी शोषण का शिकार हो रही थी। धर्म के क्षेत्र में बाह्य आडम्बर का अत्यधिक प्रचार इसी कारण से हुआ। धार्मिक महन्त ठाकुर जी के नाम पर हजारों रूपये चन्दा लेकर गोलकर जाते थे। इस समस्या पर

उपन्यासकारों का ध्यान गया और उन्होंने ऐसे पण्डितों और पुरोहितों से लोगों को आगाह करने के लिए इस समस्या को काफी नमक-मिर्च मिलाकर प्रस्तुत किया ।

प्रेमचन्द को सूक्ष्म तथा पैनी दृष्टि से यह शोषण कब तक बचा रह सकता था । अपने उपन्यासों में प्रेमचन्द ने शोषण को काफी गम्भीरता के साथ प्रस्तुत किया है । 'ब गोदान' (१९३६ई०) में ब्राह्मण दातादीन के द्वारा होरो का जो शोषण होता है, वह किसी साहूकार तथा जमींदार के शोषण के से कम नहीं है । वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता है तथा उसे देवता समझा जाता है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में वही ब्राह्मण बड़ा ही क्रूर तथा असहिष्णु बन जाता है । धर्म तथा ईश्वर के नाम पर बिना मिहनत के ही वह अपनी जीविका चला ले जाता है । दातादीन अपनी ब्राह्मण वृत्ति के सम्बन्ध में स्वयं कहते हैं,-- 'तुम जमाने की भोख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ-- ऐसा चैन न ब जमींदारी में है, न साहूकारी में ।' दातादीन तीस रुपये के दो सौ रुपये लेना चाहता है । गोबर केवल सत्तर रुपये देने को कहता है । चूंकि ब होरो धार्मिक विश्वास में पूर्ण आस्था रखता है, इसी लिए ब्राह्मण, होरी शूद्र के लिए पूज्य है, चाहे वह ब्राह्मण दातादीन जैसा गुंडा ही क्यों न हो । प्रेमचन्द लिखते हैं,-- 'अगर ठाकुर या

१. प्रेमचन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृ०सं० १४८ ।

बनिये के रूपये होते तो उसे ज्यादा चिन्ता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रूपसे । उसको एक पार्श्व भी दब गई, तो हड्डी तोड़कर निकलेगी । भगवान न करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे । बंस में कोई चिल्लू-भर पानो देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता ।

प्रेमचन्द मानते हैं कि, ' धर्म का मुख्य स्तम्भ भयह है । अनिष्ट की शंका को दूर कर दीजिए, फिर तीर्थ यात्रा, पूजा-याठ, स्नान-ध्यान, रोजा-नमाज, किसी का निशान भी न रहेगा । मसजिदें खाली नजर आयेगी और मन्दिर वीरान ।' वस्तुतः 'रंगभूमि' (१९२५ई०) में प्रेमचन्द बाह्य आडम्बरों से ज्ञाव्य है, लेकिन 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) में आकर उनके विचार और भी उग्र हो गये हैं । विद्यालय में धर्म के विवाद पर अमरकान्त के विचार वस्तुतः लेखक के ही विचार हैं, ' वह जब क्रान्ति में ही देश का उद्धार समझता था -- ऐसी क्रान्ति में, जो सर्वव्यापक हो, जो जीवन के मिथ्या आदर्शों का फूटे सिद्धांतों का, परिपाटियों का अन्त कर दे, जो एक नए युग का प्रवर्तक हो, एक नयी सृष्टि सड़ी कर दे, तो मिट्टी के असंस्थ देवताओं को तोड़ तोड़कर चकनाचूर कर दे । जो मनुष्य को धन और धर्म के आधार

१. प्रेमचन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृ०सं० १३५ ।

२. वही : 'रंगभूमि' (१९२५ई०), पृ०सं० १०१ ।

पर टिकेने वाले राज्य के पंजे से मुक्त कर दे^१। यही अमरकांत आगे चलकर धर्म के स्थान पर व्यक्ति को सर्वोपरि शक्ति की प्रतिष्ठा करता है। वह शलीम से कहता है कि, 'मेरा अपना हँमान है यह है कि मजहब आत्मा के लिए बन्धन है। मेरी अकल जिसे कबूल करे, वह मेरा मजहब है। बाकी सब खुराफात^२।' प्रेमचन्द इसी उपन्यास में भावी संस्कृति की अग्र सूचना देते हैं। गजनवी कहता है कि, 'मजहब का दौर तो खत्म हो रहा है बल्कि यों कही कि खत्म हो गया। -- यह तो दोलत का जमाना है अब कौम में अमीर और गरीब, जायदाद वाले और मरे-भूखे, अपनी ले अपनी जमाते बनायेंगे।' अन्ततः प्रेमचन्द धार्मिक युग का पटाक्षेप करते हैं और ऐसा लगता है कि मानवीय संस्कृति के आगामी नाटक की सूचना वह सूत्रधार के रूप में दे रहे हैं। प्रसाद जी ने जैसे अपने नाटकों में आवश्यकता से अधिक राष्ट्रीय उत्साह को अभिव्यक्त किया है, उसी प्रकार आवश्यकता से अधिक धार्मिक उत्साह प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में प्रकट किया है। वास्तव में प्रेमचन्द का दृष्टिकोण है कि धार्मिक बन्धनों की तुलना में मानवतावाद अधिक महत्वपूर्ण है।

१. प्रेमचन्द : 'कर्मभूमि' (१९३२ई०), पृ०सं० ६५ ।

२. वही, पृ०सं० १०० ।

३. वही, पृ०सं० ३२१ ।

(ग) मन्दिर- प्रवेश

हमारे लोकतंत्री गणराज्य के संविधान में अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया है। अस्पृश्यता अपराध घोषित किया जा चुका है। ऐसे अपराधों के लिए और कड़ी कार्रवाई की सोची जा रही है। लेकिन फिर भी बीसवीं शती की अंतिम चौथाई में हरिजनों में प्रवेश कर पूजा का अधिकार नहीं है। धर्म मानव जाति को सबसे प्राचीन थाता है और यह हर व्यक्ति के आन्तरिक जीवन को प्रभावित करती है। हम समानाधिकार की बातें करते हैं और यह हमारी ईमानदारी और निष्ठा की कसौटी है। हरिजन को मंदिर में प्रवेश की जाता नहीं। यही नहीं, यदि वह ऐसा करने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं तो बर्बर पुजारियों के द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। अस्पृश्यता कानून सम्मत नहीं लेकिन फिर भी बना हुआ है। जब तक मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता और जब तक ऊँची और नाची जातियों का भेद बना हुआ है, तब तक समाज में क्रान्ति नहीं हो सकती। सम्पूर्ण क्रान्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रेमचन्द ने 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) उपन्यास में धार्मिक अत्याचारों का ब भी चित्रण किया है। प्रेमचन्द का विचार है कि धर्म का काम संसार में मेल तथा एकता पैदा करना होना चाहिए, लेकिन समाज की यथार्थता ने यह सिद्ध कर दिया था कि धर्मों में भी विभिन्नता तथा द्वेष हो सकता है। लाला समरकांत ने बेईमानी से रूपया एकत्र कर ठाकुरद्वारे का निर्माण कराया है। समरकांत कहते हैं,-- 'धर्म को मैं हाथि-लाम की तराजू पर नहीं तोल सकता।' जब हरिजन लोग मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो लाला समरकांत

तथा पड़े-पुजारी भमक उठते हैं, 'निकाल दो सभी को मार कर'। 'कर्मभूमि' (१९३३ ई०) उपन्यास में ठाकुर जी के मंदिर में रामायण की कथा का आयोजन है। एक दिन हरिजनों को भी कथा सुनते देखकर हठिवादी दल हंगामा मचाता है। ब्रह्मचारी, समरकान्त से शिकायत करता है कि हरिजन लोग कथा सुनने आते हैं, ब्रह्मचारी ने माथा पीट लिया। ये दुष्ट रोज यहां आते थे। रोज सब को बुते थे। इनका कुआ कुआ प्रसाद लोग रोज खाते थे। इससे बढ़कर अनर्थ क्या हो सकता है। धर्मात्माओं के क्रोध का वारापार न रहा। कई आदमी जुते ले-लेकर उन गरीबों पर पिल पड़े। यह हरिजनों के ऊपर धार्मिक अत्याचार ही है कि उन्हें मंदिरों में कथा न सुनने दिया जाये। 'कर्मभूमि' (१९३३ ई०) उपन्यास के हरिजन पात्र इसका विरोध करते हैं, पर हरिजनों को नेतृत्व सर्वर्ण हिन्दू पात्र शान्ति कुमार करते हैं। शान्ति कुमार हरिजनों से कहते हैं तुम्हें इतनी भी खबर नहीं कि यहां सेठ महाजनों के भावान् रहते हैं। जब एक आदमी कहता है,-- 'हम फौजदारी करने नहीं आये हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने आये हैं।' समरकान्त ने उस आदमी को धक्का देकर कहा, 'तुम्हारे बाप-दादा भी कभी दर्शन करने आये थे कि तुम्हीं सबसे वीर हो।' शान्ति कुमार समरकान्त से कहते हैं,--

१. प्रेमचन्द : 'कर्मभूमि' (१९३३ ई०), पृ०सं० ३०८ ।

२. वही, पृ०सं० ३०८ ।

३. वही, पृ०सं० ३१६ ।

४. वही, पृ०सं० ३१६ ।

'टाकुर जो द्रोही में नहीं हूँ, द्रोही वह है, जो उनके ब्रह्म मन्त्रों को उनकी पूजा नहीं करने देते । क्या यह लोग हिन्दू संस्कारों को नहीं मानते ? फिर अपने मन्दिर का द्वार क्यों बन्द कर रखा है ?' हरिजनों के विरोध करने पर मंदिर का द्वार खुल जाता है । ऐसा लगता है कि शान्तिकुमार के रूप में प्रेमचन्द धर्म के बारे में विचार प्रकट कर रहे हों । इस धार्मिक संघर्ष में अनेक व्यक्तियों की जान भी जाती है । पर प्रेमचन्द मंदिर का द्वार खुलवाकर ही दम लेते हैं । हरिजनों का मंदिर में प्रवेश न करने के विरुद्ध आन्दोलन उचित ही है । चूंकि हरिजनों के ऊपर धार्मिक अत्याचार होता है । अतः इसीलिए प्रेमचन्द ने शान्तिकुमार के नेतृत्व में संघर्ष दिखाया है । अतः इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचन्द की सहानुभूति आन्दोलन-कारियों के प्रति है ।

'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उपन्यास में बुधुआ के ऊपर धार्मिक अत्याचारों का चित्रण हुआ है । 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उपन्यास में बुधुआ मृत्यावस्था की स्थिति में बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करना चाहता है, अतः अघोड़ी बाबा के नेतृत्व में मंगियों का जुलूस विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाता है । मंदिर का पुजारी, मंदिर की पवित्रता की रक्षा के

१. प्रेमचन्द : 'कर्मभूमि' (१९३३ई०), पृ०सं० ३२० ।

लिस पडे-पुरोहितों को साथ लेकर हिंसात्मक संघर्ष को तैयारी करता है। पडे कहते हैं,--'अरे, तो आज लार्से भी उठ जायंगी। हम अपने जोते-जो बाबा के मन्दिर को अशुद्ध न होने देंगे। यह हमारी रोजी की समस्या है। इसी तरह समाज के सभी धुनिये-जुलाहे हमारे तौरों पर कब्जा कर मनमानी करने लगे, तो हमारी तो लुटिया ही डूब जायगी। ऐसे मौके पर अघोड़ी तो अघोड़ी है, परमात्मा भी आवें तो बिना दो-चार डण्डे लगाये हम मानने वाले नहीं।' इस इतिहासी प्रतिगामी दल के लिस सरकारी पुलिस शासन भी सहायता देती है। लेकिन 'उग्र' जो ने अघोड़ी बाबा के अलौकिक चरित्र का सहारा लेकर संघर्ष बचा लेते हैं और हरिजन विश्वनाथ जो के दर्शन भी कर लेते हैं, 'स्कास्क सरस्वती फाटक की ओर से लोगों को आश्चर्य में डालता हुआ, अहोरात्रों का जुलूस मन्दिर में घुस गया और द्वाण भर तक वहाँ के रदाक और पण्डे ऐसे हतबुद्धि रहे कि उन्हें कुछ कर्तव्याकर्तव्य सुफा हो नहीं। वह होश में आये और संभले तब, जब जुलूस वहाँ से गायब हो गया।' चूंकि 'उग्र' जो पर महात्मा गांधी का प्रभाव मिलता है, इसीलिस भंगियों तथा पण्डों के बीच मंदिर - प्रवेश के प्रश्न पर संघर्ष बच जाता है। यों उस समय की सामाजिक स्थिति को देखते हुए संघर्ष अनिवार्य था। 'उग्र' जो

१. पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' : 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०), पृ०सं० १९६

२. वही, पृ०सं० १९८।

हरिजनों का उत्थान चाहते हैं, इसीलिए मन्दिर में उन्हें घुसने दिया है तथा संघर्ष को भी बचाया है। 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उपन्यास हरिजन-समस्या पर रचा गया अद्भुत उपन्यास आज भी ज्यों-का-त्यों ताजा और चिपकाकर्षक है।^१ हरिजनों को मन्दिर के अन्दर न घुसने देना तो एक क्रियाचार है जिसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। आखिर क्या कारण है कि एक सवर्ण हिन्दू के मन्दिर में जाने से मन्दिर अर्पवित्र नहीं होता, पर हरिजन के जाने से अर्पवित्र हो जाता है? इन्हीं धार्मिक क्रियाचारों के कारण सरकार ने भेद-भाव के विरुद्ध कानून बनाये हैं। अयोड़ी का विश्वनाथ जी के मन्दिर में जाना उचित है, अनुचित नहीं।

यज्ञदत्त शर्मा के 'चौथा रास्ता'

(१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर धार्मिक क्रियाचार को चित्रित किया है। हमारे समाज में हरिजनों को चूँकि अछूत तथा निम्न समझा जाता है, इसीलिए उनको मन्दिर में देवी का दर्शन भी नहीं करने दिया जाता है। चूँकि कनकू तथा फाम्मर चमार हैं, अतः पण्डित वर्ग तथा सवर्ण हिन्दू वर्ग हरिजनों के मन्दिर में अन्दर जाने का विरोध करते हैं। शर्मा जी लिखते हैं—
 'मन्दिर के द्वार खुलने वाले थे और पण्डित संकटमोचन अपना अंगौश बांधकर मस्तक पर सिन्दूरी तिलक दिए पूजा के लिए तैयार थे। देवी के सर्वप्रथम दर्शन ठठ चौधरी ह्मसिंह को होने थे, क्योंकि उन्हीं ने देवी के लिए सबसे मूल्यवान तीपल(वस्त्र) बनवाई थीं, परन्तु आज ज्यों ही वह अपनी पूजा का सामान लेकर आगे बढ़े, त्यों ही

बास-पास के देहातों, छोटी जातियों का चारों ओर जमाव
दिसलाई दिया ।

कनकू भीड़ में आगे बढ़कर बोला,-- "बाज
देवी के दरसन सबसे पहले उस्ताद फाम्मन की मां करेगी । जस्सी
लाल की है ऊ । तमाम भीड़ में उससे बड़ा कोई और होय तो
ऊ माला संभाल लैय ।"

भीड़ थोड़ा पीछे हटी । फाम्मन की
मां से बूढ़ा और कोई व्यक्ति आगे नहीं आया । फाम्मन की
मां आगे बढ़ गई । उसके हाथों में फूलों की माला थी । एक
छोटी-सी सूतन, कमीज और एक पीले गौटे की जोड़नी थी ।

यह देखकर ह्पसिंह और दरौगा जी
की तथीरी चढ़ गई । पण्डित संकटमोचन की आँखें भी लाल हो
गई । उनका चेहरा तमतमाने लगा ।

पण्डित संकटमोचन आगे बढ़कर बोले,--
ये नीच जाति के लोग बाज देवी के मन्दिर में कैसे आये ? मैं
दरवाजा बन्द करता हूँ मन्दिर का । सबरदार जाँ किसी ने भी
मन्दिर में प्रवेश किया ।"

लेखक का हरिजनों के ऊपर धार्मिक
क्रियाचार के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण है । वह हरिजनों के
मन्दिर में प्रवेश कराने में सफल होता है । लेखक विद्यासागर के
रूप में मानों अपनी बात कह रहा हो, "पण्डित जी होश कहा है
आपके? जेल जाने की ठानी है क्या ? मालूम नहीं है आपको कि

१. यज्ञच शर्मा : 'चीथा रास्ता' (१९५८ई०), पृ० सं० ८८ ।

आज किसी को नीच जाति कहना अपराध है। जैसे रक्त वीर मांस केब ने आप हैं, वैसे ही तो ये सब भी हैं। आपमें क्या विशेषता है जो इनमें नहीं है? विद्यासागर के पुत्र से ही जमालपुर के देवी का मंदिर मनुष्य मात्र के लिए खुल जाता है तथा आस-पास के देहातों में यह महान क्रान्ति के समान है।

हरिजनों को मंदिर में न घुसने देना तो सामाजिक अपराध है। भारत की स्वाधीनता के बाद अस्पृश्यता विरोधी कानून आ गये हैं। 'कर्मूमि' (१९३२ई०) में तथा मनुष्यानन्द (१९३५ई०) उपन्यासों में हरिजन वर्ग संगठित होकर संघर्ष करते हैं तथा विजय प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार 'चीथा रास्ता' (१९५८ई०) छि में विद्यासागर के नेतृत्व में हरिजन वर्ग मंदिर-प्रवेश के लिए सवणों से मोर्चा लेता है। प्रस्तुत उपन्यास में हरिजनों की संगठित शक्ति के कारण पुरोहित तथा सवणी हिन्दुओं को हारना पड़ता है तथा हरिजनों की विजय होती है। 'कर्मूमि' (१९३२ई०) उपन्यास में तो संघर्ष में कई व्यक्ति मारे जाते हैं, पर शर्मा जी ने इस उपन्यास में सवणों तथा हरिजनों के बीच संघर्ष को बचा लिया है। शायद शर्मा जी पर गांधीवाद का प्रभाव है, इसीलिए संघर्ष को छु उन्होंने टाल दिया है। 'चीथा-रास्ता' (१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों को मन्दिर-प्रवेश पर रुढ़िवादी दल हंगामा मचाता है। धर्मत्माओं के लिए इससे बढ़कर

१. यज्ञदत्त शर्मा : 'चीथा रास्ता' (१९५८ई०), पृ० सं० ८६ ।

अनर्थ क्या हो सकता है कि हरिजन वर्ग मंदिर में सबको आकर कुए तथा प्रसाद को प्राप्त करें। इस उपन्यास में भी पुरोहित संकटमोचन क्रीय प्रकट करता है, पर वह हरिजनों को मारता नहीं है। कनकू कहकर कहता है,--^१ जो संकटमोचन पण्डित ! जरा जुवान संभाल के बौल और देवी के दवारे से दूर हट जा। देवी सारे गाम की है। ठेकेदार नाय है देवी का।^२ इस बर्बरता का मानो स्वयं शमा जो आक्रोश भरे शब्दों में विद्यासागर के माध्यम से नये युग के विद्रोही स्वर में धनी, पडे-पुरोहित वर्ग को चैतावनी देते हैं, गांव के पुराने और सम्य व्यक्तियों से में प्रार्थना कहेगा कि वे समय की बदलती हुई हवा को पहचाने और उसी के साथ अपने को बहते हुए आगे बढ़ते चले।^३

‘प्रतिक्रिया’ (१९६१ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर धार्मिक आचारा का भी चित्रण मिलता है। केशव तथा माधव, मुरलीधर आदि हरिजन लोग मंदिर में हरिजनों की सभा करना चाहते हैं, पर जयराम जैसे सवर्ण हिन्दू लोग उन्हें सभा नहीं करने देते हैं। सवर्ण हिन्दू लोग किस प्रकार हरिजनों का धार्मिक शोषण करते हैं ? इसका चित्रण ‘प्रतिक्रिया’ (१९६१ई०) उपन्यास में मिलता है। जैसे लिखता है,-- ‘गणेशशंकर विधाधी’ की शहादत के पहले इस मन्दिर में केवल धार्मिक नेताओं, साधुओं और महात्माओं के भाषण

१. यशदत्त शमा : ‘बीथा रास्ता’ (१९५८ई०), पृ०सं० ८८।

२. वही, पृ०सं० ८६।

कीर्तन आदि होते थे। युग की आवश्यकता के अनुसार अब यह हिन्दुओं का मोर्चा बन गया था। यहाँ तक तो ठीक था, पर मन्दिर में केवल अछूतों की सभा और सौ भी स्पष्ट रूप से तवर्ण हिन्दुओं का विरोध करने के लिए, इससे लोगों में बड़ी उपेक्षा फैली, यहाँ तक कि चमूपति जो इन दिनों अछूतों के पक्ष का बहुत जबरदस्त प्रतिपादक बन गया था, वह भी दुःखी हो गया।^१ चमूपति हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश को नहीं चाहता है। चमूपति, माधव तथा मुरलीधर हरिजन से कहता है, -- "तुम जो इस प्रकार मन्दिर के अन्दर केवल अछूतों की सभा करने चाहते हो, यह उचित नहीं है। इसका बड़ा विरोध हो रहा है। माधव मानौ इसके लिए तैयार था। बौला-- पहले तो मन्दिर केवल तवर्ण हिन्दुओं की सम्पत्ति हुआ करते थे, पर अब तो यह मन्दिर सब के लिए खुल गया है। फिर यह प्रतिबन्ध क्यों ?

चमूपति नाराज होता हुआ बौला -- प्रतिबन्ध नहीं है, पर जिस व्यक्ति को अधिकार मिलता है, वह स्वयं अपने ऊपर प्रतिबन्ध लाता है। अधिकार के दुरुपयोग से मनुष्य अधिकार से वंचित हो जाता है।

माधव ने अपने साथी मुरलीधर को बाँस मारते हुए व्यंग्य के साथ कहा-- इसके माने यह हुए कि बाप हम

१. मन्मथनाथगुप्त : 'प्रतिक्रिया' (१९६६ई०), पृ०सं० ३८ ।

लोगों को अधिकार से वंचित करने आए हैं। जयराम शर्मा हरिजनों को मंदिर में घुसने से रोकना चाहते हैं। वह हरिजनों के विरुद्ध लाठी हस्तमाल करना चाहता है, इस पर माधव कहता है, -- 'मुरली भाई यह सम्झते हैं कि लाठी में हम जीत जायें, पर मेरा तो यह कहना है कि हम यदि हार भी जाएं और हमारे दो-चार जवान सैत भी रह जाएं, तो कम से कम सारा ढोंग खुल तो जाएगा। हम लोगों का यह पता तो लग गया कि सर्वा हिन्दू हम अछूतों की शक्ति देकर हमारे हाथ में मन्दिर का मुस भरा हुआ मरा बड़ड़ा थमाकर पहलै का शोषण पूर्वक जारी रखना चाहते हैं। धर्म और मन्दिर सबका कलई खुल जाएगा।' माधव आगे इसी पृष्ठ पर कहता है, -- 'मैं यही तो अपने अछूत भाइयों से उस सभा में पूछना चाहता हूँ कि जिन हिन्दुओं ने तुम्हें हजारों बरस से पशुओं की तरह रखा, जिन्होंने मनुष्य होते हुए भी तुम्हें मनुष्य का अधिकार नहीं दिया, जिन्होंने तुम्हें शिक्षा और संस्कृति से वंचित रखा और तुम्हारे श्रम पर जो हजारों वर्ष तक गुलछरों उड़ाते रहे, आज 'तू' कहकर मन्दिर की हड्डी मुह में थमा देने पर क्या तुम उनके द्वारा शोषित होते रहना और हिन्दू कहलाना पसन्द करोगे ?'

१. मन्मथनाथ गुप्ता : 'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०), पृ०सं० ३८ ।

२. वही, पृ०सं० ४० ।

३. वही, पृ०सं० ४० ।

भारतीय समाज में सवणों द्वारा जो धार्मिक क्रियाचार हरिजनों पर किया जाता है, उससे माधव हरिजन बहुत दुःखी है। हरिजनों के मन्दिर प्रवेश पर वह कहता है--'मन्दिर-प्रवेश से भी तो आप लोगों को ही फायदा है। अन्न अपनी गाड़ी कमाई के जो दो-चार पैसे मन्दिर के देवता को चढ़ाएगा, उससे गुलशरी कौन उड़ाएगा? उससे कौन वैश्या-गमन करेगा? किसके घर में उससे धी के दीये जलें? अन्न को मन्दिर - प्रवेश का अधिकार देकर इस प्रकार सवणी हिन्दू उनसे कुछ ले ही रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। आप उन्हें जो अधिकार दे रहे हैं, वह शोषित बने रहने, बल्कि शोषण के नये क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार-मात्र है।' सवणी लोग बाहिरकार हरिजनों को हनुमान-मन्दिर में घुसने नहीं देते। फलस्वरूप संघर्ष होता है तथा कुछ लोग धायल होते हैं।

लेखक ने 'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर होने वाले धार्मिक क्रियाचारों का सुन्दर चित्रण किया है। मन्मथनाथ गुप्त चूंकि गांधीवादी हैं, इसीलिए उन्होंने भारतक संघर्ष को टालने की कोशिश की है। लेखक हरिजनों के साथ सवणों के संघर्ष को नहीं चित्रित करता वरना उमाशंकर जो कि सवणी है, के बेटे चमूपति के साथ सवणों के संघर्ष को चित्रित करता है। लेखक का हरिजनों के हत्याचार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है तभी तो वह चमूपति जैसे सवणी हिन्दू द्वारा सवणों के क्रियाचार का विरोध करवाता है। इससे यह भी स्पष्ट

१. मन्मथनाथ गुप्त : 'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०), पृ० सं० ४२।

हो जाता है कि मन्मथनाथ गुप्त का 'प्रतिक्रिया' (१९६६ ई०) उपन्यास में हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण उनके उत्थान की ओर ही अधिक रहा है। लेखक ने प्रेमचन्द के 'षष्ठ कर्मभूमि' (१९३३ ई०) उपन्यास की भांति उपन्यास में अत्याचार के प्रति सवर्ण तथा हिन्दू दोनों को साथ-साथ करते हुए दिखाया है। यदि गुप्त जी का हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण अत्याचारपूर्ण होता तो वे कदापि चम्पूति के द्वारा हरिजनों की समस्याओं का समर्थन न करते।

'प्रतिक्रिया' (१९६६ ई०) उपन्यास में धार्मिक अत्याचार के प्रति हरिजन पात्रों में पर्याप्त केतना का विकास मिलता है। हरिजनों का मंदिर में घुसना तो कोई अपराध नहीं है। आखिरकार वे भी तो आदमी हैं, वे भी तो हिन्दू हैं, देवी देवता को मानते हैं तथा उन्हें पूजते हैं। अगर सवर्ण हिन्दू कां उनको मन्दिर में घुसने दे तो वे बेचारे कैसे अपने धार्मिक कार्य को सम्पन्न करें। अगर केशव, माधव, मुरलीधर के नेतृत्व में हरिजन कां इन धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाता है तो इसका विरोध नहीं वरन् समर्थन किया जाना चाहिए। माधव तो चम्पूति से यहां तक कहता है, 'हम जानते हैं कि पुरानी पीढ़ी के अज्ञान भाई हमारी बात नहीं मानेंगे, इसका कारण यह नहीं है कि उनके मन पर सत्य का रौब छाया हुआ है, बल्कि इसका कारण यह है कि सैकड़ों वर्षों से आपने और जयराम शर्मा जैसे लोगों ने उनकी आत्मा को इतना अपदस्थ और कुंठित कर रखा है, उनकी आंखों में इस प्रकार से पट्टियां बांध रखी हैं कि सत्य के आलोक का वहां

प्रवेश हो ही नहीं सकता । वे तो घटनाओं और चीजों को उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से आप उन्हें दिखाते हैं^१ । इससे यह स्पष्ट है कि माधव जैसे पात्र से इतनी सामाजिक चेतना का विकास है कि वह अपने ही पीढ़ी के वर्ग को आलोचना करता है । हरिजन ऊपर तो तरह-तरह के अत्याचार तो सदा से होते रहे हैं । हरिजन वर्ग जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आया तब से वे अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करने लगे । इस विषय पर जरा गांधी जी के विचार भी जानना चाहिए 'मन्दिर में जो मूर्ति है वह भगवान नहीं है, पर चूंकि भगवान हर परमात्मा में निवास करते हैं, इसलिए मूर्ति में भी भगवान का निवास है । जब आकायता मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है तो उस मूर्ति के सम्बन्ध में समझा जाता है कि उसे पवित्रता प्राप्त हो गई' । इस वाक्य के एक शब्द से नास्तिकता फांक रही है । जब कुआबूत नहीं मानो हए और मूर्ति-पूजा का आधार उड़ा दिया तो फिर हिन्दू धर्म क्या बचा रहा । गांधी जी आगे कहते हैं, -- ' मैं ऐसा कहना धर्म का उपहास समझता हूँ कि भगवान किसी ऐसे मन्दिर में निवास करते हैं, जिसमें से उसके भक्तों का एक विशेष वर्ग बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता है और इसलिए रामदेव जी ने यह ठोक

१. चतुर्दशक अठारवके ०

१. मन्मथनाथ गुप्त : 'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०), पृ० सं० ४१ ।

हा कहा है कि यह मंदिर आज से एक सच्चा मन्दिर होगा, क्योंकि आज से यह हरिजनों के लिए खोल दिया गया^१। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जो हरिजनों के मंदिर प्रवेश करने के विरुद्ध नहीं थे। गांधी जो अस्पृश्यता के बारे में कहते हैं,-- यह कोई धर्मोक्ति नहीं है। यह शैतान की कृति है। शैतान ने सदैव शास्त्रों के प्रमाण दिये हैं, परन्तु शास्त्र भी तर्क तथा सत्य को उपेक्षा नहीं कर सकते। उनका उद्देश्य यह है कि वे तर्क को पवित्र करें तथा सत्य का प्रकाश फैलावे^२। मदनमोहन मालवीय का धार्मिक अत्याचार के प्रति निम्न दृष्टिकोण है,-- शास्त्रों के अनुसार देवता के निकट जाने की योग्यता यह है कि मनुष्य के हृदय में भक्ति हो। पद, वर्ण या विद्वत्ता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ईश्वर किसी अपने भक्त को अपने निकट जाने से कदापि नहीं रोकेंगा तथा मंदिरों के अधिकारियों को यह उचित नहीं है कि वे देवता के पास किसी को जाने से न रोकें। किसी धर्म शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कितनी ही निम्न श्रेणी का वह क्यों न हो ? देव-दर्शन से वंचित रखा जाय^३। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हरिजनों के ऊपर किसी प्रकार का धार्मिक अत्याचारों को न तो करना चाहिये और न करने देना चाहिये। अतः साथ ही साथ स्वतः यह भी स्पष्ट हो

१. तेंदुत्कर, जिल्द ३, पृ०सं० २६८।

२. 'सरस्वती', जनवरी ३०, पृ०सं० १०३।

३. वही, पृ०सं० १०६।

जाता है कि केशव तथा माधव को सवर्ण लोग मन्दिर में समा नहीं करने देना चाहते, यह नितान्त तथा असंगत बात है। केशव तथा माधव के नेतृत्व में हरिजनों का धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करना इस बात का परिचायक है कि हरिजनों में अब इन अत्याचारों के प्रति विद्रोह प्रकट करने के लिए संघबद्ध सकता आ गई है। 'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०) उपन्यास में जिस तरह हरिजन लोग अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करते हैं, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हरिजन वर्ग कुछ समय बाद अपनी दासता से मुक्त हो जायगा। गांधी जी का तो यहां तक विचार था कि 'जब तक कोई मन्दिर आवां डाल ब्राह्मण तक सबके लिए खुल न जाए, तब तक उस मन्दिर का बायकाट करना चाहिए।' यह तो स्पष्ट है ही कि 'जो लोग कुआड़त दूर करने में विश्वास करते हैं, उन्हें ऐसे मंदिरों में न जाना चाहिए, जो हरिजनों के लिए नहीं खुले हैं।'

चतुरसेन शास्त्री के 'शुभदा' (१९६२ई०) उपन्यास में हरिजन पात्र रासमणि (केवट) के ऊपर अत्याचार का चित्रण मिलता है। रानी रासमणि काशी जाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना चाहता है, पर चूंकि वे हरिजन हैं, इसीलिए ब्राह्मण वर्ग उन्हें दर्शन करने नहीं देता है। बंगाल में ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व और जाति-पांति का अहंकार बहुत था, उसी का प्रभाव रानी रासमणि पर भी पड़ता है, 'रानी की बड़ी अभिलाषा थी कि वह काशी जाकर श्री विश्वनाथ

१. मन्मथनाथ गुप्त : 'सागर संगम' (१९६२ई०), पृ० सं० २१३ ।

का दर्शन करे । इसके लिए उन्होंने बहुत भारी रकम रख छोड़ी थी । परन्तु उस समय बंगाल का कोई निष्ठावान ब्राह्मण उनके साथ जाकर उन्हें विश्वनाथ जी के दर्शन कराने की राजी नहीं हुआ ।^१

रानी को विश्वनाथ जी का दर्शन न करने देना तो सामाजिक, धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता है । लेखक ने रानी में साहस का भाव निरूपित किया है । रानी अपने ऊपर होने वाले इस अत्याचार का बदला एक अलग मन्दिर स्थापित करके लेती है । पर चूंकि वे जाति की केवट थीं, इसलिए प्रतिष्ठा के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिला । मन्दिर स्थापित करने पर भी उनका (रानी का) शुद्रत्व कम नहीं होता । लेखक लिखता है,-- 'कैसी अद्भुत बात थी कि इस धर्मपीरक चरित्रता रानी का शुद्रत्व तनिक भी कम न होता था । वे शुद्रा थीं, अद्भुत थीं । उनके प्रतिष्ठित देवता भी ब्राह्मणों के लिए अस्पृश्य थे । इन दिनों बंगाल में कूत-कूत और जातपात का ऐसा ही असाध्यरोग चल रहा था ।^२ लेखक हरिजनों के सम्बन्ध में ब्राह्मण के मुख से कहलवा देता है कि ब्राह्मण अधम है तथा रानी पवित्र है । ब्राह्मण कहता है,-- 'जो आत्मा मेरे अन्तर बास करती है, वही आपके अन्तर में भी है । अन्तर इतना ही है कि आप धर्मात्मा तथा पवित्र हैं और मैं अधम हूँ ।'^३ ब्राह्मण के रूप में

१. चतुरसेन शास्त्री : 'गुमदा' (१९६२ई०), पृ०सं० १९७ ।

२. वही, पृ०सं० १९८ ।

३. वही, पृ०सं० २०२ ।

लगता है कि लेखक अपने विचारों को प्रकट कर रहा हो, ब्राह्मण तो सदा सत्य बोलता है। मैंने भी सत्य कहा है। मैंने आपके सम्बन्ध में सब बातें सुनीं। ब्राह्मणों ने आपका कितना तिरस्कार किया यह भी सुना। जाति-अभिमान में ये मूढ़ अच्छे और बुरे और धर्माधर्म का विचार भी खो बैठे हैं। फिरंगी लोग इनके पिर पर पैर रखकर जो शासन चला रहे हैं, वह इन ब्राह्मणों की चाल नहीं चलती। उन्हें भाई बाप बनाते इनको लज्जा नहीं आती। जिन दिन नैष्ठिक ब्राह्मण नन्दकुमार को कलकत्ता में फाँसा दी गई, तब ये ब्राह्मण और इनके शास्त्र कहां चले गए थे। उन्होंने शाप देकर अंग्रेजों को क्यों नहीं भस्म कर दिया? ये ढोंगी पाण्डेय, मुर्ख घमण्डी ब्राह्मण एक धर्मात्मा रानी का ही नहीं, देवता का भी तिरस्कार करने में नहीं शर्माए। आप जाति से शुद्ध हैं, इसलिए आप द्वारा प्रतिष्ठित देवता का पूजन-नमन भी ये करेंगे? मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब ब्राह्मणों को गीला से उड़ा दूँ और हिन्दू धर्म को इनको दासता से मुक्त कर दूँ। मैं भी कहता हूँ कि ब्राह्मणों को कोई हक नहीं है कि वे किसी को मन्दिर में न जाने दें। जो व्यक्ति अपने हृदय के अन्दर कुत्सित विचारों को धारण करता है, वह ब्राह्मण होते हुए भी शुद्ध के समान है। जिसने

१. चतुरसेन शास्त्री : 'शुभदा' (१९६२ई०), पृ०सं० २०२।

उ अपना इन्द्रियों को वश में करके वासना से मुक्ति पा ली हो और जो सब बन्धनों से मुक्त, वातराग शांत महात्मा हो, वही ब्राह्मण है। दक्षिणा के लोभ में निमन्त्रण खाने वाले पेटू ब्राह्मण थोड़े ही हैं, ब्राह्मण के रूप में बेल हैं। ऐसे ब्राह्मणों को रानों के मन्दिर का बहिष्कार करने का अधिकार भी नहीं है।

(घ) मध्यकाल के निम्नवर्ग के द्वारा तथाकथित ब्राह्मण वर्ग की आलोचना

ब्रह्मसूत्रम्

हमारा मत है कि मनुष्य जन्मतः शूद्र रहता है।

वह संस्कार से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बनता है। यदि वह वेदाध्यायी है तो ही उसे विप्र कहना चाहिए और ब्राह्मण तो उसे ही माना जा सकता है, जिसने आत्मा के स्वरूप या ब्रह्म को पहचान लिया है अर्थात् गुण तथा कर्म के आधार पर ही कोई व्यक्ति बन सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारी वर्ण-व्यवस्था कर्मानुसारिणी थी। जन्म के आधार पर अस्पृश्यता यहाँ नाम की भाँति थी। गुणों के आधार पर ही समाज का संचालन होता था। जानवान व शूद्र ब्राह्मण से श्रेष्ठ और विगताचार ब्राह्मण शूद्र से हीन समझा जाता था। अस्पृश्यता की दुहाई देकर ऊँच नीच का समर्थन करना कितना गलत है ?

प्राचीन समय में ऋषि-मुनि वृद्ध लोगों को ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती थी, जो कि उचित भी था। आगे चलकर ब्राह्मण वर्ग में अनेक दुर्गुणता व्याप्त हो गई। कर्मों पर महत्त्व न देकर जन्म को महत्त्व दिया गया। अतः ब्राह्मण वर्ग की आलोचनाएँ की जाने

व अपना इन्द्रियों को वश में करके वासना से मुक्ति पा ली हो और जो सब बन्धनों से मुक्त, वातराग शांत महात्मा हो, वही ब्राह्मण है। दक्षिणा के लोभ में निमन्त्रण खाने वाले पेट ब्राह्मण थोड़े ही हैं, ब्राह्मण के रूप में बेल हैं। ऐसे ब्राह्मणों को रानों के मन्दिर का बहिष्कार करने का अधिकार भी नहीं है।

(घ) मध्यकाल के निम्नवर्ग के द्वारा तथाकथित ब्राह्मण वर्ग की आलोचना

ब्रह्मण्यं ऋते

हमारा मत है कि मनुष्य जन्मतः शुद्ध रहता है।

वह संस्कार से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बनता है। यदि वह वेदाध्यायी है तो हा उसे विप्र कहना चाहिये और ब्राह्मण तो उसे ही माना जा सकता है, जिसने आत्मा के स्वस्व या ब्रह्म को पहचान लिया है अर्थात् गुण तथा कर्म के आधार पर ही कोई व्यक्ति बन सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे वर्ण-व्यवस्था कर्मानुसारिणी थी। जन्म के आधार पर अस्पृश्यता यहां नाम की भी न थी। गुणों के आधार पर ही समाज का संचालन होता था। जानवान व शुद्ध ब्राह्मण से श्रेष्ठ और विगताचार ब्राह्मण शुद्ध से हीन समझा जाता था। अस्पृश्यता की दुहाई देकर ऊंच नीच का समर्थन करना कितना गलत है ?

प्राचीन समय में ऋषि-मुनि व लोगों को ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती थी, जो कि उचित भी था। आगे चलकर ब्राह्मण वर्ग में अनेक दुर्गुणता व्याप्त हो गई। कर्मों पर महत्त्व न देकर जन्म को महत्त्व दिया गया। अतः ब्राह्मण वर्ग की आलोचनाएं की जाने

लगां । एक ओर जब वेदों के कर्मकाण्ड का बोलबाला था तो दूसरी ओर ब्राह्मण लोग भी थे जो वेदों को तिल बराबर भी परवाह नहीं करते हैं । वह अपना सहज स्वतन्त्र जीवन बिताते थे, अतः प्रागैतिहासिक काल से ही भारतीय संस्कृति के दो स्थूल विभाजन हो गये थे-- वेदान्तरहित तथा वेद वाह्य । आगे चलकर जैन तथा बौद्ध धर्म में वेद विरोधी स्वर जोर पकड़ने लगा । हरिजन वर्गों ने भी ब्राह्मणों के कर्मकाण्डों का खण्डन किया है । मध्यकाल में तो अनेक हरिजन संत हुए जैसे कबीर (१३६६-१५२८ई०), नामदेव (१५वीं शताब्दी का दूसरा भाग) नामा स्वामी (१६००ई० के लगभग), रैदास (१५ वीं शताब्दी के अन्त से लेकर १६ वीं शताब्दी के मध्य तक), कूबा जी (१६००ई० के आस पास) आदि । इन्होंने जैसे अन्य सैकड़ों हरिजन संतों और भक्तों ने जो कुछ भारत का उपकार किया है, वह अनवरत और वाक् के अगोचर हैं । इनमें कबीरदास जो ही ऐसे हरिजन संत हैं, जिन्होंने अपने पदों में ब्राह्मणों के कर्मकाण्डों का खण्डन-मण्डन किया है ।

कबीर का समय १३६६-१५२८ई० तक माना जाता है । संत साहित्य के प्रवर्तक भी यही कहे जाते हैं । कबीर के ऊपर नाथ और सिद्धजैन की विचारधारा का पूर्ण प्रभाव मिलता है । कबीर जाति के जुलाहे थे जैसे 'जल जलहों ढरि मिलिआ त्यों ढरि मिला जुलाहा ।'

१. पारसनाथ तिवारी (सम्पा०) : 'कबीर वाणी सुधा' (१६७२ई०)

पृ०सं० २१, पद संख्या ६५ ।

अर्थात् जैसे जल ढलक कर जल में मिल जाता है, वैसे ही जुलाहा (कबीर) भी ढलक कर (अपने मूल अंशों राम में) मिल गया। कहते हैं कि, :--

‘वेद कतेब इफतरा भाई दिल का फिकर न जाइ ।

टुक दम करारो जउ करहु हाजिर हजूर खुदाइ ।’

अर्थात् ऐ भाई, वेद और कुरान फूटे कलंक हैं, इनसे हृदय की चिन्ता दूर नहीं होगी। यदि थोड़ी हिम्मत बांधो तो खुदा तुम्हारे समक्ष ही वर्तमान मिलेगा।

पंडितों की आलोचना करते हुए कहते हैं, --

‘जो तुम्ह पंडित और वधि जानों अति तरु मरनां ।

राज पाठ अरु कृत्र सिंघासन बहु सुंदरि रमनां ।’

अर्थात् ऐ पंडित, यदि तुम शास्त्र वेद (अथवा भविष्य) और विद्या व व्याकरण जानते हो, तंत्र-मंत्र और सब औषधियां जानते हो, तब भी अन्त में तुम्हें मरना है।

कबीर ने आगे कहा है,--

‘वेद पढ़ता बांझन मारा ।’

१. डा० पारसनाथ तिवारी : ‘कबीर वाणी सुधा’ (१९७२ई०),

पृ०सं०७, पद सं० २३

२. वही, पृ०सं० ६, पद सं० २८ ।

३. वही, पृ०सं० १४, पद सं० ४१ ।

अर्थात् (माया को सम्बोधित करते हुए) तुने
वेद पढ़ते ब्राह्मण को मारा ।

सामाजिक शोषण, अनाचार और अन्याय के
विरुद्ध संघर्ष में आज भी कबीर का काव्य एक तीखा अस्त्र है ।
कबीर से हम रुढ़िगत सामन्ती दुराचार और अन्यायी सामाजिक
व्यवस्था के विरुद्ध उठकर लड़ना सीखते हैं और यह भी सीखते हैं
कि विद्रोही कवि किस प्रकार अन्त तक शोषण के दुर्ग के सामने
अपना माथा ऊंचा रखता है ।

नामदेव की कविताओं में हमें पंडित कां के
रूपर आलोचना नहीं प्राप्त होती । नामदेव जाति के कीपी थे
तथा इनका समय १५ वीं शती का दूसरा अठ भाग माना गया है ।

नामा स्वामी (१६००ई० के लगभग वर्तमान) जाति
के डोम थे । भगवान् की भक्ति में जात-पाति का कोई फगड़ा
नहीं है । कम से कम 'भक्तमाल' (१५८५ई०) में जात-पाति की
विषैली विषमता नहीं मिलती है । मंगलाचरण से ही यह बात
स्पष्ट हो जाती है ।

रैदास जो जाति के चमार थे तथा इनका समय
(१५ वीं शती के अन्त से १६ वीं शती के मध्य तक) माना जाता है।
नामा स्वामी ने रैदास के लिए लिखा है:-

१. प्रकाशचन्द्र गुप्त : 'हिन्दी साहित्य की जनवादी परम्परा'

डा० रामजीलाल सहायक द्वारा कबीर-दर्शन, पृ० ४३ पर उद्धृत ।

वर्णश्रम अभिमान तजि, पद-रज बन्दहिं जासु की ।
सन्देह-ग्रन्थि खण्डन निपुन, बानी विमल रैदास की ।^१

-- नाभा स्वामी

रैदास जी वेद पुरान के लिए कहते हैं,--

‘कर्म अकर्म विचारिए, संका सुन वेद-पुरान ।
संसा रुद हिरदे बसै, कौन हरै अभिमान ॥’^२

इसके अतिरिक्त पंडितों के ऊपर खण्डन-
मण्डन उनको कविताओं में नहीं प्राप्त होता ।

दुआ कुम्हार का पता 'भक्तमाल' (१५८५ई०) से
पता चलता है । उनको वाणियां अब प्राप्य नहीं हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल में संतों व
भक्तों का आविर्भाव हुआ। पर अन्त में कबीर ने ही पंडितों
के कर्म काण्डों को आलोचना की है । मध्यकाल में अन्य हरिजन संतों
के द्वारा ब्राह्मण वर्ग की आलोचना नहीं प्राप्त होती है । इसका
कारण यह ही है कि अनेक संतों व भक्तों की वाणियां अब
विलुप्त प्रायः हैं । आवश्यकता है कि इनकी वाणियों का पता
लगाया जाय तभी इस दिशा में कार्य आगे हो सकता है, अन्यथा नहीं ।

-०-

१. किशोरीदास वाजपेयी : 'वर्ण-व्यवस्था और अकृत', पृ०सं०३४ ।

२. वही, पृ०सं० ३८ ।

अष्टम अध्याय

-0-

उपसंहार

- (क) निष्कर्ष ।
- (ख) स्वतन्त्र भारत का संविधान ।
- (ग) वर्तमान सरकार के द्वारा प्रोत्साहन ।

अष्टम अध्याय

-0-

उपसंहार

(क) निष्कर्ष

वर्णाश्रम व्यवस्था प्राचीनकाल से ही हिन्दू समाज की विशेषता और आधार रही है। इस व्यवस्था के अनुसार समाज को चार वर्णों-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है। वर्ण-व्यवस्था इतनी प्राचीन है, जितना कि ऋग्वेद। वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीनतम व्याख्या ऋग्वेद के दशम मण्डल के पुरुष सूक्त में मिलती है। जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट्-पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। यह व्याख्या स्पष्टतः शाब्दिक न होकर आलंकारिक है। इसमें समाज की विराट् पुरुष के रूप में कल्पना की गई है, जिसके चारों वर्ण अंग हैं। इस व्याख्या से एक ओर तो चारों वर्णों की स्थिति का पता चलता है तो दूसरी ओर प्रत्येक वर्ण के कर्तव्यों के विषय में भी संकेत मिलता है।

समाज का मस्तिष्क ब्राह्मण वर्ग ही होता है। समाज इन्हीं के द्वारा सोचता है, इन्हीं के द्वारा बोलता है और

इन्हों के नेतृत्व में सन्मार्ग पर चलता है । कात्रिय समाज पुरुष की भुजार्ये थे । जिस प्रकार भुजार्ये शरीर की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार उनका कर्तव्य बाह्य तथा आन्तरिक शत्रुओं से समाज की रक्षा करना था । जिस प्रकार शरीर की भार जंघासं वहन करती हैं, उसी प्रकार समाज पुरुष का भार तीसरा वर्ग वैश्य धारण करता था । समाज की आर्थिक अवस्था और व्यवस्था का दायित्व इसी वर्ग पर था । वैश्य का कर्तव्य था कि वह कृषि, पशु-पालन और व्यापार की ओर ध्यान दें और सुद पर धन दें । ये तीनों वर्ण द्विज कहे जाते थे । इनको उपनयन कराकर वेद आदि के अध्ययन तथा यज्ञों के करने का अधिकार था । इस प्रकार ये तीनों वर्ण आर्य संस्कृति के प्रहरी थे । इनके विपरीत चौथा वर्ण शूद्र-- इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए था । उसकी समाज-पुरुष के पैरों से उत्पत्ति की कल्पना की गई । इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार शरीर में पैर है, उसी प्रकार समाज में शूद्र हैं । हिन्दुओं को चार वर्णों में विभाजित करके ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने चेष्टा की गई, जिनकी सहायता से प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का पालन करते हुए चरम लक्ष्य की ओर बढ़ सके ।

वर्तमान समय में समूचे देश में सहस्रों जातियां और उपजातियां मिलती हैं, जिनकी गणना हरिजन वर्ग के अन्तर्गत की जाती है । हरिजन वर्ग की कुछ जातियों के नाम को देखने से स्पष्टतः पता चलता है कि कई जातियों ने एक ही वर्ग से निकल कर अलग-अलग नाम धारण कर लिए तथा उस नाम से एक जाति की स्थापना हुई ।

हम कह सकते हैं कि जटिया, जाटव, अहरवार, जैसवार, कुरील, रैदास, रविदासी आदि नाम चमार वर्ग के नाम से बचने के लिए हा रखे गये हैं। किस आधार पर कौन सी जाति हरिजन मानी जाये ? इसके लिए एक कसौटी तैयार की गई तथा यह तय किया गया कि जिन वर्गों को दशा मिलती-जुलती हो उन्हें परिगणित जाति माना जाये। निम्नलिखित प्रश्नों के रूप में कसौटी तैयार की गई--

- (१) क्या वह वर्ग ब्राह्मणों के द्वारा शुद्ध माना जाता है ?
- (२) क्या नाई, दर्जा, सक्के, बावची, कहार आदि उस वर्ग के लोगों की सेवा कर देते हैं ?
- (३) क्या निम्न कहे जाने वाले लोग उच्च कहे जाने वाले लोगों से मिल पाते हैं ?
- (४) क्या उन वर्गों के हाथ का पानी दूसरे उच्च वर्गों के द्वारा पी लिया जाता है ?
- (५) क्या उस वर्ग के लोग सार्वजनिक स्थानों, कुओं, सड़कों, किश्तियों तथा स्कूलों में जा पाते हैं ?
- (६) क्या इस वर्ग के लोग मंदिर तथा पूजाघरों में जा पाते हैं ?
- (७) क्या एक ही योग्यता का व्यक्ति एक सा सम्मान पाता है ?
- (८) क्या निम्न कहा जाने वाला वर्ग स्वयं निम्न बन गया है या बनाया गया है ?
- (९) क्या उनका पेशा घृणित है या समाज के द्वारा घृणित बना दिया गया है ?

इस कसौटी के अनुसार जातियों की जो सूची तैयार की गई तथा उन्हें ही निम्न, अकूत अन्त्यज पतित, दलित, परिगणित और हरिजन जाति आदि नामों से पुकारा गया।

महात्मा गांधी ने अन्त्यजों के कहने पर अकूतों को 'हरिजन' नाम दिया। 'हरिजन' शब्द का प्रयोग उन्होंने ६-८-१९३१ई० को 'नवजीवन' (साप्ताहिक पत्रिका) में किया है। गांधी जी के अनुसार 'हरिजन' शब्द का अर्थ 'हरिजन' अर्थात् जो हरि का भक्त हो, है। गांधी जी ने कहा, जिस प्रकार 'कालोपरज' शब्द मिटकर 'रानीपरज' हो गया, उसी प्रकार हरिजन का नाम व गुण से हरिजन बनें।

यदि

संस्कृत साहित्य में 'हरिजन' शब्द तो नहीं मिलता, पर शुद्र शब्द मिलता है। यजुर्वेद, गीता, नृसिंह पुराण मत्स्य पुराण आदि में 'शुद्र' शब्द का उल्लेख मिलता है। स्मृतियों में भी जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति (वेद) व्यास, आपस्तम्ब स्मृति आदि में 'शुद्र' शब्द प्रयोग हुआ है। अन्य किसी पुराण में हमें 'हरिजन' शब्द नहीं प्राप्त होता। हिन्दी साहित्य के इतिहास में हमें एक लम्बी धारा देखने को मिलती है। आदिकाल में हमें 'हरिजन' शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। 'हरिजन' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मध्यकाल के भक्ति-काल के निर्गुणशाखा के सन्त मत के प्रवर्तक कबीर (१३६६-१५१८ई०) की रचनाओं में मिलता है। अन्य संत कवियों में रैदास (१५वीं शती के अन्त से १६ वीं शती के मध्य तक) तथा गुरु नानक (१४६६-१५३९ई०)

ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है ।

रामकाव्य-परम्परा में तो तुलसीदास (१५३१-१६२३ई०) तथा केशवदास (१५५५-१६१७ई०) के अतिरिक्त अन्य कवि हुए । जैसे कृष्णदास, पथहारी, अग्रदास, प्राणचन्द्र, (रामायण महानाटक १५२०ई०), हृदयराम (भाषा-हनुमन्नाटक, १६२३ई०) आदि, पर तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है । रामकाव्य-परम्परा में ही नाभादास (१६००ई० के लगभग) ने 'भक्तमाल' (१५८५ई०) में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है ।

कृष्ण-काव्य-परम्परा में भी अनेक कवि हुए ।

जैसे -- सुरदास (१४७८-१५८०ई०), नन्ददास (१५३३-१५८६ई०), सेनापति (१५८६ई०), हित हरिवंश, रसखान (१५१८-१६१७ई०), नरौत्तमदास (१५४५ई०), मीरा (१५०३-१५४६ई०) आदि पर मीरा तथा सेनापति ने ही 'हरिजन' शब्द का उल्लेख किया है ।

आधुनिककाल में मुसलमान कवियों को काव्य-साधना को देखकर मारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५०-१८८५ई०) ने कहा :--

'इन मुसलमान 'हरिजन' पै कोटिक हिन्दू वारिए ।'

महात्मा गांधी जी के अनुसार हिन्दुस्तान के चार करोड़ हरिजनों के समान असहाय कौन हैं ? यदि किसी को भगवान की सन्तान कहा जा सकता है तो वह केवल हरिजन को ही । डा० राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार 'हरिजन' मनुष्य मात्र है या कोई नहीं ।

उनके अनुसार 'हरिजन' शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं मालूम होता । मुत्कराज आनन्द के अनुसार 'हरिजन' परमात्मा को संतान है, किन्तु समाज उनको उचित स्थान नहीं देता । डा० रामजीलाल सहायक के अनुसार 'हरिजन' हरि का भक्त है । वे 'हरिजन' शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, जैसा कि गांधी जी ने प्रयोग किया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीनतम रूप में 'हरिजन' शब्द का जो अर्थ था, वर्तमान युग में उसका रूप बदल गया है । अब 'हरिजन' शब्द का प्रयोग सभी अनुसूचित जातियों के लिए ही होता है ।

हमारे समाज को चार वर्गों में बांटा गया और उसमें शूद्रों का कर्तव्य अन्य तीन द्विज वर्णोंकी सेवा करना है । हरिजनों की स्थिति प्रारम्भ से ही दयनीय रहा है । युद्ध की परिस्थितियों के कारण आर्य जाति ने श्रम-विभाजन को प्रोत्साहित किया तथा कर्म के अनुसार चार वर्णों की व्यवस्था की । वर्ण तथा जाति-व्यवस्था शुद्ध स्वल्प महाभारत काल तक चला । बुद्ध के समय गरीब लोगों को दास शूद्र अनाथ आदि नाम दिया गया । अशोक के समय जाति-पांति का तुफान खड़ा हुआ । मुस्लिम वंश के समय हरिजनों को अस्पृश्य, अछूत तथा नीच नाम दिया गया । आगे इनको अछूत कहकर पुकारा जाने लगा । मध्यकाल में ज्योतिरीश्वर कवि शंकराचार्य ने हरिजनों की गणना 'मन्द व जाति' के अन्तर्गत किया है । मुगल साम्राज्य के पतन के बाद फ्रांस, पुर्तगाल और अंग्रेज वाले आये । अंग्रेजों ने चालाकी से समूचे देश पर कब्जा किया । चमड़े का काम, चमड़ा सिफाना, छल जोतना, घास ढीलना आदि कार्यों को नीच कार्य कहा गया तथा इनके करने वाले को हरिजन समझकर उनके साथ छूत-छात का बर्ताव किया गया । इस प्रकार अंग्रेजी सत्तनत में हरिजनों की दशा निम्न ही थी ।

उनके सभी अधिकार हिनै हुए थे । उन्हें मंदिरों पर जाने नहीं दिया जाता था । जमांदारों के यहां बेगार करनी पड़ती थी । हरिजनों की दशा भारत के स्वतंत्र होने के बाद सुदृढ़ होती गई । कांग्रेस सरकार के द्वारा इनकी दशा सुधारी गई । आज भी कांग्रेस सरकार इनकी दशा सुधारने के लिए प्रयत्नशील है । नवयुव हरिजनों के लिए वरदान बन गया है । अब वे सब के समान राजनीति में भाग ले सकते

हैं । खान्दान में भी अब कोई कूत-शात का बर्ताव नहीं होता । उन्हें अब दूसरों के यहां बेगार भी नहीं करनी पड़ती । वे मंदिरों में भी बेरोकटोक जा सकते हैं । वर्तमान युग हरिजनों के लिए चतुर्मुखी उन्नति का युग है ।

अनेक समाज-सुधारवादी आन्दोलन भी हुए हैं, जैसे-- ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज आदि इन सब के द्वारा भी हरिजनों की स्थिति सुधारने की चेष्टा की गई । हरिजनों को सबसे अधिक आर्य समाज ने प्रभावित किया । आर्य समाज के अग्रगण्य प्रवर्तक महर्षि दयानन्द को सबसे बड़ा कष्ट इस बात का था कि मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु है । मनुष्यों में परस्पर दोषवृत्ति है । ऊँच-नीच की भावना है । हरिजनों तथा सवर्णों के बीच भेद-भाव की साक्ष्य है । दयानन्द ने इस दुर्भावना पर कुठाराघात किया । दयानन्द तथा आर्यसमाज के ने हरिजनों की उन्नति के लिए महान प्रयत्न किए । अन्धविश्वास, ऊँच नीच एवं अत्याचार के विरुद्ध अनेक आंदोलन चलाए । आज भी आर्य समाज अत्याचार के विरुद्ध जागरूक है । वैसे

ब्रह्म समाज ने भी हरिजनों के उत्थान में योग दिया । इसके अतिरिक्त प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन और विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस ने भी हरिजनों के उत्थान में बहुत योगदान दिया ।

उन्नीसवीं शती के धार्मिक समाज सुधारवादी आंदोलन के कारण भारत के हरिजनों में नवचेतना का संचार हुआ । इसका प्रभाव यह हुआ कि हरिजनों की उदासीनता का अन्त हो गया, उनमें पुनः आत्मगौरव का संचार हुआ । इस आन्दोलनों से हरिजनों में सामाजिक चेतना का विकास हुआ । सामाजिक क्षेत्र में इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप हरिजन वर्ग की अनेक कुरीतियां दूर हो गईं । अकृतोद्धार जैसे स्वस्थ आन्दोलनों को बल मिला । इन सभी परिस्थितियों का हिन्दी उपन्यास में चित्रण मिलता है । प्रायः सभी उपन्यासकारों पर इन समाज - सुधारवादी आन्दोलनों का प्रभाव स्पष्टतः देखने को मिलता है । बीसवीं शती के प्रारम्भिक उपन्यासकारों के सामाजिक दृष्टिकोण एवं तत्कालीन सामाजिक चेतना में व्यापक अन्तर दिखाई देता है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक उपन्यासकार कई कदम पीछे हैं । बीसवीं शती के प्रारम्भिक उपन्यासकारों के बाद की स्थिति में परिवर्तन हुआ है । उन्होंने हरिजनों के सुधार पर ही अधिक बल दिया है । ज्यादातर उपन्यासकारों ने हरिजनों के उत्थान को ही चित्रित किया है । कुछ उपन्यासकार ऐसे हैं, जो संकीर्णवादी हैं । वे पुरातन परम्परा को ही महत्व देते हैं । सुधारवादी उपन्यासकारों में प्रेमचन्द, वात्स्यायन,

वृन्दावनलाल वर्मा, भगवती चरणवर्मा, मन्मथनाथ गुप्त, रामचन्द्र तिवारी और बैजनाथ गुप्त आदि प्रमुख हैं। संकीर्णवादी उपन्यासकारों में लज्जाराम शर्मा, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, रामगोविन्द मिश्र, शिवपूजन सहाय, कमल शुक्ल, रामप्रसाद मिश्र और डा० सुरेश सिन्हा आदि प्रमुख हैं।

हिन्दी उपन्यासों में हरिजनों की सामाजिक स्थिति पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि बीसवीं शती के आरम्भिक उपन्यासकारों ने हरिजनों के प्रति कट्टर मान्यताओं का खण्डन किया है, लेकिन बाद के उपन्यासकारों ने कट्टर रूप मान्यताओं का मोह छोड़ दिया है। हरिजनों की समस्या प्राचीनकाल से चली आ रही है। १९२५ई० में पहली बार कांग्रेस (कलकत्ता अधिवेशन) ने प्रस्ताव पास किया कि इस कांग्रेस भारतवासियों से आग्रह करती है कि दलित जातियों पर जो रुकावटें चली आ रही हैं, वे बहुत दुःखदायक हैं। उनको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों की स्थिति भेदभाव तथा वैमनस्य उत्पन्न करने की थी। उन्होंने हरिजन-समस्याको राजनीतिक रूप दे दिया। परिणामस्वरूप हरिजनों ने पृथक् निर्वाचन की मांग रखी। अन्त में चलकर सितम्बर १९३२ में 'पुना-पैक्ट' समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा हरिजनों ने पृथक् निर्वाचन की मांग को त्याग दिया। स्वतन्त्रता के बाद नौकरियों में उनको अलग स्थान सुरक्षित किए गए हैं।

समाजशास्त्रियों के अनुसार खान-पान सम्बन्धी नियम द्विवादी मान्यताओं में प्रमुख स्थान रखता है। उपन्यासकारों ने इस अवस्था का चित्रण किया है। सभी उपन्यासकारों ने खान-पान सम्बन्धी मान्यताओं पर प्रहार किया है। ऐसे उपन्यासकारों में प्रेमचन्द 'गुवन' (१९३०ई०), 'कर्मभूमि' (१९३३ई०), पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' के 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) आदि हैं। विवाह-सम्बन्ध पर भी विचार किया गया है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार परस्पर विभिन्न भवणों में भी विवाह-सम्बन्ध होना सामान्य बात नहीं है। लेकिन हरिजनों से विवाह-सम्बन्ध होना अकल्पनीय बात है। विभिन्न उपन्यासों में इस बात का चित्रण मिलता है।

चूंकि हरिजनों को लोग निम्न कोटि का समझते हैं, इसीलिए उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया है। कहीं शानक वर्ग के व्यक्ति, तो कहीं राजवर्ग के व्यक्ति उनका शोषण करते हैं^१। हरिजनों का शोषण जमींदार और पूंजीपति वर्ग के द्वारा भी किया गया है।

१. ० देखिए-- पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', प्रेमचन्द, संतोषनारायण

नौटियाल, फणोश्वर नाथ रेणु और मन्मथनाथ गुप्त के उपन्यास।

२. देखिए -- (शासक वर्ग) लज्जाराम शर्मा 'मेहता', किशोरीलाल गोस्वामी

और मन्मथ द्विवेदी के उपन्यास।

राजवर्ग -- पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', चतुरसेन शास्त्री और वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास।

३. देखिए -- (पूजीपति वर्ग) -- वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास।

(जमींदार वर्ग) -- विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक', शिवपूजनसहाय, नागार्जुन, बैजनाथ गुप्त और रामचन्द्र तिवारी के उपन्यास।

कहीं-कहीं समाज के द्वारा भी अमानुषिक व्यवहार किया जाता है। हरिजनों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता है, कुर्ताने नहीं पहनने दिया जाता है।

सामाजिक कारणों में वेश्या-समस्या प्रमुख है। वेश्यावृत्ति का मूलकारण आर्थिक है। यदि हरिजन स्त्रियों में आर्थिक अभाव न हो तो वे वेश्यावृत्ति की ओर आकृष्ट नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में हरिजनों के साथ भेदभाव का बर्ताव मिलता है। वास्तव में हरिजनों के लिए शिक्षा की समस्या प्रमुख रही है। इस बात से हम झन्कार नहीं कर सकते कि शिक्षा क्षेत्र में उनके प्रति उदासीनता का व्यवहार किया गया है।

प्राचीनकाल से ही भारत के इतिहास में हरिजनों के साथ भेद-भाव की भावना चली आ रही है। हरिजन लोग सवणों की तरह मनुष्य हैं, फिर भी उनके साथ क्रूर-हात का व्यवहार हमारे समाज

१. देखिए -- (समाज का अमानुषिक व्यवहार) -- प्रेमचन्द, फणीश्वर-नाथ रेणु, रामप्रसाद मिश्र, भाक्तोचरण वर्मा, कृष्णचन्दर, रामदरश मिश्र और भावती बरण्ण प्रसाद वाजपेयी के उपन्यास।

२. (कुं से पानी न भरने देना) -- रामदरश मिश्रा और राजेन्द्र अवस्थी के उपन्यास।

३. देखिए -- शैलेश मटियानी और दयाशंकर मिश्रा के उपन्यास।

४. देखिए -- प्रेमचन्द, वैजनाथ केडिया, अज्ञेय, फणीश्वरनाथ रेणु यज्ञदत्त शर्मा और डा० सुरेश सिनहा के उपन्यास।

में किया जाता है। हरिजनों की समस्या तो एक मानवीय समस्या है। यही कुजादूत को समस्या उपन्यासों में भी प्रतिबिम्बित हुई है। मनुष्यत्व को भावना को भी स्थान दिया गया है। प्रेमचन्द के 'गुबन' (१९३०ई०) उपन्यास में यह भावना देखने को मिलती है कि हरिजन पात्रों में भी मनुष्यत्व विभा रहता है, जैसे 'गुबन' (१९३०ई०) का देवी दीन खटिक नामक पात्र।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न उपन्यासकारों के द्वारा विभिन्न सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया गया है। अनेक पुरानी मान्यताओं का जहाँ खण्डन मिलता है, वहाँ अनेक नई मान्यताओं की स्थापना भी की गई है। उपन्यासकार लोग हरिजनों की सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं।

राजनीतिक गतिविधियों के विकास की अनेक स्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। प्रारम्भ में अंग्रेज सरकार ने कूटनीति से कार्य करना चाहा था, परन्तु वह अपने उद्देश्य में सफल हो न पाई और मजदूरों तथा हरिजनों के बीच मतभेद न उत्पन्न हो सका।

प्राचीनकाल से ही शासक वर्ग शोषितों के ऊपर अत्याचार करता आया है। ब्रिटिश काल में भी हरिजनों पर अनेक अत्याचार किये गये। शासक वर्ग के लोग अपने को उच्च समझकर, शोषित लोगों को हीन समझकर उनके साथ निम्नकोटि का व्यवहार करते हैं। जमींदार वर्ग अंग्रेजी राज के प्रारम्भिक दिनों की उपज है।

१. देखिए-- डा० सुरेश सिनहा, गोविन्द वल्लभ पंत, भावती चरण वर्मा और चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास।

२. देखिए -- लज्जाराम शर्मा, चतुरसेन शास्त्री, विश्वम्भरनाथ शर्मा और वृन्दावलाल वर्मा के उपन्यास।

इस विशाल देश पर शासन करने के लिए अंग्रेजों ने जमींदारों को प्रजा पर अत्याचार करने के लिए प्रोत्साहन देना शुरू किया। जमींदारों ने अंग्रेजों की शह पाकर अनेक दुष्कृत्य हरिजनों के साथ किए। जमींदारों की इस नीति का निरूपण विभिन्न उपन्यासकारों ने किया है।

लार्ड रिपन ही एकमात्र वायसराय थे, जिन्होंने भारत के हित के लिए कार्य किया। उन्हीं की कृपा से भारत में म्युनिसिपैलिटी का संगठन हुआ। म्युनिसिपैलिटी में कैसे धांधला होता है? कैसे वहां पर ऊंचे घराने के सदस्यों का कब्जा रहता है? कैसे हरिजनों का शोषण होता है? इन सभी बातों का चित्रण हमें उपन्यासों में देखने को मिलते हैं। उपन्यासकार लोग म्युनिसिपैलिटी के अत्याचारों के विरुद्ध आन्दोलन भी करवाते हैं।

पुलिस ही एकमात्र संस्था है, जिससे अपराध पर नियन्त्रण पाया जा सकता है। वर्तमान युग में पुलिस अत्याचार का प्रतीक बन गई है। ब्रिटिश समय पुलिस अत्याचार का प्रतीक समझी जाता था। वही प्रभाव आज के पुलिस कर्मी के ऊपर पड़ा है। पुलिस मौका मिलते ही हरिजनों का शोषण करती है। कुछ भी घटना घटे, पर पुलिस हरिजनों के ऊपर ही अपना क्रोध प्रकट करती है। हिन्दी उपन्यासकारों ने ^{पुलिस विभाग को} निष्क्रियता का चित्रण किया है। आपात स्थिति

१. देखिए -- विश्वम्भरनाथ शर्मा और प्रेमचन्द के उपन्यास।
२. देखिए -- प्रेमचन्द, पाण्डेय बेचन शर्मा और उदयशंकर मट्ट के उपन्यास।
३. देखिए -- प्रेमचन्द, पाण्डेय बेचन शर्मा, संतोष नारायण नोटियाल, उदयशंकर मट्ट, इन्द्र विद्यावाचस्पति, दयाशंकर मिश्र, कमल शुक्ल, बेजनाथ गुप्त और रामदरश मिश्र के उपन्यास।

की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने 20 सुत्रोय आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा की है। जिसमें हरिजनों के उत्थान के लिए भी कार्यक्रम रखा गया। पुलिस को चाहिए कि वह समाज के दुर्बल लोगों (हरिजनों) की सहायता करे। पुलिस का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि कहां समाज में पुलिस के द्वारा तो हरिजनों का शोषण नहीं किया जा रहा है।

बौद्धिक और जागरूक उपन्यासकारों ने राष्ट्रीय आन्दोलनों का चित्रण किया है। पर कोई भी उपन्यासकार राष्ट्रीय आन्दोलन का विशद चित्रण नहीं कर पाया है। आन्दोलनों के उभार को चित्रित किया गया है। कहीं-कहीं राजनीतिक विचारधारा का यदा-कदा विवेक भी मिलता है। भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के विविध पक्षों का चित्रण उपन्यासकारों ने किया है।

शासन-प्रबन्ध में प्रष्टाचार का बोलबाला हमेशा रहा है। लेखक ने शास्त्र सम्बन्धी प्रष्टाचार को चित्रित करने के लिए कहां प्रत्यक्ष प्रणाली और कहां अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई है। कैसे ऊंचे वर्ग के व्यक्ति निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं। इसका चित्रण हमें उपन्यासों में प्राप्त होता है।

भाषा की समस्या भी उठाई गई है। भाषा का प्रश्न राष्ट्रीयता से सम्बन्धित है। अंग्रेजी राज्य के समय तो अंग्रेज अंग्रेजी भाषा पर इसलिए जोर देते थे ताकि सरकारी काम-काज करने के

-
१. देखिए -- प्रेमचन्द, भावती चरणवर्मा और मन्मथनाथ गुप्त के उपन्यास।
 २. देखिए-- रामप्रकाश कपूर के उपन्यास।

लिए योग्य फलक पैदा हों। पर वर्तमान युग में हिन्दी पर बल दिया जा रहा है। रामदेव ने भाषा के प्रश्न पर हिन्दी को महत्ता प्रदान कर राष्ट्राय परिप्रेक्ष्य के निर्माण में सहायता दी है।

पूंजीपतियों ने भी हरिजनों का शोषण किया है। प्रथम विश्वयुद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार ने अपनी मूल नीति में परिवर्तन किया। भारत में भी कारखाने बनने लगे और पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। जिस प्रकार अंग्रेजों ने जमींदार वर्ग को हरिजनों का शोषण करने के लिए प्रोत्साहित किया, वैसे ही पूंजीपति वर्ग को भी अत्याचार करने के लिए अपना समर्थन दिया। उपन्यासकारों ने पूंजीपतियों के अत्याचारों का भी चित्रण किया है।

हिन्दी उपन्यासकारों के क्षेत्र में पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण का भी परिचय मिलता है। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए हा १९५७ ई० का जनक्रान्ति हुई, पर वह असफल हो गई। राष्ट्रीय आन्दोलन के ताने होने पर अंग्रेजी सरकार ने राजाओं को अपनी ओर मिला लिया। ऐसी स्थिति में राजनीतिक क्षेत्र में पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण का अस्तित्व रहा।

देशी रियासतों की समस्या का भी चित्रण मिलता है। अंग्रेजी सरकार इनके द्वारा जनता पर अपना आतंक जमाए रखना चाहता था। विश्वम्भरनाथ शर्मा के 'संघर्ष' (१९४५ ई०) उपन्यास में देशी रियासतों के अत्याचार पूर्ण रूप का ही चित्रण मिलता है।

१. देखिए -- प्रेमचन्द का उपन्यास।

२. देखिए -- प्रेमचन्द का उपन्यास।

महाजनों का शोषण भी राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पंडित नेहरू ने यहां तक लिखा है कि सरकारी आर्थिक नीति बिल्कुल साहूकारों के हक में रही है^१। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यास 'गोदान' (१९३६ई०) में महाजनी शोषण के ह्यकण्डों का स्पष्टतः चित्रण किया है। देशभक्ति का भी चित्रण किया गया है। ब्रिटिश सरकारी-न्याय व्यवस्था और ब्रिटिश शासन-नीति का चित्रण भी मिलता है।

अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न उपन्यासकारों ने विभिन्न राजनीतिक पक्षों का चित्रण करते हुए हरिजनों के ऊपर पड़े उनके प्रभाव का चित्रण किया है। हरिजनों में अब राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा है। उपन्यासकारों ने हरिजनों के राजनीतिक पक्ष का पूर्णतः समर्थन किया है।

हरिजनों के ऊपर शासन द्वारा आर्थिक अत्याचार किए जाते हैं। उपन्यासकारों को दृष्टि इस ओर भी गई है। सरकार का ओर से अनेक पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं, परन्तु अभी तक

१. जवाहरलाल नेहरू : 'मेरी कहानी', पृ०सं० ४२४ ।

२. देखिए-- प्रेमचन्द के उपन्यास ।

३. देखिए -- प्रेमचन्द के उपन्यास ।

४. देखिए-- रामप्रकाश कपूर के उपन्यास ।

उनकी आर्थिक स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सका । तत्कालीन समय में सरकार हरिजनों की आर्थिक उन्नति के लिए बैंकों से ऋण दे रही है, जो कि उत्साहवर्द्धक है । समाज के द्वारा भी आर्थिक शोषण किया जा रहा है । समाज ने अपने शोषण के द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति को और भी दयनीय बना दिया है । जमांदार वर्ग ने भी हरिजनों का आर्थिक शोषण किया है । जमांदार वर्ग के समान पूंजीपतियों ने भी हरिजनों के ऊपर मनमाना अत्याचार किया है । यह वर्ग राष्ट्रीय कल्याण की चिन्ता नहीं करता, बल्कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की चिन्ता करता है । उपन्यासकारों की दृष्टि इस ओर भी गई है । राजर्षि भी अत्याचार करने में पीछे नहीं रहा है । जब ब्रिटिश सरकार इनका शोषण करती थी, तब ये लोग अपना क्रोध शान्त करने के लिए हरिजनों का शोषण करते थे । इसी लिए हरिजनों की समाज में अन्य वर्गों के मुकाबले आर्थिक स्थिति दयनीय बनी रही । आजकल प्रधानमंत्री के २० सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उनकी आर्थिक अवस्था को उठाने के लिए सरकार कार्यरत है ।

-
१. के लिए -- प्रेमचन्द, फणीश्वरनाथ रेणु, राम्भोविन्द मिश्र, इन्द्र विद्यावाचस्पति, राधिकारमण प्रसाद सिंह, वैजनाथ गुप्त और यज्ञदत्त शर्मा के उपन्यास ।
 २. के लिए -- अमृतलाल नागर और फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास ।
 ३. के लिए -- प्रेमचन्द और मगकीचरण वर्मा के उपन्यास ।
 ४. के लिए -- विश्वम्भरनाथ शर्मा, 'कौशिक', और बतुरसेन शास्त्री के उपन्यास ।

सदियों से हरिजनों के ऊपर धार्मिक अत्याचार किया जाता रहा है। मंदिर-प्रवेश भी रुढ़िवादी मान्यताओं में प्रमुख स्थान रखता है। हरिजनों के धार्मिक अधिकार प्राचीनकाल से ही मान्य रहे। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों से इसकी पुष्टि होती है^१। धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण को भी चित्रित किया गया। प्रेमचन्द ने 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में दातादीन ब्राह्मण के द्वारा होरी का धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण को चित्रित किया गया है। यद्यपि कानून के द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर दिया है। पर आज भी समाज में अस्पृश्यता का बोलबाला है। आज भी हरिजनों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। यदि वह मंदिर में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं तो वे पुजारियों के द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। आवश्यकता है कि समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाये। जिन लोगों को हम हजारों वर्षों से पददलित करते आये हैं, उनके प्रति नवयुवकों में सच्ची हमदर्दी की भावना पैदा करनी होगी।

हिन्दी उपन्यासकारों ने इस स्थिति का विशद चित्रण किया है^२। ब्राह्मण वर्ग के पाखण्डों के ऊपर प्रेमचन्द ने देवी दीन लटिक के माध्यम से तीखा व्यंग्य किया है। मध्यकाल में हरिजन वर्ग के सन्तों ने इसका कड़ा विरोध किया। कबीर ने ब्राह्मणों के पाखण्ड पर कटु प्रहार किया है। वैसे ब्राह्मणों के पाखण्ड पर तो कबीर के पहले सरहपा आदि सिद्ध योगियों ने भी प्रहार किया था।

१. देखिए -- वेद, गीता और पारस्कर गृह्य सूत्र टीका आदि।

२. देखिए -- प्रेमचन्द, पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', यज्ञदत्त शर्मा, मन्मथ-नाथ गुप्त और चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हरिजनों की धार्मिक स्थिति अब भी निम्न है। जब तक सामाजिक मान्यताएं नहीं बदलेगी, तब तक हरिजनों की धार्मिक समस्या भी हल नहीं हो सकती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हरिजनों के ऊपर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सभी तरह के अत्याचार किये जाते हैं। हमारे उपन्यासकार इतने जागरूक हैं कि उन्होंने हरिजनों से सम्बन्धित प्रत्येक समस्या का विवेचन किया है।

०-००-

(ख) स्वतन्त्र भारत का संविधान

जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश में नया संविधान तैयार किया गया, जिसमें वर्ण या जाति के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं माना गया। भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलनों के कारण ब्रिटीश शासन ने मजबूर होकर भारत को स्वतन्त्रता देने की बात का विचार किया। कई एक प्रयास किये, पर सब असफल होते दिखे। शुभ दिन आया। १९४७ई० में भारत स्वतंत्र हो गया और हमारा राज हो गया।

देश के विभाजन के फलस्वरूप नई-नई

जिम्मेदारियां सिर पर आ लड़ी हुई। आजादी के पहले समय-समय पर जो संकल्प किए गए थे, जो वचन दिए गए थे, उनको पूरा करना था। उनमें 'पुना-समझौता' भी था, जिस पर भारत के प्रमुख नेताओं ने १५ वर्ष पहले, २४ सितम्बर, १९३१ई० को अपनी मोहर लगाई थी। समझौता १० साल के लिए हुआ था, इस विचार से कि तब तक कदाचित् अस्पृश्यता का अन्त हो जायेगा। २५ सितम्बर १९३१ई० को पं०मालवीय जी की अध्यक्षता में बम्बई की विशाल सभा में जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें कहा गया था कि पार्लियामेण्ट के सबसे पहले कामों में संविधान

के द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर देना भी एक प्रमुख काम है। भारतीय विधान परिषद् देश के लिए उपयुक्त विधान रचना के कार्य में जुट पड़ी। संविधान बनाने वाली सभा ने संकल्प को सामने रखकर भारतीय संविधान के नौवें लिये १७ वें अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर दिया --

अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और समान किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता में उपजा किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा। संविधान में हरिजन वर्ग के उत्थान और संरक्षण की व्यवस्था की गई।

संविधान की धारा १५ के अनुसार 'यह विधि निश्चित किया गया कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग, लिंग तथा जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।' इस धारा से हरिजन वर्ग का तथा उन समा पिछड़े वर्गों का बड़ा हाँ हित हुआ है। जाति-पाँति के विभेद के कारण अब कोई किसी को पिछड़ा नहीं बना सकता। सभी को समान रूप में उन्नति करने के अवसर प्राप्त हैं। इस धारा के आधार पर अब कोई भी नागरिक होटलों, सार्वजनिक कुर्जों, तालाबों, घाटों, सड़कों आदि पर जा जा सकते हैं। अब किसी भी प्रकार के भेद-भाव के कारण कोई इन स्थानों में प्रविष्ट होने से रोका नहीं जा सकता।

आश्चर्य ही था कि जिस सामाजिक बुराई के विचारण के प्रयत्नों को देश में भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, उसका अन्त करने वाला अनुच्छेद बिना किसी विरोध के एक मत से स्वीकार कर लिया गया।

अनुसूचित जातियों के हित में संविधान का र्द वां अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण है । उसका सम्बन्ध राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर-समता से है, अर्थात् केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी नागरिक के लिए नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायगा ।

संविधान की धारा २५ के अनुसार सभी राज्यों को ऐसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जिनके आधार पर समाज कल्याण के कार्यों को करने में सहायता मिले । इस धारा के अनुकूल राज्य ऐसे कानून बना सकते हैं, जिनसे अस्पृश्यता के विचारों का नाश किया जा सके ।

संविधान की धारा २६(२) के अनुसार किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा और इनमें से किसी एक आधार पर किसी ऐसी संस्था में प्रविष्ट करने से मना नहीं किया जा सकता जो संस्था राज्य द्वारा सहायता पाती हो या चलाई जाती हो ।

इस धारा के अनुकूल अब हरिजन वर्ग के लिए सभी संस्थाओं का द्वार खुल गया ।

संविधान की धारा ३८ के अनुसार सरकार जनता के कल्याण के लिए योजना बनाकर उनके अनुसार कार्य कर सकती है तथा ऐसे समाज की रचना के लिए प्रयत्न कर सकती है, जिसमें सभी को न्याय मिले, सब की आर्थिक दशा अच्छी रहे, सभी को ह राजनैतिक अधिकार मिलें । सभी नागरिकों को समान उन्नति करने का अवसर प्राप्त है ।

संविधान के ४६ वें अनुच्छेद में घोषित किया गया है कि 'राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेष तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों का विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक न्याय तथा सब प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा ।'

इस धारा के अनुसार राज्य अपने-अपने दायरे में कमजोर परिगणित जाति, परिगणित अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को शोषण से बचाने के लिए उपयुक्त साधन काम में ला सकेगा ।

इस धारा के अनुसार राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने प्रदेश में वहाँ के पिछड़े तथा हरिजन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्य कर सकती है ।

संविधान के ३३० वें अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान प्रतिष्ठित कर दिए गए हैं, एवं ३३२ वें अनुच्छेद द्वारा राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का रक्षण कर दिया गया है ।

संवैधानिक रूप से अस्पृश्यता की समाप्ति हो जाने पर भी अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम का पास होना आवश्यक था । उसमें काफी समय लग गया । १९५५ में यह आवश्यक अधिनियम पास हुआ । धार्मिक व सामाजिक नियोग्यताएं व प्रवर्तित करने के लिए चिकित्सालयों आदि में व्यक्तियों का दाखिला कराने से इन्कार करने के लिए तथा वस्तुओं को बेचने या सेवारं करने से इन्कार करने

के लिये और अस्पृश्यता से पैदा हुए अन्य अपराधों के लिये दण्ड को व्यवस्था अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम में की गई ।

संविधान की इन धाराओं के अनुकूल कार्य होने पर हरिजन वर्ग तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण किया जा सकेगा। युक्त-युग के पिछड़े तथा दलित वर्गों को अब कानूनन समाज में सम्मान तथा मुख्यपूर्वक रहने का अवसर मिला ।

राष्ट्रीय सरकार संविधान के अनुकूल कार्य करने को बटिबद्ध है । यह पुरी आशा की जा सकती है कि अब ऐसे समाज का रचना की जा सकेगी, जिसमें किसी भी व्यक्ति को जाति, वर्ग, धर्म, मूलवंश तथा लिंग भेद आदि के आधार पर उन्नति करने से रोका नहीं जा सकेगा ।

(ग) वर्तमान सरकार के द्वारा प्रोत्साहन

हरिजनों के चोत्रगत विकास कार्यक्रम के अतिरिक्त सामान्य चोत्रों से भी उन्हें लाभान्वित करने के लिए सरकार जो नई योजनाएँ अपना रही है, उसके अन्तर्गत हरिजनों (अनुसूचित जाति) के भी लाभ के लिए तैयार की गई बीसों योजनाओं में प्राथमिकता दी जायेगी । पाँचवीं योजना में हरिजनों के विकास के लिए १५०० करोड़ रुपये का प्राविधान है । हरिजनों जातियों के उत्थान कार्यक्रमों को नई गति प्रदान की जायेगी । शोषण, प्रथमाकरण, कर्म तथा बंधक मजदूरी के अभिशापों से त्रस्त लोगों को व्यापक प्र उन्मुक्त कराया जा रहा है और वे बिना किसी भय और जाहंका के अपना घरदार बसा सकें, इसकी सुविधायें प्रदान की जा

रहा है । अभी तक उन्हें पचास लाख घरों के लिए स्थान प्रदान किए जा चुके हैं ।

अनुसूचित जातियों के ४० लाख बच्चों को अभी तक पगलों कक्षा पूर्व के बजोफे प्रदान किये जा चुके हैं । हाईस्कूल गपारान्त कक्षाओं के चार लाख से अधिक छात्रों को १९७४-७५ में चार लाख से अधिक बजोफे दिए गए हैं । इनके शिक्षा प्रसार के लिए व्यापक पैमाने पर कदम उठाये गये हैं । कमजोर वर्ग के लोगों को सूदखोर महाजनों के कुंज से मुक्ति दिलाने की दिशा में अनेक राज्यों में वैधानिक तथा प्रशासकीय कदमों को और कड़ाई के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है । देसा केन्द्रोय सरकार को एक रिपोर्ट में कहा गया है ।

हमारा प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है । उसी अनुपात में इस प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या भी और प्रदेशों से अधिक है । सन् १९७१ ई० की जनगणना के अनुसार इस प्रदेश की कुल जनसंख्या ८,८३,४१,१४४ है, जिसमें अनुसूचित जातियों की संख्या १,८५,५८,६१६ है । अकेले अनुसूचित जातियों की संख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का २० प्रतिशत से अधिक है । विमुक्त जातियों की संख्या लगभग ४० लाख तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या १,६८,५६५ है । अन्य पिछड़ी हुई जातियां भी इन्हीं कमजोर वर्ग का भेगा में जाती हैं । इन सभी कमजोर वर्गों को सम्मिलित जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का ५० प्रतिशत से अधिक है । अतः देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु इन कमजोर वर्गों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें अन्य वर्गों के समान स्तर पर लाना नितान्त आवश्यक है ।

इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रदेश का जनप्रिय सरकार ने छ अला से हरिजन कल्याण विभाग का स्थापना सन् १९४८ई० में की। धीरे-धीरे इस विभाग के कार्य-कलाप बढ़ते गये और कार्य कलापों में वृद्धि के साथ-साथ इस विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए अधिकाधिक धनराशि का व्यय तथा की गई। वर्ष १९५२-५२ ई० में इस विभाग का बजट केवल ३६.२० लाख रुपये का था जो बढ़कर वर्ष १९७४-७५ई० में १४.२५ करोड़ रुपये का हो गया। इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार इन कार्यों को अन्य वर्गों के समान स्तर पर लाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

वर्तमान समय में विभाग द्वारा इन जातियों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं को मुख्यतः निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है--

- (१) शैक्षिक योजनार्थ ।
- (२) आर्थिक ।
- (३) स्वास्थ्य एवं आवास आदि ।

शैक्षिक

इसके अन्तर्गत पूर्व दशम तथा दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्तियां, पूर्वदशम, कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा, आश्रम पद्धति विद्यालय, छात्रावासों का निर्माण, पालिटेकनिक और प्राविधिक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन की योजनार्थ प्रमुख हैं।

आर्थिक

इसके अन्तर्गत कृषि एवं बागवानी हेतु अनुदान कुटीर उद्योगों के विकास हेतु अनुदान तथा विमुक्त जातियों एवं अनुसूचित

जन जातियों के पुनर्वासन सम्बन्धी योजनाएँ चलाई जा रही हैं ।

समाप्त एवं आवाग आदि

इसके अन्तर्गत गृह-निर्माण हेतु अनुदान व
अनुदान देना, नौकरा हेतु साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए
आवाग आदि की योजनाएँ प्रमुख हैं ।

प्रदेश की अनुसूचित जातियों के लोगों के
सर्वसाधारण विकास एवं उत्थान हेतु पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में
राज्य की योजनागत योजनाओं के लिए १४ करोड़ रुपये के स्थान
पर २५ करोड़ रुपये का परिव्यय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित
कार्यक्रमों के लिए १८६६.८३ लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित किया
गया है ।

वर्ष १९७४-७५ के लिए राज्य संचालित
योजनाओं के हेतु कुल ४४३,००० लाख रु० जिसमें पर्वतीय क्षेत्र का
१६,००० लाख रुपया भी सम्मिलित है, निर्धारित किया गया है ।
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत १८०,८०० लाख रु० का
परिव्यय प्रस्तावित है ।

वर्ष १९७५-७६ के लिए राज्य संचालित
योजनाओं हेतु ४००,००० लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया
गया है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र का ३०,००० लाख रु० भी सम्मिलित है
तथा केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत ३३२.८३२ लाख रु०
का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

हरिजन जातियों को उत्थान की योजनाओं को ४ वर्गों में विभक्त किया गया है, जैसे --

(१) शिक्षा, (२) आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम, (३) स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनाएँ एवं (४) निदेशन एवं प्रशासन ।

उपर्युक्त वर्गीकृत योजनाओं में प्रस्तावित धनराशि का विवरण इस प्रकार है --

पांचवां पंचवर्षीय योजना
(राज्य संचालित योजनाएं)

क्रम	शिक्षा	आर्थिक उत्थान	स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनाएं	निदेशन एवं प्रशासन	योग
	२	३	४	५	६
कुल जाति	१४१६.०००	२६५.०००	२३६.५००	१२७.५००	२०६९.०००

इस प्रकार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें अपने सम्मिलित प्रयत्नों से हरिजनों की स्थिति सुदृढ़ करने में अपना-अपना योगदान दे रहे हैं ।

स्वतंत्रता के अंतिम आन्दोलन में गांधी जी ने जो वचन कहे थे, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है । स्वतंत्रता का रहस्य उसमें पुरा तरह प्रकट हुआ है । उन्होंने कहा था, ' अंग्रेजों की गुलामी

१. उत्तरप्रदेश में हरिजन तथा समाज कल्याण कार्यक्रम--१९७४-७५ई०,

में शाब्द हा हमने दो शताब्दियां गुजारी हैं, लेकिन फिर भी उससे
 घुटकारा माने के लिए हम कैसे छटपटा रहे हैं। अभी और यहां तक
 स्वतन्त्रता, यह हमारा नारा है। लेकिन ये ही लोग जब दलित
 बांधकों को कल का हवाला देते दिखायी देते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता
 है। उम ब्रह्म के उधार स्वर्ग का आकर्षण भला ब्रह्मिस्को होगा।
 दलितों को स्वतन्त्रता को हम भविष्य पर नहीं छोड़ सकते। अभी और
 यहाँ वह उनको प्राप्त हो जाना चाहिए।

समाज की अन्त्य इकाई में तब तक स्वतन्त्रता
 नहीं पहुँचेंगी, तब तक स्वतन्त्रता के २६ वें वर्ष प्रवेश पर इस संदेश को
 हमें स्मरण करना चाहिए।

अन्त में हमारा एक निवेदन है कि प्रस्तुत प्रबन्ध
 में मैंने दो अनेक उपन्यासकारों का विवेक किया है, जो आज भी लिख
 रहे हैं और भविष्य में भी लिखते रहेंगे। हमें विषय की सीमा का
 समीक्षा-मापन करना आवश्यक था, अतः १९७४ई० के बाद की कृतियों
 को हमने छोड़ दिया है। प्रस्तुत प्रबन्ध में हमारे जो निष्कर्ष हैं, उनकी
 रचना नामाये हैं। प्रत्येक साहित्यकार के जीवन-दर्शन तथा कलात्मक
 अभिव्यक्ति में विकास की अपेक्षा होती है, अतः यह निवेदन है कि
 मेरे निष्कर्ष अंतिम न मान लिये जाये। युग की सीमा में प्रतिनिधि
 उपन्यासकारों का जो भी रकार्ये लिसी गई हैं, मैंने उन्हीं० के
 आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक चेतना के
 विकास का अध्ययन हरिजनों के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है। अतः
 हमारा दृष्टि में लेखक की अपेक्षा उसकी रचना का हमें अधिक महत्त्व
 रहा है।

परिशिष्ट

- परिशिष्ट -- (१) आलोच्य र्पन्यास
परिशिष्ट -- (२) सहायक पुस्तकें
परिशिष्ट -- (३) पत्र-पत्रिकार्ये

परिशिष्ट--(१) आलोच्य उपन्यास

<u>लेखक</u>	<u>उपन्यास</u>
अज्ञेय	-- शेर : एक जीवनी , प्रथम भाग, १९४०ई०
अमृतलाल नागर	-- 'महाकाल' (१९४४ई०) ।
इन्द्रविद्या वाचस्पति	-- 'अपराधी कौन' (१९५५ई०) ।
उदयशंकर भट्ट	-- 'सागर लहरों और मनुष्य' (१९५५ई०) ।
कृष्णा चन्द्र	-- 'आंस को बीरो' (१९७१ई०) ।
कमल शुक्ल	-- 'पराजित' (१९५८ई०) ।
किशोरी लाल गोस्वामी	-- माधवी माधव क वा मदन मोहिनो' (१९५९ई०) ।
गोविन्द वल्लभ पंत	-- 'अंगूठी का नगीना' (१९६१ई०) । 'अल समाधि' (१९५५ई०) ।
चतुरसेन शास्त्री	-- 'गोलो' (१९५८ई०) । 'उदयास्त' (१९५८ई०) । 'बगुला के पंख' (१९५६ई०) । 'शुभदा' (१९६६ई०) ।
दयाशंकर मिश्र	-- 'छोटी बहू' (१९५८ई०) ।
नागार्जुन	-- 'वरुण के बेटे' (१९५४ई०) ।

लेखक ---	उपन्यास -----
नागार्जुन	-- 'रंगभूमि' (१९२५ई०) ।
प्रेमचन्द	अ- 'कायाकल्प' (१९२८ई०) । 'गुबन' (१९३७ई०) । 'कर्मभूमि' (१९३३ई०) ।
पांडेय बेचन शर्मा उग्र	-- 'बुधुआ की बेटी' (१९२८ई०) । 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) । 'सरकार तुम्हारी आंखों में' (१९३७ई०) ।
फणी श्वरनाथ रेणु	-- 'मैला आंचल' (१९५४ई०) । 'परतो परिकथा' (१९५७ई०) । 'जुलूस' (१९६५ई०) ।
वैजनाथ गुप्त	-- 'जीवन : जाग और आंसू' (१९५८ई०) ।
वैजनाथ केडिया	-- 'कृत-अकृत' (१९३८ई०) ।
भावती चरण वर्मा	-- 'अपने खिलाँने' (१९५७ई०) । 'धुले बिसरे चित्र' (१९२९ई०) ।
मगवतो प्रसाद वाजपेयी	-- 'कर्मपथ' (१९६७ई०) ।
मन्मथनाथ गुप्त	-- 'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०) । 'सागर संगम' (१९६६ई०) । 'शरीफों का कटारा' (१९६६ई०) ।
मेहता लज्जाराम शर्मा	-- 'आदर्श हिन्दू' (प्रथम भाग, १९१७ई०) । ,, (द्वितीय भाग, १९१७ई०) । ,, (तृतीय भाग, १९१७ई०) ।
मन्नन द्विवेदी	-- 'रामलाल' (१९१७ई०) । 'कल्याणी' (१९२०ई०) ।

लेखक -----	उपन्यास -----
यज्ञदत्त शर्मा	-- 'चौथा रास्ता' (१९५८ई०) ।
यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र	-- 'अनावृत' (१९५९ई०) ।
रामदरश मिश्र	-- 'पानी के प्राचीर' (१९६१ई०) । 'जल टूटता हुआ' (१९६६ई०) । 'सूखता हुआ तालाब' (१९७२ई०) ।
रामचन्द्र तिवारी	-- 'नवजीवन' (१९६३ई०) ।
रामदेव	-- 'लहरी' (१९५४ई०) ।
रामप्रकाश कपूर	-- 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) ।
रामप्रसाद मिश्र	-- 'कहाँ या क्यों' (१९६०ई०) ।
रांगेय राघव	-- 'विष्णाद मठ' (१९४६ई०) । 'कब तक पुकारूँ' (१९६७ई०) ।
रामगोविन्द मिश्र	-- 'मर्यादा' (१९५५ई०) ।
राजा राधिकारमणसिंह	-- 'जुबन और चांटा' (१९५७ई०) ।
वृन्दावनलाल वर्मा	-- 'फांसी की रानी लक्ष्मी बाई' (१९४६ई०) । 'मृगनयनी' (१९५०ई०) । 'सौना' (१९५२ई०) । 'मुवन विक्रम' (१९५७ई०) ।
विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक'	-- 'मिलारिणी' (१९२१ई०) । 'संघर्ष' (१९४५ई०) ।
सुरेश सिनहा	-- 'सुबह अधेरे पथ पर' (१९६७ई०) । 'पत्थरों का शहर' (१९७१ई०) ।
संतोषनारायण नाटियाल	-- 'हरिजन' (१९४९ई०) ।
शिवपूजन सहाय	-- 'देहाती दुनिया' (१९२५ई०) ।
शैलेश मटियानी	-- 'दो बूंदें जल' (१९६६ई०) ।

परिशिष्ट--(२) सहायक पुस्तकें

लेखक	पुस्तकें
अज्ञेय	-- 'आत्मनेपद' (१९६०ई०) ।
डा० सुरेश सिनहा	-- 'हिन्दी उपन्यास' (१९६४ई०) । 'हिन्दी कहानी : उद्भव और विकास' (१९६६ई०) ।
अशोक चन्दा	-- 'इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन' (१९५८ई०) ।
इन्द्रनाथ मदान	-- 'प्रेमचन्द ककविवेचन' । दूसरा सं० ।
अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध'	-- 'अधखिला फूल' (संवत् २०११) ।
हेनरी जेम्स	-- 'द आर्ट आफ फिक्शन' (१९४८ई०) ।
इलाचन्द्र जोशी	-- 'विश्लेषण' (१९५४ई०) ।
किशोरलाल गोस्वामी	-- 'लीलावती' (१९०२ई०) ।
जवाहरलाल नेहरू	-- 'हिन्दुस्तान की कहानी' (१९४७ई०) । 'एन आटोबायोग्राफी' (१९३६ई०) ।
इलाचन्द्र जोशी	-- 'साहित्य चिन्तन' (१९५५ई०) । 'विवेचना' (संवत् २००७) ।
जेनेन्द्र कुमार	-- 'साहित्य का श्रेय और प्रेय' (१९५३ई०) ।
केसरीनारायण शुक्ल	-- 'आधुनिक हिन्दी काव्य धारा का सांस्कृतिक स्रोत' (संवत् २००४) ।
ताराशंकर पाठक	-- 'हिन्दी के सामाजिक उपन्यास' (संवत् १९६६) ।
डा० देवराज उपाध्याय	-- 'आधुनिक कथा साहित्य और मनोविज्ञान' (१९५६ई०) ।
शिवरानी देवी	-- 'प्रेमचन्द घर में' (१९५६ई०) ।
श्रीकृष्णलाल	-- 'आधुनिक हिन्दी साहित्य' (तृ०सं० १९५२ई०) । 'विचार और विश्लेषण' (१९५५ई०) ।

लेखक ---	पुस्तकें -----
डा० नगेन्द्र	-- 'आलोचक की आस्था' (१९६६ई०) । 'आस्था के चरण' (१९६७ई०) ।
प्रेमचन्द	-- 'कुछ विचार' (१९४९ई०) । 'साहित्य का उद्देश्य' (१९५४ई०) । 'विविध प्रसंग' (१९६६ई०) ।
ब्रजनन्दनसहाय	-- 'राधाकान्त' (१९००ई०) ।
सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन	-- 'हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिदृश्य' (१९६८ई०) ।
डा० सावित्री सिनहा	-- 'तुला और तारे' (१९६६ई०) ।
नन्ददुलारे वाजपेयी	-- 'आधुनिक साहित्य' (संवत् २००७) । 'हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी' (१९४५ई०) । 'प्रेमचन्द : एक विवेचन' (१९५६ई०) । 'बयशंकर प्रसाद' (संवत् २०२५) ।
डा० राजेन्द्र प्रसाद	-- 'आत्मकथा' (१९५२ई०) ।
यशपाल	-- 'बात-बात में बात' (१९५४ई०) ।
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	-- 'हिन्दी साहित्य का इतिहास (संवत् २००८) ।
पद्म सिंह शर्मा कमलेश	-- 'मैं इनसे मिला' (१९५२ई०) ।
डा० भोलानाथ	-- 'हिन्दी साहित्य' (१९५४ई०) ।
डा० लक्ष्मीसागर वाष्णीय	-- 'हिन्दी गद्य की प्रवृत्तियाँ' (बम्बई) । 'आधुनिक हिन्दी साहित्य' (१९५४ई०) । 'उन्नीसवीं शताब्दी' (१९६३ई०) । 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' (द्विटा सं०) । 'बीसवीं शताब्दी हिन्दी साहित्य : नए संदर्भ' (१९६७ई०) । 'हिन्दी उपन्यास : उपलब्धियाँ' (१९७०ई०) ।

लेखक
---पुस्तकें

- विश्वनाथ -- 'साहित्य दर्पण', कलकत्ता ।
- डा० रामविलास शर्मा -- 'प्रगति और परम्परा' (१९३०ई०) ।
 'संस्कृति और साहित्य' (१९४६ई०) ।
 'प्रगतिशीलसाहित्य की समस्याएँ' (१९५४ई०) ।
 'भाषा, साहित्य, संस्कृति' (१९५४ई०) ।
 'लोक जीवन और साहित्य' (१९५५ई०) ।
 'भारतेन्दु युग' (१९५६ई०) ।
- शिवदान सिंह चौहान -- 'साहित्यानुशीलन' (१९५५ई०) ।
- शिवकुमार मिश्र -- 'वृन्दावनलाल वर्मा : उपन्यास और कला' (१९५६ई०) ।
- हंसराज रहबर -- 'प्रेमबन्द' (१९५२ई०) ।
- अभिनन्दन ग्रन्थ -- 'साहित्यकार भावती प्रसाद वाजपेयी' ।
- डा० वेदज्ञ आर्य -- 'कामायनी की पारिभाषिक शब्दावली' (१९६०ई०) ।
- शाह और संबाटा -- 'भारत की सम्पत्ति और उसकी करोपयोगी दामता' (१९५४ई०) ।
- डा० शशिभूषण सिंह -- 'उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा' (१९६०ई०) ।
 'हिन्दी उपन्यास की प्रवृत्तियाँ' (१९७०ई०) ।
- डा० भीमराव अम्बेडकर -- 'अकूत कौन और कैसे' (१९५२ई०) ।
- रवीन्द्रनाथ मुकर्जी -- 'भारतीय सामाजिक संस्था' (१९६६ई०) ।
- कियोगा हरि -- 'अस्पृश्यता' (१९६६ई०) ।
- डा० रामजीलाल सहायक -- 'हरिजन वर्ग का उत्थान' (१९५५ई०) ।
- महात्मा गांधी -- 'सम्पूर्ण गांधी वांग्मय' सण्ड २८ (१९७२ई०) ।
 'सम्पूर्ण गांधीवांग्मय (सण्ड २६, १९७२ई०) ।
 ,, सण्ड ३० (१९७२ई०) ।
 ,, सण्ड ३१ (१९७२ई०) ।
 ,, सण्ड ३२ (१९७२ई०) ।
 ,, सण्ड ३३ (१९७२ई०) ।

लेखक -----	पुस्तकें -----
सम्पूर्ण अक्षर महात्मा गांधी	-- 'सम्पूर्ण गांधी वांगमय' खंड ४६ (१९७२ ई०) " " खंड ४७ (१९७२ ई०) " " खंड ४८ (१९७२ ई०)
हेनरी थियोडोर	-- 'द न्यू डिक्शनरी आफ इथाट्स'
हेनरी फिक्शन	-- 'द आर्ट आफ फिक्शन' (१९४८ ई०)
अट्टेकर	-- 'पोजीशन आफ बुमन इन हिन्दू सिविलिजेशन' (१९५६ ई०)
अल्बेयर कामु	-- 'द मिथ आफ सिसिफस'
अल्स्टेयर लैम्ब	-- 'क्राइसिस इन काश्मीर' (१९६६ ई०)
अर्नेस्ट र बेकर	-- 'द हिस्ट्री आफ इंगलिश नॉवेल लन्दन'
इरा वोल्फर्ट	-- 'ह्वाट इज ए नॉवेल एण्ड ह्वाट इट गुड फार' (१९५० ई०)
ए० कैम्पबेल जानसन	-- 'मिशन विद माउंटबैटन' (१९५१ ई०)
ए० आर० सैलिंगमैन	-- 'सम्पा० इन्साइक्लोपीडिया आफ द सोशल- साइंसेज', खण्ड १३।
ए० आर० देसाई	-- 'सोशल बैकग्राउण्ड आफ इण्डियन नेशनलिज्म' (१९५६ ई०)
एफ० जी० वेली	-- 'पालिटिक्स एण्ड सोशल वेन्ज' (१९६३ ई०)
ए० बी० शाह (सम्पा०)	-- 'ट्रेडिशन एण्ड माडर्निटी इन इण्डिया' (१९६७ ई०)
एडवर्ड शिल्स	-- 'इण्टेलेक्चुअल बिरकिंग ट्रेडिशन एण्ड माडर्निटी' (१९६६ ई०)
एन० वी० गण्डगिरि	-- 'गवर्नमेण्ट फ्राम इन्साइडरू' (१९६८ ई०)
एन० सी० चौधरी	-- 'द आटोबायग्राफी आफ एन अननोन इण्डियन' (१९६६ ई०)

लेखक	पुस्तकें
एल०एफ० अरशुबक	-- 'द ग्रेट मैन आफ इण्डिया' (१९५७ई०)
क्लारा रीव	-- 'प्रोग्रेस आफ रोमांस' (१७८५ई०)
कार्ल मार्क्स	-- 'कैपिटल' प्रथम भाग ।
क्रिस्टोफर काडवेल	-- 'फर्दर स्टडीज़ इन ए डाइंग कल्चर' (१९४९ई०)
के०ए० नीलकान्त शास्त्री	-- 'इण्डिया ए हिस्टारिकल सर्वे' (१९६६ई०)
के०एम० पनिकर	-- 'द फाउण्डेशन आफ न्यू इण्डिया' (१९६३ई०) 'हिन्दू सोसायटी एट क्रॉस रोड्स' (१९५५ई०)
ग्रेवाल मार्सेल	-- 'मैन ओन्स्ट ह्यूमैनिटी' (१९५७ई०)
टाल्स्टाय	-- 'हवाट इज़ आर्ट' (१९५६ई०)
ट्राट्स	-- 'सोशल टीचिंग'
नाल्स एण्ड मेरी बैयर्ड	-- 'द राइज आफ अमरीकन सिविलिज़ेशन' (१९२८ई०)
ज्यां पालसार्त्र	-- 'एग्जिस्टेन्शियलिज़्म एण्ड ह्यूमैनिज़्म' (१९५४ई०)
जयप्रकाश नारायण	-- 'सोशलिज़्म सर्वोदय एण्ड डेमोक्रेसी' (१९६४ई०)
ज्यां पाल सार्त्र	-- 'बीइंग एण्ड नथिंगनेस' (१९५६ई०) 'हवाट इज़ लिटरेचर' (१९५८ई०) 'सिचुरेशन्स' (१९६५ई०)
जान कर्मिग	-- सम्पा. 'मार्शल इण्डिया': एक कोआपरेटिव सर्वे' (१९३१ई०)
जान पेण्डर	-- 'राइटर एण्ड द कमिटमेण्ट' (१९६१ई०)
जानस्किन	-- 'मार्शल पेण्टरी' (१९१६ई०)
जार्ज त्युकाय	-- 'स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज़्म' (१९५०ई०)
जे रेम्से मैकहानेल्ड	-- 'द अवेकनिंग आफ इण्डिया' लन्दन
थामपसन एण्ड गैरेट	-- 'राइज एण्ड फुलफिलमेण्ट आफ ब्रिटिश रूल इन इण्डिया' (१९३५ई०)
दुर्गादास	-- 'इण्डिया फ्राम कर्जन टू नेहरू एण्ड आफ्टर' (१९६७ई०)

<u>लेखक</u>	<u>पुस्तकें</u>
डा० नासिर अहमद खां	-- 'मिडिलक्लास इन इण्डिया' (१९५५ई०)
परसिकल ग्रिफिथ	-- 'मार्ज्ज इण्डिया' (१९६५ई०)
पेण्डेरल मून	-- 'स्ट्रेन्जर्स इन इण्डिया' (१९४४ई०)
	'द्विवाहड एण्ड विवर' (१९६१ई०)
पी०टी०बायर	-- 'इण्डियन इकोनामिक पालिसी एण्ड डेबलेपमेण्ट' (१९६५ई०)
फ्रांसिस टुकर	-- 'इवाइल मेमोरी सर्वर्ज' (१९५०ई०)
फ्रैंक मौरिस	-- 'इण्डिया टुडे' (१९६०ई०)
बर्ट्रेण्ड रसेल	-- 'द इम्पैक्ट आफ साइन्स आन सोसायटी' (१९५५ई०)
बी०एन० कौल	-- 'अण्टोलु स्टोरी' (१९६७ई०)
बैबर	-- 'स्येज इन सोशियोलोजी'
मैथ्यू आर्नल्ड	-- 'लास्ट वर्ड्स' लन्दन
डा०राधाकमल मुखर्जी	-- 'द वे आफ ह्युमैनिज्म' (१९६५ई०)
रेल्फ फाक्स	-- 'द नोवेल एण्ड द पीपुल' (१९४७ई०)
रिचार्ड हैयर	-- 'रशियन लिट्रेचर' (१९४७ई०)

परिशिष्ट (३) पत्र-पत्रिकाएं

- 'योग शिष्टिया'।
- 'नव जीवन'।
- 'सरस्वती'।
- 'चांद'।
- 'आलोचना'।
- 'कल्पना'।
- 'माध्यम'।
- 'ज्ञानोदय'।
- 'सन्दर्भ'।
- 'कादम्बिनी'।
- 'सारिका'।
- 'धर्मयुग'।
- 'दिनमान'।